सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति
तथा
अनुसूचित जनजाति आयोग
की रिपोर्ट

एन सी
एस सी एण्ड एस टी

दूसरी वार्षिक रिपोर्ट
1993-94

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट 1993-94

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1 — 5
2.	आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्यकरण	6 — 8
3.	शैक्षिक सुरक्षण	9 — 20
4.	अ०जा० और अ०ज०जा० का आर्थिक विकास	21 — 33
5.	भूमि	34 — 57
6.	सेवा सुरक्षण	58— 83
7.	अ०जा० और अ०ज०जा० पर अत्याचार	84—104
8.	विविध सुरक्षण	105—109

एच. हनुमनथप्पा, बी.ए., बी.एल.
संसद सदस्य
अध्यक्ष

फोन कार्यालय : 4632298, 4620435
निवास : 3782056, 3385460

राष्ट्रीय आयोग
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति,
भारत सरकार
लोकनायक भवन (पाँचवीं मंजिल), नई दिल्ली-110 003
निवास : 5-ए बी, पंडारा रोड, नई दिल्ली-110 003

सत्यमेव जयते

10 जुलाई, 1996

आदरणीय राष्ट्रपति जी,

मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की वर्ष 1993-94 की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ । यद्यपि यह रिपोर्ट पहले आयोग द्वारा तैयार की गई थी, परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी । अतः इस आयोग द्वारा उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संवैधानिक दायित्व का पालन किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय आयोग का कार्यक्षेत्र व्यापक है और उसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास से संबंधित सुरक्षात्मक तथा निवारक दोनों पक्ष सम्मिलित हैं । तथापि, विभिन्न प्रतिबंधों के कारण, आयोग ने अपनी गतिविधियां शिकायतों तक सीमित रखीं जिनमें से अधिकांशतः अत्याचार और सेवा सुरक्षणों को नकारने/का उल्लंघन करने जैसे विषयों से संबंधित होती हैं । अतः आयोग की गतिविधियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों को प्राधिकारियों के साथ उठाने, हत्या, बलात्कार, घरों और सम्पत्ति को आग लगाने तथा गंभीर चोटों आदि जैसे जघन्य अपराधों की मौके पर जांच करने आदि पर बहुत जोर दिया गया है । आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा ध्यान में लाए गए अत्याचारों के मामलों में 44 क्षेत्रीय जांच की गई । आयोग के निष्कर्ष और सिफारिशें उपयुक्त स्तर के संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई हैं ।

राष्ट्रीय आयोग की यह रिपोर्ट भूमि सहित उपर्युक्त पहलुओं पर प्रकाश डालती है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों और योजनाओं की एक झलक दर्शाती है ।

स्टाफ की कमी के बावजूद, वर्तमान आयोग, जिसने हाल ही में कार्यभार संभाला है, ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाने और ऐसे उपायों का प्रस्ताव किया

.....2/-

फोन कार्यालय : 4632298, 4620435
निवास : 3782056, 3385460

सत्यमेव जयते

एच. हनुमनथप्पा, बी.ए., बी.एल.
संसद सदस्य
अध्यक्ष

राष्ट्रीय आयोग
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति,
भारत सरकार
लोकनायक भवन (पाँचवीं मंजिल), नई दिल्ली-110 003
निवास : 5-ए बी, पंडारा रोड, नई दिल्ली-110 003

है जो उसे अपने संवैधानिक कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सहायता देगा । आयोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों तथा केन्द्र/राज्य-सरकारों द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों/नियमों/अनुदेशों का संकलन करने का प्रस्ताव करता है। आयोग में एक डाटा बैंक का सृजन करने के लिए कम्पयूटर प्रकोष्ठ की स्थापना करने और उसे एन·आई·सी· नेटवर्क के माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों से जोड़ने का भी प्रस्ताव है । आयोग, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित योजना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने, निधियों के आबंटन और वितरण तथा केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए एक पूर्ण आर्थिक प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु कार्रवाई कर रहा है । आयोग का यह भी प्रयास होगा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी नीतिगत न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए सभी राज्य मुख्यालयों में एक निशुल्क कानूनी सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए । आयोग, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को परेशान करने, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने और सरकारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए, जिम्मेवार अधिकारियों पर जिम्मेवारी निश्चित करने के लिए भी भरपूर प्रयास करेगा ।

भवदीय,
एच. हनुमनथप्पा.
(एच0 हनुमन्तप्पा)

डा0 शंकर दयाल शर्मा
भारत के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली

अध्याय—1

भूमिका

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक सांविधानिक निकाय के रूप में अपने अस्तित्व के दो वर्ष 12-3-94 को पूरे किए। आयोग की प्रथम रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष 25 अगस्त, 1994 को प्रस्तुत की गई। संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 का संशोधन किए जाने के बाद सांविधानिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में की गई उसका उल्लेख आयोग की प्रथम रिपोर्ट में किया जा चुका है।

1.2 आयोग ने 7918 शिकायतों और याचिकाओं पर कार्यवाही की। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार के जिन मामलों की सूचना मिली थी उनके बारे में आयोग ने 44 मामलों में क्षेत्रीय जांच की। प्रस्तुत रिपोर्ट अधिकांशत: आयोग में प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही तथा क्षेत्र में की गई जांचों पर आधारित है।

आयोग की बैठकें

1.3 अप्रैल, 1993 और मार्च, 1994 के बीच की अवधि में आयोग की छ: बैठकें निम्नलिखित तिथियों में हुईं :—

चौथी बैठक	21-4-93
आपात बैठक	16-7-93
पांचवीं बैठक	18-8-93
छठी बैठक	15-9-93
सातवीं बैठक	29-9-93
आठवीं बैठक	22-3-94

1.4 अनुच्छेद 338 के खंड (4) के अंतर्गत आयोग की प्रक्रिया के नियमों को 22-3-94 की बैठक में अंतिम रूप दिया गया और उन्हें 5-4-94 के राजपत्र/गजट में अधिसूचित किया गया।

देश का बदलता हुआ परिदृश्य

1.5 भारत अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व के पांच दशक शीघ्र ही पूरे कर लेगा। भारत के संविधान में प्रतिष्ठित सर्वोच्च आदर्शों को विभिन्न विधायी, प्रशासनिक उपायों तथा विकास कार्यक्रमों द्वारा मूर्त रूप देने के प्रयत्न पिछले चार दशकों से अधिक की समयावधि में किए गए हैं। निस्संदेह, इन उपायों से एक परिवर्तन आया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे पद दलित लोगों में जागरुकता आई है। समाज के जिन वर्गों की अनादिकाल से उपेक्षा की जा रही थी और जिनका अस्तित्व न केवल आर्थिक रूप से वरन् समाज में उनकी हैसियत की दृष्टि से भी अकल्पनीय रूप से दयनीय था वे वर्ग अब अपने अधिकारों के लिए आग्रह करने लगे हैं। संविधान के प्रावधानों और उनके अंतर्गत किए गए अनेक उपायों के परिणामस्वरूप भी उनमें यह भावना पैदा हुई है कि वे उन अधिकारों का लाभ प्राप्त करने के लिए आग्रह करें जिनकी गारंटी उन्हें दी गई है। इतना ही नहीं, वे देश के प्रबंध में सभी स्तरों पर उन्हें अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं। यह जो कुछ हो रहा है यद्यपि वह अनपेक्षित विलंब से हो रहा है, फिर भी, उसका शुरू होना भी एक संतोष की बात है।

1.6 आज के विश्व में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। जो कुछ पहले अनेक दशकों में घटित होता था वह अब कुछ सप्ताहों में ही घटित हो जाता है। सूचना और समाचार कुछ सैकिंडों में ही दुनिया के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाते हैं। अनेक विकासशील देशों के समाजों में विदेशीय संस्कृतियों, विशेषकर पश्चिमी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। भारत में भी पिछले आठ-दस वर्षों में अनेक क्षेत्रों में तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। हाल के वर्षों में भारत के आर्थिक परिदृश्य में भी तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। उदारीकरण और औद्योगिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप के निजीकरण और कुछ उपक्रमों में निजी क्षेत्रों को प्रवेश की छूट दिए जाने के दो महत्वपूर्ण नीति-निर्देशों से उत्पन्न परिणामों का दीर्घकालिक प्रभाव होगा। इसके साथ ही अद्यतन टैक्नोलोजी पर भी ज़ोर दिया जा रहा है क्योंकि यह अनुभव किया जा रहा है कि अद्यतन टैक्नोलोजी प्राप्त किए बिना देश उस दौड़ में पिछड़ जाएगा जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर चल रही है। इसमें संदेह नहीं कि इस नए नीति निर्देश के समर्थक भी हैं और विरोधी भी और इन उपायों के पक्ष में और विपक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं। इस आयोग का वास्तव में आर्थिक तर्क-वितर्क से कोई सरोकार नहीं है लेकिन यदि वह वर्तमान वस्तुस्थिति और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की अपेक्षाओं और आशंकाओं तथा उनके भविष्य की ओर ध्यान नहीं देता तो वह अपने दायित्व के निर्वहन में विफल होगा। यद्यपि, नए नीति निर्देश के विषय में इतनी जल्दी कोई स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं किया जा सकता लेकिन आयोग का यह अनुरोध है कि निजीकरण के उपायों के साथ ही ऐसे समानांतर उपाय भी किए जाएं जिनके द्वारा अ०जा० और अ०ज०जा० के वैध हितों की सुरक्षा की जा सके। संभव है कि नई व्यवस्था में केवल उन्हीं लोगों को लाभ हो जो पहले से ही उन्नत हैं और स्पर्धा करने में सक्षम हैं। अत: जिन लोगों को पहले प्राप्त अवसरों और समर्थन से वंचित रखा गया है उनको सक्षम बनाने के लिए दृढ़तर समर्थन प्रणाली निर्मित करना तथा अत्यधिक विशेष प्रयत्न करना आवश्यक है।

अन्य पिछड़े वर्ग--इंदिरा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

1.7 आर्थिक तथा औद्योगिक नीति के परिवर्तनों के अतिरिक्त, अ०जा० और अ०ज०जा० को दिए गए सांविधानिक सुरक्षणों के व्यापक संदर्भ में , एक अन्य महत्वपूर्ण बात का उल्लेख भी आवश्यक है। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और उनके सामने आने वाली कठिनाईयों की जांच-पड़ताल करने तथा उनकी स्थिति में सुधार तथा उन कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए सुझाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान संविधान में किया गया है। तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी जिसका प्रचलित नाम मंडल आयोग था। इस आयोग ने 31-12-1980 को अपनी रिपोर्ट दी थी। भारत सरकार ने 13-8-1990 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें कहा गया था कि आयोग की रिपोर्ट तथा आयोग के मतानुसार सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सरकार का यह स्पष्ट विचार था कि इन वर्गों को संघीय सेवाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों की सेवाओं में शुरू से ही महत्व दिया जाए। तदनुसार, भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं की रिक्तियों में सीधी भर्ती के समय 27% रिक्तियों को सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने के लिए आदेश जारी किए गए।

1.8 यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सरकार के इस निर्णय के तुरन्त बाद कुछ उत्तरी राज्यों में उसका व्यापक विरोध किया गया। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ज्ञापन को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गईं। इंदिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारतीय संघ तथा अन्य से संबंधित रिट याचिका (सिविल) 1990 की संख्या 930 पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 16-11-1992 को निर्णय दिया। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षणों से संबंधित प्रश्नों सहित अनेक मौलिक प्रश्नों पर निर्णय किया जिनमें से कुछ के परिणाम दूरगामी हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सार

1.9 उपरोक्त मामलों में अ०जा० और अ०ज०जा० से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के विषय में उच्चतम न्यायालय के उत्तरों का सार निम्नलिखित है :—

(1) (क) यह आवश्यक नहीं है कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत "प्रावधान" आवश्यक रूप से संसद/विधानमंडल द्वारा किया जाए। ऐसा प्रावधान कार्यपालिका द्वारा भी किया जा सकता है। स्थानीय निकायों, साविधिक निगमों और संविधान के अनुच्छेद-12 के अधीन आने वाले राज्य के अन्य प्रशासनिक तन्त्र स्वयं ऐसा प्रावधान करने के लिए सक्षम हैं।

(ख) अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत प्रावधान करने वाला कार्यपालिका का आदेश दिए जाने तथा जारी किए जाने के समय से ही प्रवर्तनीय है।

(2) (क) अनुच्छेद 16 का खंड (4) खंड (1) का अपवाद नहीं है। वह खंड 1 में अंतर्निहित वर्गीकरण का दृष्टांत और उदाहरण है।

(ख) जैसा कि इस निर्णय में स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 16(4) पूर्णरूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में है।

(ग) अनुच्छेद 16 के खंड (1) के अंतर्गत भी आरक्षण दिए जा सकते हैं। वे केवल अधिमान्यताओं, रियायतों अथवा छूटों तक ही सीमित नहीं है। यदि खंड (1) के अंतर्गत कोई आरक्षण दिए जाते हैं तो, इस निर्णय के अनुसार, उनको इस प्रकार समायोजित और क्रियान्वित किया जाना चाहिए कि वे "पिछड़े वर्ग के नागरिकों" के लिए विहित आरक्षणों से अधिक न हों।

(3) (क) भारत में एक जाति एक सामाजिक वर्ग के रूप में हो सकती है और प्राय: इसी रूप में होती है। यदि वह सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी है तो वह अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिए पिछड़ा वर्ग होगी। ग़ैर-हिंदुओं में ऐसे अनेक व्यावसायिक समूह, सम्प्रदाय और उप-जातियां हैं जो ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिए वे भी सामाजिक रूप से पिछड़े समूह हैं।

(ख) संविधान और विधि, दोनों में ही पिछड़े वर्गों की पहचान करने की कोई प्रक्रिया या प्रणाली निर्दिष्ट नहीं की गई है। न्यायालय के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया या प्रणाली निर्धारित करना सम्भव भी नहीं है और न ऐसा करना वांछनीय ही है। पिछड़े वर्गों की पहचान करने का काम उस प्राधिकरण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए जिसकी नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए की गई है। प्राधिकरण कोई भी ऐसी प्रणाली/प्रक्रिया अपना सकता है जो उसे सुविधाजनक लगे और जहां तक वह अपने सर्वेक्षण में समस्त जनसमुदाय को शामिल करता है वहां तक उस प्रणाली/प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। लोगों के अन्य व्यावसायिक समूहों, वर्गों के अतिरिक्त उनकी जाति के आधार पर भी पिछड़े वर्गों की पहचान निश्चित रूप से की जा सकता है। यह प्रक्रिया या तो व्यावसायिक समूहों के आधार पर या जाति के आधार पर या किसी अन्य प्रकार के समूहों के आधार पर आरम्भ की जा सकती है। अत: जहां हमें ऐसी जातियां मिलें वहां हम जाति को लेकर यह प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, उस पर मापदण्ड (पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए अपनाया गया मापदण्ड) लागू करके यह पता लगा सकते हैं कि वह उस मापदण्ड के अनुरूप है या नहीं। यदि वह जाति उस मापदण्ड के अनुरूप है तो वही जाति अनुच्छेद 16(4) के अर्थों में और उसके

प्रयोजन के लिए, ''नागरिकों का पिछड़ा वर्ग'' के रूप में सामने आती है। यही प्रक्रिया अन्य व्यावसायिक समूहों, समुदायों ओर वर्गों पर भी इस प्रकार लागू की जा सकती है कि वह पूरी आबादी पर लागू हो। मुख्य विचार और सर्वोपरि उद्देश्य यही होना चाहिए कि समाज के सभी ज्ञात समुहों, समूदायों और वर्गों के बारे में विचार किया जाए। क्योंकि जाति एक ऐसा विद्यमान सामाजिक समूह/वर्ग है जिसके आधार पर देश की अधिकांश आबादी की पहचान की जा सकती है इसलिए हम पिछड़े वर्गों की पहचान करने का काम जाति के आधार पर भी आरंभ कर सकते हैं और बाद में अन्य समूहों, समुदायों और वर्गों के आधार पर ऐसा कर सकते हैं।

(ग) किसी वर्ग को पिछड़ा वर्ग का नाम दिए जाने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि उस वर्ग की परिस्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही हो।

(घ) ''क्रीमी लेयर'' को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(ङ) यहा कहना सही नहीं है कि नागरिकों का पिछड़ा वर्ग जो अनुच्छेद 16(4) में अवेक्षित है, वह वही है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में किया गया है। वह वर्ग अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है। अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक पिछड़ेपन पर ज़ोर दिया गया है। निस्संदेह भारतीय परिप्रेक्ष्य में आर्थिक पिछड़ापन सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से बहुत निकटता से जुड़ा है।

(च) किसी राज्य की सेवाओं में किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है या नहीं यह समुचित सरकार के विषयमूलक संतुष्टि का मामला है। प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के लिए की जाने वाली न्यायिक संवीक्षा उसी प्रकार विषयमूलक समाधान पर आधारित होती है जिस प्रकार किसी प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य मामले में की गई न्यायिक संवीक्षा उस पर आधारित होती है।

(4) (क) नागरिकों के किसी वर्ग की पहचान केवल तथा अनन्य रूप से आर्थिक मापदण्ड के अनुसार नहीं की जा सकती।

(ख) निस्संदेह, किसी भी सरकार या अन्य प्राधिकरण के लिए यह अनुज्ञेय है कि यदि वह उचित समझे तो नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान व्यवसाय और आय के आधार पर बिना जातीय संदर्भ के करे।

(5) नागरिकों के पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण पिछड़े और अधिक पिछड़े प्रवर्ग में करने में कोई सांविधानिक वर्जन नहीं है।

(6) (क) और (ख) अनुच्छेद 16 के खंड (4) में अवेक्षित आरक्षण 50% से अधिक नहीं होने चाहिए। जहां 50% का नियम लागू होगा वहा, यह देखते हुए कि इस देश में और यहां के लोगों में बड़ी विविधता है, यह आवश्यक नहीं है कि असाधारण परिस्थितियों की ओर ध्यान न दिया जाए। यह हो सकता है कि दूर दराज़ के और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से कटे रहने के कारण और उनकी विशिष्ट स्थिति और स्वभाव की दृष्टि से, इस नियम में कुछ रियायत देना अनिवार्य हो जाए। ऐसा करते समय अत्यधिक सावधानी से काम लेना चाहिए और यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि यह एक विशेष मामला है।

(ग) 50% का नियम प्रत्येक वर्ष लागू किया जाना चाहिए। उसे, यथास्थिति, किसी वर्ग, प्रवर्ग, सेवा अथवा संवर्ग (काडर) की कुल संख्या से नहीं जोड़ा जा सकता।

(घ) देवदासन का निर्णय गलत हुआ था और तदनुसार, जिस सीमा तक वह इस निर्णय से असंगत है उस सीमा तक उसे नामंजूर किया जाता है।

(7) अनुच्छेद 16(4) में पदोन्नति के लिए आरक्षण करने का प्रावधन करने पर कोई रोक नहीं है। तथापि, इस नियम का प्रवर्तन केवल भविष्य में होगा और जो पदोन्नतियां पहले से नियमित आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर की गई हैं, उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। यह निदेश दिया जाता है कि इस मामले में हमारा निर्णय भविष्य में लागू होगा और पहले से की गई पदोन्नतियों पर चाहे वे अस्थायी, स्थानापन्न अथवा नियमित/स्थायी आधार पर हों, प्रभावी नहीं होगा। यह भी निदेश दिया जाता है कि जहां पदोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है चाहे वह केन्द्रीय सेवाओं में अथवा राज्यों की सेवाओं में अथवा किसी निगम, प्राधिकरण अथवा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ''राज्य'' की परिभाषा में आने वाले किसी निकाय की सेवा में हो—वहां यह आरक्षण आज के दिन से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। इस अवधि में, समुचित प्राधिकरणों के लिए यह छूट होगी कि वे, अनुच्छेद 16(4) के उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित नियमों का पुनरीक्षण करें, उन्हें संशोधित करें या फिर से जारी करें। यदि कोई प्राधिकरण यह सोचता है कि किसी सेवा, वर्ग अथवा प्रवर्ग में ''नागरिकों के पिछड़े वर्ग'' के लिए समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उसमें सीधी भर्ती का प्रावधान करना आवश्यक है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होगा। (न्यायमूर्ति, अहमदी ने इस प्रश्न पर कोई मत प्रकट नहीं किया और भारतीय संघ की प्रारम्भिक आपत्ति को ठीक माना) प्रशासन की कुशलता को सीमित किए बिना आरक्षित प्रवर्गों के सदस्यों को रियायतें देना या ढिलाई करना राज्य के लिए अनुचित नहीं होगा।

(8) यद्यपि आरक्षण के नियम को योग्यता-विरोधी नहीं माना जा सकता तथापि, कुछ ऐसी सेवाएं और पद हैं जिन पर आरक्षण के नियम को लागू करना वांछनीय नहीं होगा।

(9) जिन अनेक वर्गों की अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में पहचान की गई है यदि उनके सापेक्ष पिछड़ेपन के आधार पर किए गए वर्गीकरण को समझा जाए और प्रवर्तित किया जाए तो, जैसा कि इस निर्णय के पैरा 114 में स्पष्ट किया गया है, 25 सितम्बर, 1991 के विवादित कार्यालय ज्ञापन में पिछड़े वर्गों के ग़रीब तथा अन्य प्रवर्गों के बीच जो अंतर किया गया है वह वैध नहीं है।

(10) आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अन्य प्रवर्ग जो आरक्षण की किसी वर्तमान योजना के अंतर्गत नहीं आते उनके लिए 25-9-1991 के विवादित कार्यालय ज्ञापन में जो 10% आरक्षण किया गया है वह आरक्षण सांविधानिक दृष्टि से अवैध है और उसे, तदनुसार, समाप्त किया जाता है।

(11) न्यायिक संवीक्षा का ऐसा कोई विशिष्ट या विशेष मापदण्ड नहीं है जिसे अनुच्छेद 16(4) से उत्पन्न मामलों पर लागू किया जा सके।

(12) अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किए जाने की प्रार्थनाओं और अधिक संख्या में शामिल किए जाने की प्रार्थनाओं और अधिक संख्या में शामिल किए जाने या शामिल न किए जाने की शिकायतों की जांच करने और सरकार को सलाह देने के लिए आयोग के रूप में एक स्थायी तंत्र निर्मित करने की शक्ति भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास है और उन्हें ऐसा तंत्र स्थापित करना चाहिए। सामान्यत: ऐसे आयोग की सलाह राज्य के लिए बाध्यकारी होगी। लेकिन यदि सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती तो उसे ऐसा करने का कारण अभिलिखित करना चाहिए।

(13) हमारे द्वारा यहां दिए गए उत्तरों और इसके साथ जारी किए गए निदेशों की दृष्टि में मंडल आयोग द्वारा किए गए कार्य के सही होने या पर्याप्त होने के विषय में कोई मत प्रकट करना आवश्यक नहीं है। यह मामला पांच न्यायाधीशों के संविधान पीठ को वापस भेजना भी उतना ही अनावश्यक है।

1.10 सुलभ संदर्भ के लिए, हम पक्षों के काउन्सिल द्वारा तैयार किए गए और पैरा 26 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी अभिलिखित कर रहे हैं। हमारे प्रश्नवार उत्तर निम्नलिखित हैं :—

(1) अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं है। वह अनुच्छेद 16(1) में अंतर्निहित वर्गीकरण का उदाहरण है। अनुच्छेद 16(4) यद्यपि पूर्णतया पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण के विषय से संबंधित है, उसमें आरक्षण की संकल्पना का पूर्ण उल्लेख नहीं है। अन्य वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 के खंड (1) के अंतर्गत किया जा सकता है।

(2) अनुच्छेद 16(4) में की गई अभिव्यक्ति "पिछड़ा वर्ग" में "अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति" और संभवत: अन्य पिछड़े वर्ग भी शामिल हैं। अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक पिछड़ेपन पर बल दिया गया है। सामाजिक पिछड़ेपन से शैक्षिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन आता है। ये दोनों ही परस्पर अंशदायी हैं और भारतीय समाज के निम्न व्यवसायों से जुड़े हैं। भारत के सामाजिक वर्ग में एक जाति हो सकती है और प्राय: होती है। अनुच्छेद 16(4) में अवेक्षित नागरिकों के पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल आर्थिक आधार पर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 46 में उल्लिखित कमज़ोर वर्गों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे वर्ग भी शामिल हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 340 में किया गया है और जो अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आते हैं।

(3) अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत भी केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं किए जा सकते।

(4) अनुच्छेद 16 के खंड (4) में अवेक्षित आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यद्यपि 50% का नियम है लेकिन यह आवश्यक है कि इस देश की और यहां की जनता की बड़ी विविधता को देखते हुए कतिपय असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। ऐसा हो सकता है कि कुछ दूर दराज के सुदूर क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के प्रति, उनके मुख्य धारा से कटे होने के कारण और उनकी विशिष्ट स्थिति और स्वभाव की दृष्टि से उनके साथ भिन्न व्यवहार करने की आवश्यकता हो और इस कड़े नियम में कुछ रियायत करना अनिवार्य हो जाए। ऐसा करते समय विशेष सावधानी से काम करना चाहिए और विशेष मामला होने पर ऐसा करना चाहिए।

इस नियम को लागू करने के लिए, किसी एक वर्ष में नियुक्तियों का आरक्षण किसी ग्रेड, संवर्ग (काडर) अथवा सेवा में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी सेवा या प्रवर्ग में आरक्षण तभी किया जा सकता है जब राज्य का इस विषय में समाधान हो जाए कि उसमें पिछड़े वर्ग के नागरिकों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है।

देवदासन जिस सीमा तक इससे असंगत है उस सीमा तक उसे नामंज़ूर किया जाता है।

(5) अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिए पिछड़े वर्गों का अधिक पिछड़े और पिछड़े वर्गों में वर्गीकरण करने में कोई सांविधानिक बाधा नहीं है। उनमें सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अंतर किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसा वर्गीकरण

करते समय यह सुनिश्चित करना वांछनीय ही नहीं वरन् आवश्यक होना चाहिए कि विभिन्न पिछड़े वर्गों के बीच इस प्रकार विभाजन किया जाए कि एकाधिक वर्गों को एक साथ न रखा जाए कि जिससे ऐसे एक या दो वर्ग ही सारा कोटा हड़प लें तथा अन्य पिछड़े वर्ग वंचित रह जाएं।

''क्रीमी लेयर'' को अलग करने के लिए सामाजिक प्रगति के सूचक या माप के रूप में आर्थिक आधार को अपनाया जा सकता है।

(6) अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ''प्रावधान'' कार्यपालिका के आदेश द्वारा किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह प्रावधान संसद/विधान मंडल द्वारा किया जाए।

(7) अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत उत्पन्न मामलों के लिए न्यायिक संवीक्षा का कोई विशेष मापदण्ड निश्चित नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न के बारे में इससे अधिक कुछ कहना संभव या आवश्यक नहीं है।

(8) अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत नियुक्तियों अथवा पदों का आरक्षण आरंभिक नियुक्ति तक ही सीमित है और पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता। हमारा निदेश है कि इस प्रश्न पर हमारे निर्णय का प्रवर्तन केवल आगामी होगा और उससे ऐसी पदोन्नतियां प्रभावित नहीं होंगी जो पहले की जा चुकी है चाहे वे अस्थायी, स्थानापन्न, नियमित/स्थायी आधार पर की गई हों। यह भी निदेश दिया जाता है कि जहां पदोन्नति के लिए आरक्षण पहले ही किए जा चुके हैं—चाहे वह केन्द्रीय सेवा में अथवा राज्य की सेवा में, या किसी निगम अथवा ऐसे प्राधिकरण या निकाय की सेवा में हों जो अनुच्छेद 12 में दी गई ''राज्य'' की परिभाषा में आता है—ऐसे आरक्षण आज के दिन से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तित रहेंगे। इस अवधि के दौरान समुचित प्राधिकरणों के लिए यह छूट होगी कि वे अनुच्छेद 16(4) के उद्देश्य की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित नियमों की पुनरीक्षा करें, उन्हें संशोधित करें या उन्हें फिर से जारी करें। यदि कोई प्राधिकरण यह सोचता है कि किसी सेवा, वर्ग अथवा प्रवर्ग में ''नागरिकों का पिछड़ा वर्ग'' को समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उसमें सीधी भर्ती करने का प्रावधान करना आवश्यक है तो उसे ऐसा करने की छूट होगी।

निर्णय के प्रभाव

1.11 उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सरकारी सेवाओं में अनेक स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के अनेक पहलुओं पर प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो यह होगी कि समाज के लाभ से वंचित वर्ग के एक और भाग को आरक्षणों के क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा और यद्यपि ऐसे आरक्षण दक्षिण के कुछ राज्यों में अनेक वर्षों से प्रचलित हैं, केन्द्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों की सेवाओं में यह आरक्षण की एक नई संकल्पना होगी। कुछ क्षेत्रों में यह अनुभव किया जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रतिशत, जाति के आधार पर समाज के अधिकाधिक वर्गों को विशेषकर मुखर वर्गों और तत्कालीन सरकार द्वारा लाभ से वंचित समझे जाने वाले वर्गों के लिए लाभकारी प्रतीत होने के कारण, सस्ती लोकप्रियता पाने के कार्यक्रम का रूप ले लेगा। प्रतिनिधित्व का प्रतिशत ऊंचा होने के कारण उसका जनता के उस उन्नत वर्ग द्वारा विरोध भी किया जा सकता है। एक अन्य परिणाम यह हो सकता है कि उससे अ०जा० और अ०ज०जा० के प्रति सहानुभूति कम हो सकती है, क्योंकि अनेक लोग अंतर को नहीं समझ पाते और यह समझते हैं कि आरक्षण केवल अ०जा० और अ०ज०जा० से जुड़ा है और यह अनुभव करते हैं कि यह सारा का सारा उच्च आरक्षण अ०जा० और अ०ज०जा० को दिया जा रहा है। आरक्षण के लाभ भर्ती में भी दिए जाने के बाद शीघ्र ही यह मांग खड़ी होगी कि अ०जा० और अ०ज०जा० को प्राप्त अन्य लाभ भी अन्य पिछड़े वर्गों को दिए जाएं। यद्यपि अन्य पि० व० के लाभ के लिए किए गए उपायों पर आयोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान द्वारा अथवा सरकार द्वारा किए गए किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत अ०जा० और अ०ज०जा० को दिए गए सुरक्षण कम न हों।

1.12 उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अ०जा० और अ०ज०जा० को दिए गए सुरक्षणों पर पदोन्नतियों के क्षेत्र में भी विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। निर्णय के अनुसार पदोन्नतियों के लिए किया गया आरक्षण पांच साल के बाद प्रभावी नहीं रहेगा। निर्णय सुनाए जाने की तिथि (16-11-92) से पांच वर्ष की अवधि में समुचित प्राधिकरणों के लिए यह छूट होगी कि वे अनुच्छेद 16(4) के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संबंधित नियमों का पुनरीक्षण करें, उन्हें संशोधित करें या फिर से जारी करें।

1.13 आयोग को यह सूचना देने में हर्ष है कि पदोन्नतियों में आरक्षण सुनिश्चित करके और संविधान में निम्नलिखित खंड 16(4क) जोड़कर अ०जा० और अ०ज०जा० को सभी स्तरों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए समुचित उपाय किए गए हैं। ''इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, पदों की किसी श्रेणी या श्रेणियों पर पदोन्नति के विषय में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए रोक नहीं लगाती है''। इस प्रकार, निर्णय को निष्प्रभाव कर दिया गया है और पदोन्नतियों के लिए आरक्षण को जारी रखा गया है।

1.14 देश में परिवर्तन का क्रम जारी है। समाज का धनी वर्ग प्रतिवर्ष अधिक धनी होता दिखाई दे रहा है और सामान्य उन्नति के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही समाज का उपेक्षित वर्ग विशेषकर पिछड़े और दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग, यह अनुभव करते हैं कि बढ़ी हुई कीमतों तथा जीवन स्तर की बढ़ती हुई असमानता के कारण उनका जीवन पहले से कहीं अधिक कष्टप्रद हो गया है। सरकारी क्षेत्र संकुचित होता दिखाई दे रहा है या, कम से कम, पहले के समान बढ़ता दिखाई नहीं देता और इसलिए, नौकरियां देने की उसकी क्षमता कम हो रही है। ऐसे परिदृश्य में जनता के कमजोर वर्ग के विकास के लिए नई प्रभावी नीति की योजना बनाने की बात सोचना अनिवार्य हो गया है। संभवतः अब समय आ गया है कि उपेक्षित वर्ग के लोगों को उनके अधिकार देने की बजाए, उन्हें यह बताया जाए कि वे अपने अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। केवल ऐसा करने से ही सम्पन्न एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरुक पीढ़ी का सृजन हो सकेगा।

क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के नियंत्रण में 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके माध्यम से राज्य-सरकारों तथा क्षेत्र से उसका सम्पर्क रहता है। ये कार्यालय उपयोगी कार्य कर रहे हैं और आयोग को अपने अनेक प्रकार के क्रियाकलाप में उनसे सहायता मिलती है। अतः आयोग के क्षेत्रीय संगठन के इतिहास का संक्षिप्त विवरण देना रोचक होगा।

विशेष अधिकारी के अधीन स्थापित कार्यालय

2.2 अनुच्छेद 338 के अंतर्गत नियुक्त विशेष अधिकारी को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में दिए गए सुरक्षणों के मामले में अन्वेषण करने और राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आयुक्त के रूप में पदनामित पहले विशेष अधिकारी की नियुक्ति 18-11-1950 को की गई। स्थानीय स्तर पर सहायता के लिए आयुक्त के अधीन 17 क्षेत्रीय कार्यालय रखे गए। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बनाए गए जिनका पदनाम जुलाई 1965 में बदलकर उपायुक्त कर दिया गया। इन कार्यालयों ने क्षेत्रीय अध्ययन किए और राज्यों/संघीय क्षेत्रों की सरकारों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों पर उन सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही की।

पिछड़ा वर्ग कल्याण महानिदेशालय के अधीन स्थापित कार्यालय

2.3 1967 के वर्ष में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के तात्कालिक समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण महानिदेशालय के नाम से एक नया संगठन स्थापित किया गया। आयुक्त के कार्यालय के उपरोक्त 17 क्षेत्रीय कार्यालायों को जून 1967 में 5 आंचलिक (जोनल) कार्यालयों के रूप में पुनर्गठित किया गया और महानिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के नवसृजित पद के अधीन रखा गया। प्रत्येक आंचलिक कार्यालय का प्रमुख आंचलिक निदेशक को बनाया गया और पहले सृजित किए गए क्षेत्रीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों का नाम बदलकर उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण कर दिया गया तथा उन्हें आंचलिक निदेशक, चंडीगढ़ (उत्तरी अंचल), भोपाल (मध्य अंचल), पटना (पूर्वी अंचल), बड़ौदा (पश्चिमी अंचल) तथा मद्रास (दक्षिणी अंचल) के नियंत्रणाधीन रखा गया। पूर्वी अंचल कार्यालय की दो शाखाएं-भुवनेश्वर और शिलांग में थी। बाद में मध्य अंचल का एक शाखा कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया और 1969 में पश्चिमी अंचल कार्यालय को अहमदाबाद में स्थानान्तरित कर दिया गया। यह व्यवस्था नवम्बर 1978 तक कायम रही। इस अवधि में इन कार्यालयों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामलों में शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासन के साथ संपर्क बनाए रखा।

2.4 दिनांक 21-7-1978 के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने एक अ० जा० एवं अ०ज०जा० आयोग की स्थापना की जिसके कार्य मोटे तौर पर तत्कालीन विशेष अधिकारी को सौंपे गए कार्यों के ही अनुरूप थे। 1-12-1978 से पिछड़ा वर्ग महानिदेशालय के उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालयों को नए स्थापित किए गए अ०जा० एवं अ०ज०जा० आयोग में स्थानान्तरित कर दिया गया।

आयोग/राष्ट्रीय अ०जा० एवं अ०ज०जा० आयोग के अधीन स्थापित कार्यालय

2.5 महानिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों का पदनाम आंचलिक निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण से बदलकर क्रमशः निदेशक, अ०जा० और अ०ज०जा० तथा उप निदेशक, अ०जा० और अ०ज०जा० कर दिया गया। आयोग द्वारा आंचलिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और स्वतंत्र क्षेत्राधिकार रखने वाले 17 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। चूंकि ये क्षेत्रीय कार्यालय तत्कालीन आयुक्त, अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए भी काम करते थे, अतः निदेशक, अ०जा० और अ०ज०जा० का पदनाम पुनः बदलकर निदेशक, अ०जा० और अ०ज०जा० तथा पदेन उपायुक्त, अ०जा० और अ०ज०जा० कर दिया गया। आयोग तथा आयुक्त, अ०जा० और अ०ज०जा० के कार्यों के बीच सीमांकन करने के लिए सितम्बर 1987 में अ०जा० एवं अ०ज०जा० का नाम बदलकर राष्ट्रीय अ०जा० तथा अ०ज०जा० आयोग कर दिया गया। राष्ट्रीय आयोग के कार्यों में अनुसंधान अध्ययन शामिल था जबकि अनुच्छेद 338 के अंतर्गत कार्य और दायित्व विशेष अधिकारी के पास ही रहे। इन 17 क्षेत्रीय कार्यालयों को इस प्रकार गठित किए गए राष्ट्रीय आयोग में स्थानांतरित कर दिया गया और साथ ही विशेष अधिकारी की सेवा का

दायित्व भी उन्हें सौंपा गया। आयोग के सांविधानिक निकाय बनने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय आयोग के सीधे नियन्त्रण में आ गए। तथापि, ये क्षेत्रीय कार्यालय आयोग के सचिवालय के माध्यम से मंत्रालय की ओर से की गई विशेष प्रार्थना पर गैर-सरकारी संगठनों का निरीक्षण अब भी करते हैं।

राष्ट्रीय आयोग के अधीन वर्तमान व्यवस्था

2.6 आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के अवस्थान, अधिकार क्षेत्र और पदनाम तथा प्रत्येक में 31-3-94 को मौजूदा स्थिति निम्नलिखित थी :

सारणी-1

अवस्थान	11-3-93 को प्रभारी अधिकारी का पदनाम	अधिकार क्षेत्र	टिप्पणियां
अगरतला	उप-निदेशक	त्रिपुरा	उप निदेशक का पद दिनांक 12-3-93 को समाप्त कर दिया गया
अहमदाबाद	निदेशक	गुजरात, दादरा और नागर हवेली	
बेंगलूर	निदेशक	कर्नाटक	
भोपाल	निदेशक	मध्य प्रदेश	
भुवनेश्वर	निदेशक	उड़ीसा	
कलकत्ता	निदेशक	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	
चण्डीगढ़	उप-निदेशक	पंजाब, हरियाणा चण्डीगढ़	उप निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया
गुवाहटी	उप-निदेशक	असम	जयपुर में निदेशक का पद समाप्त किए जाने के कारण उप-निदेशक का पद जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया।
हैदराबाद	निदेशक	आन्ध्र प्रदेश	निदेशक का पद 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया।
जयपुर	निदेशक	राजस्थान	उपरोक्त
लखनऊ	निदेशक	उत्तर प्रदेश	
मद्रास	निदेशक	तमिल नाडु, पांडिचेरी	

अवस्थान	11-3-93 को प्रभारी अधिकारी का पदनाम	अधिकार क्षेत्र	टिप्पणियां
पटना	निदेशक	बिहार	निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया।
पुणे	निदेशक	महाराष्ट्र, गोवा, दमण और दीव	
शिलांग	निदेशक	मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम	
शिमला	उप-निदेशक	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	उप निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 से समाप्त कर दिया गया।
तिरुवन्तपुरम	उप-निदेशक	केरल, लक्षद्वीप	

क्षेत्रीय कार्यालयों में किया गया कार्य

2.7 जैसा कि अन्यत्र उल्लेख किया गया है, पदों के समाप्त किए जाने और रिक्तियों को भी न भरे जाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टाफ की कमी के बावजूद क्षेत्रीय कार्यालयों ने विभिन्न प्रकार का काम किया जिसमें अत्याचार के मामलों में की गई क्षेत्रीय जांच-पड़ताल भी शामिल है।

2.8 1993-94 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायतों और अभ्यावेदनों तथा अ०जा०/अ०ज०जा० के विरुद्ध किए गए अपराधों के बारे में प्राप्त विभिन्न प्रकार के मामलों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	विषय वस्तु	शिकायतों की संख्या
1.	सेवा सुरक्षण	1776
2.	भूमि और वन	251
3.	शिक्षा	101
4.	आवास	58
5.	रोजगार	16
6.	आर्थिक विकास योजनाएं	18
7.	वितरक एजेन्सियां	3
8.	अत्याचार और छुआछूत	1309
9.	अन्य विविध प्रश्न	450
	योग	3982

2.9 इन मामलों पर कार्यवाही करने के लिए यह सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है कि पहले तो संबंधित संगठनों अथवा प्राधिकरणों से तथ्य मंगाए जाते हैं। उत्तर प्राप्त होने पर यदि यह पाया गया कि किसी सुरक्षण का उल्लंघन हुआ था अथवा अ०जा०/अ०ज०जा० को परेशान किया गया था या गंभीर असुविधा पहुंचाई गई थी तो सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उसे समुचित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

2.10 यातना देने और छुआछूत करने के विषय में जिन अनेक घटनाओं की प्रैस में रिपोर्ट छपी थी, उनके बारे में वायरलेस/तार से रिपोर्ट मंगाई गई। हत्या और बलात्कार के गंभीर मामलों में क्षेत्रीय अधिकारियों ने या तो स्वत: या मुख्यालय से अनुदेश मिलने पर मौके पर जाकर जांच-पड़ताल की। जिस वर्ष की रिपोर्ट दी जा रही है उस वर्ष में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा (38) मामलों में ऐसी जांच की गई।

कल्याण मंत्रालय की ओर से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं का मूल्यांकन/निरीक्षण

2.11 इससे पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय क्रमश: समाज कल्याण मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में थे क्योंकि समय-समय पर वे ही प्रशासनिक मंत्रालय थे। उनसे अपेक्षा थी कि वे मंत्रालयों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें। इसके अतिरिक्त, वे पहले भूतपूर्व आयुक्त और बाद में आयोग के क्षेत्रीय प्रतिनिधि का भी कार्य करते थे। अन्य क्रियाकलाप के अतिरिक्त, वे उन कल्याण परियोजनाओं के निरीक्षण/मूल्यांकन का काम भी करते थे जो भारत सरकार की सहायता से गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाते थे। वे उन गैर-सरकारी संगठनों का निरीक्षण भी करते थे जिन्होंने सरकारी अनुदान के लिए आवेदन किया था। इस कार्य से उन कर्मचारियों और निधियों पर और अधिक दबाव पड़ता था जो आयोग को क्षेत्र में सहायता करने के लिए उपलब्ध कराए गए थे और क्षेत्रीय कार्यालयों का काफी समय इस कार्य में नष्ट हो जाता था। आयोग ने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि गैर-सरकारी संगठनों के निरीक्षण के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराए या वैकल्पिक व्यवस्था करे।

2.12 तथापि, कल्याण मंत्रालय के अनुरोध पर मंत्रालय द्वारा भेजी गई गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं का निरीक्षण/मूल्यांकन/समीक्षा करने के लिए आयोग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से कहता रहा है। रिपोर्ट के वर्ष के दौरान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों की जिन परियोजनाओं का मूल्यांकन/निरीक्षण किया गया उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

सारणी-3

क्र० सं०	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	93-94 के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या
1.	उप निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, अगरतला	—
2.	निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, अहमदाबाद	2
3.	निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, बैंगलूर	9
4.	निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, भोपाल	7
5.	निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, भुवनेश्वर	19
6.	निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, कलकत्ता	30
7.	उप निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, चण्डीगढ़	2
8.	उप निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, गुवाहाटी	4
9.	निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, हैदराबाद	62
10.	निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, जयपुर	10
11.	निदेशक अ०जा/अ०ज०जा०, लखनऊ	32
12.	निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, मद्रास	18
13.	निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, पटना	15
14.	निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, पुणे	2
15.	निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, शिलांग	14
16.	उप निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, शिमला	1
17.	उप निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, तिरुवनन्तपुरम	2
	योग :	229

अध्याय - 3

शैक्षिक सुरक्षण

भारत सरकार ने समाज के पिछड़े वर्ग के शैक्षिक विकास के महत्व को अनेक दशकों पूर्व अनुभव किया था और तदनुसार, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में दलित वर्गों को (जो अब अ०जा० तथा अ०ज०जा० हैं) रियायतें और प्रोत्साहन दिए गए थे। आजादी के बाद और संविधान स्वीकार किए जाने के पश्चात् संविधान में विशेष उपबंधों के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में सुरक्षणों का प्रावधान किया गया।

3.2 अनुच्छेद 29(1), 46, 15(4) और 350 क में अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए शैक्षिक सुरक्षणों का प्रावधान है। जहां तक शैक्षिक विकास का संबंध है, उपर्युक्त अनुच्छेदों में से 15(4) और 46 अधिक महत्वपूर्ण हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किए गए अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है कि "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।" इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए सरकार को विशिष्ट उपाय करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। अत: संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15 का संशोधन किया गया और उसमें अनुच्छेद 15(4) के रूप में खण्ड 4 जोड़ा गया। इसके द्वारा राज्य को अ०जा०/अ०ज०जा० के शैक्षिक विकास के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति मिली और फलस्वरूप, सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों जैसी तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं सहित सभी शैक्षिक संस्थाओं में अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए सीटों का आरक्षण किया।

3.3 संविधान के अनुच्छेद 15(4) में भारत सरकार को विशेष प्रावधान करने का दायित्व दिए जाने के अनुसरण में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय (जो अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय है) ने पहली बार सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को 23-11-1954 को पत्र लिखा जिसमें यह सुझाव दिया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में 20% सीटें आरक्षित की जाएं और यह प्रावधान किया जाए कि, जहां कहीं आवश्यक हो, प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंकों में 5% की छूट दी जाए। अप्रैल 1964 में इसमें आंशिक परिवर्तन किय गया जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत निश्चित किया गया और इस प्रतिशत को परस्पर परिवर्तनशील भी बनाया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी उन विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को अलग से पत्र लिखा जिनमें आयुर्विज्ञान संकाय हैं और यह सुझाव दिया कि सभी स्नातकोत्तर मेडिकल और डेंटल कालिजों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों केलिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5% सीटों का आरक्षण किया जाए और न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंकों में 5% की छूट दी जाए।

3.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी विश्वविद्यालयों और उनके नियंत्रणाधीन कालेजों को यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त (गाइडलाइन्स) भेजे कि विभिन्न शाखाओं के सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनु०जाति तथा अनु० जन जाति के विद्यार्थियों को रियायत दी जाए। 1982 में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया।

3.5 वर्तमान में विश्वविद्यालयों और कालिजों में सामान्य, तकनीकी, मेडिकल तथा अन्य व्यावसायिक शिक्षा के स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रवेश के लिए निम्नलिखित आरक्षण दिए जाने की अनुमति है :

अनुसूचित जाति : 15%

अनुसूचित जनजाति : 7½%

अ०जा० तथा अ०ज०जा० को छात्रावासों में सीटें आबंटित करने के लिए भी आरक्षण किया जाता है।

3.6 शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश देने तथा सामान्य छात्रावासों में सीटें आबंटित करने के लिए उपरोक्त सुरक्षण दिए जाने के अतिरिक्त, केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए अन्य अनेक उपाय भी किए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के वजीफे-छात्रवृत्तियां देना, इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों के लिए पुस्तक बैंक स्थापित करना और मध्यान्ह भोजन, देना, किताबें, स्टेशनरी और वर्दी आदि (प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को) देना शामिल हैं।

अ०जा० तथा अ०ज०जा० की छात्राओं के लिए छात्रावास

3.7. यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस इरादे से शुरू की गई थी कि अ०जा०/अ०ज०जा० की छात्राएं अपने घरों से दूर स्थित स्थानों पर मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर सकें जहां अन्यथा, छात्रावास की सुविधा न होने के कारण, वे शिक्षा प्राप्त न कर सकती हों। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना मिडिल तथा उच्चतर स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने वाली अ०जा०/अ०ज०जा०की छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण और विद्यमान छात्रावासों के विस्तार के लिए 50 : 50 के आधार पर (संघ क्षेत्रों के लिए 100%) कार्यान्वित की जाती है। स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी/निजी संगठनों को भी केन्द्रीय सहायता केवल छात्रावासों के विस्तार के लिए इस शर्त पर दी जाती है कि संबंधित संगठन 10% व्यय वहन करने को तैयार हों और ऐसे मामलों में शेष 90% व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच

50 : 50 के आधार पर विभाजित किया जाता है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एस०सी०पी० के लिए दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग छात्रावासों का रखरखाव और मरम्मत करने के लिए उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। यह उत्साहजनक बात है कि छात्रावासों के निर्माण लागत की अधिकतम सीमा 1994-95 के वर्ष से हटा दी गई है। आगे से निर्माण लागत का आंकलन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लोक निर्माण विभाग की दरों पर किया जाएगा। जो दर कम होगी उसी के आधार पर आकलन किया जाएगा। 100 छात्राओं की आवास क्षमता में से 10% स्थान गैर अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। आठवीं योजना के लिए किए गए 26.00 करोड़ रु० के आबंटन में से 6.00 करोड़ रु० की राशि 19452 छात्राओं की आवास क्षमता वाले अ०जा० की छात्राओं के 213 छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई। इसी प्रकार 1993-94 में अ०ज० जाति की छात्राओं के 52 छात्रावासों के निर्माण के लिए 2.64 करोड़ रु० की राशि दी गई। यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में छात्रावास ऐसे स्थानों पर बनाए जाते हैं जो दूर होते हैं या असुविधाजनक होते हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि अधिक संख्या में छात्राएं छात्रावासों में रहें तो छात्रावासों का निर्माण समुचित स्थानों पर किया जाना चाहिए। इन छात्रावासों के रखरखाव के बारे में आमतौर पर शिकायत रहती है। छात्रावासों के रखरखाव का दायित्व राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों पर है। इसके लिए उन्हें बजट में समुचित प्रावधान करना चाहिए। इससे अ०जा०/अ०ज०जा० की स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या में कमी करने में भी सहायता मिलेगी।

अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों के लिए छात्रावास

3.8 यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1989-90 में शुरू की गई थी और लड़कियों की छात्रावासों की पूर्ववर्णित योजना के अनुरूप चलाई जाती है। अ०जा० के लड़कों के छात्रावासों की योजना के अंतर्गत 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 7020 छात्रों के रहने के लिए 101 छात्रावासों के निर्माण के लिए 6.50 करोड़ रुपये की राशि दी गई। प्राप्त सूचना के अनुसार इस योजना के कार्यान्वयन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की सरकारों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को, जहां अनुसूचित जातियों में साक्षरता की दर कम है, इस योजना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसी प्रकार, लड़कों के छात्रावासों की योजना के अंतर्गत 1993-94 के दौरान 2631 विद्यार्थियों के रहने के लिए 53 छात्रावासों के लिए 2.70 करोड़ रु० की राशि दी गई।

टी०एस०पी० क्षेत्र में आश्रम स्कूल

3.9 केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को आश्रम स्कूलों के भवनों, छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 50 : 50 की भागीदारी के आधार पर सहायता दी जाती है। इनके रखरखाव पर होने वाला व्यय राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जाता है। संघ-शासित क्षेत्रों को शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है लेकिन रखरखाव का व्यय संघ क्षेत्र प्रशासन को वहन करना होता है। योजना में शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर शामिल हैं। 1993-94 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को 64 निर्माणों के लिए, जिसमें 41 निर्माण दूसरे चरण में थे, 2.52 करोड़ रु० की राशि मंजूर की गई। अनुसूचित जनजातियों के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शैक्षिक विकास के लिए यह एक बहुत उपयोगी योजना है। सभी सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को आगे आना चाहिए और इस योजना का पूरा लाभ उठाना चाहिए।

विदेशों में यात्रा व्यय अनुदान, उच्चतर शिक्षा के लिए अ०जा०, अ०ज०जा० के छात्रों और अन्य छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति

3.10 इस योजना के अन्तर्गत अ०जा०/अ०ज०जा० के मेधावी छात्रों, अधिसूची से निकाली गई यायावार और अर्ध यायावार जनजातियों, अन्य धर्मों में परिवर्तन करने वाले अ०जा० तथा कृषि मज़दूरों/पारंपरिक दस्तकारों के बच्चों को विदेशों में उच्च डिग्री और डाक्टरोत्तर अध्ययनों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। जिन छात्रों को किसी विदेशी सरकार या संस्थान से योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति मिलती है उन्हें ऐसे मामलों में यात्रा व्यय अनुदान भी दिया जाता है यदि उस छात्रवृत्ति में यात्रा व्यय अनुदान शामिल नहीं होता। प्रत्येक वर्ष में 30 राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां और 9 यात्रा व्यय अनुदान दिए जाते हैं। 1993-94 के दौरान, 30 उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां दी गई। 1954-55 में इस योजना के शुरू किए जाने के बाद से अब तक 479 छात्रों ने इस योजना का लाभ उठाया है। 1993-94 में इस पर 260 लाख रु० व्यय किए गए।

अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों की योग्यता में वृद्धि

3.11 गत वर्षों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सभी विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को समय-समय पर अनेक मार्ग-निर्देश भेजे गए जिनमें कहा गया कि सभी तकनीकी और शैक्षिक संस्थाओं में अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए क्रमश: 15% और 7.5% सीटें आरक्षित की जाएं। हमारा पिछला अनुभव यह रहा कि अनेक प्रयत्न करने पर भी विभिन्न तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों में अ०जा०/अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। इन पाठ्यक्रमों में उनकी कम संख्या को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने 1987-88 में अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों की योग्यता में वृद्धि करने के लिए एक योजना शुरू की। 1993-94 के मध्य में यह योजना कल्याण मंत्रालय में स्थानान्तरित कर दी गई। जिन विद्यार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत चुना जाता है उनकी शैक्षिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, विशेषरूप से अतिरिक्त शिक्षण दिया जाता है। उन्हें अच्छे आवासीय स्कूलों में रखा जाता है जहा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक उनकी शिक्षा के लिए 4 वर्ष के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। भाषा, गणित और विज्ञान आदि विषयों में उपचारी शिक्षण दिया जाता है और विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली प्रवेश परीक्षाएं पास करने की आवश्यक योग्यता प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को विशेष शिक्षण दिया जाता है। विशेषज्ञों द्वारा विशेष शिक्षण दिया जाता है जबकि उपचारी शिक्षण स्कूल के घण्टों के बाद दिया जाता है जो चुने हुए स्कूलों में विद्यार्थियों के रहने के दौरान (कक्षा 9 से 12 तक) दिया जाता है। शुरू में इस योजना के अन्तर्गत 54 स्कूलों में 1000 विद्यार्थियों (670 अ०जा० और 330 अ०ज०जा०) को लाने का प्रस्ताव था। इस योजना

के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 100% धन दिया जाता है। इस योजना के लिए 8वीं योजना में 2.60 करोड़ रु० खर्च करने का प्रावधान किया गया है। 1993-94 के दौरान केवल पांच राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान ने इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुदान का लाभ उठाया। 1993-94 के दौरान 0.55 करोड़ रुपए के प्रावधान में से इन राज्यों को अ०जा०/अ०ज०जा० के 334 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए 0.15 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी गई। यह एक बहुत अच्छी योजना है और राज्यों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस योजना की प्रगति धीमी होने का कारण यह हो सकता है कि इस योजना के अन्तर्गत शिक्षकों को दिया जाने वाला मानदेय 1987-88 के वर्ष में निर्धारित किया गया था जो अब पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार पुस्तकों, स्टेशनरी, फीस, भोजन व्यय और जेब खर्च के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि पर्याप्त नहीं थीं। कल्याण मंत्रालय को इस योजना का पुनर्विलोकन करने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिए ताकि व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अ०जा०/अ०ज०जा० के प्रवेश में वृद्धि हो सके।

उच्च शिक्षा संस्थानों में विशेषकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अ०जा०/अ०ज०जा० का प्रवेश

3.12 यह एक सांविधानिक दायित्व है कि अ०जा०/अ०ज०जा० की उन्नति के लिए भारत के संविधान में इन समुदायों के लिए समय-समय पर किए गए आरक्षण के प्रावधानों और इस बारे में सरकार की नीति को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू किया जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कालिजों में अ०जा०/अ०ज०जा० के आरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्ग-निर्देशों की ओर विश्वविद्यालयों के कालिजों और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करता रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्द्धन तथा शिक्षा, परीक्षा और अनुसंधान के मानक निर्धारित करने और उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। यह आवश्यक था क्योंकि भारत के संविधान में यह माना गया है कि उच्चतर शिक्षा केन्द्र का दायित्व है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस अधिनियम (वि०वि०अ०आ० अधिनियम, 1956) के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार कार्य करता है।

3.13 अ०जा०/अ०ज०जा० को जीवन की मुख्य धारा में लाने और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न उच्चतर शिक्षा देने वाले कालेजों/विश्वविद्यालयों में उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए और समाज के कम सुविधा प्राप्त वर्गों की सामाजिक समानता और उन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन वर्गों के लिए विशेष योजनाओं द्वारा और नियमित योजनाओं में विशिष्ट प्रावधान करके, अपना योगदान करता रहा है।

3.14 विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों में राज्य की कुल आबादी में अ०जा०/अ०ज०जा० की जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए आरक्षण का भिन्न-भिन्न प्रतिशत निश्चित किया गया है। मोटे तौर पर यह सिद्धान्त माना जाता है कि अ०जा०/अ०ज०जा० के आरक्षण का प्रतिशत कुल आबादी में उनकी आबादी के प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अ०जा० के लिए 15% और अ०ज०जा० के लिए 7.5% आरक्षण निश्चित किया गया है। निहितार्थ यह है कि सभी आरक्षित सीटें आरक्षण के लिए निश्चित प्रतिशत के अनुपात में भरी जाएं। यद्यपि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पर्याप्त मार्गनिर्देश जारी किए गए थे जिनके अनुसार आरक्षण को पूरा किया जा सकता था। तथापि, आरक्षण के विषय को अधिक स्पष्ट करने तथा अधिक सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रवेश में आरक्षण के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं। ये मार्गनिर्देश अपर सचिव के अ०शा० पत्र एफ-८-१०९/(एससीटी) दिनांक १५ जून 1993 द्वारा जारी किए गए थे और विश्वविद्यालयों में आरक्षण की नीति को पूर्णत: सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग और समर्थन देने के लिए कहा गया था। संशोधित मार्गनिर्देश बहुत व्यापक हैं और यदि उनका समुचित तरीके से कार्यान्वयन किया जाए तो शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की अ०जा०/अ०ज०जा० की आकांक्षाओं की पूर्ति में बहुत सहायता मिल सकती है।

3.15 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व वास्तव में कितना है यह पता लगाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सूचना एकत्र करने का प्रयत्न किया गया। यह छ: संकायों अर्थात् मानविकी और सामाजिक विज्ञान, कृषि विज्ञान सहित विज्ञान, इंजीनियरिंग टैक्नोलाजी, आयुर्विज्ञान तथा मेडिकल और इंजीनियरिंग टैक्नोलाजी के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा अन्य पाठ्यक्रमों के बारे में वर्ष 1992-93 से संबंधित सूचना है। सारणी-1 में दी गई सारणीबद्ध सूचना से पता चलता है कि उपरोक्त पाठ्यक्रमों में अ०जा०/अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व निराशाजनक है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया से सम्बन्धित प्रत्येक पाठ्यक्रम का अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं था और इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गई। वि०अ०आ० द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से पता चलता है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में अ०जा० का प्रतिनिधित्व 2.60% से 9.92% के बीच था और अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व 0.09% से 6.41% के बीच था। यह प्रतिनिधित्व केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित 15% और 7.5% से बहुत कम है। **यह गंभीर चिन्ता का विषय है और सम्बन्धित विश्वविद्यालयों, वि०अ०आ० तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इन पाठ्यक्रमों में इन जातियों का प्रतिनिधित्व इतना कम होने का कारण पता लगाना चाहिए।** जैसा पहले कहा जा चुका है हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्तर पर प्रवेश बढ़े और साथ ही इन स्तरों पर छात्रों द्वारा स्कूल छोड़ना या स्कूल में न आना रोका जाए और इन जातियों के प्रतिभावान छात्रों को खोज कर उन्हें पब्लिक स्कूलों में रखा जाए तथा उन्हें निचले स्तरों पर अतिरिक्त शिक्षण दिया जाए ताकि वे अन्य विद्यार्थियों से स्पर्धा कर सकें ओर इन पाठ्यक्रमों में उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़े। यह भी पहले ही कहा जा चुका है कि अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ाने के लिए चलाई जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का इसके लिए पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। उपरोक्त योजना के अलावा सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अ-जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों के लिए चलाए जा रहे उपचारी पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से जारी रखा जाए और जिन विश्वविद्यालयों ने यह पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए हैं वे उन्हें तुरन्त शुरू कर दें।

सारणी—I

शिक्षा वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने में अ०जा०/अ०ज०जा० को मिले प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम और पाठ्यक्रम	अ.जा./अ.ज.जा. सहित कुल प्रवेश	अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%	अ.जा./अ.ज.जा.	कुल संख्या का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**अलीगढ़-मुस्लिम विश्वविद्यालय**							
(1)	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	2637	44	1.67	—	—	44	1.67
(2)	कृषि विज्ञान सहित विज्ञान	2244	20	0.89	—	—	20	0.89
(3)	इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी	958	11	1.15	-	—	11	1.15
(4)	आयुर्विज्ञान	419	ब्यौरा उपलब्ध नहीं					
(5)	आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम	367	—	—	—	—	—	—
(6)	अन्य पाठ्यक्रम	969	17	1.75	—	—	17	1.75
2.	**बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय**							
(1)	मानविकी और सामाजिक विज्ञान		ब्यौरा उपलब्ध नहीं					
(2)	कृषि विज्ञान सहित विज्ञान		ब्यौरा उपलब्ध नहीं					
(3)	इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी		ब्यौरा उपलब्ध नहीं					
(4)	आयुर्विज्ञान			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
(5)	आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
(6)	अन्य पाठ्यक्रम			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
3.	**जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली**							
(1)	मानविकी और सामाजिक विज्ञान			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
(2)	कृषि विज्ञान सहित विज्ञान			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
(3)	इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
(4)	आयुर्विज्ञान			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
(5)	आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				
(6)	अन्य पाठ्यक्रम			ब्यौरा उपलब्ध नहीं				

सारणी—I *(जारी)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(4) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली								
(1)	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	3224	351	10.89	135	4.19	486	15.07
(2)	कृषि विज्ञान सहित विज्ञान	465	47	10.11	10	2.15	57	12.26
(3)	इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी			यह पाठ्यक्रम नहीं है				
(4)	आयुर्विज्ञान			यह पाठ्यक्रम नहीं है				
(5)	आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम			यह पाठ्यक्रम नहीं है				
(6)	अन्य पाठ्यक्रम		कोई अन्य पाठ्य-क्रम नहीं है					
5. पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग								
(1)	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	2600	18	0.69	2008	77.23	2026	77.92
(2)	कृषि विज्ञान सहित विज्ञान	531	15	2.82	209	39.36	224	42.18
(3)	इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी		-शून्य-					
(4)	आयुर्विज्ञान		-शून्य-					
(5)	आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम		-शून्य-					
(6)	अन्य पाठ्यक्रम		-शून्य-					
6. पांडिचेरी विश्वविद्यालय								
(1)	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	91	6	6.59	—	—	6	6.59
(2)	कृषि विज्ञान सहित विज्ञान	116	17	14.66	1	0.86	18	15.52
(3)	इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी	ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है						
(४)	आयुर्विज्ञान	ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है						
(5)	आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम	59	7	11.86	1	1.69	8	13.56
(6)	अन्य पाठ्यक्रम	107	11	10.28	1	0.93	12	11.21
7. दिल्ली विश्वविद्यालय								
(1)	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	30864	3458	11.20	417	1.35	3875	12.55
(2)	कृषि विज्ञान सहित विज्ञान	6990	495	7.08	63	0.90	558	7.98

सारणी—I *(जारी)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(3) इंजनियरिंग प्रौद्योगिकी	640	72	11.25	15	2.34	87	13.59
	(4) आयुर्विज्ञान	518	64	12.36	32	6.18	96	18.53
	(5) आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम	2350	366	15.57	57	2.43	423	18.00
	(6) अन्य पाठ्यक्रम		-शून्य-					
8.	**हैदराबाद विश्वविद्यालय**							
	(1) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	542	90	16.61	20	3.69	110	20.30
	(2) कृषि विज्ञान सहित विज्ञान	302	48	15.89	5	1.66	53	17.55
	(3) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी	50	8	16.00	4	8.00	12	24.00
	(4) आयुर्विज्ञान		ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है					
	(5) आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम		ऐसा कोई संकाय नहीं है					
	(6) अन्य पाठ्यक्रम		कोई अन्य संकाय नहीं है					
9.	**विश्व भारती विश्वविद्यालय**							
	(1) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	420	37	8.31	8	1.90	45	10.71
	(2) कृषि विज्ञान सहित विज्ञान	283	43	15.19	5	1.77	48	16.96
	(3) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी		ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है					
	(4) आयुर्विज्ञान		ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है					
	(5) आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम	404	47	11.63	4	0.99	51	12.52
	(6) अन्य पाठ्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—
	योग							
	(1) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	40378	4004	9.92	2588	6.41	6592	16.33
	(2) कृषि विज्ञान सहित विज्ञान	10931	685	6.27	293	2.68	978	8.95
	(3) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी	1648	91	5.52	19	1.15	110	6.67
	(4) आयुर्विज्ञान	937	64	6.83	32	3.42	96	10.25
	(5) आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम	3180	420	13.21	62	1.95	482	15.16
	(6) अन्य पाठ्यक्रम	1076	28	2.60	1	0.09	29	2.70

नोट : इसमें इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय शामिल नहीं है।

आयोग में प्राप्त शिकायतें

3.16 रिपोर्ट के वर्ष के दौरान विभिन्न शैक्षिक विषयों से सम्बन्धित 108 शिकायतें/अभ्यावेदन आयोग के मुख्यालय में प्राप्त हुए। इनमें से बीस अभ्यावेदनों को फ़ाइल कर दिया गया क्योंकि वे आयोग के बजाय अन्य प्राधिकरणों को संबोधित थे और आयोग को केवल उनकी प्रतियां भेजी गई थीं। 78 मामलों में कार्यवाही की गई और 10 को फ़ाइल कर दिया गया क्योंकि जांच करने पर यह पता चला कि वे आयोग के हस्तक्षेप के योग्य नहीं थे। इन 10 मामलों में प्रथम दृष्टि में किसी सुरक्षण या अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था वरन् उनमें ऐसे विषयों के बारे में कहा गया था जैसे कार्य सुधार के बारे में तकनीकी कार्यशाला आयोजित करना, नकल करने में अ०जा० के विद्यार्थी को झूठा फंसाने के लिए परीक्षा केन्द्र के निरीक्षकों का कथित षड्यन्त्र, उ०प्र० में इटावा के स्कूल उप-निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप, उ०प्र० के एक गांव में स्कूल खोलने की प्रार्थना, सभी स्कूलों में समान पाठ्यक्रम शुरू करना, दिल्ली स्थित पत्राचार स्कूल से ट्यूशन फ़ीस की रकम वापस दिलाने के लिए, राजस्थान में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं के बारे में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करने की प्रार्थना, स्कूल में प्रवेश के समय केवल एक बार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक करने की प्रार्थना आदि।

3.17 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का तेजी से शैक्षिक विकास करने के लिए सांविधानिक तथा अन्य सुरक्षण देने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के आशय में कोई कमी न होने पर भी इस विषय में आरोप लगाए जाते हैं कि कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न स्तरों पर उन्हें जानबूझ कर वंचित रखा जाता है, विभिन्न उपायों को क्रियान्वित नहीं किया जाता और उनको दिए जाने वाले सुरक्षणों का उल्लंघन होता है। इस आयोग को विभिन्न सुरक्षणों के कथित उल्लघन के बारे में शिकायतें तथा अभ्यावेदन व्यक्तियों, संस्थाओं/संगठनों से प्राप्त होते रहे हैं। रिपोर्ट के वर्ष में आयोग के मुख्यालय में विभिन्न शैक्षिक मामलों के सम्बन्ध में 110 शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए। ये मामले मुख्यत: निम्नलिखित वर्गों के थे :—

सारणी—2

क्र.स.	विषय वस्तु	मामलों की सं.
1	2	3
1.	सामान्य शिक्षा के स्कूलों/कालिजों में प्रवेश न देना	17
2.	मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य व्यावसायिक कालिजों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश न देना	24
3.	वज़ीफे/छात्रवृत्तियां न देना	6
4.	आर्थिक सहायता देने/नए स्कूल खोलने/प्रांतीय स्कूलों को सरकार द्वारा लिए जाने/शिक्षा/छात्रावास की पर्याप्त सुविधाएं देने की प्रार्थना आदि	11
5.	उच्च जातियों द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० के शिक्षकों/विद्यार्थियों को परेशान करना	15
6.	जाति के आधार पर अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों को परीक्षा में अंक देने में भेदभाव/उन्हें जानबूझकर अनुत्तीर्ण करना	2
7.	व्यावसायिक कालिजों में प्रवेश की पात्रता का मानदण्ड शामिल करना	2
8.	गोवा के मेडिकल कालिज में प्रवेश की प्रतिशतता का घटाया जाना।	1
9.	ऐसे मामले जो आयोग के हस्तक्षेप के योग्य नहीं थे	10
10.	अन्य	22
	जोड़ :	110

3.19 एक मामला प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत हुआ जिसमें शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अ०जा०/अ०ज०जा० को दिए गए सुरक्षणों का उल्लंघन हुआ था। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक संबंधित अधिकारियों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था और उत्तर मिलने पर ही अन्तिम राय कायम की जाएगी।

वह मामला, संक्षेप में, निम्नलिखित है :

श्री नाथू लाल नाहर, अर्जुन निवास, 21 नन्दपुरी, 22 गोदाम, जयपुर द्वारा हिन्दी में भेजी गई बिना तारीख़ की एक शिकायत आयोग के मुख्यालय में 19-8-1993 को प्राप्त हुई थी। उनका आरोप था कि उनके पुत्र अनिल कुमार को, जो आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर में कक्षा 6 में था, अ०जा०/अ०ज०जा० और यायावर जनजातियों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति देने की राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत सेंट ज़ेवियर स्कूल, जयपुर में प्रवेश के लिए एक सीट आवंटित की गई थी। लेकिन कालिज के प्रिंसिपल ने कथित रूप से अ०जा० और अ०ज०जा० के विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इनकार किया। उप निदेशक (माध्यमिक), प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर ने अपने दिनांक 20-7-93 के पत्र द्वारा इस लड़के का नाम सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा था। इस मामले की जांच करने से पता चला कि सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल ने जाति के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया वरन् उनके स्कूल में पढ़ रहे अ०जा० एवं अ०ज०जा० के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि 59,219/- रु० राज्य सरकार द्वारा अदा न किए जाने के कारण किया। स्कूल अधिकारी मार्च, 1993 से शिक्षा (प्राथमिक और माध्यमिक) निदेशक, बीकानेर को पत्र भेज रहे थे और अपने दिनांक 7-7-1993 के पत्र में प्रिंसिपल ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि क्योंकि उनके स्कूल में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों से सम्बन्धित कोई अदायगी स्कूल को नहीं की गई थी और विभाग द्वारा इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया था, इसलिए उनके सामने यही एक विकल्प था कि वे अ०जा० एवं अ०ज०जा० विद्यार्थियों के माता-पिता से नियमित

फीस अदा करने या उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित कर लेने को कहें। उन्होंने उपरोक्त पत्र पर भी अपने हाथ से यह लिखा था :

''कृपया मुझे यह बताएं कि छात्रवृत्ति की राशि मंजूर की जाएगी। हम अ०जा०/अ०ज०जा० की छात्रवृत्ति के किसी नए विद्यार्थी को तभी प्रवेश दे सकते हैं जब पिछली राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।''

3.21 इसके लिए स्कूल अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराकर उन पर सुरक्षणों के उल्लंघन का आरोप लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने अपने ही आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया। इसलिए आयोग ने 1-3-1994 को इस विषय में शिक्षा निदेशक (प्राथमिक तथा माध्यमिक) राजस्थान सरकार से सम्पर्क किया लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है।

3.22 एक मामले में शिकायतकर्त्ता पलवल (हरियाणा) का एक अनूसूचित जाति का विद्यार्थी था जिसने एन०सी०ई०आर०टी० (राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्) द्वारा चलाए जा रहे जवाहर नवोदय विद्यालय, चांदपुर, ज़िला फरीदाबाद—हरियाणा की प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी लेकिन उसे इस कारण प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि उसका पहला स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं था। आयोग ने इस विषय में प्रिंसिपल से सम्पर्क किया और विद्यार्थी के पिता ने हमें सूचित किया कि उसके पुत्र को प्रवेश दे दिया गया है।

3.23 दूसरे मामले में आयोग द्वारा हस्तक्षेप करने और सहायक आयुक्त, के०वि० संगठन, बम्बई क्षेत्र को लिखने के बाद एक अनुसूचित जाति की लड़की को एक केन्द्रीय विद्यालय से महाराष्ट्र के दूसरे केन्द्रीय विद्यालय में स्थानांतरित करने की प्रार्थना मंजूर की गई।

3.24 रिपोर्ट के वर्ष के दौरान आयोग के मुख्यालय में मेडिकल/इंजीनियरिंग और अन्य पाठ्यक्रमों जैसे फार्मेसी, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और आयुर्वेद आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले आरक्षणों के सुरक्षण के उल्लंघन के 26 मामले प्राप्त हुए। इनमें ऐसे भी मामले थे जिनमें प्रवेश देने से इनकार करने की शिकायत नहीं की गई थी वरन् आरक्षण कोटा में से प्रवेश के लिए एक सीट आवंटित करने की प्रार्थना की गई थी। गोवा से प्राप्त एक अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने गोवा में मेडिकल कालिजों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का कोटा कम कर दिया है। अभ्यावेदन भेजने वालों ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया है और आयोग को प्रतिवादी बनाया है। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

3.25 आयोग को मध्य प्रदेश के कुछ व्यथित अ०जा०/अ०ज०जा० विद्यार्थियों का संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिन्होंने यद्यपि विभिन्न मेडिकल कालिजों में प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों के लिए प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी फिर भी उन्हें, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए जाने के कारण, विभिन्न मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित रखा गया।

3.26 मेडिकल कालिजों में प्रवेश से सम्बन्धित अन्य मामलों में एक संगठन द्वारा भेजा गया एक सामान्य अभ्यावेदन भी था जिसमें उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालिजों में प्रवेश सम्बन्धी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। यह मामला राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया। परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इस अभ्यावेदन में किसी विशिष्ट मामले का उदाहरण नहीं दिया गया था वरन् एक सामान्य आरोप लगाया था। एक अन्य मामले में आयोग से उम्मीदवार को एक मैडीकल कालिज से मध्य प्रदेश के दूसरे मेडीकल कालिज में स्थानांतरित किए जाने में सहायता करने की प्रार्थना की गई थी। यह मामला सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दिया गया। मध्य प्रदेश से प्राप्त दोनों मामलों में अपने बच्चों को मेडिकल कालिज में प्रवेश दिलाने के इच्छुक अनुसूचित जातियों के माता-पिता ने यह प्रार्थना की थी कि उन्हें उन सीटों का आवंटन किया जाए जो केन्द्रीय सरकार के अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य के मेडिकल कालिजों के आरक्षित कोटा में है. दोनों अभ्यावेदनकर्ताओं को सूचित किया गया कि वे केवल अपने ही राज्य की आरक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी मामले में, आयोग कोई आवंटन नहीं करता।

3.27 यह पाया गया कि उपरोक्त मामलों में किसी को किसी अधिकार से वंचित नहीं किया गया था या किसी सुरक्षण का उल्लंघन भी नहीं हुआ था वरन् केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों अथवा अपने राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में केन्द्रीय/राज्य संस्थानों में सेवारत कर्मचारियों के बच्चों का नुकसान हो रहा था। जिन राज्यों में केन्द्रीय सरकार का कोई व्यावसायिक अथवा सामान्य शैक्षिक संस्थान भी नहीं है, वहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश के लिए आरक्षण का लाभ उठाने में कड़ी कठिनाई होती है। सम्भवत: राज्य सरकारों के नियंत्रण में चलने वाली सभी मेडिकल/इंजीनियरिंग संस्थाओं में पात्रता का मुख्य मानदण्ड यह है कि उम्मीदवार ने उसी राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्था से अर्हक परीक्षा (10+2) पास की हो। इससे केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को अपने ही राज्य में प्रवेश पाने में कठिनाई होती है क्योंकि अधिकतर मामलों में उन्होंने उन राज्यों में स्थित संस्थानों से अर्हक परीक्षा (10+2) पास की होती है जिन राज्यों में उनके माता-पिता उस अवधि में तैनात होते हैं। ऐसे माता-पिता के बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश पाने में अधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं और आरक्षण लाभों से वंचित रहते हैं। अन्य राज्यों में भी वे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वह सुविधा वे अपने ही राज्यों में प्राप्त कर सकते हैं।

3.28 अत: आयोग का विचार है कि इस सम्बन्ध में प्रचलित नियमों/अनुदेशों की पुनरीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार उपरोक्त वर्ग के मामलों में नियमों में समुचित ढील देने या केवल सीमित ढील देने पर विचार कर सकती है। ऐसा करने का एक तरीका यह हो सकता है कि जिन राज्यों में मेडिकल/इंजीनियरिंग कालिज हैं उनकी संबधित सरकारों से कहा जाए कि वे पारस्परिक आधार पर अपने राज्य से बाहर सेवा करने वाले केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए कुछ प्रतिशत सीटों का कोटा आरक्षित रखें। जहां इन सीटों को भरने के लिए ऐसा कोई उम्मीदवार न हो, वहां वे सीटें संबधित राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को दे दी जाएं।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में प्रत्येक से एक, कुल मिलाकर चार मामले ऐसे प्राप्त हुए जिनमें विभिन्न मेडिकल कालिजों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों पर प्रवेश देने से इनकार किया गया था।

3.29 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए०आई०आई० एम०एस०), नई दिल्ली के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अ०जा०/अ०ज०जा० के प्रवेश के अधिकार के कथित अपवंचन का मामला आयोग के मुख्यालय में दिसम्बर 1993 में प्राप्त हुआ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा ए०आई०आई०एम०एस० के अध्यक्ष के नाम भेजे गए अभ्यावेदन दिनांक 21-12-93 की एक प्रति संस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्नातकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वयं आकर 22-12-93 को इस आयोग में दी। यह आरोप लगाया गया था कि ए०आई०आई०एम०एस० के अधिकारी संस्थान के स्नातकों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षित 33% कोटा में से प्रवेश न देकर अनु० जाति तथा अनुसूचित जनजाति के स्नातकों के विरुद्ध पक्षपात कर रहे थे। यह आवेदन किया गया था कि ए०आई०आई०एम०एस० के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा देने के अपने ही स्नातकों के लिए रखे गए विद्यमान योग्यता मानदण्ड पर पुन: विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह मानदण्ड अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के हित में नहीं था। अभ्यावेदनकर्ताओं के अनुसार, "ए०आई०आई०एम०एस० के जिन अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों ने एम०बी०बी०एस० की परीक्षा पास करने में दो से अधिक बार प्रयत्न किया हो वे ए०आई०आई०एम०एस० तथा अन्य सभी विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली स्नातकोत्तर परीक्षाओं में बैठने के पात्र नहीं होंगे। इससे ए०आई०आई०एम०एस० के अल्पसंख्यक समूह के स्नातकों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है।" इस उक्ति के समर्थन में उन्होंने एक उदाहरण दिया जिसमें नवम्बर 1993 में हुई स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के परिणाम का हवाला दिया जिसमें तीन विभिन्न बैचों के ए०आई०आई० एम०एस० के 10 अ०जा०/अ०ज०जा० स्नातकों को एक भी सीट नहीं दी गई जबकि वे परीक्षा में बैठने के पात्र थे। उन्होंने मांग की :

(1) ए०आई०आई०एम०एस० के सभी अ०जा०/अ०ज०जा० उम्मीदवारों को ए०आई०आई०एम०एस० की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में बैठने दिया जाए चाहे उन्होंने एम०बी०बी०एस० की परीक्षा पास करने के लिए कितने ही प्रयत्न किए हों और इसे मई 1994 की स्नातकोत्तर परीक्षा से प्रभावी बनाया जाए।

(2) ए०आई०आई०एम०एस० के अ०जा०/अ०ज०जा० के स्नातकों के लिए अलग स्नातकोत्तर सीटें आरक्षित की जाएं।

3.30 दिसम्बर 1993 और जनवरी 1994 के दौरान अनेक दैनिक समाचार पत्रों में इस मामले का उल्लेख किया गया क्योंकि इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया था। ए०आई०आई०एम०एस० के अ०जा०/अ०ज०जा० स्नातकों के पक्ष का समर्थन पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज, दिल्ली मेडीकोज एंड साइंटिस्ट फ्रंट और फोरम फार राइटस एंड इक्वालिटी आदि अनेक मंचों से किया गया और उन सबके द्वारा आयोग को लिखकर यह बताया गया कि किस प्रकार कई वर्षों से संस्थान के अ०जा०/अ०ज०जा० के स्नातकों के प्रति कथित अन्याय किया जा रहा था। उन्होंने आयोग से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की।

3.31 इस मामले में मुख्य प्रश्न संस्थान के विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा देने की पात्रता से संबधित है। ए०आई०आई०एम०एस० ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा में बैठने और संस्थान के स्नातकों के लिए चयन पद्धति और पात्रता के मानदंड निर्धारित किए हैं। नियमों के अनुसार, किसी एक वर्ष में ए०आई०आई०एम०एस० के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए मंजूर की गई कुल सीटों में से 33% सीटें संस्थान के स्नातकों के लिए आरक्षित रहेंगी और शेष 67% सीटें अखिल भारतीय आधार पर पात्रता प्राप्त उम्मीदवारों में से भरी जाएंगी। पात्रता के मानदंड निम्नलिखित है :

(1) उम्मीदवार के पास ए०आई०आई०एम०एस० की अथवा इस प्रयोजन के लिए संस्थान की मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की एम०बी०बी०एस० की डिग्री होनी चाहिए।

(2) उम्मीदवार ने, पंजीकरण से पूर्व, एक मान्यता प्राप्त अस्पताल में अपेक्षित अवधि के लिए ईंटर्नशिप अथवा रोटेटिंग हाउसमेनशिप पूरी की हो।

(3) उम्मीदवार ने एम०बी०बी०एस० की सभी परीक्षाओं में कुल 55% अंक (अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए 50%) प्राप्त किए हों और कम से कम एक वर्ष तक ईंटर्नशिप के रूप में काम किया हो।

(4) एम०बी०बी०एस० की परीक्षाओं में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण न हुआ हो।

(5) पात्रता निर्धारित करने के लिए अंकों की प्रतिशतता की गणना करने में एम०बी०बी०एस० की किसी परीक्षा में एक या दो बार अनुत्तीर्ण होने पर क्रमश: एक और तीन प्रतिशत अंक काटे जाएंगे।

3.32 ए०आई०आई०एम०एस० अधिकारियों द्वारा यह पद्धति अपनाई जा रही है कि संस्थान के स्नातकों के लिए विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षित 33% सीटों में से संस्थान के अ०जा०/अ०ज०जा० स्नातकों को कोई अलग हिस्सा नहीं दिया जाता। इसके अलावा, संस्थान के अ०जा०/अ०ज०जा० स्नातकों को अखिल भारतीय अ०जा०/अ०ज०जा० स्नातकों के साथ स्पर्धा करनी अपेक्षित होती है।

3.33 इस विषय में विवरण मंगाने के लिए आयोग ने स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय से संपर्क किया और साथ ही ए०आई०आई०एम०-एस० के निदेशक को पत्र लिखकर इन तथ्यों का विवरण भेजने को कहा कि कुल सीटों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों में आरक्षित कोटा में से कितनी सीटें भरी गई। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं भेजा। लेकिन, ए०आई०आई०एम०एस० के अधिकारियों ने आयोग को सूचित किया कि सरकार और विद्यार्थियों की यूनियन के बीच 1978 में हुए समझौते के अनुसार, और बाद में मई 1982 में उन्हें भेजे गए स्पष्टीकरण के अनुसार भी, संस्थान के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्नातकों को प्रवेश देने के बारे में इसी वर्ग के अन्य उम्मीदवारों के साथ ही विचार किया जाता है। यह पद्धति जुलाई 1993 तक प्रचलित रही। संस्थान

के अ०जा०/अ०ज०जा० के स्नातकों द्वारा आंदोलन शुरू किए जाने और संस्थान के स्नातकों के लिए आरक्षित सीटों में से अपना यथोचित हिस्सा मांगने के परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय ने ए०आई०आई०एम०एस० के अध्यक्ष (केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री) का दिनांक 31-12-93 को निम्नलिखित आदेश संस्थान को भेजा:

"यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अ०जा०/अ०ज०जा० के जो विद्यार्थी संस्थान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने की अर्हता अपनी ही योग्यता के आधार पर प्राप्त करते हैं उन्हें कालिज के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों के कोटा में से चालू वर्ष से ही प्रवेश दिया जाए।"

3.34 संस्थान के अधिकारियों ने प्रवेश के लिए तैयार की गई योग्यता क्रम सूची की पुनरीक्षा की और संस्थान के अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों को अपेक्षित संख्या में सीटें देकर स्वास्थ्य मंत्री के आदेश का क्रियान्वयन किया। पिछले तीन वर्षों (1991, 1992 और 1993) के दौरान प्रवेश की स्थिति के बारे में संस्थान द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अ०जा०/अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं है।

3.35 आयोग का विचार है कि भविष्य में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में ऐसे विवादों से बचने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय वर्तमान नीतियों/मार्गनिर्देशों की पुनरीक्षा करे और इस विषय में नए असंदिग्ध अनुदेश जारी करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनु०जाति तथा अनु०जनजाति के उम्मीदवारों के हितों का किसी भी स्थिति में हनन न हो, सावधानी बरती जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो प्रवेश परीक्षा के विज्ञापन में अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

3.36 विभिन्न राज्यों के इंजीनियरिंग कालिजों में प्रवेश न दिए जाने के संबंध में आयोग को 6 शिकायतें प्राप्त हुई। इन सभी मामलों के बारे में संबंधित अधिकारियों से बात की गई। एक शिकायत दिल्ली कालिज ऑफ इंजीनियरिंग के बी टैक (अंशकालिक) पाठ्यक्रम में दिल्ली के एक अ०जा० विद्यार्थी को कथित रूप से प्रवेश न दिए जाने के संबंध में थी। आयोग द्वारा यह मामला उठाने पर प्रवेश दे दिया गया।

3.37 संत रविदास आश्रम समिति, शाहदरा के महासचिव ने आयोग को दिनांक 1-12-93 को एक अभ्यावेदन भेजा जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों के प्रति भारी अन्याय किए जाने का आरोप लगाया। आरोप यह था कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने 1993 के दौरान विभिन्न तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 20-7-93, 26-10-93 और 19-11-93 को जारी किए गए विज्ञापन में यह उल्लेख नहीं किया कि प्रवेश के लिए पात्रता का मानदंड कितने प्रतिशत अंकों का था। प्रशासन ने प्रवेश के लिए और फीस आदि की अदायगी के लिए अंतिम तिथि 24-11-93 निर्धारित की थी। अ०जा०/अ०ज०जा० के कुछ विद्यार्थियों ने 23-11-93 से पूर्व निकाले गए विज्ञापनों के उत्तर में अपने आवेदन के फार्म पहले ही भेज दिए थे। 23-11-93 को अकस्मात यह अधिसूचित किया गया कि विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अर्हता परीक्षा के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 50 रखा गया था। जब 24-11-93 को वे अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थी प्रवेश के लिए गए जिनके अंक 49.5% थे तब उन्हें प्रवेश देने से यह कहकर इनकार किया गया कि उन्होंने 50% अंक प्राप्त नहीं किए थे इसलिए वे प्रवेश के पात्र नहीं थे।

3.38 इससे पूर्व इसी अध्याय में यह चर्चा की गई थी कि अ०जा०/अ०ज०जा० के स्थानांतरणीय कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के बच्चों को, जो उन कर्मचारियों के अपने राज्यों के बाहर अन्य राज्यों में स्थित हैं, मेडिकल कालिजों में प्रवेश पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार वर्तमान अनुदेशों की पुनरीक्षा करे और स्थानांतरणीय माता-पिता के बच्चों की यथार्थ समस्याओं के समाधान के लिए समुचित उपाय करे। सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय सभी व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों पर लागू होने चाहिएं।

3.39 आर्ट्स कालिज, शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा तथा फार्मेसी में डिप्लोमा, आदि अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों को प्रवेश न दिए जाने के आरोप के चार मामले 1993-94 के दौरान प्राप्त किए गए।

3.40 दिल्ली के प्रमोद कुमार नामक एक अनुसूचित जाति के विद्यार्थी का दिनांक 17-8-93 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे गवर्नमेंट आर्ट्स कालिज, चण्डीगढ़ में आरक्षित कोटा में से प्रवेश नहीं दिया गया था। उसका कहना था कि अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए 20% (अ०जा० के लिए 15% एवं अ०ज०जा० के लिए 5%) आरक्षण किया जाना चाहिए था और क्योंकि अ०ज०जा० का कोई उम्मीदवार नहीं था इसलिए उसे अ०ज०जा० के कोटा में स्थान दिया जाना चाहिए था क्योंकि अ०जा० एवं अ०ज०जा० का कोटा—दोनों परस्पर परिवर्तनीय हैं। अध्यक्ष द्वारा 23-8-93 के अ०शा० पत्र द्वारा चण्डीगढ़ प्रशासन के साथ मामले को उठाया गया। गवर्नमेंट आर्ट्स कालिज, चण्डीगढ़ के प्रिंसिपल ने 25-1-94 को उत्तर भेजा जिसमें स्थिति स्पष्ट की गई। यह स्पष्ट किया गया कि विभिन्न विषयों में प्रवेश की क्षमता 64 थी, जिसमें से 40% सामान्य पूल के लिए और 60% संघ क्षेत्रों के पूल के लिए थी। अलग-अलग विषयों में, एप्लाइड आर्ट्स के पाठ्यक्रम की 18 सीटों में से 3 सीटें सामान्य पूल के विद्यार्थियों में से भरी जानी थी। अ०जा० के लिए 15% आरक्षण के अनुसार, इस विषय में अनुसूचित जातियों के लिए केवल एक सीट आरक्षित की गई थी। यह सीट श्री मजिंदर सिंह (अ०जा०) को दी गई जिनका नाम योग्यताक्रम सूची में श्री प्रमोद कुमार से ऊपर था। श्री मजिंदर सिंह ने पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया और, इसलिए, आवेदक को स्थान देना संभव नहीं था।

3.41 आरक्षण के सुरक्षणों के उल्लंघन का एक मामला अक्टूबर 1993 में पंजाब की एक अनुसूचित जाति (मजहबी) की लड़की से प्राप्त हुआ। उसका आरोप था कि यद्यपि उसने 32% अंक प्राप्त करके बी०एड० की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली थी, फिर भी, उसे प्रवेश नहीं दिया गया। उसने यह भी कहा था कि, पंजाब सरकार के आदेश के अनुसार, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों में से 50% सीटें मजहबी जाति को दी जानी चाहिए। इस विषय में नवम्बर 1993 में पंजाब के शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों से बात की गई और जुलाई 1994 तक अनुवर्ती कार्यवाही की गई। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3.42 रिपोर्ट के वर्ष के दौरान वृत्तिका/छात्रवृत्ति/वजीफा की राशि की अदायगी न करने/देर से करने तथा ऐसे ही मामलों की 6 शिकायतें मुख्यालय में प्राप्त हुई। एक राज्य के अनुसूचित जाति के दो विद्यार्थियों ने एक अन्य राज्य में मैट्रिकपूर्व वृत्तिका की मांग की थी जिसमें वे पढ़ रहे थे और जिसमें उनकी जाति अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं थी। एक मामले में, आयोग द्वारा कोई कार्यवाही करने से पूर्व ही विद्यार्थी को वृत्तिका की राशि दे दी गई थी। दूसरे मामलों में ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यार्थी के छात्रवृत्ति पाने के अधिकार का उल्लंघन हुआ था। इनमें से एक मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पी०एच०डी० के लिए महाराष्ट्र के एक अनुसूचित जनजाति के व्याख्याता को दीर्घकालिक अध्यतावृत्ति न दिए जाने के बारे में था। अन्य दो मामले अनुसूचित जाति के इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न देने के बारे में और एक अन्य मामला उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के प्रतिरक्षा कर्मचारी का था जिसका पुत्र हरियाणा के किसी कालिज में पढ़ रहा था। इन सभी मामलों के बारे में संबंधित अधिकारियों से बात की गई लेकिन नियमित अनुवर्ती कार्यवाही करने पर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। दोनों मामलों का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

3.43 पहला मामला एक सामान्य शिकायत का था। यह शिकायत रोहतक के एक एडवोकेट ने की थी। उसका आरोप था कि हरियाणा में इंजीनियरिंग कालिज, मुर्थल जिला सोनीपत के अधिकारी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के फार्म समय पर वितरित नहीं कर रहे थे और इस बारे में आवश्यक सूचना को सूचना को सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, अ०जा० के अनेक विद्यार्थी या तो छात्रवृत्तियों से वंचित रहे और यदि उन्हें छात्रवृत्ति दी भी गई तो कम राशि दी गई। शिकायतकर्ता ने छात्रवृत्ति न दिए जाने/कम राशि दिए जाने के लिए किसी विशिष्ट मामले का कोई उल्लेख नहीं किया। संबंधित कालिज के प्रिंसिपल को एक पत्र भेजा गया लेकिन यह पैराग्राफ लिखते समय तक इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था।

3.44 दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के केन्द्रीय सरकार के एक कर्मचारी की शिकायत का था। इस कर्मचारी का पुत्र हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधीन गुरु नानक खालसा कालिज, यमुनानगर में बी०एस०सी० के पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष से अध्ययन कर रहा था। शिकायत यह थी कि उसके पुत्र को 1991 में कालिज में प्रवेश लेने के समय से न तो फीस में कोई रियायत दी गई और न कोई छात्रवृत्ति दी गई। शिकायतकर्त्ता के अनुसार कालेज के अधिकारियों ने उसे बताया कि उसके पुत्र को छात्रवृत्ति दी जाएगी यदि वह उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त होती हो। उसने यह भी आरोप लगाया है कि वह 1992 से सब दरवाजों पर दस्तक दे चुका है और सभी संबंधित अधिकारियों को लिख चुका है लेकिन किसी ने कार्यवाही नहीं की। वह इस विषय में लखनऊ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी मिला लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कालिज अधिकारियों ने उसे सही सूचना दी थी। योजना के अनुसार, एक राज्य के रहने वाले लेकिन दूसरे राज्य के शिक्षा संरक्षण में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति देने के लिए छात्रवृत्ति की राशि उस राज्य द्वारा मंजूर की जाती है जिसका वह रहने वाला है तथा उस शिक्षा संस्था को भेज दी जाती है जिसमें वह पढ़ता है।

3.45 तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जाति के इस लड़के को भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लाभ से 3 वर्ष तक वंचित रखा गया जिसका वह हकदार था। आयोग की सिफारिश है कि कल्याण मन्त्रालय राज्य सरकारों से कहे कि वे इस अत्यधिक उपयोगी योजना को कारगर बनाए ताकि लाभार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति की राशि दी जा सके।

3.46 आरक्षण सुरक्षणों के कथित उल्लंघन से संबंधित उपर्युक्त उल्लिखित विशिष्ट मामलों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों/सुविधाओं के उपबंधन के अतिरिक्त वर्ष 1993-94 के दौरान विविध मुद्दों पर 28 मामले प्राप्त हुए थे। इनमें से 11 अध्ययन करने, कुछ क्षेत्रों में नए विद्यालय खोलने और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु किए गए अनुरोधों से संबंधित थे। 15 मामलों में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा अनु०जा०/अनु०ज०जा० विद्यार्थियों और शिक्षकों को परेशान करने से संबंधित आरोप लगाए गए थे। दूसरे दो मामलों में उच्च जाति के शिक्षकों द्वारा अनु०जा०/अनु०ज०जा० के विद्यार्थियों को परीक्षा में अंक देने में भेदभाव करने और उन्हें जानबूझकर अनुत्तीर्ण करने के प्रयत्न से संबंधित आरोप लगाए गए थे।

3.47 जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के दो संगठनों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी कल्याण संघ और यूनाइटेड दलित स्टूडेंट्स फोरम ने इस आयोग से यह अभ्यावेदन किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति/व्याख्याता पद के अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता का मानदंड कम किया जाना चाहिए। इस मामले का विवरण निम्नलिखित है।

3.48 उपरोक्त दोनों विद्यार्थी संगठनों के दो अलग-अलग अभ्यावेदन दिनांक 23-2-94 और 26-4-94 को प्राप्त हुए। अभ्यावेदन के अनुसार, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति/व्याख्याता पद के लिए चयन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति में हाल ही में हुए परिवर्तन से इनके आकांक्षी अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों का अहित हुआ है। नई नीति में यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वह अ०जा०/अ०ज०जा० का या सामान्य वर्ग का हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ली जाने वाली राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा द्वारा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति/व्याख्याता पर दिया जाएगा। इसके लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में 55% या इससे अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार ही पात्र होंगे। अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों के लिए न तो कोई रियायत दी गई है और न कोई आरक्षण किया गया है। विद्यार्थियों ने मांग की है कि सभी कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों/व्याख्याता पदों के लिए 22.5% आरक्षण होना चाहिए और अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड, 55% न होकर, उतना ही प्रतिशत होना चाहिए जितना स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने के लिए होता है। आयोग के अध्यक्ष ने इस विषय में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से संपर्क किया और उनसे यह सुनिश्चित

करने का आग्रह किया कि अ०जा०/अ०ज०जा० हितों को समुचित सुरक्षण मिले और अ०जा०/अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व को कम करने का कोई प्रयत्न न हो। मंत्री ने अपने उत्तर में सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चौथे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर व्याख्याताओं के बदले हुए वेतन क्रमों को दृष्टि में रखकर, जो अनेक सरकारी विभागों के वेतन क्रमों से अधिक थे, पात्रता के मानदंड में परिवर्तन किया है। उनका तर्क था कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था कि पढ़ाने के व्यवसाय की ओर श्रेष्ठतम प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति आकर्षित हों। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि क्योंकि पांचवे वेतन आयोग की स्थापना पहले ही हो चुकी है इसलिए पात्रता मानदंड में समुचित परिवर्तन करने पर विचार नए वेतनमान घोषित करने के बाद किया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजे गए अपने उत्तर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी यह उल्लेख किया था कि आरक्षण/क्रियान्वयन उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि जिन उम्मीदवारों ने स्नातकोत्तर परीक्षा दूसरी श्रेणी में पास की होगी वे सभी उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। जहां तक अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए क्रमशः 15% और 7½% आरक्षण किए जाने का प्रश्न था, यह विषय विचाराधीन था।

3.49 आयोग यह बताना चाहता है कि केन्द्रीय सरकार/सभी राज्य सरकारों का यह साविधानिक दायित्व है कि वे नीति संबंधी ऐसे सभी प्रमुख मामलों पर आयोग की राय लें जिनसे अ०जा०/अ०ज०जा० के हित प्रभावित होते हों। इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति/व्याख्याता पद की पात्रता के मानदड को परिवर्तित करने के नीति संबंधी निर्णय लिए और ऐसा करके, आयोग की राय लिए बिना अ०जा०/अ०ज०जा० के हितों को नुकसान पहुंचाया।

3.50 अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों के हितों को सुरक्षण प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति/व्याख्याता पद के लिए मानदंड में पुनर्विचार करना अपेक्षित है।

अध्याय—4

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास

अनुसूचित जातिया और अनूसूचित जनजातियां हमारे समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग हैं। लम्बे समय से उनका आर्थिक शोषण होता रहा है और उनके प्रति सामाजिक भेदभाव किया जाता रहा है। यही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बहुत हद तक उनकी नितान्त दरिद्रता, निरक्षरता और सब प्रकार के पिछड़ेपन का कारण रही है। अनूसूचित जातियों के साथ छूआछूत का बर्ताव होने के कारण उनमें सामाजिक निर्बलता आई है, और दूसरी ओर, अनुसूचित जनजातियों के लोग भौगोलिक दृष्टि से अलग-थलग पड़ गए हैं। फलत: दोनों का ही शेष समाज से वियोजन हो गया है और उन्हें आर्थिक तथा सामाजिक दासता का जीवन बिताना पड़ा है। अ०जा० और अ०ज०जा० की आर्थिक समस्याओं की गम्भीरता का संकेत इस तथ्य से भी मिलता है कि इन दोनों विपन्न वर्गों की संख्या देश की कुल आबादी की लगभग चौथाई है। 1991 की जनगणना से यह प्रकट हुआ कि अ०जा० और अ०जा०जा० की आबादी क्रमश: 13.82 करोड़ और 6.78 करोड़ थी और इस प्रकार, देश की कुल आबादी की तुलना में यह क्रमश 16.48% और 8.08% थी। जनगणना के आंकड़ों से यह भी पता चला कि अ०जा० और अ०ज०जा० की कुल आबादी में 0-6 वर्ष की आयु के बच्चे क्रमश: 19.63% और 20.18% थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी 1/5 आबादी इस कमजोर और अविकसित आयु वर्ग की है। **अत: आयोजनकर्ताओं के लिए यह वांछनीय होगा कि वे विशेष तौर पर इस आयु वर्ग पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य आदि के कार्यक्रमों के लिए अधिक पूंजी निवेश करें ताकि वे मुख्य धारा के भारतीयों के रूप में, बाद के वर्षों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार हो सकें।**

4.2 शहरीकरण की गति तेज होने के बावजूद, भारत का, विशेषकर अ०जा० और अ०ज०जा० का ग्रामीण स्वरूप अभी भी क़ायम है। देश में अ०जा० और अ०ज०जा० की कुल आबादी में से क्रमश: 81.28% और 92.61% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। **इस बात को ध्यान में रखकर कि अ०जा० और अ०ज०जा० की अधिकतर आबादी गांवों में रहती है, जहां गरीबी बहुत ज्यादा है, आयोजन में ज्यादा ज़ोर उनकी आबादी के इस महत्वपूर्ण ग्रामीण वर्ग की ओर दिया जाना चाहिए।**

4.3 1991 की जनगणना के अनुसार, अ०जा० और अ०ज०जा० के क्रमश: 71.11% और 90.03% श्रमिक अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में, क्रमश: 9.83% और 3.85% द्वितीयक क्षेत्र में और क्रमश: 13.06% और 6.12% तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं। कुल आबादी की तुलना में, अ०जा०/अ०ज०जा० द्वारा काम करने की दर ज्यादा थी। तथापि, यह देखते हुए कि अ०जा० और अ०ज०जा० में कितनी निर्धनता है, यह अनिवार्य हो जाता है कि जिन व्यवसायों में वे संलग्न हों उनसे उन्हें पर्याप्त आय हो। व्यावसायिक वर्गीकरण का एक विशिष्ट पक्ष यह है कि अ०जा० और अ०ज०जा० में काम करने वाले मजदूरों में से मुख्यत: अर्थात् क्रमश: 49.06% और 32.69% खेतिहर मज़दूर थे। काम करने वालों के आकड़ों का लिंग के आधार पर विभाजन करने पर एक अन्य दिलचस्प तथ्य सामने आया। यद्यपि अ०जा० और अ०ज०जा० के काम करने वाले मज़दूरों में पुरुषों की दर ज्यादा (अर्थात अ०जा० की 51.48% अ०ज०जा० की 54.74%) लेकिन अ०जा० और अ०ज०जा० की महिला मज़दूरों की दर शेष आबादी की महिला मज़दूरों की दर से बहुत ज़्यादा थी (अ०जा० की 23.98% और अ०ज०जा० की 43.71%)। दोनों में अ०ज०जा० की महिला मज़दूरों की दर स्पष्टत: अधिक थी। इससे इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि अ०जा० तथा अ०ज०जा० की महिलाओं को आर्थिक विवशता के कारण अधिक संख्या में काम करना पड़ता है।

4.4 अ०जा० एव अ०ज०जा० की ग़रीबी का निवारण और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना देश के आर्थिक आयोजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में रहा है। आयोजन के प्राथमिक वर्षों में यह मान्यता रही कि आयोजित प्रयत्नों द्वारा होने वाले आर्थिक विकास का लाभ आबादी के अपेक्षाकृत गरीब वर्ग तक भी उस सिद्धान्त के अनुसार पहुंचेगा जिसे ''ट्रिक्लिंग डाउन अथवा परकोलेशन सिद्धान्त'' कहा जाता है. लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आयोजकों को यह अनुभव हुआ कि जब तक समाज के गरीब वर्गों, विशेषकर अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए विशेष योजना/कार्यक्रम/स्कीम तैयार नहीं की जाएंगी तब तक आर्थिक आयोजन के द्वारा ग़रीबी दूर करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह भी अनुभव किया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि मात्र आर्थिक विकास होने से जनता के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए--विशेषकर अ०जा० एव अ०ज०जा० का जिनकी संख्या हमारी आबादी के ग़रीब वर्गों में सबसे अधिक है।

जनजातीय उप योजना (टी०एस०पी०)

4.5 आयोजकों की उपरोक्त अनुभूति की पृष्ठ भूमि में, अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास को ध्यान में रखकर, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना (टी०एस०पी०) और कार्यनीति तैयार की गई। इस योजना का लक्ष्य मूलत: अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास करना ही नहीं वरन् विभिन्न प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करना भी था। इस समय इस जनजातीय उपयोजना को 18 राज्यों और दो

संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। ये राज्य हैं : आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपूरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह और दमण एवं दीव। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि अ०ज०जा० की आबादी अधिकतर कुछ पॉकिटों (बस्तियों) में केन्द्रित है, उन बस्तियों की पहचान करके जनजातीय उपयोजना को क्रियान्वित करने की कार्यनीति अपनाई गई। इस समय 194 एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और ऐसी प्रत्येक योजना किसी एक ब्लाक या तहसील के ऐसे आस-पास के भौगोलिक क्षेत्र में है जिसमें आधी से ज्यादा आबादी अ०ज०जा० की है। इसके अतिरिक्त, देश में ऐसे 250 संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) पाकेट चुने गए हैं जिनमें एक क्षेत्र की आस-पास की आबादी 10,000 है जिसमें 50% जनजातियां हैं। आदिम जनजाति समूहों (पीटीजी) के सर्वांगीण विकास के प्रयोजन के लिए ऐसे 75 समूहों की पहचान की गई है।

4.6 जनजातीय उपयोजना (टी०एस०पी०) की कार्य नीति अपनाने का एक निश्चित लाभ यह हुआ है कि जिन योजनाओं और कार्यक्रमों से अनन्य रूप से जनजातियों को लाभ होता है उन पर खर्च किए जाने के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान सुनिश्चत करना सम्भव हो गया है। वित्तीय संसाधनों के अनुसार योजना का आकार बढ़ाने के लिए निधियों के निर्धारण ने भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस दिशा में हुई उपलब्धियों की अनुभूति इस तथ्य से हो सकती है कि जहां पांचवीं योजना के दौरान जनजातीय उप योजना (टी०एस०पी०) को कार्यान्वित करने वाले राज्यों की जनजातीय उपयोजना (टी०एस०पी०) का आकार 759.33 करोड़ रु० था, जो राज्य की कुल योजना का 4.29% था, वहां 1992-93 में उसका आकार बढ़कर 3019.74 करोड़ रु० (लगभग चार गुना) हो गया और वह कुल राज्य योजना के कुल आकार का 12.27% है। निम्नलिखित सारणी—1 में पाचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और उससे आगे राज्य योजनाओं में से जनजातीय उपयोजनाओं को दी गई निधियां दर्शायी गई हैं।

सारणी—1

राज्य योजना से जनजातीय उपयोजना को दी गई निधियां

(करोड़ रु० में)

योजना अवधि	राज्य योजना	जनजातीय उपयोजना	प्रतिशत
पांचवीं योजना	17692.48	759.33	4.29
छठी योजना	42390.60	3720.36	8.78
सातवीं योजना	73953.35	7076.81	9.57
1990-91	20818.64	1991.98	9.57
1991-92	24377.93	2504.64	10.27
1992-93	24611.65	3019.74	12.27
1993.94	30375.90	2887.82	9.51

स्रोत : कल्याण मंत्रालय की 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट

4.7 उपरोक्त सारणी से यह पता चलता है कि पांचवीं योजना से वित्तीय आबंटन में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष तक जनजातीय उपयोजना में निधि का प्रतिशत बढ़ा है। तथापि, आयोग को इस बात से खेद हुआ है कि 1993-94 के दौरान न केवल वित्तीय आवटन की दृष्टि से जनजातीय उपयोजना का आकार कम कर दिया गया वरन् राज्य योजना से दी गई निधि का प्रतिशत भी पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत कम हो गया। आयोग के विचार में यह स्थिति वांछनीय नहीं है, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि 1993-94 में राज्य योजना का आकार 1992-93 की वार्षिक योजना की तुलना में बड़ा था। आयोग ने अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की थी "**सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की जनजातीय उपयोजना टी०एस०पी० और विशेष संघटक योजना के लिए आयोजना परिव्यय के विभाज्य घटक में इस प्रकार प्रावधान करना चाहिए कि यह प्रावधान न केवल अ०जा० एवं अ०ज०जा० की जनसंख्या के अनुपात में हो बल्कि उनके पिछड़ेपन और विगत वर्षों में विकास लाभों से इनके वंचित रहने को ध्यान में रखते हुए इनकी जनसंख्या की प्रतिशतता की तुलना में उच्चतर अनुपात में हो।**" आयोग अपनी पहली सिफ़ारिश को दोहराता है और उसका विचार है कि पिछले वर्ष की उपलब्धि का स्तर न केवल बनाए रखा जाना चाहिए बल्कि बाद की योजनाओं में इसे बढ़ाया जाए। कल्याण मंत्रालय देश में जनजातियों के विकास कार्य का केन्द्र बिन्दु है। नॉडल मंत्रालय होने के कारण उसे राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासनों से आग्रह करना चाहिए कि वे टी०एस०पी० के अन्तर्गत किए जाने वाले वित्तीय आवटन में वृद्धि करें।

4.8 1993-94 के दौरान राज्य योजनाओं से टी०एस०पी० को दी गई निधियों का राज्य-वार विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी—2

1993-94 के दौरान राज्य योजना से टी०एस०पी० को दी गई निधियां

क्र. सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अ.ज.जा. आबादी का %	राज्य योजना	जनजातीय उपयोजना	(करोड़ रु. में) प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	6.31	1851.00	86.447	4.67
2.	असम	12.82	580.18	102.85	17.73
3.	बिहार	7.66	2315.00	680.21	29.38
4.	गुजरात	14.92	2137.00	217.77	10.19
5.	हिमाचल प्रदेश	4.22	550.00	49.50	9.00
6.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं	880.00	49.92	5.67
7.	कर्नाटक	4.26	3025.00	39.94	1.32
8.	केरल	1.10	1000.00	10.37	1.04
9.	मध्य प्रदेश	23.27	2400.00	535.05	22.29
10.	महाराष्ट्र	9.27	3804.00	265.00	6.97

सारणी—2 (जारी)

क्र. सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अ.ज.जा. आबादी का %	राज्य योजना	जनजातीय (करोड़ रु. में) उपयोजना	प्रतिशत
11.	मणिपुर	34.41	235.13	100.73	42.84
12.	उड़ीसा	22.21	1450.00	423.66	29.22
13.	राजस्थान	12.44	1700.00	143.96	8.47
14.	सिक्किम	22.36	105.88	17.21	16.25
15.	तमिलनाडु	1.03	2101.00	22.48	1.07
16.	त्रिपुरा	30.95	310.00	114.17	36.82
17.	उत्तर प्रदेश	0.21	4200.50	2.03	0.05
18.	पश्चिम बंगाल	5.59	1550.00	75.33	4.86
19.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	9.54	156.50	22.60	14.44
20.	दमण एवं दीव	11.54	24.70	1.70	6.88

स्रोत : कल्याण मंत्रालय की 1994-95 की रिपोर्ट

4.9 उपरोक्त सारणी से यह प्रकट होता है कि अनेक राज्य, उदाहरणार्थ आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा दमण एवं दीव संघ शासित क्षेत्र ने 1993-94 के दौरान टी०एस०पी० के अन्तर्गत जो निधियां निर्दिष्ट की थीं वे उन राज्यों की कुल आबादी में जनजातियों के अनुपात से कम थी। इस सम्बन्ध में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम राज्य ओर दमण एवं दीव संघ शासित क्षेत्र ध्यान देने योग्य हैं। **आयोग की सिफारिश है कि जो राज्य सरकारें 1993-94 की अवधि में टी०एस०पी० के अन्तर्गत अपने-अपने परिव्यय में वृद्धि नहीं कर सके हैं वे बाद की योजना अवधियों में इस स्थिति को सुधार लें।**

4.10 विशेष केन्द्रीय सहायता (एस०सी०ए०) टी०एस०पी० के लिए निधि का एक अतिरिक्त स्रोत है। यह सहायता भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा टी०एस०पी० का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है। 1993-94 के दौरान एस०सी०ए० के अन्तर्गत 29,484 लाख रु० की राशि राज्य सरकारों को दी गई।

4.11 निम्नलिखित विवरण में 1992-93 और 1993-94 के दौरान एस०सी०ए० के अन्तर्गत टी०एस०पी० के लिए दी गई निधियां दर्शायी गई हैं :

सारणी—3

(लाख रु० में)

क्र०सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	दी गई राशि 1992-93	दी गई राशि 1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	1529.34	1593.22
2.	असम	1077.61	1087.57
3.	बिहार	3175.25	3497.39
4.	गुजरात	1855.84	2234.77
5.	हिमाचल प्रदेश	403.39	755.03
6.	जम्मू और कश्मीर	296.14	518.60
7.	कर्नाटक	327.42	439.76
8.	केरल	207.23	167.25
9.	मध्य प्रदेश	6785.01	8117.65
10.	महाराष्ट्र	1815.21	2234.35
11.	मणिपुर	383.41	417.12
12.	उड़ीसा	3378.03	3603.23
13.	राजस्थान	1679.46	2664.68
14.	सिक्किम	60.93	73.67
15.	तमिलनाडु	270.72	214.05
16.	त्रिपुरा	414.94	372.37
17.	उत्तर प्रदेश	58.40	69.22
18.	पश्चिम बंगाल	1171.67	1319.06
19.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	81.13	77.22
20.	दमण एवं दीव	23.87	28.29
	जोड़ :	24995.00	29484.50

स्रोत : कल्याण मंत्रालय

4.12 विशेष केन्द्रीय सहायता (एस०सी०ए०) के अन्तर्गत उपलब्ध निधि के आकार की दृष्टि से और इस दृष्टि से भी कि इसका उपयोग आय उत्पादक योजनाओं के लिए किया जाना है, जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए इसका विशेष महत्व है। आयोग को आशा है कि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा इस सहायता का उपयोग सावधानी से ऐसे क्षेत्रों में किया जाएगा जिससे आय उत्पादन की दृष्टि से योजनाओं की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। कल्याण मंत्रालय द्वारा निधियों के उपयोग और भौतिक उपलब्धियों का पहले से ही परिवीक्षण (मॉनीटरिंग) किया जा रहा है और आयोग के विचार में यह कार्य प्रशंसनीय है।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना

4.13 अ०जा० के लिए विशेष संघटक योजना का कार्यान्वयन आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों और चण्डीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी के संघ शासित क्षेत्रों में किया जा रहा है। जनजातीय उपयोग (टी०एस०पी०) की भांति विशेष संघटक योजना (एस०सी०पी०) के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना काल के आरम्भ से ही आवंटन में सतत् वृद्धि हो रही है।

छठी योजना के समय से एस०सी०पी० के अन्तर्गत किए गए परिव्यय प्रावधान ओर व्यय का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

सारणी—4

(करोड़ रुपए में)

योजना अवधि	राज्य योजना परिव्यय	एस.सी.पी. परिव्यय	कालम 3 का कालम 2 से %	वास्तविक व्यय	कालम 5 का कालम 2 से %
छठी योजना	47149.89	3614.66	7.66	2978.70	6.32
पांचवीं योजना	89322.89	7385.42	8.27	6916.62	7.74
1990-91	23225.49	2377.82	10.23	2107.22	9.07
1991-92	28041.04	3066.37	10.93	2936.45	10.47
1992-93	30684.47	3090.36	10.07	2892.89	9.43
1993-94	32728.54	3487.89	10.65	2887.95	8.82

स्रोत : कल्याण मंत्रालय की 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट

4.14 उपरोक्त सारणी से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकाश में आता है कि जहां एस०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों के रूप में और राज्य की कुल योजना के प्रतिशत की दृष्टि से, परिव्यय का आकार बढ़ा है वहीं वास्तविक व्यय एस०सी०पी० के अन्तर्गत निर्दिष्ट परिव्यय से कम रहा है। 1991-92 के बाद से वास्तविक व्यय में निरन्तर कमी होने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। आयोग को यह देख कर चिन्ता हुई है कि जहां राज्य योजना में पिछले वर्षों के दौरान निरन्तर वृद्धि हुई है वहीं राज्य योजना के अन्तर्गत एस०सी०पी० के लिए आवंटन का प्रतिशत वांछित स्तर तक नहीं पहुंचा है। आयोग का विचार है कि अ०जा० के हित में न केवल विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत परिव्यय में वृद्धि की जानी चाहिए वरन यह भी आवश्यक है कि निधियों का उपयोग करने की दिशा में भी प्रयत्न किए जाएं। यह ज्ञात हुआ है कि कल्याण मंत्रालय इस बात से अवगत है। आयोग की इच्छा है कि इस स्थिति का निरन्तर परिवीक्षण किया जाए और शीघ्र ही परिव्यय और व्यय को इच्छित स्तर तक लाया जाए।

4.15 1993-94 के दौरान विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत किए गए राज्यवार परिव्यय प्रावधान और व्यय का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

सारणी—5

(करोड़ रु० में)

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	अ० जा० की जनसंख्या का %	राज्य योजना परिव्यय	एस०सी०पी० परिव्यय	कालम 5 का कालम 4 से %	व्यय	कालम 7 का कालम 4 से %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	15.93	2075.55	207.65	10.00	215.00	10.35
2.	असम	7.40	956.16	63.84	6.68	49.50	5.18
3.	बिहार	14.55	700.00	104.22	14.89	71.77	10.25
4.	गोवा	2.08	170.00	2.20	1.29	1.65	0.97
5.	गुजरात	7.41	2137.00	80.43	3.76	—	—
6.	हरियाणा	19.75	920.00	125.33	13.62	99.35	10.80
7.	हिमाचल प्रदेश	25.34	550.00	68.75	12.50	58.42	10.62
8.	जम्मू और कश्मीर	—	880.00	70.52	8.01	—	—
9.	कर्नाटक	16.38	3025.00	260.69	8.62	258.94	8.56
10.	केरल	9.92	1003.00	98.06	9.78	96.48	9.62
11.	मध्य प्रदेश	14.55	2400.00	310.78	12.95	218.27	9.09
12.	महाराष्ट्र	11.09	3804.00	196.60	5.17	195.60	5.14
13.	मणिपुर	2.02	235.13	2.82	1.20	—	—
14.	उड़ीसा	16.20	1450.00	214.52	14.79	179.19*	12.36
15.	पंजाब	28.31	1250.00	195.17	15.61	90.30	7.22
16.	राजस्थान	17.29	1700.00	274.35	16.14	273.23	16.07
17.	सिक्किम	5.93	100.12	5.96	5.95	—	—
18.	तमिलनाडु	19.18	2101.00	353.61	16.83	335.28	15.96
19.	त्रिपुरा	16.36	208.58	38.74	18.57	29.80	14.29
20.	उत्तर प्रदेश	21.05	4250.00	456.91	10.75	333.20	7.84
21.	पश्चिम बंगाल	23.62	1550.00	221.10	14.26	153.97*	9.93
22.	चण्डीगढ़	16.51	80.00	2.34	2.92	2.34	2.92
23.	दिल्ली	19.05	1075.00	95.75	8.90	81.60	7.59
24.	पांडिचेरी	16.25	108.00	17.55	16.25	16.33	15.12

*प्रत्याशित

स्रोत : 1. अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए संघीय प्राथमिक जनगणना सार, 1993 का पत्र-I

2. कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1994-95

4.16 उपरोक्त सारणी से यह ज़ाहिर है कि अधिकांश राज्य और संघ शासित क्षेत्र एस०सी०पी० के अन्तर्गत निर्दिष्ट राशि का उपयोग नहीं कर पाए। जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थिति असंतोषजनक है उनके नाम ये हैं—आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चण्डीगढ़ और दिल्ली।

4.17 विशेष केन्द्रीय सहायता अ०जा० के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की निधियों का एक अन्य स्रोत है। 1993-94 की अवधि के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता का कार्यान्वयन करने के लिए 27211.76 लाख रुपये की राशि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को दी गई। कल्याण मंत्रालय ने परिवारोन्मुख और आय सृजित करने वाली योजनाओं के प्रयोजन के लिए एस०सी०ए० का उपयोग किए जाने के विषय में संशोधित मार्ग-निर्देश जारी किए हैं। कल्याण मंत्रालय द्वारा एस०सी०ए० के कार्यान्वयन की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता (एस०सी०ए०) का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

सारणी—6

1993-94 के दौरान एस०सी०ए० के रूप में राज्यों को दी गई धनराशि

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दी गई एस.सी.ए. की राशि
1.	आंध्र प्रदेश	2416.06
2.	असम	220.51
3	बिहार	2327.21
4.	गुजरात	796.82
5.	गोवा	2.86
6.	हरियाणा	424.53
7.	हिमाचल प्रदेश	699.54
8.	जम्मू और कश्मीर	76.33
9.	केरल	402.84
10.	कर्नाटक	1282.71
11.	मध्य प्रदेश	2803.81
12.	महाराष्ट्र	1562.79
13.	मणिपुर	5.56
14.	उड़ीसा	1075.66
15.	पंजाब	875.92
16.	राजस्थान	1829.89
17.	सिक्किम	3.06
18.	त्रिपुरा	58.85
19.	तमिलनाडु	1879.11
20.	उत्तर प्रदेश	5933.29
21.	पश्चिम बंगाल	2322.75
22.	चंडीगढ़	12.39
23.	दिल्ली	184.76
24.	पांडिचेरी	14.81
	जोड़ :	27211.96

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, कल्याण मंत्रालय

पिछड़ा वर्ग सेक्टर

4.18 पिछड़ा वर्ग सेक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए अनेक केन्द्रीय सेक्टर की योजनाएं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाए क्रियान्वित की जा रही हैं। जनजातीय विकास के सन्दर्भ में, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को अनुदान भी दिए जाते हैं। 1993-94 के दौरान कल्याण मंत्रालय के जनजातीय विकास खण्ड की केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र द्वारा प्रायोजित टी०एस०पी० के लिए रखे गए कुल परिव्यय और उन पर हुए कुल व्यय को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी—7

1993-94 के दौरान केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत परिव्यय और व्यय

(लाख रु० में)

क्र०सं० योजना	वार्षिक योजना-1993-94	
	परिव्यय	व्यय
1. विशेष केन्द्रीय सहायता	29485.00	29485.00
2. अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान	7500.00	7080.00
3. अ०ज०जा० की लड़कियों के लिए छात्रावास	264.00	248.63
4. अ०ज०जा० के लड़कों के लिए छात्रावास	270.00	254.29
5. अ०ज०जा० के लिए आश्रम स्कूल	252.00	252.00
6. स्वैच्छिक संगठन	403.00	379.54
7. कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसरों के लिए	125.00	125.00
8. व्यावसायिक प्रशिक्षण	190.00	178.94
9. राज्यों के टी०डी०सी०सी० को सहायता अनुदान	350.00	350.00
10. ट्राइफेड में पूंजी निवेश	800.00	600.00
11. ट्राइफेड को सहायता अनुदान	100.00	75.00
12. ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	50.00	37.00
13. अनुसंधान और प्रशिक्षण		
(क) टी.आर.आई. को अनुदान	120.00	120.00
(ख) परियोजनाओं के लिए अनुदान	16.00	16.00

स्रोत : *कल्याण मंत्रालय*

4.19 केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना 1992-93 में शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत आश्रम स्कूलों/आवासीय स्कूलों के भवनों का उपयोग जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसाय प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य जनजातीय युवाओं के पारंपरिक कौशल में वृद्धि करना है जिसके लिए प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को चार महीने तक अपनी पसंद के तीन व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

4.20 अनेक जनजातीय परिवार अपने जीवन निर्वाह के लिए छोटे-मोटे वन्य उत्पादों (एम०एफ०पी०) के संग्रह और बिक्री पर निर्भर करते हैं। निजी व्यापारी, अपनी स्थिति अच्छी होने के कारण, इस परिस्थिति का लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। छोटे वन्य उत्पादों के संग्रह और बिक्री के व्यापार में निजी व्यापारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए नौ राज्य सरकारों ने जनजातीय विकास सहकारी निगमों की स्थापना की है। 1993-94 तक कल्याण मंत्रालय ने इन निगमों को 350 लाख रु० की राशि अनुदान के रूप में दी।

4.21 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लि० (ट्राइफेड) ने 1993-94 से काम शुरू किया और, इस प्रकार, उसने अपने छः वर्ष पूरे कर लिए हैं। उसका क्रियाकलाप मुख्यतः छोटे वन्य उत्पादों (एम०एफ०पी०) और कृषि उत्पादों के अधिशेष की अधिप्राप्ति और बिक्री करना है। 1993-94 के दौरान ट्राइफेड द्वारा किए गए कार्य का विवरण निम्नलिखित विवरण में प्रदर्शित है :

सारणी—8

1993-94 के दौरान ट्राइफेड द्वारा किया गया कार्य

(लाख रु० में)

क्र०सं०	विवरण	अधिप्राप्ति	बिक्री
1.	छोटे वन्य उत्पाद	882.97	708.18
2.	कृषि उत्पाद का अधिशेष	4139.04	2029.35
3.	निर्यात	112.60	831.79
4.	विविध (वस्त्र, सूत साड़ियां आदि)	49.87	4.49
5.	एन०ओ०सी० (अप्रत्यक्ष आयात)	1207.46	1207.46

स्रोत : छठी वार्षिक रिपोर्ट 1993-94, ट्राइफेड

4.22 आयोग का विचार है कि अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के सन्दर्भ में ट्राइफेड की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। आयोग को यह भी ज्ञात है कि ट्राइफेड को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। अतः ट्राइफेड की आर्थिक स्थिति को अधिक मज़बूत करने की आवश्यकता है। भारत सरकार फेडरेशन की हिस्सा पूंजी में अपना निवेश बढ़ाने पर विचार करे।

अनुसूचित जातियों (पिछड़ा वर्ग सेक्टर) के लिए केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

4.23 निम्नलिखित सारणी में 1993-94 के दौरान कल्याण मंत्रालय की अनुसूचित जातियों के लिए केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए परिव्यय के प्रावधान और वास्तविक व्यय का विवरण दिया गया है :

सारणी—9

(लाख रु० में)

क्र०सं०	योजना	वार्षिक योजना 1993-94	
		परिव्यय	व्यय
१.	विशेष केन्द्रीय सहायता	247.00	272.12
2.	अ०जा० विकास निगमों की सहायता	22.00	29.34
3.	राष्ट्रीय अ०जा०/अ०ज०जा० वित्त एवं विकास निगम	21.00	21.00
4.	सफाई कर्मचारियों ओर उनके आश्रितों की उन्मुक्ति और पुनर्वास	73.20	70.97
5.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	72.40	74.79
6.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	14.00	5.61
7.	अ०जा० की लड़कियों के लिए छात्रावास	6.00	6.00
8.	अ०जा० के लड़कों के लिए छात्रावास	6.00	6.50
9.	अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए पुस्तक बैंक	5.60	3.33
10.	शिक्षण एवं सम्बद्ध योजना	2.00	1.73
11.	अत्याचार निवारण अधिनियम और अ०जा० एवं अ०ज०जा०	6.50	7.06
12.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	6.50	7.50
13.	अ०जा० की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम	6.00	—
14.	योग्यता में वृद्धि	0.55	0.15
15.	डा० अम्बेडकर शताब्दी परियोजनाएं	4.00	4.00
16.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	0.80	0.17

स्रोत : कल्याण मंत्रालय

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

4.24 उपरोक्त सारणी से यह पता चलता है कि अनेक योजनाओं का उद्देश्य अ०जा० एवं अ०ज०जा०का शैक्षिक विकास करना है। अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगमों को सहायता देने की योजनाएं और राष्ट्रीय

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०एफ०डी०सी०) की स्थापना अ०जा० और अ०ज०जा० के आर्थिक विकास के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय हैं। अ०जा० और अ०ज०जा० वित्त और विकास निगम निम्नलिखित 19 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं: आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दमण एवं दीव। केन्द्रीय सरकार इन निगमों की शेयर पूंजी में 49% तक निवेश करके उनकी सहायता करती है। ये न केवल आयोजक और गारन्टीकर्ता का काम करते हैं वरन् वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये निगम लक्षित परिवारों की पहचान करते हैं उन्हें आर्थिक विकास योजनाएं अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और, साथ ही, वित्तीय संस्थाओं से ऋण सहायता प्राप्त करने के मामलों को प्रायोजित करते हैं। वे लाभार्थियों को शेयर पूंजी के रूप में दी जाने वाली सहायता में से रियायती दर के ब्याज पर सीमांत धन कर्ज के रूप में देते हैं तथा विशेष केन्द्रीय सहायता में से उपदान देते हैं।

4.25 1993-94 के दौरान केन्द्र के अंश के रूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 29.35 करोड़ रुपए दिए गए जिसका विवरण निम्नलिखित है :

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993-94
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	875.52
2.	असम	22.10
3.	बिहार	113.52
4.	गुजरात	96.07
5.	हरियाणा	164.31
6.	हिमाचल प्रदेश	53.43
7.	जम्मू और कश्मीर	61.00
8.	कर्नाटक	212.35
9.	केरल	124.20
10.	मध्य प्रदेश	57.65
11.	महाराष्ट्र	138.16
12.	उड़ीसा	59.22
13.	पंजाब	14.13
14.	राजस्थान	18.60
15	तमिलनाडु	318.50
16.	त्रिपुरा	9.60
17.	पश्चिम बंगाल	206.56
18.	उत्तर प्रदेश	238.77
19.	चंडीगढ़	4.80
20.	दिल्ली	57.65
21.	पांडिचेरी	21.13
22.	गोवा	49.96
23.	दमण एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली	17.75
	जोड़	2934.66

स्रोत : कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1994-95

4.26 1993-94 के दौरान, सारे देश में निगम की योजनाओं के अंतर्गत 7.54 लाख लाभार्थियों को लाया गया। निगमों की योजनाएं बैंकों से वित्त की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। अत: यह वांछनीय है कि इस संबंध में इस समय उठ रही समस्याओं का शीघ्र ही समाधान किया जाए।

4.27 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०एफ०डी०सी०) की सरकारी कंपनी के रूप में स्थापना 1989 में की गई थी और इस समय इसकी प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी 125 करोड़ रु० है। अ०जा० एवं अ०ज०जा० के आर्थिक विकास में यह निगम उपयोगी भूमिका निभा रहा है। एन०एस०एफ०डी०सी० वित्त योजनाएं राज्य स्तर के अ०जा० एवं अ०ज०जा० वित्त एवं विकास निगमों तथा लक्षित समूहों के आर्थिक विकास के काम में लगी अन्य एजेंसियों से अंतर्बद्ध प्रबंध करके योजनाओं के लिए वित्त प्रदान करता है। 1989 में स्थापित होने के बाद से 31-3-94 तक निगम ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1,68,826 अ०जा० एवं अ०ज०जा० व्यक्तियों को सहायता दी है जिस पर 43016.85 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है। इन योजनाओं में एन०एस०एफ०डी०सी० का हिस्सा 21302.19 लाख रुपये था जो योजनाओं की कुल लागत का 49.52% था। एन०एस०एफ०डी०सी० के वित्त-पोषण का एक बड़ा अंश उद्योग और सेवा सेक्टर की योजनाओं के लिए हुआ जो अ०जा० एवं अ०ज०जा० के प्रमुख श्रमिकों के व्यावसायिक स्तर में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है क्योंकि वित्त-पोषण इस समय आवश्यकता से अधिक प्राथमिक सेक्टर के पक्ष में है। यह उल्लेखनीय है कि एन०एस०एफ०डी०सी० की निधि से चलाई जाने वाली योजनाओं के लाभार्थियों में भारी संख्या अनुसूचित जातियों की है (86%) जबकि उनमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत केवल 14 है। **आयोग की सिफारिश है कि भविष्य में राज्य स्तर की एजेंसियों के साथ तालमेल करके एन०एस०एफ०डी०सी० को जनजातियों के और अधिक लाभार्थियों की पहचान करनी चाहिए।** एन०एस०एफ०डी०सी० की निधियों का प्रति व्यक्ति निवेश आंध्र प्रदेश में 5,000/- रु तक था जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 75,000/- रु० तक था। पूरे देश में प्रति व्यक्ति निवेश 13,000/- रु० हुआ। निम्नलिखित सारणी में उन व्यक्तियों की राज्यवार संख्या दी गई है जिन्हें 1989 से 31-3-94 तक एन०एस०एफ०डी०सी० द्वारा सहायता दी गई।

एन०एस०एफ०डी०सी द्वारा सहायता प्राप्त राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार लाभार्थी (31-3-94 तक)

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शास्ति क्षेत्र	योजनाओं की कुल लागत	एन०एस०एफ०डी०सी० का भाग			लाभार्थियों की संख्या			
			आवधिक ऋण	बीज पूंजी	कुल निधियां	अ०जा	अ०ज०जा०	योग	प्रति लाभार्थी एन०एस० एफ०डी०सी० का निवेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7901.16	4025.09	25.00	4050.09	75986	1096	77082	0.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.33	2.40	0.00	2.40	—	7	7	0.34
3.	असम	1027.96	613.38	0.00	613.38	4094	596	4690	0.13
4.	बिहार	2641.89	1544.00	0.00	1544.00	5279	1902	7181	0.22
5.	गोवा	32.59	16.79	0.00	16.79	28	—	28	0.60
6.	गुजरात	1621.01	912.95	0.00	912.95	2210	500	2710	0.34
7.	हरियाणा	932.50	568.31	8.00	576.31	1020	—	1020	0.57
8.	हिमाचल प्रदेश	642.68	235.72	63.29	299.01	330	74	404	0.74
9.	जम्मू व कश्मीर	263.15	184.20	0.00	184.20	375	55	430	0.43
10.	कर्नाटक	3777.99	1344.84	188.44	1533.28	9374	2383	11757	0.13
11.	केरल	1660.25	832.72	0.00	832.72	1810	859	2469	0.34
12.	मध्य प्रदेश	4118.60	1928.92	0.00	1928.92	4876	7764	12640	0.15
13.	महाराष्ट्र	2416.71	1005.20	46.10	1051.30	3441	662	4103	0.26
14.	मणिपुर	395.06	211.30	0.00	211.30	8	485	493	0.43
15.	मिजोरम	533.67	310.62	4.10	314.72	—	1190	1190	0.26
16.	मेघालय	12.72	7.26	0.00	7.26	—	23	23	0.32
17.	नागालैंड	397.28	165.11	2.36	167.47	—	602	602	0.28
18.	उड़ीसा	2186.38	1200.56	4.29	1204.85	2078	2734	4812	0.25
19.	पंजाब	1945.56	1161.55	9.60	1171.15	2068	—	2068	0.57
20.	राजस्थान	841.30	417.85	0.94	418.79	2476	112	2588	0.16
21.	तमिलनाडु	4763.98	1196.15	117.44	1313.59	12475	—	12475	0.11
22.	त्रिपुरा	382.61	209.94	0.00	209.94	227	272	499	0.42
23.	उत्तर प्रदेश	3798.86	2387.39	0.00	2387.39	16739	2290	19029	0.13
24.	पश्चिम बंगाल	1166.28	636.05	0.92	636.97	3927	980	4907	0.13
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	23.21	13.45	0.00	13.45	—	18	18	0.75
26.	चंडीगढ़	111.65	67.38	0.00	67.38	165	—	165	0.41
27.	दिल्ली	1081.03	557.34	9.38	566.72	1257	—	1257	0.45
28.	पांडिचेरी	45.35	30.18	0.00	30.18	95	—	95	0.32
	जोड़	44625.76	21786.65	479.86	22266.51	150338	24404	174742	0.13

नोट : मंजूरी के बाद 22 योजनाओं को समाप्त कर दिया गया इन योजनाओं से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित है :

योजनाओं की लागत 1608.91 लाख रु० एन०एस०एफ०डी०सी० का भाग 964.32 लाख रु०, लाभार्थियों की संख्या 5916।

स्रोत : एन०एस०एफ०डी०सी०, नई दिल्ली।

4.28 मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना 1992 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत पहचान करने और पुनर्वास करने के दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम किया जाता है। कल्याण मंत्रालय ने अपनी 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट में यह पाया कि बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्यों में मैला ढोने वालों का सर्वेक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अन्य राज्यों में किए गए सर्वेक्षण में भी अनेक कमियां हैं। यह शिकायत है कि अनेक इलाकों और परिवारों को सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है। पहचान करना इस योजना का महत्वपूर्ण पक्ष है। इस बात को ध्यान में रखकर मंत्रालय को यह काम, कम से कम प्रयोग के रूप में, कुछ प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को सौंप देना चाहिए। आयोग का विचार है कि यद्यपि योजना का आधार स्पष्ट और प्रशंसनीय है, सभी मैला ढोने वाले परिवारों को वैकल्पिक व्यवसायों में खपाने के उद्देश्य से इसका कार्यान्वयन कठिन कार्य है जिसके लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों दोनों के ही द्वारा संयुक्त और यथार्थ प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। 1993-94 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 70.97 करोड़ रु० की राशि दी गई है और 22,115 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 41,950 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया।

केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष संघटक योजनाएं और जनजातीय उपयोजनाएं

4.29 1993-94 के दौरान कुछ केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों ने विशेष संघटक योजना और जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत निधियों का परिमाण निर्धारित कर दिया है। विशेष संघटक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के विकास के लिए श्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग), विज्ञान एवं टैक्नालॉजी (बायो टैक्नालॉजी विभाग), उद्योग (कॉयर बोर्ड और विकास आयुक्त, एस०एस०आई० एवं ए०आर०आई०), वस्त्र (हथकरघा विकास आयुक्त और हस्तकला विकास आयुक्त), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाणिज्य और ग्रामीण विकास मंत्रालयों और उर्वरक विभाग ने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए निधियां निर्दिष्ट की हैं। कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने भी अपने विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अ०जा० एवं आ०ज०जा० को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की है। सभी फसल-उन्मुख कार्यक्रमों में अ०जा० एवं अ०ज०जा० को दी जाने वाली सहायता की मात्रा में वृद्धि करने के प्रयत्न किए गए हैं। विभाग के क्षेत्र विकास कार्यक्रम में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहां अ०जा० और अ०ज०जा० की भूमि का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक है। जिन कार्यक्रमों का लक्ष्य आधारभूत सुविधाओं को दृढ़ बनाना है उनमें भी ऐसे ही प्रयत्न किए गए हैं। टैक्नालॉजी के त्वरित हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए, उन क्षेत्रों में मक्का और बाजरा व ज्वार की फसलों के प्रदर्शन करने का काम शुरू किया गया है जहां अ०जा० और अ०ज०जा० के किसानों की आबादी केन्द्रित है। 1993-94 के दौरान कुल योजना परिव्यय में से अ०जा० और अ०ज०जा० को हुआ लाभ 13% आंका गया है।

4.30 खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय ने उद्यमवृत्ति को विकसित करने, फल और सब्जियों के संसाधन यूनिटों को स्थापित करने, सूअर के मांस के संसाधन, भेड़, बकरी और खरगोश के मांस के संसाधन, मुर्गी और अंडे के संसाधन को विकसित करने, मांस संसाधन के लिए विपणन और परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने और मांस उद्योग में काम करने वालों को प्रशिक्षित करने आदि क्षेत्रों से संबंधित योजनाएं तैयार की हैं। इन सभी योजनाओं के लिए क्षेत्रों, लाभार्थियों की पहचान करने और वित्तीय साधन उपलब्ध कराने आदि मामलों में अ०जा० और अ०ज०जा० की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

4.31 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अ०जा० और अ०ज०जा० को स्वाथ्य सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान दिया है। सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एस०सी०पी० के अंतर्गत निधियां निर्दिष्ट की गई हैं। 1993-94 के दौरान, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेक्टर के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय में से लगभग 5.84% एस०सी०पी० के अंतर्गत आबंटित किया गया।

4.32 रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग ने अ०जा० और अ०ज०जा० के आर्थिक विकास के लिए पहल की है। उसने अपने प्रशासनिक नियंत्रण में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों से अ०जा० के व्यक्तियों को उर्वरकों के वैज्ञानिक प्रयोग में शिक्षित करने के कार्यक्रम तैयार करने, जनजातीय क्षेत्रों में विक्रेताओं/खुदरा व्यापारियों का जाल बिछाने और जनजातीय क्षेत्रों में छोटे पैकों में उर्वरक सप्लाई करने को कहा है। 1978 में विभाग ने यह अनुदेश भी जारी किए थे कि उर्वरक के विक्रेताओं की नियुक्ति में अ०जा० एवं अ०ज०जा० को 25% आरक्षण दिया जाए। अ०जा० एवं अ०ज०जा० को अन्य रियायतें भी दी जाती हैं जिनमें प्रतिभूति जमा करने से छूट/रियायत, तेज गति वाली सामग्री की आपूर्ति में अधिमान्यता, विक्रेता के लाभ की गुंजाइश बढ़ाना और उर्वरकों को उठाने-रखने का मुफ्त प्रशिक्षण देना शामिल हैं।

4.33 वस्त्र मंत्रालय में हस्तशिल्प विकास आयुक्त ने एक समूह के हस्तशिल्पियों को एकाधिक सेवाएं प्रदन करने के लिए शिल्प विकास केन्द्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं में कच्चे माल की सप्लाई, डिजाइन बनाना, अधिप्राप्ति और विपणन शामिल हैं। 1993-94 में अ०जा० के लिए दो और अ०ज०जा० के लिए एक शिल्प विकास केन्द्र के लिए मंजूरी दी गई। हथकरघा सेक्टर में, केन्द्र द्वारा प्रायोजित और केन्द्रीय सेक्टर की जिन योजनाओं की पहचान की गई थी उनके लिए रखे गए कुल परिव्यय में से अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए क्रमश: 22% और 11 % निधियां निर्दिष्ट की गई हैं। एस०सी०पी और टी०एस०पी० के लिए जिन योजनाओं के अंतर्गत निधियां आबंटित की जाती हैं उनमें कल्याण पैकेज योजना, हथकरघा विकास केन्द्र सहित परियोजना पैकेज योजना, काम के लिए शैड के साथ आवास बनाने की और निराश्रित कामगारों को अतिरिक्त धन (मार्जिन मनी) देने की योजना है।

4.34 वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत रबड़ बोर्ड और काफी बोर्ड ने अ०जा० एवं अ०ज०जा० के विकास के लिए योजनाएं बनाई हैं। रबड़ बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत रबड़ के बागान लगाने के इच्छुक अ०जा० और अ०ज०जा० को प्रति हेक्टेयर 8,000/- रु० की नकद सहायता, नाबार्ड से लिए गए ऋण के ब्याज पर 3% की सहायता, रोपने की सामग्री मुफ्त दिए जाने की सहायता, पहले तीन वर्षों में 1,000/- रु० की सीमा तक उर्वरक पर लागत के 50% की सहायता, बाड़ का ढांचा बनाने के लिए वित्तीय सहायता, अ०जा०/अ०ज०जा० को रबड़ की सामूहिक खेती के लिए सहायता,

रबड़ निकालने का प्रशिक्षण देने आदि की योजनाएं हैं। काफी बोर्ड काफी की खेती करने वाले जनजातीय लोगों को **4%** की दर पर चार प्रकार के ऋण देता है। ये चार सघन खेती के लिए दिया जाने वाला ऋण, पुनर्रोपण ऋण, विस्तृत खेती ऋण और विशेष प्रयोजन ऋण है।

4.35 आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि केन्द्रीय मंत्रालय अब अ०जा० और अ०ज०जा० के आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं **तैयार करने और उनके अंतर्गत पृथक निधियां निर्दिष्ट करने के विषय में** अधिक सचेत होते जा रहे हैं। आयोग की सिफारिश है कि वे सभी मंत्रालय और विभाग जिन्हें अपनी एस०सी०पी० और टी०एस०पी० योजनाए तैयार करनी हैं वे भी उपरोक्त मंत्रालयों का अनुसरण करें और ऐसे कार्यक्रम तैयार करें जिससे इन समूहों को लाभ हो। इसके साथ ही केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को प्रत्येक एस०सी०पी० और टी०एस०पी० के अंतर्गत वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों का परिवीक्षण करने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए। **आयोग की यह भी सिफारिश है कि केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी वार्षिक रिपोर्टों में, पदों पर और सेवाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व के बारे में सूचना देने के अतिरिक्त, ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं का विवरण जो उन्होंने अ०जा० और अ०ज०जा० के कल्याण के लिए चलाई हो और उस अवधि में उनके अंतर्गत हुई भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का विवरण भी दें।** निम्नलिखित सारणी में 1993-94 के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से एस०सी०पी० के लिए दी गई निधियों का विवरण दिया गया है :

सारणी-12

(लाख रु० में)

क्र० सं०	मंत्रालय/विभाग	1993-94	
		कुल परिवय	एस०सी०पी० को दी गई निधि
1	2	3	4
1.	श्रम मंत्रालय	712.70	262.15
2.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)	60091.00	8944.00
3.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (जैव प्रौद्योगिकी विभाग)	8500.00	47.00
4.	उद्योग मंत्रालय (एस० एस० आई० एवं ए० आर०-आई० विभाग)		
	(1) कॉयर बोर्ड	635.00	148.16
	(2) डीसी, एस०एस०आई/ ए०आर०आई०	10375.00	1481.25
5.	वस्त्र मंत्रालय हथकरघा विकास आयुक्त	3720.00	876.71
6.	हस्तशिल्प विकास आयुक्त	4000.00	613.00
7.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
	(1) भारतीय तेल निगम आई०ओ०सी०		110.00
	(2) भारत पेट्रोलियम	54.5	28.60
	(3) कोचीन रिफाइनरी	6.00	6.00
	(4) स्टील अथारिटी ऑफ इन्डिया	53528.00	27.95
	(5) हिंदुस्तान पैट्रोलियम	45.10	15.00
	(6) बौगांव रिफाइनरी	120.00	17.30
	(7) लुब्रीजोल इंडिया	5.00	2.50
	(8) बालमेर लॉरी	8.50	5.30
	(9) आई०बी०पी०		
	(10) ओ०एन०जी०सी०	30.00	18.75
8.	महिला और बाल विकास विभाग	408.55	261.47
9.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	48330.00	2821.46
10.	वाणिज्य मंत्रालय	10758.00	597.00
11.	उर्वरक विभाग		
	(1) एन०एफ०एल०	0.58	0.38
	(2) एफ०ए०सी०टी०	176.24	6.19

स्रोत : कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1994-95

प्राप्त सूचना से प्रकट होता है कि 1993 के दौरान निम्नलिखित दस मंत्रालयों ने टी०एस०पी० तैयार की : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय; संचार मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से दी गई निधियों की सूचना दी गई है :

सारणी—13

(करोड़ रु० में)

क्र०सं०	मंत्रालय/विभाग	1993-94		
		परिव्यय	टीएसपी	%
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (केन्द्रीय स्वास्थ्य सेक्टर)	483.30	31.66	6.55
2.	वाणिज्य मंत्रालय	79.61	5.75	7.22
3.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	101.85	38.17	37.48
4.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)	600.91	61.79	10.28
5.	उद्योग मंत्रालय	241.66	57.87	23.95
6.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	5010.00	74.60 (जून 93 तक)	1.49
7.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	149.56	0.40	0.27
8.	वस्त्र मंत्रालय	313.50	6.33	2.02
9.	संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)	4833.14	188.36	3.90
10.	श्रम मंत्रालय	7.04	1.03	14.65

स्रोत : कल्याण मंत्रालय की 1994-95 वार्षिक रिपोर्ट

गरीबी दूर करने के कार्यक्रम

4.37 समाज के गरीब वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए गरीबी निवारण के अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम दो वर्गों में आते हैं : एक का लक्ष्य ऋण और सहायता के द्वारा उत्पादक परिसम्पत्ति प्रदान करके गरीबों में स्वरोज़गार को बढ़ावा देना और दूसरे प्रकार के कार्यक्रमों का लक्ष्य रोज़गार सृजित करना और इस प्रक्रिया के दौरान सामुदायिक परिसम्पत्ति निर्मित करना है।

4.38 ग्रामीण आबादी के सबसे गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए देश में समन्वित ग्रामीण विकास योजना (आई०आर०डी०पी०) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के रूप में पहचाने गए परिवारों को आय उत्पादक परिसम्पत्ति अर्जित करने के लिए ऋण और सहायता दी जाती है। अ०जा० और अ०ज०जा० के संबंध में इस योजना का विशेष महत्व है क्योंकि जिन परिवारों को सहायता दी जाती है उनमें कम से कम 50% इन जातियों के होते हैं। 1993-94 वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 109543.00 लाख रु० की राशि आवंटित की गई जिसमें से 95664.95 लाख रु० (87%) का उपयोग किया गया। इस वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल लाभार्थियों में 35.97% अ०जा० और 17.05% अ०ज०जा० के परिवार थे। 1993-94 के दौरान आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत हुए कार्य का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

सारणी—14

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों की कुल सं०	अ०जा० परिवारों की सं०	अ०ज०जा० परिवारों की सं०	अ०जा०/अ०ज०जा० परिवारों का %
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	25967	107040	52829	61.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	15207	—	15207	100.00
3.	असम	63381	8797	16164	39.38
4.	बिहार	335908	108105	70168	53.07
5.	गोवा	3452	32	—	0.93
6.	गुजरात	79725	13236	27983	51.70
7.	हरियाणा	34026	16490	—	48.46
8.	हिमाचल प्रदेश	9128	3856	834	51.38
9.	जम्मू व कश्मीर	7408	1189	2231	46.17
10.	कर्नाटक	132861	41168	8936	37.72
11.	केरल	53698	24939	1969	50.11
12.	मध्य प्रदेश	242673	67002	92068	65.55
13.	महाराष्ट्र	217671	55345	36378	42.14
14.	मणिपुर	6333	75	4126	66.33
15.	मेघालय	2635	18	2617	100.00
16.	मिज़ोरम	4684	—	4684	100.00
17.	नागालैण्ड	5489	—	5489	100.00
18.	उड़ीसा	160000	43543	50246	58.61
19.	पंजाब	33736	17837	—	52.87
20.	राजस्थान	116567	41521	22315	54.76
21.	सिक्किम	1218	64	469	43.76
22.	तमिलनाडु	214888	99358	5306	48.71
23.	त्रिपुरा	16294	2712	5234	48.76
24.	उत्तर प्रदेश	445403	234092	2486	53.12
25.	पश्चिम बंगाल	73818	25959	4210	40.87
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1171	—	230	19.64
27.	दादरा एवं नागर हवेली	372	19	341	96.78
28.	दमण और दीव	507	33	133	32.74
29.	लक्षद्वीप	81	—	81	100.00
30.	पांडिचेरी	1407	508	—	36.11
	जोड़ :	2539441	912938	432734	53.0[illegible]

स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1994-95

4.39 आयोग की सिफारिश है कि असम, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि सहायता प्राप्त करने वाले कुल परिवारों में कम से कम 50% अ०जा० और अ०ज०जा० के परिवार हों।

4.40 किसी भी आर्थिक उद्यम को शुरू करने के लिए कौशल और उत्साहवर्धक योग्यता होना आवश्यक है। तथापि, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि ग्रामीण गरीबों में, विशेषकर अ०जा० और अ०ज०जा० में इस कौशल और योग्यता का अभाव होता है। इस बात को ध्यान में रखकर, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, अर्थात ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) 1979 से शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहचाने गए युवा को अपना ही उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने के लिए किसी प्रशिक्षण संस्था में अथवा किसी कुशल कारीगर द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है और उद्यम शुरू करने के लिए आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत ऋण और सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों की सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशिक्षण प्राप्त युवा अपने जीवन निर्वाह के लिए किस सीमा तक प्रशिक्षण का लाभ उठा पाते हैं। आयोग का विचार है कि व्यवसायों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उनसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वैतनिक काम और स्वरोजगार करके दोनों प्रकार से जीवन यापन करने की सम्भावना हो। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उन प्रशिक्षणार्थियों को, जो अपने उद्यम शुरू करना चाहते हैं, पूर्वापर संयोजनों के रूप में आधारभूत समर्थन देने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह भी निर्दिष्ट है कि इसके कम से कम 50% लाभार्थी अ०जा० और अ०ज०जा० के लोग हों। 1993-94 के दौरान, प्रशिक्षित किए गए 3,03,821 युवाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० की संख्या 1,45,298 थी जो लगभग 48% बनती है।

4.41 जवाहर रोज़गार योजना (जे०आर०वाई) पहले के दो मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों--राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी कार्यक्रम--का विलय करके 1989 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के पिछड़े ज़िलों में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 90 से 100 दिन का मज़दूरी रोज़गार दिलाना है। 1993-94 में इस कार्यक्रम में कुछ संशोधन किए गए और इसका कार्यान्वयन तीन संयोजनों में किया गया। पहली धारा में दो योजनाओं अर्थात् इन्दिरा आवास योजना और दस लाख कूओं की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। दूसरी धारा में, 120 पहचाने गए पिछड़े ज़िलों में सघन जवाहर रोज़गार योजना (जे०आर०वाई०) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तीसरी धारा के अन्तर्गत विशेष नूतन परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार 80% वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और शेष की पूर्ति सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं और ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। ग्राम स्तर पर एक समिति होती है जो यह तय करती है कि कार्यक्रम का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाएगा और इस समिति में अ०जा० और अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है।

4.42 1989-90 से 1993-94 तक की अवधि में 43323.84 लाख कार्य दिवस सृजित कराने का लक्ष्य था और वास्तव में 42825.94 लाख कार्य दिवस (98.54%) सृजित कराए गए। इसमें से इस अवधि में अ०जा० और अ०ज०जा० का हिस्सा क्रमश: 37.48% और 18.12% था। "दस लाख कुआ योजना" के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों तथा मुक्त किए गए बन्धुआ मज़दूरों को सिंचाई कुएं उपलब्ध कराए गए। पहले, यह योजना केवल अ०जा० और अ०ज०जा० तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए थी लेकिन 1993-94 से ग़ैर अ०जा० तथा ग़ैर-अ०ज०जा० के छोटे और सीमान्त किसानों को भी उसके अन्तर्गत शामिल किया जा रहा है। इसी प्रकार इन्दिरा आवास योजना, जो शुरू में अनु०जाति तथा अनु०जनजाति और मुक्त किए गए बन्धुआ मज़दूरों के लिए थी, उसका 1993-94 से ग़ैर अनु० जाति तथा ग़ैर अनु० जनजाति गरीबों तक विस्तार कर दिया गया। तथापि, आयोग को यह जानकर खेद हुआ कि "दस लाख कुआ योजना" के अन्तर्गत 1992-93 में निर्मित किए गए 1,80,995 कुओं की तुलना में, 1993-94 में निर्मित कुओं की संख्या 1,49,335 थी--इस प्रकार भौतिक उपलब्धि में लगभग 17.50% की कमी आई है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कार्य संतोषजनक हुआ है। 1992-93 के दौरान निर्मित 1,92,585 मकानों की तुलना में 1993-94 में 3,59,933 मकान बनाए गए--इस प्रकार, लगभग 87% की वृद्धि हुई। मज़दूरी रोज़गार दिलाने की दृष्टि से और सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से भी इन योजनाओं के महत्व को देखते हुए आयोग चाहता है कि इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत उपलब्धि में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए और "दस लाख कुआं योजना" के अन्तर्गत उपलब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए।

4.43 एक अन्य मज़दूरी रोज़गार योजना 1993 में शुरू की गई थी। रोज़गार आश्वासन योजना (ई०ए०एस०) देश के 1,778 पिछड़े ब्लाकों में कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोज़गार तलाश करने वाले 18 वर्ष की आयु से ऊपर और 60 वर्ष की आयु से नीचे के ग्रामीण गरीबों को 100 दिन के लिए हाथ से करने वाला अकुशल रोजगार दिलाया जाता है। 1993-94 की अवधि में इस योजना के अन्तर्गत 261 जिलों को शामिल किया गया और 494.74 लाख कार्य दिवस का रोज़गार दिलाया गया। **आयोग की सिफ़ारिश है कि इस योजना के अन्तर्गत भी अ०जा० और अ०ज०जा० को लाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि ग्रामीण गरीबों में अधिकांश उनकी संख्या है।**

4.44 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का विचार है कि अ०जा० और अ०ज०जा० के आर्थिक विकास की दृष्टि से रोज़गार सृजन के कार्यक्रमों का सर्वाधिक महत्व है। वर्तमान स्थिति में इन कार्यक्रमों के विशेष लाभ हैं क्योंकि उन्हें क्रय शक्ति मिलने से उनकी दूसरों पर आर्थिक निर्भरता कम हो जाएगी और साथ ही काम की तलाश में शहरी क्षेत्रों में उनका जाना भी रुक जाएगा। निर्मित की गई सामुदायिक परिसम्पत्तियां ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगी। दूसरे, काम की मन्दी के दिनों में रोज़गार का आश्वासन होने से उनका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ेगा और उनकी दुर्बलता कम होगी। **गरीबी निवारण के सभी कार्यक्रमों की सफलता का सार यही है कि जो सबसे ज्यादा गरीब है उसकी समुचित पहचान की जाए और आयोग की सिफ़ारिश है कि इस ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा सावधानी बरती जानी चाहिए।**

4.45 संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार की सेवाएं विकसित करने और इन क्षेत्रों के प्रति विशेष ध्यान देने

योग्य क्षेत्रों के रूप में सुनिश्चित करने की दिशा में क़दम उठाए हैं। 1993-94 के दौरान टी०एस०पी० के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय 173.68 करोड़ रु० (जिसका संशोधित प्राक्कलन 256.48 करोड़ रु०) तथा और वास्तविक व्यय 190.15 करोड़ रु० था। 1993-94 के दौरान टी०एस०पी० के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित विवरण में दिया गया है :—

क्र०सं० मद	लक्ष्य	उपलब्धि
1. टेलीफ़ोन एक्सचेंज(I)	81	174
2. स्विचिंग क्षमता (लाइन)	62,600	89,949
3. सीधा एक्सचेंज लाइन (संख्या-I)	47,000	63,457
4 यू०एच०एफ० योजनाएं (रूट-कि०मी०)	3,500	900
5. ग्राम पंचायत टेलीफोन (संख्या)	3,150	4,095
6. टैलेक्स क्षमता	200	15
7. उपग्रह पृथ्वी स्टेशन	2	2

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 1994-95
दूरसंचार विभाग,
संचार मंत्रालय

भूमि

1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में से 74% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में से 85% से अधिक ग्रामीण हैं। समाज का सामान्यत: और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का स्वरूप ग्रामीण होने के साथ ही हमारे समाज की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में यह दोनों विशेषताएं कहीं अधिक हैं क्योंकि अनुसूचित जाति के मुख्य श्रमिकों में से 74.50% और अनुसूचित जनजातियों के मुख्य श्रमिकों में से 87.19% किसानों अथवा भूमिहीन कृषि श्रमिकों के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। 1961 से 1991 तक की पिछली चार जनगणनाओं के अनुसार व्यावसायिक वर्गीकरण के आधार पर श्रमिकों के चार प्रमुख वर्गों-किसानों, कृषि मजदूरों, घरेलू उद्योग में लगे श्रमिकों और "अन्य श्रमिकों" में साधारण मुख्य श्रमिकों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मुख्य श्रमिकों के तुलनात्मक अध्ययन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं :

सारणी-1*

1961 से 1991 तक की जनगणना के अनुसार मुख्य श्रमिकों का व्यावसायिक वर्गीकरण (प्रतिशत में)

क्र० सं०	श्रमिकों का वर्ग	1961			1971			1981			1991		
		सामान्य	अ०जा०	अ०ज०-जा०	सामान्य	अ०जा०	अ०ज०-जा०	सामान्य	अ०जा०	अ०ज०-जा०	सामान्य	अ०जा०	अ०ज०-जा०
1.	किसान	52.78	37.76	68.18	43.38	27.87	57.56	41.53	28.17	54.43	39.74	25.44	54.50
2.	कृषि मजदूर	16.71	34.48	19.71	26.32	51.74	33.04	25.16	48.22	32.67	19.66	49.06	32.69
3.	घरेलू उद्योग	6.38	6.56	2.47	3.55	3.33	1.03	3.99	3.31	1.42	2.56	2.41	1.04
4.	अन्य श्रमिक	24.13	21.20	9.64	26.75	17.06	8.37	29.32	20.30	11.84	38.04	23.08	11.76

*स्रोत : जनगणना रिपोर्ट

इस सारणी से पता चलता है कि किसानों के रूप में काम करने वाले अ०जा० श्रमिकों की संख्या 1961 के 37.76% से घटकर 1991 में 25.44% हो गई। दूसरी ओर, अ०जा० के खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत, उसी अवधि में, 34.48% से बढ़कर 49.06% हो गया। अनुसूचित जनजातियों में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। अ०ज०जा० के किसानों का प्रतिशत 1961 के 68.18% से घट कर 1991 में 54.50% हो गया और खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत 1961 के 19.71% से बढ़कर 1991 में 32.69 हो गया।

इससे पता चलता है कि पिछले अनेक वर्षों से लगातार ग्रामीण गरीब, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीब, जो अपनी जीविका के लिए कृषि और उससे सम्बद्ध गतिविधियों पर अत्यधिक निर्भर करते हैं, उस थोड़ी बहुत जमीन को भी गवां रहे हैं जो उनके पास थी। यद्यपि उनका दर्जा छोटे और सीमांत किसानों का था लेकिन अब वे भूमिहीन कृषि मजदूर बनते जा रहे हैं या "अन्य श्रमिकों" के वर्ग में आते जा रहे हैं और, जैसा कि उपरोक्त सारणी से प्रकट है, उस वर्ग में 1961 से 1991 तक उनका प्रतिशत बढ़ गया है। इस घटनाक्रम से यह भी पता चलता है कि उनके व्यवसाय के तरीकों में न तो कोई उन्नति हुई है और न उनमें कोई विविधता आई है। यद्यपि इस स्थिति के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि इन लोगों का अपनी जमीन से जबरन बेदखल किया जाना, स्वामित्व का अधिकार न दिया जाना, उच्चतम सीमा की अधिशेष भूमि और अन्य प्रकार की भूमि का उन्हें आबंटन करने के काम की धीमी गति आदि, लेकिन इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि हमारे देश की आबादी के काफी प्रतिशत लोग (लगभग 25%), जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं और जिनमें से तीन चौथाई से अधिक मुख्यत: भूमि पर और भूमि से संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन है वह सीमांत और आकार में छोटी (दो एकड़ से कम) है। ऐसी परिस्थिति में जब अधिकांश अ०जा० और अ०ज०जा० के लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं और सामाजिक हैसियत के प्रतीक के रूप में उनके पास कोई भौतिक सम्पदा भी

नहीं है, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं कि भूमि का स्वामी होने का उनके लिए कितना महत्व है। भूमि से न केवल उन्हें जीवन निर्वाह का सुनिश्चित साधन मिलता है वरन् उससे उन्हें सामाजिक हैसियत भी मिलती है।

चालू (ऑपरेशनल) जोतें

1970-71 से 1985-86 तक की कृषि जनगणना के मुख्य निष्कर्षों के अनुसार देश में सभी आकारों को मिलाकर तथा अ०जा० और अ०ज०जा० की चालू जोतों की संख्या पिछले वर्षों से लगातार बढ़ रही है जैसा निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है:

सारणी-2*

कृषि जनगणना का वर्ष	जोतों की संख्या (लाखों में)	सभी आकार के वर्गों और सभी सामाजिक समूहों की वृद्धि का प्रतिशत	अ०जा०/अ०ज०जा० की जोतों की संख्या अ०जा०	हिस्सा % में	अ०ज०जा०	हिस्सा % में
1	2	3	4	5	6	7
1970-71	71		अ०जा० और अ०ज०जा० की जोतों की संख्या की गणना प्रथम बार केवल 1980-81 में की गई			
1976-77	81.6	14.9				
1980-81	88.9	9.0	10.05	11.3	6.85	7.7
1985-86	97.2	9.3	12.04	12.4	7.63	7.9
1990-91	105.3 (संभावित)					

*स्रोत : कृषि जनगणना की रिपोर्ट 1985-86

सभी आकारों, वर्गों और सभी सामाजिक समूहों की चालू (ऑपरेशनल) जोतों की संख्या 1970-71 में 710 लाख थी जो 1976-77 में बढ़कर 816 लाख हो गई और इस प्रकार उनकी संख्या में 14.9% की वृद्धि हुई। 1976-77 से 1980-81 तक कुल जोतों की संख्या में 9 % वृद्धि हुई। 1980-81 में जोतों की संख्या 889 लाख हो गई थी और 1985-86 तक उसमें और वृद्धि हुई। अनुसूचित जातियों की जोतें 1980-81 में 100.5 लाख थी जो कुल जोतों का 11.3% थी और 1985-86 में उनकी संख्या बढ़कर 120.4 लाख हो गई। 1985-86 में कुल जोतों में उनका हिस्सा 12.4 % था। 1980-81 में अनुसूचित जनजातियों की जोतें 68.5 लाख (7.7 %) थी। 1985-86 में इनकी संख्या बढ़कर 76.5 लाख (7.9%) हो गई।

बड़े आकार के समूहों में चालू जोतों के वितरण से पता चलता है कि कुल चालू जोतों की संख्या में वृद्धि और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे विभिन्न सामाजिक समूहों में जोतों की वृद्धि, मुख्यतः सीमान्त और छोटी जोतों की श्रेणी में हुई है जैसा कि निम्नलिखित सारणी से पता चलता है

सारणी—3*

बड़े आकार के वर्गों के अनुसार चालू जोतों के वितरण का प्रतिशत

सामाजिक समूह

क्र०सं० बड़े आकार के वर्ग	अ०जा० 1980-81	अ०जा० 1985-86	अ०ज०जा० 1980-81	अ०ज०जा० 1985-86	अन्य 1980-81	अन्य 1985-86
1. सीमांत	68.9	70.7	39.8	41.3	56.2	57.5
2. छोटी	16.3	16.0	22.6	23.5	11.9	18.3
3. अर्धमध्यम	9.5	8.8	20.5	20.2	14.0	13.7
4. मध्यम	4.4	3.8	13.7	12.2	9.3	8.4
5. बड़ी	0.9	0.7	3.4	2.8	2.6	2.1

*स्रोत : कृषि जनगणना 1985-86

न केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित सभी सामाजिक समूहों के पास छोटी और मध्यम जोतों की संख्या बढ़ी है (अनुसूचित जातियों की केवल छोटी जोतों की संख्या 1980-81 और 1985-86 के बीच 16.3% से घटकर 16.0% हुई है) वरन् दोनों वर्षों में प्रत्येक सामाजिक समूह के पास चालू सीमान्त जोतों की संख्या सबसे अधिक थी और उसके बाद, सबसे अधिक संख्या छोटी जोतों की थी। 1980-81 की कृषि जनगणना के अनुसार 1980-81 में कुल चालू जोतों की संख्या 889 लाख में से अनुसूचित जातियों के पास 100.5 लाख जोतें थीं। इनमें से 68.9% सीमान्त जोतें थीं (1 हेक्टेयर से कम), और 16.3% छोटी जोतें थीं (1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच)। बड़ी जोतें कुल जोतों की केवल 0.9% थी। वर्ष 1985-86 की कृषि जनगणना में भी यही स्थिति दिखाई दी। सबसे अधिक संख्या (70.7%) सीमान्त जोतों की और सबसे कम (0.7%) बड़ी जोतों की थी। दोनों वर्षों में सभी वर्गों की सीमान्त से लेकर बड़ी जोतों की संख्या में अचानक कमी आई है।

अनुसूचित जातियों की अपेक्षा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति अपेक्षाकृत कुछ अच्छी है। 1980-81 में उनकी 68.5 लाख जोतों में से केवल 39.8% सीमान्त, 22.6% छोटी, 20.5% अर्धमध्यम, 13.7% मध्यम और 3.4% बड़ी जोतें (10 हेक्टेयर और अधिक) थीं। 1980-81 और 1985-86 की दो कृषि जनगणनाओं की अवधि में अनुसूचित जातियों की सीमान्त और छोटी जोतों के प्रतिशत में थोड़ी वृद्धि हुई है जबकि दूसरे वर्ग की जोतों की संख्या कम हुई है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्यों में मुख्य आकार वर्गों की चालू जोतों का विवरण निम्नलिखित सारणी में

दिया गया है :

सारणी—4*

मुख्य आकार वर्ग	सामाजिक वर्ग (जोतों का प्रतिशत वितरण)					
	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां		अन्य	
	1980-81	1985-86	1980-81	1985-86	1980-81	1985-86
1	2	3	4	5	6	7
सीमान्त (1 हेक्टेयर से कम)	13.8	15.2	5.4	5.6	80.8	79.2
छोटी (1 और 2 हेक्टेयर के बीच)	10.2	10.7	9.7	10.0	80.1	79.3
अर्ध-मध्यम (2 और 4 हेक्टेयर के बीच)	7.6	8.1	11.3	11.6	81.1	80.3
मध्यम (4 और 10 हेक्टेयर के बीच)	5.4	5.8	11.6	11.8	83.0	82.4
बड़ी (10 हेक्टेयर और अधिक)	4.4	4.5	10.8	11.1	84.8	84.4
सभी आकार वर्ग	11.3	12.4	7.7	7.9	81.0	79.7

*स्रोत : कृषि जनगणना रिपोर्ट 1985-86

उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि 1980-81 और 1985-86 दोनों वर्षों में अ०जा० और अ०ज०जा० की चालू जोतों की संख्या सभी मुख्य आकार वर्गों की जोतों में अपेक्षाकृत बहुत कम थी। बड़ी जोतों के वर्ग में 1980-81 और 1985-86 में अनुसूचित जातियों का हिस्सा कुल बड़ी जोतों में सबसे कम था अर्थात् क्रमश 4.4% और 4.5% था। अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में स्थिति विपरीत थी। अर्ध-मध्यम, मध्यम और बड़ी जोतों की अपेक्षा छोटी और सीमान्त जोतों में उनका हिस्सा कम था। सभी आकार वर्गों की जोतों में 1980-81 में उनका अधिकतम हिस्सा (11.6%) मध्यम जोतों (4 और 10 हेक्टेयर के बीच) में था और सबसे कम हिस्सा (5.4%) सीमान्त जोतों में था। वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न आकार वर्गों में अनुसूचित जनजाति जोतों के हिस्से के बारे में ऐसा ही रुख दिखाई दिया जिसमें अधिकतम हिस्सा 11.8% मध्यम आकार की जोतों का था और सबसे कम हिस्सा (5.6%) सीमान्त आकार की जोतों का था।

1980-81 और 1985-86 के दौरान विभिन्न प्रमुख आकार वर्गों की चालू जोतों में ग़ैर अ०जा०/अ०ज०जा० के हिस्से की स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न थी। सभी आकार वर्गों में उनका हिस्सा 1980-81 में 80 प्रतिशत से अधिक और 1985-86 में 79 प्रतिशत से अधिक था जो कि प्रत्येक आकार वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हिस्से से कहीं अधिक है। इसके अतिरिक्त बड़े आकार की जोतों (10 हेक्टेयर और अधिक) में उनका हिस्सा 1980-81 में सबसे अधिक (84.8) और 1985-86 में (84.4%) था। यह अनुसूचित जातियों की स्थिति से बिल्कुल उल्टा है जिनका अधिकतम हिस्सा सीमान्त जोतों में और सबसे कम हिस्सा बड़ी जोतों में था।

उपरोक्त सारणी से एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य का पता चलता है कि सीमान्त जोतों से बड़ी जोतों तक सभी आकार वर्गों की जोतों में अनुसूचित जातियों के हिस्से में बड़ा अंतर है और वह सीमान्त जोतों को छोड़कर अन्य सभी जोतों में बहुत कम होता चला गया है (1980-81 में सीमान्त जोतें 13.8% और बड़ी जोतें 4.4% थी और 1985-86 में सीमान्त जोतें 15.4% और बड़ी जोतें 4.5% थीं)। विभिन्न आकार वर्गों की जोतों में ग़ैर-अ०जा०/अ०ज०जा० के हिस्से में इतना बड़ा अन्तर नहीं है—यह अन्तर 1980-81 के दौरान 80.8% और 84.8% के बीच और 1985-86 के दौरान 79.2% और 84.4% के बीच रहा।

चालू जोतों की संख्या और क्षेत्रफल

1980-81 और 1985-86 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्यों के पास चालू जोतों की संख्या और क्षेत्रफल निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी—5*

1980-81 और 1985-86 के दौरान भारत में विभिन्न सामाजिक वर्गों के पास चालू जोतों की संख्या और क्षेत्रफल

सामाजिक वर्ग	जोतों की संख्या (लाख में)		प्रतिशत परिवर्तन	चालू जोतों का क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)		प्रतिशत परिवर्तन.
	1980-81	1985-86		1980-81	1985-86	
1	2	3	4	5	6	7
अनुसूचित जाति	100.52 (11.3)	120.41 (12.4)	+(19.8)	115.22 (7.0)	126.39 (7.7)	+(9.7)
अनुसूचित जनजाति	68.54 (7.7)	76.48 (7.9)	+(11.6)	167.04 (10.2)	172.34 (10.5)	+(3.2)
अन्य	719.77 (81.00)	774.66 (79.7)	+(7.6)	1355.71 (82.8)	1346.89 (81.8)	−(0.7)
सभी सामाजिक वर्ग	888.83 (100.0)	971.55 (100.0)	+(9.3)	1637.97 (100.0)	1645.62 (100.0)	+(0.5)

*स्रोत : कृषि जनगणना की रिपोर्ट 1985-86

देश में 1985-86 के दौरान कुल चालू जोतों का क्षेत्रफल 1646 लाख हेक्टेयर था जबकि 1980-81 में लगभग 1638 लाख हेक्टेयर था। अनुसूचित जातियों के पास चालू जोतों के क्षेत्रफल में 1980-81 की अपेक्षा 1985-86 में 9.7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। यह क्षेत्रफल 1980-81 में 115 लाख हेक्टेयर (कुल क्षेत्रफल का 7.0%) था और 1985-86 में बढ़कर 126 लाख हेक्टेयर हो गया (जो कुल क्षेत्रफल का 7.7%)। अनुसूचित जातियों की जोतों की संख्या में 1980-81 में हुई वृद्धि 11.3% थी जबकि 1985-86 में यह वृद्धि 12.4% थी। अनुसूचित जनजातियों के मामले में चालू जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1980-81 की अपेक्षा 1985-86 में 3.2% की वृद्धि हुई। यह क्षेत्रफल 1980-81 में 167 लाख हेक्टेयर (10.2%) था जो 1985-86 में बढ़कर 172 लाख हेक्टेयर (10.5%) हो गया। इस अवधि में कुल चालू जोतों में उनका हिस्सा 1980-81 में 7.7% था और 1985-86 में बढ़कर 7.9% हो गया।

अन्य सामाजिक वर्गों (गैर-अ०जा०/अ०ज०जा०) की चालू जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1980-81 की अपेक्षा 1985-86 में 0.7% की कमी (लगभग 1356 लाख हेक्टेयर से लगभग 1347 लाख हेक्टेयर) हुई जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं थी। यह उल्लेखनीय है कि जहां गैर-अ०जा०/अ०ज०जा० की चालू जोतों की कुल संख्या में 1980-81 की अपेक्षा 1985-86 में 7.6% की वृद्धि हुई वहीं इस अवधि में उनकी चालू जोतों के क्षेत्रफल में थोड़ी कमी आई (0.7%)।

जोतों का औसत आकार

मुख्य आकार वर्गों के अनुसार 1980-81 और 1985-86 में सभी सामाजिक वर्गों के पास जोतों के औसत आकार का वितरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :—

सारणी—6*

जोतों का औसत आकार

जोतों का औसत आकार (हेक्टेयर में)

मुख्य आकार वर्ग	अ०जा०		अ०ज०जा०		अन्य		सभी सामाजिक वर्ग	
	1980-81	1985-86	1980-81	1985-86	1980-81	1985-86	1980-81	1985-86
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सीमांत	0.36	0.37	0.48	0.48	0.39	0.39	0.39	0.39
छोटी	1.41	1.41	1.43	1.43	1.45	1.44	1.44	1.43
अर्ध-मध्यम	2.71	2.70	2.74	2.73	2.79	2.43	2.78	2.77
मध्यम	5.84	5.78	5.98	5.95	6.03	5.97	6.04	5.96
बड़ी	16.44	16.24	15.88	15.87	15.65	17.43	17.41	17.21
सभी आकार वर्ग	1.15	1.05	2.44	2.25	1.88	1.74	1.84	1.69

***स्रोत** : कृषि जनगणना रिपोर्ट 1985-86

कृषि जनगणना रिपोर्ट 1985-86 के अनुसार देश में सभी सामाजिक वर्गों की चालू जोतों के औसत आकार में क्रमिक कमी हो रही है। यह 1970-71 में 2.3 हेक्टेयर था 1975-76 में 2.00 हेक्टेयर था, जो 1980-81 में घटकर 1.84 हेक्टेयर हो गया और 1985-86 में कृषि जनगणना के दौरान और घटकर 1.69 हेक्टेयर हो गया।

अनुसूचित जातियों की औसत जोतों का आकार 1980-81 में 1.15 हेक्टेयर था जो 1985-86 में घटकर 1.05 हेक्टेयर हो गया। अनुसूचित जनजातियों के पास 1980-81 में चालू जोतों के औसत आकार 2.44 हेक्टेयर की तुलना में 1985-86 में ऐसी जोतों का औसत आकार घटकर 2.25 हेक्टेयर हो गया। उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि 1980-81 और 1985-86 में अनुसूचित जनजातियों के पास चालू जोतों का औसत आकार अ०जा० की जोतों के औसत आकार के दोगुना से भी अधिक था। यह औसत आकार गैर-अ०जा०/अ०ज०जा० की चालू जोतों के औसत आकार से भी ज्यादा था जो 1980-81 और 1985-86 में क्रमशः 1.88 हेक्टेयर और 1.74 हेक्टेयर था।

विभिन्न सामाजिक समूहों की मुख्य आकार वर्गों की चालू जोतों के बारे में कृषि जनगणना 1985-86 (अद्यतन उपलब्ध जनगणना) से प्राप्त आंकड़ों और उपरोक्त पैराग्राफों में उनकी चर्चा के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है :

(1) देश की कुल 972 लाख चालू जोतों में अन्य वर्गों के 79.7% हिस्से की तुलना में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 12.4% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 7.9% था।

(2) अनुसूचित जातियों की चालू जोतों की संख्या में 1980-81 की अपेक्षा 1985-86 में 19.8% की वृद्धि हुई। इसी अवधि में अनुसूचित जनजातियों की चालू जोतों की संख्या में 11.6% तथा अन्य वर्गों की जोतों की संख्या में 7.6% की वृद्धि हुई।

(3) सभी सामाजिक समूहों की चालू जोतों में सीमान्त जोतों का अनुपात सबसे अधिक था। अनुसूचित जातियों के पास 1985-86 में 70.7%, अनुसूचित जनजातियों के पास 41.3% तथा अन्य वर्गों के पास 57.5% जोतें थीं।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल चालू जोतों में अनुसूचित जनजातियों की आकार में छोटी, अर्ध-मध्यम, मध्यम और बड़ी जोतों का अनुपात अनुसूचित जातियों की ऐसी जोतों से कहीं अधिक था। 1985-86 में अनुसूचित जनजातियों के पास लगभग 2.8% बड़े आकार की जोतें थीं जबकि अनुसूचित जातियों के पास बड़े आकार की 0.7% जोतें थीं। जोतों के आकार की दृष्टि से अनुसूचित जातियों की अपेक्षा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति बेहतर थी।

(5) विभिन्न सामाजिक समूहों की कुल चालू जोतों के क्षेत्रफल में अनुसूचित जातियों की जोतों का क्षेत्रफल सबसे कम (7.7%), अनुसूचित जनजातियों की जोतों का क्षेत्रफल 10.5% तथा अन्य वर्गों की चालू जोतों का क्षेत्रफल 81.8% था।

(6) 1985-86 में अनुसूचित जातियों की चालू जोतों का औसत आकार 1.05 हेक्टेयर था जो अनुसूचित जनजातियों की (2.25 हेक्टेयर) तथा अन्य वर्गों (1.69 हेक्टेयर) की चालू जोतों के औसत से बहुत कम था।

यद्यपि पिछले अनेक वर्षों में अ०जा० और अ०ज०जा० की चालू जोतों की संख्या बढ़ी है और कुल जोतों में भी उनका हिस्सा कुछ प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन देश की कुल आबादी में उनकी आबादी के अनुपात से उनकी जोतों का प्रतिशत अभी तक कम है जैसा कि निम्नलिखित सारणी

से पता चलता है :—

सारणी—7*

सामाजिक वर्ग	आबादी का प्रतिशत		इन वर्षों के दौरान जोतों की संख्या में हिस्से का प्रतिशत		चालू जोतों के क्षेत्रफल में हिस्से का प्रतिशत	
	1981	1991	1980-81	1985-86	1980-81	1985-86
1	2	3	4	5	6	7
अनुसूचित जातियां	15.47	16.33	11.3	12.4	7.00	7.7
अनुसूचित जनजातियां	7.85	8.03	7.7	7.9	10.2	10.5
अन्य	76.68	75.64	81.0	79.7	82.8	81.8
जोड़ :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*स्रोत : कृषि जनगणना 1981 और 1991 की जनगणना रिपोर्ट

चालू जोतों के क्षेत्रफल की दृष्टि से 1980-81 और 1985-86 के दौरान दोनों वर्षों में अनुसूचित जातियों का हिस्सा बहुत कम, उनकी आबादी के प्रतिशत से भी कम था। तथापि, क्षेत्रफल की दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी और 1981 तथा 1991 की जनगणनाओं में उनकी आबादी के अनुपात में 1980-81 और 1985-86 के दोनों वर्षों में कुल चालू जोतों के क्षेत्रफल में उनके हिस्से का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक था।

यह विडम्बना है कि यद्यपि देश की करोड़ों की जनता के लिए खाद्य का उत्पादन करने के कार्य में श्रम के रूप में सबसे अधिक योगदान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग करते हैं फिर भी देश की कुल चालू जोतों की संख्या और क्षेत्रफल में उनका हिस्सा उनकी आबादी के अनुपात में नहीं है. विभिन्न सामाजिक समूहों में, विशेषकर अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में भूमि का वितरण असंतुलित होने के अनेक कारण हैं लेकिन यह स्पष्ट है कि इस असंतुलन का एक प्रमुख कारण यह भी है कि भूमि सुधार के विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन अनुपयुक्त तरीके से और बेमन से किया गया है।

भूमि सुधार

ग्रामीण विकास मंत्रालय की 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश की 68% आबादी अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कृषि और उससे सम्बन्धित क्रियाकलाप पर निर्भर करती है। लेकिन अधिकांश उपलब्ध भूमि (71%) के स्वामी जनसंख्या के 23.8 प्रतिशत लोग हैं जबकि शेष 29 प्रतिशत भूमि जनसंख्या के बहुमत के नियंत्रण में है, जिनके पास अधिकांशतः 2 हेक्टेयर से कम आकार की जोतें हैं। राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति का निरूपण ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में उपयुक्त परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया गया था ताकि विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए उपलब्ध भूमि के वितरण के असंतुलन को समाप्त किया जा सके। यद्यपि छठी योजना काल में भूमि सुधार नीति के मुख्य लक्ष्यों, अर्थात् बिचौलिया पट्टेदारी को समाप्त करने, पट्टेदारी व्यवस्था में सुधार करने, कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निश्चित करने, चकबन्दी करने, भू-अभिलेखों को तैयार करने, अद्यतन करने, अधिकतम सीमा की तथा अन्य प्रकार की अधिशेष भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने के लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिए गए थे और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समय अनुसूची निश्चित की गई थी, लेकिन विभिन्न सुधारों का कार्यान्वयन किसी भी प्रकार से संतोषजनक नहीं हुआ है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के दौरान अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण से सम्बन्धित कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट (अगस्त 1990) में कहा था "यद्यपि बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया लेकिन अन्य बातों के बारे में विधान बनाने में हुई देर के परिणामस्वरूप मूल संकल्प बहुत विफल हुए हैं।" रिपोर्ट में यह भी कहा गया :

"काश्तकारी कानून से, पश्चिम बंगाल जैसे एक या दो पाकेटों को छोड़कर अन्यत्र, लक्षित वर्गों को अपेक्षानुसार सुरक्षा नहीं मिली है क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में कृषि का अधिकार प्राप्त होने का रिकार्ड रखने की प्रथा नहीं थी। जहां ऐसा रिकार्ड रखा भी गया वहां भी भूस्वामियों ने, बहुत हद तक, व्यक्तिगत कृषि के बहाने, कानून की सहायता से काश्तकारों से पीछा छुड़ा लिया।"

भूमि की अधिकतम सीमा के कार्यान्वयन के बारे में कार्यकारी दल ने कहा :

"कृषि भूमि की सीमाबन्दी पूर्णतः विफल रही है. जहां 3 करोड़ हेक्टेयर अधिशेष भूमि उपलब्ध होने का अनुमान था वहां अभी तक केवल 70 लाख एकड़ से कुछ अधिक भूमि ही अधिशेष घोषित की गई है। इसमें से 45 लाख एकड़ भूमि 40 लाख लाभार्थियों में वितरति की गई है। भूमि सीमा का कार्यान्व्यन न्यायालयों के हस्तक्षेप के कारण बहुत हद तक विफल हुआ है।

भू-अभिलेख

हमारे कृषि प्रधान समाज में समुचित और अद्यतन भूअभिलेख होना आवश्यक है। भूअभिलेखों का ठीक-ठीक और अद्यतन रखा जाना न केवल नीति के निरूपण में उपयोगी होता है वरन् उसके कारण भूमि सम्बन्धी मुकदमेबाजी कम होती है जिससे ग्रामीण समाज के विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। लेकिन दुर्भाग्यवश केन्द्र और राज्यों की सरकारों ने लम्बे समय तक इस ओर अपेक्षा के अनुसार ध्यान नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप देश के अनके राज्यों में भूअभिलेखों की स्थिति तनिक भी संतोषजनक नहीं है। अनेक राज्यों में भूअभिलेखों को अद्यतन नहीं किया गया है। ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनके बारे में कोई भी भूअभिलेख विद्यमान नहीं है। 4-5 अक्तूबर 1991 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने भूअभिलेखों को समुचित तरीके से रखे जाने के महत्व पर जोर दिया था उन्होंने कहा :

"एक गरीब व्यक्ति के लिए, एक छोटे व्यक्ति के लिए एक कमजोर व्यक्ति के लिए भूअभिलेख एक हथियार की तरह है, वह केवल रिकार्ड, कोई कागज़ का टुकड़ा या तहसील कार्यालय में की गई कोई एक प्रविष्टि नहीं है। उसके लिए तो यह एक हथियार है। आप उसके हाथ में एक हथियार दे रहे हैं। यदि उसके पास कोई हथियार नहीं है तो उसके पास समाज के उन वर्गों से लड़ने

का कोई साधन नहीं होगा जो हमेशा या कभी-कभी उससे उसके अधिकार छीनना चाहते हैं। इसलिए उसे भूमि देने के बाद उसे अभिलेख के रूप में उसका अधिकार भी दिया जाना चाहिए और उसे आर्थिक दृष्टि से जीवनक्षम बनाना चाहिए।''

1988 में हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन ने योजना में दिए गए भूमि सुधारों से सम्बन्धित पूरे न किए गए लक्ष्यों के विषय में कुछ बहुत उपयोगी सिफ़ारिशें की थीं। उन सिफ़रिशों को नीचे दिया जा रहा है :

(1) इस समय चल रहे सर्वेक्षण और बन्दोबस्त की कार्यवाही को शीघ्रता से किया जाए।

(2) राजस्व से सम्बन्धित निम्नतम स्तर के कर्मचारियों के अधिकार क्षेत्र का युक्तिकरण करके उनको सशक्त बनाया जाना चाहिए। इन व्यक्तियों की अभिवृत्ति को विभिन्न कार्यक्रमों की ओर पुन: उन्मुख करने के लिए उन्हें समय-समय पर अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया जाए और उनके लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं।

(3) राजस्व विभाग की योजनाओं को योजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। राज्य-सरकारें राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रही है। इसके अनेक कारण हैं जैसे, स्थापना व्यय अधिक होना, प्रक्रिया में समय अधिक लगना। इस तथ्य को जानकर यह अनुभव किया गया कि राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार राज्यों को केन्द्रीय सहायता दे।

(4) राज्यों में विविध प्रकार की भूअभिलेख व्यवस्था होने के कारण भू-अभिलेख का एक समान फार्मेट बनाना सम्भव नहीं है। लेकिन, देश में जितने भी भू-अभिलेख फार्मेट हैं उनमें मूल आंकड़े अवश्य होने चाहिए।

(5) भूस्वामियों और काश्तकारों को पट्टा पास बुकें जारी की जाएं। इस पास-बुक धारकों को अपने अधिकारों/स्वत्व का कानूनी दर्ज़ा प्राप्त होगा।

(6) प्रत्येक राज्य में भू-अभिलेखों का आरम्भिक/मार्गदर्शी आधार पर कम्प्यूटरीकरण किया जाना चाहिए। इस परियोजना का निधीयन पूर्णत: केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए।

(7) केन्द्रीय सरकार को राजस्व प्रशासन को सुदृढ बनाने तथा कम्प्यूटरीकरण सहित नई प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा भू-अभिलेखों को अद्यतन करने और उनके आधुनिकीकरण के लिए राज्यों की प्रचुर सहायता करनी चाहिए।

(8) जो केन्द्रीय योजना कार्यान्वित की जा रही है उसे अधिक आवंटन सहित आठवीं योजना में जारी रखा जाना चाहिए। निधियों में भागीदारी की वर्तमान व्यवस्था को बदलना चाहिए और राज्यों के पास उपलब्ध संसाधनों के अभाव को देखते हुए केन्द्र द्वारा उसमें अधिक अंशदान करना चाहिए।

(9) एक राष्ट्रीय भू-राजस्व आयोग की स्थापना की जानी चाहिए और उसे प्रत्येक राज्य से सलाह करके यह सुझाव देने का अधिदेश देना चाहिए कि भू-राजस्व और भू-अभिलेख प्रशासन को कैसे सुदृढ़ और आधुनिक बनाया जाए और इस प्रयोजन के लिए तकनीकी, वित्तीय और जनशक्ति के संसाधनों को कैसे जुटाया जाए।

(10) भूमि पंजीकरण दस्तावेजों के रखरखाव, संचय और उपयोजन के आधुनिकीकरण की दृष्टि से भूमि पंजीकरण कार्यालयों को व्यवस्थित करना और उनका सुदृढ़ीकरण करना अत्यावश्यक है।

(11) एक तकनीकी दल इस विषय में मार्गनिर्देश तैयार करे कि अधिकारों के अभिलेखों में जनजातीय व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों और हितों को किस प्रकार अभिलिखित किया जाए।

भू-राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण

भू-राजस्व

भूमि राज्य का विषय है। अत: भूमि के अभिलेखों को अद्यतन रखने और उसके विषय में नियमित सर्वेक्षण आदि करने का दायित्व मूलत: राज्य सरकारों का है। भारत सरकार राज्य सरकारों से सलाह करके सामान्य नीतियां तैयार करती है और विशिष्ट परियोजनाओं के लिए राज्य-सरकारों को आवश्यक वित्तीय सहायता भी देती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 1993-94 की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भू-अभिलेखों को अद्यतन करने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि राजस्व प्रशासन के संरचनात्मक विकास तथा भू-राजस्व प्रशासन से सम्बन्धित बढ़े हुए कार्यों को करने के उद्देश्य से उसकी प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों की दृष्टि से वर्तमान राजस्व प्रशासन व्यवस्था की सामर्थ्य का पता लगाने के लिए न तो कोई पुनरीक्षा हुई है और न कोई मूल्यांकन अध्ययन ही किया गया है। तथापि, 1987-88 में शुरू की गई राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा भूअभिलेखों को अद्यतन करने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने भूअभिलेखों को अद्यतन करने के प्रयोजन के लिए उपकरण ख़रीदने व प्रशासन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, केन्द्र के हिस्से के रूप में 31 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों (राज्यवार विवरण संलग्नक-2 में) को 1993-94 तक 79.98 करोड़ रुपए (1993-94 के दौरान 21 राज्यों को 24.26 करोड़ रुपए) की राशि दी। सम्बन्धित राज्य सरकारें द्वारा निधियों के एकत्रीकरण, वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों और इन निधियों की सहायता से किए गए कार्य के स्वरूप के बारे में सूचना भी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की ओर पहले क़दम के रूप में भारत सरकार ने पायलट परियोजना के आधार पर प्रत्येक राज्य के एक ज़िले में भूअभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण शुरू किए जाने के लिए राज्य सरकारों को

केन्द्रीय सहायता देना भी आरम्भ किया है। 1989-90 से 1993-94 तक 25 राज्यों को (राज्यवार विवरण सलंग्नक 3 में (13.77 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र के हिस्से के रूप में दी गई है (1993-94 के दौरान 0.09 करोड़ रुपए)। तथापि, लाभार्थी राज्यों में इस योजना की प्रगति को देखते से पता चलता है कि दी गई राशि में से 50% से भी कम राशि (3.88 करोड़ रुपए) का उपयोग किया गया है और सम्भवत: राज्यों ने इस योजना में अपने हिस्से की राशि का उपयोग बिलकुल नहीं किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को सम्बन्धित राज्यों से यह पता लगाना चाहिए कि योजना के अन्तर्गत उन्होंने अपने हिस्से में से कितनी राशि खर्च की है।

राजस्व प्रशासन और भूअभिलेख व्यवस्था को पुन: सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने बिहार सरकार के भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री पी०एस० अप्पू की अध्यक्षता में सात सदस्यों की एक समिति गठित की है। समिति को अपनी रिपोर्ट अगस्त 1994 के अन्त तक देनी थी, लेकिन उसने अभी तक यह रिपोर्ट नहीं दी है। इस समिति के विचारार्थ विषयों को देखते हुए यह आशा की जाती है कि उसकी सिफ़ारिशें उपयोगी होंगी और तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी को उपयुक्त बनाने के लिए राजस्व प्रशासन को पुनर्गठित किया जाएगा तथा भूअभिलेख व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

भूमि सीमा कानूनों का कार्यान्वयन तथा सीमा अधिशेष भूमि का वितरण

हमारा संविधान स्वीकृत किए जाने के चार दशकों के बाद भी सम्पन्न और असम्पन्न वर्गों की सामाजिक-आर्थिक हैसियत में अभी भी बड़ा अतर बना हुआ है। सामाजिक-आर्थिक हैसियत का एक महत्वपूर्ण सूचक कृषि भूमि जोतों का विस्तार है। यद्यपि आजादी के तुरंत बाद सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति तैयार करने का प्रयत्न किया गया था और इस प्रयोजन के लिए श्री जे० सी० कुमारप्पा की अध्यक्षता में कांग्रेस की कृषि भूमि संबंधी सुधार समिति नियुक्त की गई थी जिसने 1949 के मध्य में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, श्री गुलजारी लाल नंदा की अध्यक्षता में योजना आयोग ने मई 1955 में भूमि सुधार पैनल की स्थापना की थी और बाद में कांग्रेस अध्यक्ष ने 9 सदस्यों की एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त की थी, लेकिन यह नीति प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही निरुपित हुई। यह प्रस्ताव किया गया था कि जो नीति तैयार की जाए वह ऐसी हो जिससे धन और आय का अतर कम हो, शोषण बंद हो, काश्तकार और श्रमिक को सुरक्षा मिले और ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों को हैसियत तथा अवसर की समानता का आश्वासन मिले। इसी अनुभूति के अनुसरण में कृषि की जोतों की अधिकतम सीमा रखे जाने का विचार उपजा था। यह सोचा गया था कि सीमा इस प्रकार लागू की जाए कि एक निश्चित अधिकतम स्तर से ऊपर अधिशेष भूमि को उस भूमि के धारक से ले लिया जाए और, कुछ प्राथमिकताओं के आधार पर, उसे भूमिहीनों अथवा छोटी जोत के धारकों में पुन: वितरित किया जाए।

भूमि सीमा के कानूनों का अधिनियमन और प्रवर्तन

विभिन्न अवधियों में राज्यों ने अपने ही कानूनों द्वारा कृषि भूमि की जोतों की विभिन्न अधिकतम सीमाएं लागू की और उनका कार्यान्वयन भी किया। वस्तुत: भूमि सीमा के कानूनों का अधिनियमन दो चरणों में हुआ-पहला, प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 1972 में राष्ट्रीय मार्ग-निर्देश निरुपित किए जाने से पूर्व और दूसरा मार्ग-निर्देश अपनाए जाने के बाद, अर्थात् 1972 के बाद। 1972 से पूर्व अधिनियमित कानूनों में अनेक कमियां थी जिनके कारण बड़े भूस्वामियों के लिए उन कानूनों से बचना और अपने कब्जे में अनुज्ञेय सीमा से अधिक कृषि भूमि रखना संभव हो सका। तथापि, राष्ट्रीय मार्ग-निर्देश स्वीकार किए जाने के बाद अनेक राज्यों ने अपने कानूनों में परिवर्तन/संशोधन किया है जिनकी सूची इस अध्याय के अंत में एक संलग्नक में दी गई है।

भूमि की अधिकतम सीमाएं-विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित सीमाएं

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न राज्यों में भूमि की श्रेणी के अनुसार अधिकतम सीमा के स्तर को दर्शाया गया है।

सारणी-8*

भूमि की अधिकतम-राज्यवार सीमाएं

(एकड़ में)

राज्य	दो फसलों वाली सिंचित भूमि	एक फसल वाली सिंचित भूमि	असिंचित भूमि
आंध्र प्रदेश	10 से 18	15 से 27	35 से 54
असम	17	17	17
बिहार	15 से 18	25	30 से 45
गुजरात	10 से 18	15 से 27	20 से 54
हरियाणा	18	27	54
हिमाचल प्रदेश	10	15	30 से 70
जम्मू व कश्मीर	9 से 12.5	9 से 12.5	15 से 23 (लद्दाख में 19)
कर्नाटक	10 से 20	25 से 30	54
केरल	12 से 15	12 से 15	12 से 15
मध्य प्रदेश	18	27	54
महाराष्ट्र	18	27	54
मणिपुर	12	12	15
उड़ीसा	10	15	30 से 45
पंजाब	17	27	51
राजस्थान	18	27	54 से 175
सिक्किम	12.5	12.5	50
तमिलनाडु	12	30	60
त्रिपुरा	10	10	30
उत्तर प्रदेश	18	27	45
पश्चिम बंगाल	12	12	17

*स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय

उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा के स्तर में बड़ी विविधता है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में रखी गई सीमाओं में बड़ा अंतर है जहां सीमा का स्तर क्रमश: 18 से 175 एकड़ और 10 से 70 एकड़ तक है। मणिपुर (12 से 15 एकड़), पश्चिम बंगाल (12 से 17 एकड़), जम्मू एवं कश्मीर (9 से 23 एकड़) और त्रिपुरा (10 से 30 एकड़) में यह अंतर अपेक्षाकृत कम है। केरल में कोई अंतर नहीं है जहा विभिन्न श्रेणियों की भूमि के लिए एक ही स्तर (12 से 15 एकड़) रखा गया है।

आयोग की सिफारिश है कि यह वांछनीय है कि सभी राज्यों में, जहां तक व्यावहारिक हो, लगभग एक समान सीमा रखी जाए और राज्यों को भूमि की अधिकतम सीमा को यथा संभव कम करने का भी प्रयत्न करना चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सीमा की अधिशेष भूमि का आबंटन

ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि सुधार अनुभाग द्वारा तैयार की गई सूचना के अनुसार मार्च 1994 के अंत तक विभिन्न राज्यों में 73.52 लाख एकड़ भूमि अधिशेष घोषित की गई। इसमें से 64.28 लाख एकड़ (87.43%) क्षेत्र को कब्जे में लिया गया। कब्जे में लिए गए भूमि के क्षेत्रफल में से केवल 78.22 प्रतिशत (50.58 लाख एकड़) भूमि वितरित की गई। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गों को क्रमश: 35% (17.54 लाख एकड़), 14% (7.06 लाख एकड़) और 51% (25.98 लाख एकड़) भूमि वितरित की गई। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि अधिशेष घोषित की गई 73.52 लाख एकड़ भूमि के कुल क्षेत्रफल में से एक बड़ा भाग (29.85%) अर्थात् 21.95 लाख एकड़ भूमि मुकदमेबाजी में फंसे होने, (12.90 लाख एकड़), सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित/अन्तरित किए जाने, (3.67 लाख एकड़), कृषि के योग्य न होने (3.55 लाख एकड़) और विविध प्रयोजनों के लिए रखे जाने (1.82 लाख एकड़) आदि, विभिन्न कारणों से वितरण के लिए उपलब्ध नहीं थी। इससे पता चलता है कि जो भूमि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं थीं उसमें 58% से अधिक भूमि विभिन्न राज्यों के न्यायालयों में मुकदमेबाजी में फंसी हुई थी। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक भूमि (2.05 लाख एकड़) मुकदमेबाजी में अंतर्गस्त होने की सूचना मिली है। अन्य राज्य जहां एक लाख एकड़ से अधिक भूमि मुकदमेबाजी में फंसी हुई थी-बिहार (1.83 लाख), पश्चिम बंगाल (1.78 लाख), कर्नाटक (1.45 लाख) और उत्तर प्रदेश (1.33 लाख) थे। उड़ीसा में सबसे कम भूक्षेत्र (13841 एकड़) मुकदमेबाजी में अंतर्गस्त होने की सूचना मिली थी।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भूमिहीन गरीब पात्रों को वितरित किए जाने के लिए अनुपलब्ध भूमि का एक बड़ा भाग (58% से अधिक) मुकदमेबाजी में अंतर्ग्रस्त है। इस भूमि के एक बड़े भाग के बारे में राजस्व न्यायालयों में मुकदमेबाजी चल रही है। कुछ पहले के अध्ययनों से पता चला है कि अनेक मामले ऐसे हैं जो संबंधित राजस्व न्यायालयों में पेश ही नहीं हुए हैं। न्यायिक अदालतों में अनेक मामले ऐसे हैं जिनके निपटारे के लिए असामान्य रूप से लम्बे समय तक कोई जोर नहीं दिया गया है। उच्च न्यायालयों में काम का दबाव ज्यादा होने तथा लम्बित मुकदमों की संख्या अधिक होने के कारण कार्यवाही में बहुत देर लगती है।

आयोग का विचार है कि यदि संबंधित राज्य मुकदमेबाजी में फंसी भूमि को यथाशीघ्र छुड़ाने और उसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित भूमिहीन गरीबों को आबंटित करने के लिए पर्याप्त और समुचित कार्यकारी एवं विधायी उपाय करें तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकांश व्यक्तियों को लाभ हो सकता है जो भूमि आबंटन के पात्र हैं।

अत: आयोग की सिफारिश है :

जिन राज्यों के पास भू-सीमा के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप भूमि का काफी क्षेत्र अधिशेष है लेकिन वे मुकदमेबाजी के कारण उस भूमि को आबंटित नहीं कर सके हैं वे ऐसे मामलों का पता लगाकर उनको पृथक करें और एक निर्दिष्ट समयावधि में उन मामलों के शीघ्रता से निपटारे के लिए विशेष भूमि न्यायाधिकरण नियुक्त के लिए कार्यवाही करें। यदि आवश्यक हो तो मुकदमेबाजी के मामलों के निपटारे पर नजर रखने के लिए परिवीक्षण प्रकोष्ठों का गठन करें।

वितरण के लिए अनुपलब्ध कुल क्षेत्र में से 3.67 लाख एकड़ भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित/अन्तरित की गई है। गुजरात और असम सरकारों ने सूचना दी है कि उनके यहां ऐसी क्रमश: 24952 एकड़ और 17250 एकड़ भूमि है जो बहुत अधिक है।

यद्यपि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बारंबार राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि अधिशेष घोषित की गई भूमि को ग्रामीण गरीबों को वितरित करने के अतिरिक्त उसका किसी अन्य प्रकार से प्रयोग न करें, उपरोक्त प्रक्रिया अभी तक चल रही है. **अत: आयोग की सिफारिश है कि राज्य सरकारें ऐसा न करें और अधिशेष भूमि को केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित भूमि के पात्र ग्रामीण गरीब लाभार्थियों को ही वितरित करें।**

वितरण के लिए अनुपलब्ध कुल क्षेत्र में से 3.55 लाख एकड़ भूमि का वर्गीकरण कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि के रूप में किया गया है। आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सूचना के अनुसार उनके यहां इस वर्ग का सबसे अधिक भूक्षेत्र अर्थात् 13000 से 73000 एकड़ के बीच है।

अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण के लिए आठवीं योजना के कार्यकारी दल ने सुझाव दिया था कि अनुसूचित जातियों के खेतिहर मजदूरों के परिवारों को अधिमान्यता के आधार पर आबंटित करने के लिए परती भूमि को अनिवार्य रूप से अधिकार में ले लिया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए, जहां आवश्यक हो, विद्यमान कानूनों में आवश्यक प्रावधान किया जाए।

जहां आयोग उपरोक्त सुझाव का समर्थन करता है वहीं उसका यह भी विचार है कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कृषि के लिए अयोग्य घोषित की गई भूमि वास्तव में कृषि के लिए अयोग्य है। ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण

विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों से नमूने के तौर पर यह परीक्षण करने को कहा है कि अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कृषि के लिए अयोग्य घोषित की गई भूमि वास्तव में अयोग्य है। मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसे क्षेत्र को सामाजिक वानिकी, चारा उगाने आदि के लिए आबंटित किया जाए और विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटियों को वित्तीय सहायता देकर परती भूमि को सुधारा जाए।

आयोग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों की प्रशंसा करता है और आशा करता है कि इस संबंध में ठोस परिणामों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट के वर्ष में 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 5क के अंतर्गत सीमा अधिशेष भूमि का वितरण (राज्यवार) निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है :

सारणी-9*

सूत्र सं० 05 क-अधिशेष भूमि का वितरण

इकाई : एकड़

राज्य का नाम	लक्ष्य 1993-94	उपलब्धि 1993-94	उपलब्धि का %
आंध्र प्रदेश	122810	27139	22
असम	30430	10596	35
बिहार	94000	7453	8
गुजरात	15140	2923	19
हरियाणा	4570	308	7
हिमाचल प्रदेश	2870	0	0
जम्मू व कश्मीर	6000	0	0
कर्नाटक	84270	624	1
केरल	8240	2894	35
मध्य प्रदेश	64410	566	1
महाराष्ट्र	29980	1715	6
मणिपुर	51	0	0
उड़ीसा	2690	3022	112
पंजाब	23040	392	2
राजस्थान	19380	993	5
तमिलनाडु	3210	3605	112
त्रिपुरा	53	0	0
उत्तर प्रदेश	52570	3402	6
पश्चिम बंगाल	33330	5000	15
दादरा एवं नागर हवेली	1004	255	25
दिल्ली	75	0	0
पांडिचेरी	440	0	0
कुल जोड :	598563	70887	12

* स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय

अति उत्तम : उड़ीसा, तमिलनाडु

अपर्याप्त : आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा एवं नागर हवेली, दिल्ली, पांडिचेरी

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि इस योजना के अंतर्गत प्रगति बहुत असंतोषजनक रही है। कुल मिलाकर केवल 12% उपलब्धि हुई है। 1993-94 के दौरान 5.98 लाख एकड़ के वितरण का लक्ष्य था जिसमें से केवल 0.70 लाख एकड़ का वास्तव में वितरण हुआ। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों तथा दादरा एवं नागर हवेली और पांडिचेरी के संघ क्षेत्रों में कोई उपलब्धि नहीं हुई। मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में बहुत कम उपलब्धि हुई जो कि 1% से 7% के बीच थी। उड़ीसा और तमिलनाडु ने वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 112% की उपलब्धि की जो एक प्रभावपूर्ण उपलब्धि है।

सीमा की अधिशेष भूमि के प्राप्तकर्ताओं को वित्तीय सहायता

अ० जा० और अ० ज० जा० सहित ग्रामीण गरीबों को आबंटित की जाने वाली सीमा की अधिशेष और सरकारी बंजर भूमि प्राय: अविकसित और घटिया किस्म की होती है। यदि उसे समुचित रूप से विकसित न किया जाए तो वह तुरंत प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। चूंकि ऐसी भूमि के आबंटी ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत गरीब भूमिहीन मजदूर परिवारों के होते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भी होते हैं, अत: भूमि को स्वयं विकसित करने के लिए उनके पास पर्याप्त वित्तीय या अन्य प्रकार के संसाधन नहीं होते। अत: भारत सरकार ने भूमि के प्राप्तकर्ता प्रत्येक परिवार को भूमि का विकास करने, कृषि के काम के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदने और उनकी तात्कालिक उपयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1975-76 के दौरान एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की थी। शुरू में प्रत्येक लाभार्थी को 500/- रु० प्रति हेक्टयर अनुदान के रूप में दिए गए लेकिन बाद में इस राशि को बढ़ाकर 1,000/- रु० प्रति हेक्टयर प्रति लाभार्थी कर दिया गया जसका खर्चा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को 50 :50 के हिस्से के आधार पर वहन करना था। वित्तीय सहायता की दर फिर बढ़ाकर 2,500/- रु० प्रति हेक्टेयर प्रति लाभार्थी कर दी गई और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अपनी दिसम्बर 23-24, 1991 की बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार, 1993-94 के बाद से इस योजना को राज्य क्षेत्र में ले जाया गया है। तथापि, 1992-93 तक, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को केन्द्र के हिस्से के रूप में 59.72 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्यों ने कुल 49.08 करोड़ रुपये (83.85%) की राशि का उपयोग किए जाने की सूचना दी है। रिपोर्ट के वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत रखे गए भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

काश्तकारी सुधार

राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति का एक मुख्य और महत्वपूर्ण घटक काश्तकारी सुधार था। भूमि जोतने वाले को भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृत राष्ट्रीय नीति

के बावजूद, अनेक राज्य भूमि के जोतने वालों के अधिकारों की समुचित सुरक्षा नहीं कर पाए हैं यद्यपि अनेक राज्यों ने उनको स्वामित्व का अधिकार देने के लिए वैधानिक प्रावधान किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 25-5-93 तक 15 राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों ने कुल 112.13 लाख आम काश्तकारों को 153.32 लाख एकड़ क्षेत्र पर स्वामित्व के अधिकार दिलाए या उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की। यद्यपि अ० जा० तथा अ० ज० जा० के लाभार्थियों के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, यह माना जाता है कि वे लोग सबसे बड़े लाभार्थी हैं क्योंकि अधिकतर बटाईदार और काश्तकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। राज्यवार विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

सारणी—10*

जिन काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार दिए गए (अथवा जिनके स्वामित्व को सुरक्षा दी गई) उनकी संख्या और उनको मिला क्षेत्र

क्र० सं०	राज्य	काश्तकारों की संख्या (लाखों में)	प्राप्त क्षेत्र (लाख एकड़ में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.07	5.95
2.	अरुणाचल प्रदेश		
3.	असम	29.08	31.75
4.	बिहार		
5.	गुजरात	12.63	25.66
6.	गोवा		
7.	हरियाणा	0.23	0.82
8.	हिमाचल प्रदेश	4.01	सूचना प्राप्त नहीं हुई
9.	जम्मू और कश्मीर		
10.	कर्नाटक	6.05	26.32
11.	केरल	28.42	14.50
12.	मध्य प्रदेश		
13.	महाराष्ट्र	14.92	46.21
14.	मणिपुर		
15.	मेघालय	शून्य	शून्य
16.	मिज़ोरम	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड		
18.	उड़ीसा	1.51	0.94
19.	पंजाब	0.10	0.51
20.	राजस्थान		
21.	सिक्किम		
22.	तमिलनाडु		
23.	त्रिपुरा	0.14	0.39
24.	उत्तर प्रदेश		
25.	पश्चिम बंगाल	13.90	सूचना प्राप्त नहीं हुई
संघशासित क्षेत्र			
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य
27.	चंडीगढ़		
28.	दादरा एवं नागर हवेली	0.07	0.21
29.	दिल्ली		
30.	दमण एवं दीव		
31.	लक्षद्वीप	नगण्य	नगण्य
32.	पांडिचेरी	नगण्य	नगण्य
	अखिल भारत	112.13	153.32

*स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय

उपरोक्त सारणी से प्रकट होता है कि असम, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्यों ने बड़ी संख्या में काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार दिए हैं यद्यपि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस प्रयोजन के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं हैं। अनेक अन्य राज्यों ने भी पूर्व वर्षों में काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार दिए हैं लेकिन क्योंकि इस दिशा में प्रगति से संबंधित सूचना सभी राज्यों द्वारा समान रूप में प्रेषित नहीं की जाती। अतः ग्रामीण विकास मंत्रालय एक विशेष तिथि तक मिले आंकड़ों को संकलित कर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कर लेता है। उपरोक्त सूचना 25-5-1993 को समाप्त हुई अवधि की है।

उपरोक्त सारणी में दर्शायी गई स्थिति से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि काश्तकारी सुधारों का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि जिस भूमि के स्वामित्व के अधिकार दिए गए हैं वह अनुमानतः उस भूमि के 4% से कुछ अधिक है जो काश्तकारों के पास है। तथापि असम, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में काश्तकारी को रिकार्ड करने और काश्तकारी के अधिकार दिलाने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। जिन अन्य राज्यों में काश्तकारी से संबंधित वैधानिक प्रावधान हैं उनमें अधिकतर क्षेत्रों में काश्तकारी के उपयोग का रिकार्ड समुचित तरीके से रखने की प्रथा न होने के कारण काश्तकारी के वैधानिक प्रावधानों से लक्षित समूहों को सुरक्षा नहीं मिलती है। जहां काश्तकारी के रिकार्ड रखे भी जाते रहे हैं वहां भूस्वामी व्यक्तिगत काश्त की आड़ में कानून से बचने में सफल होते हैं।

वास्तव में, काश्तकारी सुधार सफल नहीं हुए हैं और इसका कारण यह है कि सुधारों के निम्नलिखित मूल लक्ष्यों में से किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है : लगान सकल उत्पाद के 1/5 अथवा 1/4 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए, जिस भूमि पर काश्तकार काम करता है उस पर उसे स्थायी अधिकार दिए जाएं, उप-काश्तकार/बटाईदार को मर्जी के मुताबिक बेदखल किए जाने से सुरक्षा मिले, उप-काश्तकारों/बटाईदारों द्वारा काश्त की जा रही भूमि पर उन्हें किसी सीमा तक स्थायित्व मिले तथा भूस्वामी-काश्तकारों के संबंधों में सुधार हो। अतः किसी भी भूमि सुधार नीति को सफल बनाने के लिए यह न केवल वांछनीय है वरन् अनिवार्य भी है कि काश्तकारी व्यवस्था में सुधार किए जाएं।

अत : आयोग की सिफारिश है :

(1) सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे सभी काश्तकारों/बटाईदारों को रिकार्ड में शामिल करने के लिए तुरंत सर्वेक्षण और बंदोबस्त का काम करवाएं और उन्हें स्वामित्व के अधिकार दें/या निहित स्वार्थों के प्रयत्नों को विफल करने के लिए समुचित विधान बनाकर/यदि विधान बने हुए हों तो उनको संशोधित करके, विधान से बचने के सभी संभव रास्तों/अवरोधों को हटाकर उनके अधिकारों को सुरक्षित करें।

(2) यदि संभव हो तो राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया जाए कि काश्तकारों के हितों को रिकार्ड करने के लिए वे विशिष्ट समयावधि के लिए विशेष अभियान चलाएं।

(3) सभी स्तरों पर अर्थात् तहसील, उप-मंडल, जिला, मंडलीय और राज्य स्तर पर लाभार्थी संगठनों की सक्रिय सहभागिता के साथ एक नियमित अनुवीक्षण प्रणाली तैयार की जानी चाहिए। केन्द्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राजस्व मंत्री/सचिवों के स्तर पर प्रगति की वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जानी चाहिए।

(4) काश्तकारी से संबंधित मुकदमें इस प्रयोजन के लिए गठित विशेष न्यायाधिकरण को दिए जा सकते हैं।

सरकारी बंजर भूमि और भूदान भूमि का वितरण

भूमि सुधार नीति के अनुसार सभी प्रकार की उपलब्ध भूमि का पुन: वितरण करने के मुख्य विचार को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राज्यों में सरकारी बंजर भूमि के वितरण का काम बड़े पैमाने पर किया गया है। 14 मार्च 1992 को हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन के लिए तैयार किए गए पृष्ठभूमि कागज़ात/कार्यसूची टिप्पणियों में दिए गए ग्रामीण विकास मंत्रालय के आकलन के अनुसार, देश में लगभग 129.5 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि उपलब्ध थी। सरकार की यह स्वीकृत नीति है कि उसके पास जो बंजर भूमि उपलब्ध है उसे ऐसे ग्रामीण गरीबों को वितरित किया जाए जो उसके पात्र हों। इस नीति के अनुसरण में, 20 राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 127.39 लाख एकड़ सरकारी बंजर भूमि का वितरण किया गया है। यह सूचना रिपोर्ट के वर्ष की नही है वरन् पश्चिम बंगाल और गोवा के संबंध में क्रमश: दिसम्बर 1990 और मार्च 1992 तक की समयावधि की है। अन्य राज्यों की सूचना मार्च 1991 से नवम्बर 1991 तक की विभिन्न अवधियों की है। यह सूचना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 25-5-1994 तक उन्हें उपलब्ध सूचना के आधार पर संकलित की गई थी। राज्यवार स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है :

सारणी—11*

25-5-94 को संकलित सरकारी बंजर भूमि का वितरण

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	वितरित क्षेत्र (लाख एकड़ में)	सूचना की अवधि
1.	आंध्र प्रदेश	30.40	
2.	असम	3.75	3/91
3.	बिहार	9.75	10/91
4.	गुजरात	13.81	9/91
5.	हरियाणा	0.03	1/92
6.	हिमाचल प्रदेश	0.17	
7.	कर्नाटक	13.22	
8.	केरल	4.57	3/92
9.	मध्य प्रदेश	1.69	10/91
10.	महाराष्ट्र	10.23	
11.	मणिपुर	0.32	
12.	पंजाब	1.10	
13.	उड़ीसा	6.64	10/91
14.	तमिलनाडु	2.07	
15.	त्रिपुरा	1.32	
16.	उत्तर प्रदेश	22.28	11/91
17.	पश्चिम बंगाल	4.32	12/90
18.	गोवा	0.05	3/92
19.	मिज़ोरम	0.74	
20.	राजस्थान	0.93	
	जोड़	127.39	

*स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय

इस तथ्य को देखते हुए कि बहुधा सरकारी बंजर भूमि के आबंटियों के कब्जे से जमीन छीन ली जाती है, उनकी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है और कुछ मामलों में पूर्व बिचौलियों ने उनकी भूमि दबा भी ली है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण गरीबों को सरकार की भूमि में से अधिक भूमि दिलाने के उद्देश्य से 4 मार्च 1992 को हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में निम्नलिखित उपाय विचारार्थ प्रस्तावित किए थे :

(1) यह पता लगाने के लिए कि सरकार की कितनी भूमि अभी भी उपलब्ध है, सरकार की समस्त बंजर भूमि का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

(2) एक समयबद्ध तरीके से यह पता लगाने के लिए भी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि भूमि पर किस हद तक और किस रूप में अतिक्रमण किया गया है। सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को बेदखल करने के लिए भूकि का अतिक्रमण करने के बारे में बनाए गए विधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चहिए।

(3) सामान्यतः भूमि पर अतिक्रमण के बारे में की जाने वाली कार्यवाही को अनिश्चित समय तक चलते रहने देने की प्रवृत्ति रहती है। यह समझना आवश्यक है कि अतिक्रमण से संबंधित कार्यवाही अर्ध-न्यायिक कार्यवाही होती है, जहां नैसर्गिक न्याय के अधिकारों का आदर करना आवश्यक है वहां यह भी महत्वपूर्ण बात है कि मामलों का निपटारा शीघ्रता से हो। अतः कार्यवाही का निपटारा, आवश्यक रूप से, निर्धारित समयावधि में किया जाना चाहिए।

(4) खाली पड़ी सरकारी बंजर भूमि को ग्रामीण गरीबों के पात्र वर्गों को यथाशीघ्र आबंटित किया जाना चाहिए।

(5) सरकार की बंजर भूमि आबंटित करने में अधिमान्यता का क्रम वही होना चाहिए जो सीमा की अधिशेष भूमि के आबंटियों के लिए रखा गया है।

(6) यदि भूमि के किसी टुकड़े पर अतिक्रमण हुआ हो तो उसको खाली कराने के तुरंत बाद उसे आबंटित कर दिया जाना चाहिए। करारनामा या पट्टा तैयार रखा जाना चाहिए और अतिक्रमण को खाली कराने के तुरंत बाद आबंटी को भूमि का कब्ज़ा दे दिया जाना चाहिए।

(7) पट्टा/करारनामा देने से पहले अधिकारों के रिकार्ड को सुधारा जाना चाहिए।

(8) पहले का यह अनुभव रहा है कि प्रायः गलत आबंटन/बंदोबस्त करने का कारण यह था कि प्रक्रिया में लाभार्थी संगठनों को शामिल नहीं किया गया था। स्थापित ग्राम पंचायतों, संस्थाओं, क्षेत्र में सक्रिय लाभार्थियों के स्वैच्छिक संगठनों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

(9) जहां बंजर भूमि ग्राम सभा के नियंत्रण में हो, वहां इस कार्य को पूरा करने के लिए, प्रशासन द्वारा उसे पूरी सहायता दी जानी चाहिए। यदि किसी ग्राम सभा में निहित स्वार्थों वाले समूहों का वर्चस्व हो तो प्रशासन ग्रामीण गरीबों के पक्ष में अपने अधिकार का प्रयोग करे।

(10) वैध आबंटियों के कब्ज़े से भूमि छीनने को संज्ञेय अपराध बना दिया जाना चाहिए।

आयोग उपरोक्त सुझावों की पुष्टि करता है।

भूदान भूमि

भूदान आंदोलन का उद्देश्य भी, ग़ैर सरकारी समाज कल्याण संगठनों को शामिल करके, स्वैच्छिक दान के माध्यम से भूमि का समान, वितरण कराना था। स्वैच्छिक संगठनों के समर्पित और अथक प्रयत्नों के द्वारा इस आंदोलन को उल्लेखनीय सफलता मिली-विशेषकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां दान में दी गई भूमि 75 से 100 प्रतिशत के बीच थी। 22-4-94 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संकलित जानकारी (रिपोर्ट की अवधि 10/90 से 11/92 तक की है) के अनुसार 17 राज्यों ने कुल 45.90 लाख एकड़ उपलब्ध क्षेत्र में से इस वर्ग में 23.27 लाख एकड़ भूमि का वितरण किया। कुल उपलब्धि 50% थी। राज्यवार स्थिति निम्नलिखित सारणी में दी गई है :

सारणी—12*
भूदान की भूमि का वितरण

(क्षेत्रफल लाख एकड़ में)

क्र० सं०	राज्य	क्षेत्र			वितरित क्षेत्र का %	रिपोर्ट की अवधि
		दान किया गया	वितरित	शेष		
1.	आंध्र प्रदेश	1.96	1.02	0.94	52.0	10/90
2.	असम	नगण्य	नगण्य	—	—	
3.	बिहार	21.18	7.00	14.18	33.05	6/92
4.	गुजरात	0.34	0.27	0.07	79.41	
5.	हरियाणा	0.02	0.02	—	100.00	
6.	हिमाचल प्रदेश	नगण्य	नगण्य	नगण्य	—	
7.	जम्मू और कश्मीर	नगण्य	नगण्य	नगण्य	—	
8.	कर्नाटक	0.11	0.05	0.06	45.45	
9.	केरल	0.02	0.01	0.01	50.00	
10.	मध्य प्रदेश	4.10	2.43	1.67	59.27	
11.	महाराष्ट्र	1.10	0.83	0.27	75.45	
12.	उड़ीसा	6.39	5.80	0.59	90.76	11/92
13.	पंजाब	0.05	0.01	0.04	20.00	
14.	राजस्थान	6.02	1.41	4.61	23.42	
15.	तमिलनाडु	0.24	0.21	0.03	87.50	11/92
16.	उत्तर प्रदेश	4.37	4.21	0.16	96.33	9/92
17.	पश्चिम बंगाल	नगण्य	नगण्य	नगण्य	—	
	जोड़	45.90	23.27	22.63	50.70	

*22-4-1994 तक की स्थिति

जोतों की चकबंदी

कृषि के विकास, विशेषकर उत्पादकता में वृद्धि से संबंधित किसी भी क्रियाकलाप का सार्थक आयोजन करने के लिए यह आवश्यक है कि जोतों की चकबंदी की जाए। हमारे देश के लिए चकबंदी का विशेष महत्व है क्योंकि हमारे देश में कृषि की जोतों का औसत आकार छोटा (2 हेक्टेयर से कम 1.69 हे०) होने के साथ-साथ सीमांत और छोटे कृषकों के पास अधिकांश जोतें खंडित हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार असम में चकबंदी का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है और आंध्र प्रदेश में जनवरी 1992 के बाद से यह कार्य रुका पड़ा है। उत्तर प्रदेश में जोतों की चकबंदी की योजना 1965 से बंद है। तथापि, विभिन्न राज्यों में 11-4-94 तक कुल 1528.76 एकड़ (क्षेत्रफल 618.66 लाख हेक्टेयर) की चकबंदी कर दी गई थी। विभिन्न राज्यों की राज्यवार स्थिति तथा रिपोर्ट की अवधि से संबंधित विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:

सारणी—13*

जोतों की चकबंदी—राज्यवार

(क्षेत्रफल लाख एकड़ में)

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	चकबंदी में लाया गया क्षेत्र	रिपोर्ट भेजने की अवधि
1.	आंध्र प्रदेश	8.18+	1/92
2.	असम	शून्य	
3.	बिहार	49.50	6/92
4.	गुजरात	68.50	10/92
5.	हरियाणा	104.50	
6.	हिमाचल प्रदेश	19.94	6/93
7.	जम्मू और कश्मीर	1.16+	
8.	कर्नाटक	26.76	
9.	मध्य प्रदेश	95.53	
10.	महाराष्ट्र	526.50	3/92
11.	उड़ीसा	19.96	3/93
12.	पंजाब	121.72	2/93
13.	राजस्थान	42.30(ख)	
14.	उत्तर प्रदेश	441.87	11/91
15.	पश्चिम बंगाल	शून्य(क)	1.92
16.	दादरा और नागर हवेली	शून्य(क)	
17.	दिल्ली	2.33	9/92
	जोड़	1528.76 अथवा 618.66 लाख हेक्टेयर	

+योजना प्रास्थगित की गई

(क) योजना कार्यान्वित नहीं हुई

(ख) योजना 1965 से बंद की गई

यद्यपि कुछ राज्यों ने कृषि की जोतों की चकबंदी करने में अच्छी प्रगति की है, ऐसा लगता है कि जिन राज्यों में इस योजना के विषय में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है उन्हें चकबंदी के कार्य को पूरा करने के लिए विशेष उपाय करने होंगे।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) में अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित कार्यकारी दल ने भूमि सुधार के विभिन्न उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपयोगी सुझाव दिए थे:

(1) यह आवश्यक है कि भूमि के उपभोग से संबंधित तथ्य को समुचित रूप से पूर्वव्यापी आधार पर रिकार्ड में शामिल किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो संबंधित व्यक्तियों को काश्तकारी के अधिकार दिलाने के लिए काश्तकारी कानूनों और अन्य प्रावधानों में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।

(2) भू-अभिलेखों को सही ढंग से अद्यतन किया जाना चाहिए।

(3) व्यक्तिगत कृषि की परिधि को सीमित किया जाना चाहिए, उसमें मजदूरी देकर कराई गई काश्त को शामिल नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रवासी जमींदार को काश्तकार न माना जाए—इस दृष्टि से आवासीय पात्रता पर बल दिया जाना चाहिए।

(4) परती भूमि को अनुसूचित जातियों के कृषक मजदूर परिवारों को अधिमान्यता के आधार पर आबंटित करने के लिए अनिवार्यत: ले लिया जाना चाहिए और इसके लिए, यदि आवश्यक हो तो, विद्यमान कानूनों में समुचित प्रावधान किया जाना चाहिए।

(5) धार्मिक और खैराती संस्थाओं की कृषि भूमि को सामान्य काश्तकारी नियमों आदि के अधीन लाया जाना चाहिए।

(6) जब धार्मिक और खैराती संस्थाओं द्वारा भूमि पट्टे पर दी जाए तो उसमें से कम से कम 50% भूमि परस्पर न्यायोचित शर्तों पर अनुसूचित जातियों के कृषक मजदूरों के लिए विनियुक्त की जानी चाहिए।

(7) कृषि भूमि सीमा से संबंधित विधानों से बचने के रास्ते बंद किए जाने चाहिए। भूमि कब्जे का उपभोग सत्यापित किया जाना चाहिए और ऐसी समस्त भूमि की पहचान की जानी चहिए जिसका बेनामी सौदा हुआ हो अथवा जिसको अन्यथा छिपाया गया हो।

(8) भूमि पर पड़ रहे दबाव को ध्यान में रखकर और भूमिहीन कृषि मज़दूरों को कृषि के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम भूमि की सीमा कम की जानी चाहिए।

(9) अधिकांशत:, नई सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली भूमि को, अधिकतम सीमा के प्रयोजन के लिए, नम भूमि नहीं माना जाना चाहिए। न्यायालयों द्वारा, कृषि पर आधारित परस्त को सामान्यत: ध्यान में नहीं लिया जाता। इस असंगति को हटाया जाना चाहिए और भूमिधारकों पर अधिकतम सीमा के प्रावधानों को सख़्ती से लागू किया जाना चाहिए।

(10) अधिकतम सीमा की अधिशेष भूमि और सरकारी भूमि के आवंटियों से भूमि का कब्जा छीनने, कृषि में बाधा डालने आदि के तरीकों से परेशान किया जाता है। ऐसे मामलों में प्रशासन को अनुसूचित जाति के भूमि प्राप्तकर्ताओं का बचाव करना चाहिए और विशेषकर मुकदमें आदि में उनके आवश्यक पक्षकार के रूप में स्वयं को शामिल करना चाहिए।

(11) जो भूमि अनुसूचित जातियों के पास स्वामित्व या आबंटी के रूप में है उसकी रक्षा करना अत्यावश्यक है। बहुधा दूसरे लोग अनुसूचित जातियों के लोगों की भूमि को रहन रखवा कर ब्याज की ऊंची दर पर ऋण लेने के लिए मजबूर करके फंसाने की कोशिश करते हैं। अनुसूचित जातियों को उनकी भूमि से वंचित करने के निहित स्वार्थों के प्रयत्नों को विफल करने के लिए आवंटन की शर्तों और ऋण से राहत दिलाने वाले प्रावधानों को कड़ाई से प्रवर्तित किया जाना चाहिए। जहां ऋण से राहत दिलाने वाले विधान समाप्त हो गए हैं वहां उनका पुन:स्थापन किया जाना चाहिए, जहां वे विद्यमान न हों वहा उन्हें अधिनियमित किया जाना चाहिए।

आयोग उपरोक्त सुझावों से सहमत है और सरकार से आग्रह करता है कि इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्रता से कार्यवाही करें।

जनजातीय भूमि का हस्तांतरण

जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को निषिद्ध करने और जनजातियों को हस्तांतरित भूमि वापिस दिलाने की नीति अपनाने के बाद विभिन्न राज्य-सरकारों ने इस प्रयोजन के लिए वैधानिक और कार्यकारी उपाय किए। जिन राज्यों में जनजातियों की आबादी ज्यादा है—उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल—उन राज्यों ने जनजातियों की भूमि का गैर जनजातियों को हस्तांतरण रोकने और हस्तांतरित भूमि जनजातियों को फिर से दिलाने के लिए अधिनियम/विनियम बनाए हैं। तथापि, सामान्यत: ये विधियां/विनियम अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ही लागू होते हैं। यद्यपि इन क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की क्रमश: पांचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध विशेष प्रावधानों के अनुसार होता है और जनजातीय भूमि का हस्तांतरण रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न अधिनियमों में किए गए विशेष उपबंधों के रहते हुए भी, लगभग उन सभी राज्यों में जिनमें ये विधायी और कार्यकारी उपाय किए गए हैं, यह प्रथा अभी तक जारी है। इस स्थिति का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न राज्यों द्वारा बनाई गई विधियां सुस्पष्ट नहीं हैं और उनमें मौजूद बचाव के रास्तों का लाभ उठाकर बेईमान निहित स्वार्थ वाले तत्व—गरीब जनजातीय लोगों को परेशान करते हैं और उनका शोषण करते हैं। उदाहरण के लिए, उड़ीसा, बिहार आदि कुछ राज्यों में विधियों में यह प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति से जनजातीय भूमि का गैर-जनजातीय व्यक्ति को अन्तरण किया जा सकता है। जिन मामलों में जनजातीय भूमि का गैर-जनजातीय लोगों को अन्तरण किए जाने के बारे में मुकदमेबाजी होती है वे सिविल न्यायालय की अधिकारिता में होते हैं। कानूनी प्रक्रियाएं कष्टप्रद होती हैं और मामलों को निपटाने में न्यायालय असामान्य रूप से लम्बा समय लेते हैं तथा ग़रीब जनजातीय व्यक्ति का धैर्य पूरी तरह टूट जाता है, वह थक जाता है और उसे विवश होकर अपनी उस भूमि को त्यागना पड़ता है जो न केवल उसकी जीविका का एकमात्र आधार होती है वरन् जो उसे बहुत प्रिय भी होती है। इन्हीं कारणों से कानूनी प्रावधान उपलब्ध होते हुए भी राज्य जनजातीय भूमि का गैर जनजातीय लोगों को अन्तरित किया जाना नहीं रोक पाए हैं और उनकी हस्तांतरित भूमि भी उन्हें वापिस नहीं दिला पाए हैं। यद्यपि कुछ उपलब्धियां हुई हैं किन्तु, कुल मिलाकर, इस विषय में लगभग सभी राज्यों में बहुत धीमी प्रगति हुई है जो नीचे दी गई सारणी से प्रकट है :

सारणी—14*

हस्तांतरित और प्रत्यावर्तित जनजातीय भूमि को दर्शाने वाला विवरण

1/95 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं०	राज्य	हस्तांतरण		प्रत्यावर्तन		कब्जा दिया गया		रद्द किए गए मामले	
		मामलों की संख्या	हस्तांतरित क्षेत्र	मामलों की संख्या	प्रत्यावर्तित क्षेत्र	मामलों की संख्या	कब्जे में दिया गया क्षेत्र	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त क्षेत्र
1	2	3	4	5 (कालम 5 से 3)	6 (कालम 6 से 4)	7 (कालम 7 से 5)	8 (कालम 8 से 6)	9 (कालम 9 से 3)	10 (कालम 10 से 4)
1.	आंध्र प्रदेश	61649	255877	24539 (39.80)	98902 (38.65)	22571 (91.98)	91528 (92.54)	25255	122523 (45.88)
2.	असम	2023	5174	लागू नहीं	448 (8.66)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	बिहार	84232	102326	50450 (59.89)	43324 (42.34)	28924 (57.33)	42875 (98.96)	31096 (36.92)	47501 (46.42)
4.	गुजरात	35879	107967	30093 (83.87)	95004 (87.99)	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	3307 (9.22)	5621 (5.21)
5.	कर्नाटक	38763	115262	20071 (51.78)	63077	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	17476 (45.08)	48915 (42.44)
6.	मध्य प्रदेश	54139	62528	1707 (3.15)	48398 (77.40)	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	29596 (54.67)	97123
7.	महाराष्ट्र	45634	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	20824 (45.63)	105497	19943 (95.77)	99270 (94.10)	24681 (54.08)	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
8.	उड़ीसा	125052	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	43577 (34.85)	57575	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
9.	राजस्थान	360	1423	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	63 (17.50)	212 (14.90)
10.	त्रिपुरा	25434	22938	6610 (25.99)	5460 (23.80)	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	4924 (90.18)	17176 (67.53)	16418 (71.57)

***स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय**

जिन 10 राज्यों ने प्रगति की रिपोर्ट भेजी है उनकी सूचना उपरोक्त सारणी में एकरूप में नहीं है। बिहार और त्रिपुरा राज्यों ने मार्च 1994 तक की रिपोर्ट भेजी है। असम ने अप्रैल 1994 तक और आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों ने जुलाई 1994 तक की रिपोर्ट भेजी है। उड़ीसा और राजस्थान के बारे में सूचना सितम्बर 1994 तक की अवधि से संबंधित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास जो सूचना 1-1-95 तक उपलब्ध थी उसी के आधार पर उन्होंने सूचना का संकलन किया है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जिन राज्यों में जनजातीय भूमि का हस्तांतरण हो रहा है वे सभी राज्य हस्तांतरित भूमि के प्रत्यावर्तन और उसका कब्जा जनजातीय व्यक्तियों को दिलाने के बारे में प्रगति से संबंधित रिपोर्ट नियमित रूप से और समय पर नहीं भेज रहे हैं। 10 राज्यों ने जो सूचना भेजी भी है वह अपूर्ण है। **अतः आयोग की सिफारिश है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों से यह आग्रह करे कि वे जनजातीय लोगों की भूमि के हस्तांतरण, प्रत्यावर्तन और कब्जा वापस दिलाए जाने की प्रगति की रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा निर्धारित समयावधि में नियमित रूप से भेजें।**

क्योंकि सभी राज्यों से प्राप्त सूचना में एकरूपता नहीं है, अतः प्रत्येक राज्य की स्थिति के बारे में अलग से चर्चा की गई है।

आंध्र प्रदेश में 61,649 मामलों में लगभग 2.56 लाख एकड़ जनजातीय भूमि जून 1994 के अंत तक हस्तांतरित किए जाने की रिपोर्ट है। इन मामलों में एक बड़ा प्रतिशत (40.96%) ऐसे मामलों का था जो रद्द कर दिए गए और केवल 39.80% मामलों में भूमि का प्रत्यावर्तन किया गया। 91.98% मामलों में प्रत्यावर्तित भूमि का संबधित जनजातीय व्यक्तियों को कब्जा भी दिलाया गया।

असम के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल 1994 तक वहा 2023 जनजातीय व्यक्तियों की 5174 एकड़ भूमि हस्तांतरित हुई। राज्य सरकार ने यह सूचना नहीं दी है कि कितने मामले रद्द किए गए और कितने व्यक्तियों की भूमि का प्रत्यावर्तन किया गया तथा कितनों को कब्जा दिलाया गया। तथापि,भूमि के जितने क्षेत्र के हस्तांतरित किए जाने की सूचना थी उस कुल क्षेत्र में से 8.66% क्षेत्र का प्रत्यावर्तन किया गया। **संबंधित व्यक्तियों को हस्तांतरित जनजातीय भूमि के प्रत्यावर्तन के कार्यक्रम की प्रगति बहुत धीमी है। असम राज्य सरकार से प्रार्थना की जाए कि इस कार्य में शीघ्र कार्रवाई करें और ग्रामीण विकास मंत्रालय को तथा इस आयोग को भी पूरी और अद्यतन जानकारी भेजें।**

बिहार में मार्च 1994 तक जनजातीय भूमि के हस्तांतरण के कुल मामलों में से रद्द किए गए मामलों की संख्या 31,096 (36.92%) थी। 59.89% मामलों में हस्तांतरित भूमि का प्रत्यावर्तन किया गया लेकिन प्रत्यावर्तित भूमि का क्षेत्र केवल 42.34% ही था। राज्य सरकार उन जनजातीय व्यक्तियों को कब्जा दिलाने में उतनी प्रगति नहीं कर पाई जिन्हें भूमि प्रत्यावर्तित कराई गई थी। उपलब्ध सूचना से प्रकट होता है कि जिन मामलों में भूमि का प्रत्यावर्तन किया गया था उनमें से केवल 57.33% मामलों में कब्जा दिलाया गया यद्यपि क्षेत्रवार उपलब्धि 98.96% थी।

गुजरात में प्रगति काफी अच्छी थी और वहां केवल 9.22% मामले ही रद्द किए गए। यह सूचना जून 1994 तक की है। 83.87% मामलों में भूमि का प्रत्यावर्तन किया गया लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कितनी भूमि का कब्जा दिलाया गया।

मध्य प्रदेश में जून 1994 तक जनजातीय भूमि के हस्तांतरण के 54139 मामले हुए लेकिन प्रत्यावर्तन में प्रगति बहुत धीमी—केवल

3.15% ही रही। रद्द किए गए मामलों का प्रतिशत बहुत अधिक —54.67% था। कब्जा दिलाने के बारे में सूचना नहीं भेजी गई है।

महाराष्ट्र में स्थिति उतनी ही खराब थी। वहां भारी प्रतिशत (54.08%) में मामले रद्द किए गए। हस्तांतरित भूमि का प्रत्यावर्तन कराने में राज्य सरकार को केवल 45.63% मामलों में सफलता मिली और संबधित जनजातीय व्यक्तियों को कब्जा दिलाने में 95.77% मामलों में सफलता मिली।

उड़ीसा में सितम्बर 1994 तक जनजातीय भूमि के हस्तांतरण के 125052 मामलों की सूचना मिली और प्रत्यावर्तन केवल 34.85% मामलों में हुआ। राज्य-सरकार ने यह सूचना नहीं दी है कि कितने मामलों में कब्जा दिलाया गया और कितने मामले रद्द किए गए।

राजस्थान ने सितम्बर 1994 के अंत तक बहुत कम संख्या (360) में जनजातीय भूमि का हस्तांतरण होने की सूचना दी। हस्तांतरित भूमि के कुल क्षेत्र में से 14.90% क्षेत्र से संबधित रद्द किए गए मामलों का प्रतिशत (17.50%) कम है लेकिन प्रत्यावर्तन और कब्जा दिलाए जाने के बारे में सूचना नहीं दी गई है।

त्रिपुरा में मार्च 1994 तक जनजातीय भूमि के 22938 एकड़ क्षेत्र के हस्तांतरण के 25434 मामलों की सूचना मिली। 6610 (25.99%) मामलों में प्रत्यावर्तन हुआ लेकिन उसमें अंतर्ग्रस्त क्षेत्र बहुत कम, 5460 एकड़ (23.80%) था। मामलों को रद्द किए जाने की दर बहुत अधिक (62.53%) थी जिनमें अंतर्ग्रस्त क्षेत्र का प्रतिशत भी बहुत अधिक (71.57%) था। यद्यपि जिन लोगों को कब्जा दिलाया गया उनकी संख्या राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है फिर भी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र कुल प्रत्यावर्तित क्षेत्र का 90.18% था।

यद्यपि उपरोक्त सारणी में पश्चिम बंगाल के बारे में सूचना नहीं दी गई है लेकिन वर्ष 1994 से संबधित यह सूचना राज्य सरकार ने इस आयोग के सचिव को उस समय दी थी जब वह मार्च 1995 में उस राज्य के दौरे पर गए थे। दी गई सूचना के अनुसार, जनजातीय भूमि के हस्तांतरण पर पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम के अध्याय 11ए, की धारा 13 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। जनजातीय भूमि का गैर जनजातीय व्यक्ति को अन्तरण करने पर प्रतिबंध पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1965 बनाए जाने से पूर्व भी पश्चिम बंगाल काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत विद्यमान था।

इस अधिनियम की धारा 14बी में प्रावधान है कि इस अध्याय (धारा 14सी) के अधीन जैसा उपबंधित है उसके सिवाय जनजातीय भूमि के सभी अन्तरण प्रभावहीन हैं। इस अधिनियम (14ए) में अन्यत्र विपरीत होने के बावजूद भी इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

अध्याय 11ए (धारा 14सी) के अंतर्गत, 14सी (ए) से (ई) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी जनजातीय रैयत द्वारा किसी गैर जनजातीय को भूमि के अन्तरण के लिए राजस्व अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी। अधिनियम के अधीन विशेष अधिकारी, एस० सी० टी० डब्ल्यू० राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ये अधिकारी जिला और उपमण्डल स्तर पर स्थानांतरण के लिए तभी अनुमति देते हैं जब उनका इस धारा के उपबंधों की आवश्यकताओं के बारे में समाधान हो जाता है।

जनजातीय व्यक्ति की भूमि गैर-जनजातीय व्यक्ति को अन्तरित किए जाने को निषिद्ध करने वाला वैधानिक उपबंध पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1965 में विद्यमान होने के बावजूद, इस प्रकार की भूमि का हस्तांतरण प्रतिवर्ष निरपवाद रूप से होता रहा है। 1994 के कैलेंडर वर्ष में, पश्चिम बंगाल में जनजातीय भूमि के हस्तांतरण के सात सौ मामलों की सूचना मिली जिनमें से निपटाए गए 128 मामलों में 15 (11.7%) मामले रद्द किए गए। यह प्रकट है कि राज्य के विभिन्न जिलों में जनजातीय भूमि के हस्तांतरण के मामले जिस दर से प्राप्त हुए उनका निपटारा उससे बहुत कम दर से हुआ। तथापि, सूचित किया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बकाया मामलों को निपटाने के लिए राज्य के सभी जिलों के ब्लाक स्तर के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को राजस्व अधिकारी के अधिकार दे दिए हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से यह पता चलता है कि आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य ने सभी मदों के बारे में पूरी सूचना नहीं भेजी है और सभी राज्यों द्वारा यह सूचना निर्धारित समयावधि के बारे में एकरूपता में भी नहीं भेजी गई है। साथ ही, गुजरात और राजस्थान को छोड़कर अन्य राज्यों में रद्द किए गए मामलों का प्रतिशत 40 से अधिक है और त्रिपुरा में तो कहीं अधिक 71 प्रतिशत है। गुजरात को छोड़कर अधिकांश राज्यों में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया में भी संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। यद्यपि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें जनजातियों की आबादी बहुत घनी है वहां जनजातियों को उनकी हस्तांतरित भूमि प्रत्यावर्तित कराने में उसकी उपलब्धि बहुत निराशाजनक (3.15%) है। बड़ी जनजातीय आबादी वाले एक अन्य राज्य उड़ीसा में भी इस विषय में काम धीमा रहा है।

अतः, आयोग की सिफारिश है:

जनजातीय भूमि के गैर जनजातीय व्यक्तियों को अन्तरण की सूचना देने वाले सभी राज्य जनजातीय भूमि के हस्तांतरण के मामलों की पहचान करने के लिए तुरंत समुचित उपाय करें और ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करें और हस्तांतरित भूमि का प्रत्यावर्तन कराने तथा प्रत्यावर्तित भूमि का कब्जा संबंधित जनजातियों को दिलाने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बनाएं।

यह आम जानकारी की बात है कि जनजातीय भूमि का गैर जनजातीय लोगों को अन्तरण किए जाने का निषेध करने वाली विधियां/विनियम अनेक राज्यों में मौजूद रहने के बावजूद, लगभग उन सभी राज्यों में यह प्रथा प्रचलित है जिससे इन जनजातियों की बड़ी हानि होती है। वस्तुतः ऐसे विधानों में एक बड़ी कमी इस उपबंध के कारण है कि जनजातीय भूमि को सक्षम अधिकारी के पूर्व लिखित अनुमोदन से गैर-जनजातीय व्यक्तियों को अन्तरित किया जा सकता है जो अपना समाधान करने के बाद इस प्रकार के अन्तरण की अनुमति दे सकता है। इस उपबंध के

कारण बेईमान निहित स्वार्थ के लोग संबंधित राजस्व अधिकारियों की सक्रिय मौनानुकूलता से कानून से बच सकते हैं और गरीब जनजातियों की भूमि हड़पने में सफल हो पाते हैं। अतः, आयोग की सिफारिश है :

जनजातीय भूमि का गैर जनजातियों को अन्तरण रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि जनजातीय भूमि का गैर-जनजातियों को अन्तरण पूर्णतः निषिद्ध कर दिया जाए। वस्तुतः सक्षम अधिकारी के पूर्व लिखित अनुमोदन से जनजातीय भूमि के हस्तांतरण की अनुमति देने के उपबंध विधान में जहां-जहां मौजूद हों वहां से उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए।

तथापि, ऐसा ज्ञात हुआ है कि उड़ीसा की राज्य-सरकार ने राज्य के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के लाभ के लिए उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल सम्पत्ति का (अनुसूचित जातियों द्वारा) अन्तरण विनियम, 1956 (1956 का विनियम 2) और उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 22, 23(ए) और 68(8) में कुछ ऐसे ही संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। ज्ञात हुआ है कि इस संशोधन के अनुसार यदि भूमि के अन्तरण के बाद किसी जनजातीय व्यक्ति के पास एक मानक एकड़ से कम भूमि रह जाती है तो वह अपनी भूमि का अन्तरण नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता बाधित रहेगी तथा विनियम के अंतर्गत अपराधों के शीघ्रता से विचारण के लिए कार्यकारी दण्डाधिकारियों को न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दी जाएंगी। अवैध कब्जे के लिए दिए जाने वाले अर्थदंड की विद्यमान राशि 200/- रु० प्रति वर्ष प्रति एकड़ की राशि भी बढ़ाकर 2000/- रु० करने का प्रस्ताव है।

अतः, आयोग का सुझाव है कि सभी राज्य जनजातीय भूमि के हस्तांतरण से संबंधित अपने विधानों/विनियमों की पुनरीक्षा करें और उनसे बचने के रास्तों को बंद करने के लिए उनमें प्रभावी संशोधन करें तथा भावी निहित स्वार्थों को रोकने के लिए अधिक कठोर उपायों का प्रावधान भी करें जिनमें ऐसे राजस्व अथवा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित करने का प्रावधान भी हो जो ऐसे अवैध अन्तरण के अपराध में पक्षकार हों।

कल्याण मंत्रालय के जनजाति विकास प्रभाग ने भी 23 नवम्बर 1992 को हुए राज्यों/संघशासित क्षेत्र के जनजातीय विकास के प्रभारी मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन में कुछ उपयोगी विधायी उपायों पर विचार करने का सुझाव दिया था। उनमें से कुछ, जिनकी आयोग भी पुष्टि करता है, निम्नलिखित हैं :

(1) जिन राज्यों ने जनजातियों की भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए विधान अधिनियमित नहीं किए हैं, वे यथाशीघ्र ऐसा करें। गोवा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों और दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्रों के बारे में स्थिति का पता लगाया जाए। जहां ऐसे विधान पहले से विद्यमान हैं वहां उन्हें कार्यान्वित किया जाए।

(2) जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को रोकने और ऐसी भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए विधिक प्रावधानों का समूचे राज्य में विस्तार किया जाए और उन्हें केवल अनुसूचित तथा अधिसूचित क्षेत्रों में ही सीमित न रखा जाए।

(3) जनजातीय भूमि के गैर जनजातियों को अन्तरण पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। अधिकारी के अनुमोदन से भूमि के हस्तांतरण की अनुमति देने वाले प्रावधनों को वर्तमान विधानों में से निकाल दिया जाए।

(4) ऐसी स्थिति में जब जनजातीय व्यक्ति अपनी भूमि को बेचने के लिए विवश हो, सरकार उस भूमि को प्रचलित बाजार मूल्य पर खरीदने की बात सोचें।

(5) इस प्रकार खरीदी गई भूमि का बंदोबस्त इन क्षेत्रों के पात्रता प्राप्त जनजातीय व्यक्तियों में "सलामी" की शर्त के बिना वर्तमान प्रथागत विधियों के अनुसार किया जाना चाहिए।

(6) वित्तीय संस्थाओं अथवा राज्य-सरकारों के विभागों के पास रहन रखी गई जनजातीय भूमि को गैर-जनजातीय व्यक्तियों को अनन्तरणीय बनाया जाना चाहिए।

(7) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जनजातीय भूमि का अधिग्रहण यथासंभव कम किया जाना चाहिए।

(8) "हस्तांतरण" और "अन्तरण" शब्दों के बेनामी अन्तरण, पति, पत्नी, दत्तक लिए गए पुत्रों और पुत्रियों को अन्तरण, घोषणात्मक वाद के द्वारा अन्तरण, जनजातीय स्त्रियों के साथ विवाह के द्वारा अन्तरण, राज्य और पूर्व बिचौलिए को किया गया अभ्यर्पण और अतिक्रमण अथवा जनजातीय भूमि का जबरन कब्ज़ा छीनना आदि सभी प्रकार के अन्तरण को शामिल किया जाना चाहिए।

(9) सिविल न्यायालयों की, सीधी अथवा कपटपूर्ण तथा घोषणात्मक वादों के द्वारा अधिकारिता पूर्णतः बहिष्कृत की जानी चाहिए।

(10) हस्तांतरित जनजातीय भूमि का प्रत्यावर्तन करने के लिए अपनी ओर से कार्यवाही करने की शक्ति विधि के अंतर्गत कलक्टर/डिप्टी कमीश्नर को दी जानी चाहिए।

(11) जनजातीय भूमि के प्रत्यावर्तन के जिन मामलों में प्रतीत होता हो कि कोई स्पष्ट कानूनी गलती हुई है अथवा बड़ा अन्याय हुआ है उन मामलों को, पूर्वन्याय या विबंध के सिद्धांत का उल्लंघन किए बिना, फिर से खोलने के लिए कलक्टर सक्षम होना चाहिए।

(12) जिस व्यक्ति को भूमि पहले प्रत्यावर्तित की जा चुकी है उसे संक्षिप्त जांच के बाद कब्ज़ा वापस दिलाने के लिए डिप्टी कमीश्नर सक्षम होना चाहिए।

(13) जनजातीय भूमि के प्रत्यावर्तन से संबंधित मामलों में केवल एक अपील और एक बार पुनरीक्षा का उपबंध होना चाहिए।

(14) यह साबित करने का भार अन्तरिती पर होना चाहिए कि भूमि का लेन-देन विधि के अंतर्गत सही था।

बिहार राज्य के छोटा नागपुर और संथाल परगना में भूमि के हस्तांतरण का अध्ययन

बिहार में अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1969 और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 आदि ऐसे कानून हैं जो जनजातीय भूमि के हस्तांतरण का निषेध करते हैं। फिर भी, जनजातीय भूमि का बड़े पैमाने पर हस्तातरण होना जारी है जिससे, स्थानीय जनजातियों की स्थिति शोचनीय है। श्री बंदी उरांव स्वयं एम प्रमुख जनजातीय नेता होने के अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने राज्य में जनजातीय भूमि का गैर जनजातीय लोगों को अन्तरण रोकने के लिए बनाए गए विभिन्न वैधानिक उपायों के कार्यकरण का अध्ययन किया। यह अध्ययन रांची की कलक्टरी में पंजीकृत 15,703 मामलों तक सीमित था जो रांची नगर में और उसके आस-पास रहने वाले जनजाति के लोगों से संबंधित थे। इन मामलों की स्थिति के बारे में विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

सारणी—15

क्र० सं०	मामलों का विवरण	मामलों की सं०	अंतग्रस्त क्षेत्र (एकड़ में)
1	2	3	4
1.	पंजीकृत मामलों की कुल संख्या	15,703	22,352.50
2.	मंजूर किए गए मामलों की संख्या	6,511	9,420.15
3.	रद्द किए गए मामलों की संख्या	4,213	11.395.41
4.	लम्बित मामलों की संख्या	4,979	1,536.98
5.	अपील में लम्बित मामलों की संख्या	166	15,062.00
6.	जिन मामलों में कब्ज़ा दिलाया गया उनकी संख्या	6,263	8,992.19
7.	जिन मामलों में कब्ज़ा वापस दिलाना लम्बित है उनकी संख्या	248	427.96

उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि कुल पंजीकृत मामलों में से आधे से कम (41.46%) को केवल मंजूर किया गया और लगभग 27% (26.82%) को रद्द किया गया। मंजूर किए गए मामलों में 96% से कुछ अधिक (96.1%) के बारे में यह सूचना है कि वास्तविक कब्ज़ा दिलाया गया।

यद्यपि उपरोक्त सारणी से प्रकट होने वाली स्थिति संतोषजनक नहीं है क्योंकि कुल पंजीकृत मामलों में से केवल आधे से कम मामलों में प्रत्यावर्तन की मंजूरी दी गई, उपरोक्त अध्ययन में ज़िला अधिकारियों द्वारा दी गई उस सूचना को भी सही नहीं माना गया है जो ऐसे 447 मामलों की पूरी जांच के बाद ज़िला अधिकारियों द्वारा दी गई थी जिनका रिकार्ड अध्ययन के लिए वास्तव में उपलब्ध कराया गया था। उदाहरणार्थ, यह दिखाया गया है कि जिन मामलों में कब्ज़ा दिलाना लम्बित है उनकी संख्या 248 है लेकिन अध्ययन के अनुसार जिन 447 मामलों की जांच की गई उनमें ऐसे 181 मामले थे। अध्ययन में कुछ अन्य विसंगतियों के विरुद्ध भी टिप्पणी की गई है। उदाहरणार्थ, ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें प्रत्यावर्तन और कब्ज़ा दिलाने आदि के आदेश जारी किए गए और वे कलक्टरी के रिकार्ड रूम में पड़े रहे जबकि यह दिखाया गया कि उनका निपटारा कर दिया गया है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष/सिफ़ारिशें निम्नलिखित हैं :—

1. जनजातीय पत्नियों और गैर जनजातीय पतियों के बच्चों को जनजातीय मानने के बिहार सरकार के आदेश को निष्प्रभाव करने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए।

2. भूमि हस्तांतरण का पता लगाने के लिए, जो संभवत: एक लाख एकड़ से अधिक का है, रांची नगर, जमशेदपुर तथा धनबाद नगर के आसपास के क्षेत्र का निष्पक्ष तंत्र द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए।

3. लम्बित मामलों पर विचार करने और जिन मामलों में जनजातियों के विरुद्ध निर्णय किया गया है उन्हें फिर से शुरू करने के लिए रांची में विशेष मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करी जाय।

4. डी०सी० और एस०आई० सहित स्थानीय अधिकारियों को विशेषकर रांची ज़िले में, तैनात किया जाए जो हस्तांतरित भूमि का प्रत्यावर्तन करेंगे और आगे होने वाले हस्तांतरण को रोकेंगे।

5. सभी निजी आवासीय सहकारी संस्थाओं का पंजीकरण रद्द किया जाए, उनसे जनजातीय भूमि वापस ली जाए और उसे उसके मूल स्वामियों को लौटाया जाए।

6. जहां सार्वजनिक उपक्रम निष्क्रिय हो रहे हैं वहां की भूमि उनके स्वामियों को लौटाई जाए।

7. छोटा नागपुर और संथाल परगना के बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण का कार्यक्रम त्याग दिया जाए जिनसे कृषि की भूमि, विशेषकर जनजातियों की भूमि प्रभावित होती है और सार्वजनिक धन का अपव्यय होता है जबकि सिंचाई का कोई काम नहीं होता। इसी कारण कोइल-कारो जल विद्युत परियोजना को भी त्याग देना चाहिए।

8. रैयती या गैर मजूरारा, किसी भी प्रकार की भूमि का अधिग्रहण हाउसिंग बोर्ड के लिए न किया जाए। बोर्ड की खाली पड़ी भूमि को उसके जनजातीय स्वामियों को लौटाया जाए।

9. कोनका ग्राम के दस आदिवासी परिवारों को सभी 29 एकड़ भूमि लौटा दी जाए। यह भूमि 1984 में आई०टी०आई० के लिए अधिग्रहित की गई थी। आई०टी०आई० बनी ही नहीं और सारी भूमि बाहर वालों ने ले ली। यह भूमि लोअर बाजार पी०एस० क्षेत्र में है।

10. काफी जनजातीय धार्मिक भूमि ग़ैर-जनजातीय व्यक्तियों द्वारा ले ली गई है या अधिग्रहित कर ली गई है। इनमें पूजा के स्थान हैं जो सरना या जहिर कहलाते हैं, कब्रिस्तान है जो मसना भूमि कहलाती है। ये भूमि वाहन या महतो आदि के कब्जे में थी और इनकी पैदावार को धार्मिक कार्यों के लिए खर्च किया जाता था।

भूमि से संबंधित मामलों के बारे में 1993-94 के दौरान आयोग के मुख्यालय में प्राप्त शिकायतें और अभ्यावेदन

रिपोर्ट के वर्ष के दौरान आयोग के मुख्यालय के कार्यालय में भूमि से संबंधित मामलों के बारे में शिकायतों को लेकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से उनके संघों से 239 शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इनमें से 89 शिकायतों/अभ्यावेदनों में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी। जिन शेष 150 मामलों में आयोग ने कार्यवाही की उनका विषयवस्तु-वार विवरण निम्नलिखित है :

(1)	अतिक्रमण/कब्जा न मिलने, आदि सहित भूमि का आवंटन	:	27
(2)	भूमि से जबरन बेदखली	:	59
(3)	जनजातीय भूमि का हस्तांतरण/अधिग्रहण	:	18
(4)	गृहस्थान की भूमि, स्थल आदि के लिए आवंटन, सीमांकन, जबरन बेदखली आदि	:	18
(5)	विविध	:	28
	जोड़	:	150

अधिकांश (लगभग 40%) शिकायतें/अभ्यावेदन कथित रूप से राजस्व/पुलिस अधिकारियों की कथित सक्रिय मौनानुकूलता से, ऊंची जाति के व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि के अ०जा०/अ०ज०जा० के आवंटियों को जबरन बेदख़ल किए जाने के बारे में थी।

"भूमि के आवंटन" से संबंधित अधिकांश मामले ऊंची जाति के व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करने, विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० को आवंटित भूमि का कब्ज़ा न मिलने, आवंटित भूमि का गलत सीमांकन/सीमांकन न किए जाने आदि के थे।

आयोग के मुख्यालय में प्राप्त हुए कुल मामलों में 12% मामले जनजातीय भूमि के हस्तांतरण/अधिग्रहण के थे। अधिग्रहण मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा किया गया।

शेष मामलों में 28 विविध प्रकार के थे और 18 मामले गृहस्थान/गृहस्थल के बारे में थे।

कुछ विशिष्ट मामलों का संक्षेप में उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

(1) सतपुड़ा किसान और मजदूर कल्याण समिति, बैतूल (म० प्र०) ने एक अभ्यावेदन अग्रेषित किया जिसमें उन जनजातीय व्यक्तियों को भूमि के बदले में नौकरी दिलाने की प्रार्थना की गई थी जिनकी भूमि ताप बिजली घर के लिए म०प्र० बिजली बोर्ड द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी। यह आरोप था कि ग्राम बैतूल में जनजातियों की भूमि के एक भाग का अधिग्रहण म०प्र० बिजली बोर्ड ने ताप बिजली घर बनाने के लिए इस शर्त पर किया था कि उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि इतनी नहीं थी कि उससे वे अन्यत्र भूमि खरीद सकें। यह भी आरोप था कि प्रभावित जनजातीय भूमि का अधिग्रहण करते समय, जैसा वायदा किया गया था उसके अनुसार, म०प्र० बिजली बोर्ड ने उन्हें न तो कोई नौकरी दी और न ही उनका पुनर्वास किया। इस मामले में जिला कलक्टर, बैतूल से पूछा गया जिन्होंने डेढ़ वर्ष बीतने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया है।

(2) ग्राम हस्तमोली, ब्लाक-खानपुर, तहसील व ज़िला हरिद्वार (उ०प्र०) के एक अनुसूचित जाति के निवासी का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि हस्तमोली ग्राम की सरकारी भूमि ग्राम प्रधान द्वारा संलग्न ग्राम प्रहलादपुर के निवासियों को आवंटित की जा रही थी क्योंकि प्रधान स्वयं प्रहलादपुर ग्राम का निवासी था। दोनों ग्रामों की संयुक्त पंचायत थी। यह मामला मई, 1993 में ज़िला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के पास भेजा गया जिन्होंने सूचित किया कि भूमि प्रबंधन समिति को हिदायत दी गई है कि ग्राम हस्तमोली में उपलब्ध भूमि उसी ग्राम के निवासियों को आवंटित करे।

(3) ग्राम लालनेर, तहसील-खुर्जा, ज़िला-बुलंदशहर (उ०प्र०) के एक अनुसूचित जाति के निवासी ने अभ्यावेदन किया कि उसे 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 1975 में उसी ग्राम में कृषि की भूमि आवंटित की गई थी। आरोप था कि समय-समय पर उसके द्वारा प्रार्थना करने पर भी तहसीलदार/पटवारी ने उसे आवंटित भूमि का कब्ज़ा नहीं दिया था। यह मामला मई, 1993 में ज़िला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर को भेजा गया जिनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

(4) अखिल भारतीय कोली समाज, फरीदाबाद (हरियाणा) के महासचिव का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि माछनगर, ज़िला फरीदाबाद के अनुसूचित जाति के कुछ निवासियों को प्रत्येक को 100 वर्ग गज़ के प्लाट हरियाणा सरकार द्वारा आवंटित किए गए थे और तब से उन प्लाटों पर उनका कब्जा था और उनके पास उन प्लाटों का

पंजीकृत करारनामा भी था। आरोप था कि ग्राम के सरपंच ने एक जनजातीय व्यक्ति का प्लाट एक गैर जनजातीय व्यक्ति को आवंटित कर दिया था और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को धमकी दी थी कि उनसे उनके प्लाटों का कब्जा छीन लिया जाएगा। फरवरी, 1994 में इस मामले में डिप्टी कमिश्नर, फरीदाबाद से सम्पर्क किया गया और अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने पर भी, इस विषय में उनके उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा है।

(5) ग्राम इंदरगढ़, ज़िला रोहतक (हरियाणा) के श्री मेघा का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जो उन्हें उस भूमि का वास्तविक कब्ज़ा दिलाए जाने के बारे में था जो उन्हें राज्य सरकार ने 1979 में आवंटित की थी और जिसके लिए उन्होंने आवश्यक अदायगी भी कर दी थी। आरोप था कि प्रार्थी को 26 बीघा 12 मरला सरकारी भूमि आवंटित की गई थी और इस विषय का प्रमाण-पत्र भी उन्हें यथाविधि जारी किया गया था। दुर्भाग्यवश उन्हें भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया था। प्रार्थी ने यह भी कहा था कि श्री राम दत्त ने यह दावा किया था कि सरकारी रिकार्ड के अनुसार वह भूमि उसकी थी। इस बीच प्रार्थी ने एक दीवानी मुकदमा दायर कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर, रोहतक से इस मामले में सम्पर्क किया जिन्होंने बताया कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। नवीनतम स्थिति की जानकारी की प्रतीक्षा है।

(6) ग्राम दाओंती, तहसील कंडाघाट, ज़िला, सोलन (हि०प्र०) के एक अनुसूचित जाति के निवासी का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे उसके गांव में 17 बीघा 7 बिसवा नागल भूमि आबंटित की गई थी। उसके द्वारा कीमत चुकाए जाने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने जो बिक्री का करारनामा लिखा उसमें उसे केवल 16.10 बीघा भूमि आबंटित किए जाने का उल्लेख था। उसमें से भी उसे केवल 9 बीघा भूमि का कब्ज़ा दिया गया। प्रार्थी राजस्व अधिकारियों के पास गया और उनसे उसकी भूमि का सीमांकन ठीक करने की प्रार्थना की लेकिन इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस मामले में प्रार्थी की शिकायत हल कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर, सोलन से सम्पर्क किया गया। डिप्टी कमिश्नर से प्राप्त उत्तर में कहा गया कि संबंधित गांव का तहसीलदार सदैव उपलब्ध रहा और शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप ग़लत और निराधार था। तद्नुसार, प्रार्थी को सूचित कर दिया गया और उसने आगे उस मामले को नहीं बढ़ाया।

(7) ग्राम मंडास का बास, ज़िला सीकर (राजस्थान) में उच्च जाति के लोगों द्वारा एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अनधिकृत और अवैध कब्जा किए जाने के बारे में एक अभ्यावेदन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति युवा संघ, जहांगीरपुर के मार्फत आयोग के मुख्यालय में प्राप्त हुआ। आरोप यह था कि श्री माखन लाल (अ०जा०) ने एक अन्य अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भूमि का एक भाग 8,000/- रु० में खरीदा था और उसे 1983 में अपने नाम में पंजीकृत करवाया था। लेकिन कुछ उच्च जाति के लोगों ने उसे अपनी भूमि को जोतने नहीं दिया। प्रार्थी ने न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की थी जिस पर न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय दिया था। पुलिस अधिकारी भी उच्च जाति के लोगों को बेदख़ल नहीं कर पाए। आदेश को कार्यान्वित करने की आवश्यक कार्यवाही के लिए और उसे कब्ज़ा वापस दिलाने के लिए यह मामला ज़िला कलक्टर के पास भेजा गया। अभी तक उनका कोई उत्तर नहीं आया है।

(8) किदवई नगर, कानपुर के एक अनुसूचित जाति के निवासी का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि उसने कानपुर विकास अधिकरण से नीलामी में एक रिहायशी प्लाट खरीदा था जिसके लिए उसने रु० 346/- प्रति वर्ग गज की दर से आवश्यक अदायगी कर दी थी। यह प्लाट प्रार्थी को अनुसूचित जातियों के लिए चलाए गए विशेष अभियान के दौरान आवंटित किया गया था। एक ऊंची जाति के व्यक्ति ने, जिसका प्लाट प्रार्थी के प्लाट के सामने था, उसके प्लाट पर अवैध कब्ज़ा कर लिया। प्रार्थी ने कानपुर विकास प्राधिकरण को अभ्यावेदन किया लेकिन प्राधिकरण उसे वास्तविक कब्ज़ा नहीं दिला सका। तथ्य मालूम करने और विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए यह मामला जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर को 2-8-94 को भेजा गया। नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने पर भी सम्बन्धित अधिकारियों ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

(9) दिमना रोड, मांगो, जमशेदपुर (बिहार) की एक अनुसूचित जनजाति की विधवा का एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह आरोप लगाया था कि उसके स्वर्गीय पति की भूमि पर गैर-जनजातीय व्यक्ति द्वारा राजस्व अधिकारियों की मौनानुकूलता से, जबरन अतिक्रमण किया गया था। यह मामला अप्रैल 1993 में डिप्टी कमिश्नर, पश्चिमी सिंहभूम, ज़िला चियाबासा को भेज गया। उत्तर की प्रतीक्षा है।

(10) ग्राम महाजन पुरवा, ज़िला गोंडा (उ०प्र०) के अनुसूचित जाति के निवासी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा 1975 में उसके पिता को आवंटित की गई 13 दशांश भूमि पर एक ऊंची जाति के व्यक्ति ने जबरन अतिक्रमण कर लिया था। यह मामला सितम्बर, 1993 में ज़िला मजिस्ट्रेट, गोंडा को भेजा गया जिन्होंने सूचित किया कि प्रशासन ने सवर्ण हिन्दू द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। अन्तिम परिणाम की प्रतीक्षा है।

(11) गंगाशहर, ज़िला बीकानेर (राजस्थान) की निवासी एक अनुसूचित जाति की विधवा का एक अभ्यावेदन अगस्त 1993 में प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि उसकी भूमि पर एक ऊंची जाति के व्यक्ति ने जबरन अतिक्रमण किया था और उससे जमीन का कब्ज़ा छीन लिया था। उचित कार्यवाही के लिए यह मामला दिसमबर 1993 में ज़िला कलक्टर, बीकानेर के पास भेजा गया। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

(12) ग्राम व पोस्ट मुरार, थाना रामगढ़, ज़िला हज़ारीबाग (बिहार) के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कुछ निवासियों का एक अभ्यावेदन एक संसद सदस्य की मार्फत प्राप्त हुआ जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वे पिछले 30 वर्ष से गरमाजरुआ भूमि पर रह रहे थे और राज्य सरकार ने उन्हें 10 दशांश भूमि "बसगीत" के रूप में दे दी थी लेकिन उस भूमि के एक बड़े भाग में एक ऊंची जाति के अमीर व्यक्ति ने प्रशासन की मौनानुमति से अतिक्रमण किया था। यह मामला अगस्त 1993 में बिहार के मुख्य मंत्री के पास और जनवरी 1995 में बिहार के मुख्य सचिव के पास भेजा गया। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(13) श्री सी०वी० कुरुम्बम, एडवोकेट, केरल हाईकोर्ट का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अर्नाकुलम के ज़िला कलक्टर ने, जो कि ईसाई हैं, अलुवा तालुक, ज़िला अर्नाकुलम (केरल) के निवासी एक जनजाति के व्यक्ति की 1 एकड़ 60 सेण्ट भूमि का पट्टा नोटिस दिए बिना अवैध रूप से रद्द कर दिया था। यह आरोप भी था कि पट्टा/सम्पत्ति को रद्द करने से संबंधित फ़ाइल अभी तक कलक्टर के पास पड़ी है। तथ्यों की जानकारी और समुचित कार्यवाही के लिए यह मामला जनवरी 1995 में संबंधित अधिकारियों के पास भेजा गया। इस विषय में ज़िला अधिकारियों के अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा है।

(14) ग्राम उमरा, जिला बाड़मेर (राजस्थान) के एक अनुसूचित जाति के निवासी ने एक अभ्यावेदन भेजकर यह प्रार्थना की कि आयोग उसकी उस भूमि को उसके नाम में नियमित रूप से दर्ज कराने के लिए हस्तक्षेप करे जिस पर वह पिछले 20 वर्ष से काश्त कर रहा था और वह उस भूमि पर कर भी अदा करता था। उसका कहना था कि उसने बारंबार राजस्व अधिकारियों से प्रार्थना की थी कि वे इस विषय में भूमि को उसके नाम में दर्ज कराने के लिए आवश्यक आदेश जारी करें लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है। यह मामला 15-10-93 को ज़िला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर को भेजा गया। ज़िला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर ने सूचित किया कि इस विषय में समुचित कार्यवाही के लिए मामला नियमितीकरण समिति के पास भेज दिया गया है। तथापि, अन्तिम उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

(15) हरिजन बस्ती ग्राम मसूदपुर, पो०आ० महीपालपुर, नई दिल्ली के कुछ जनजातीय निवासियों का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि जिस भूमि पर वे 1962 से रह रहे थे उन्हें वह भूमि खाली करने का नोटिस दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस आधार पर भेजा था कि दि०वि०प्रा० ने उस भूमि का अधिग्रहण कर लिया था और उसका इरादा निकट भविष्य में हरिजन बस्ती को गिराने का था। यह मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष के पास सितम्बर, 1993 में भेजा गया। उत्तर अभी तक नहीं आया है।

(16) ग्राम बाजपुर, तहसील गदरपुर, ज़िला नैनीताल (उ०प्र०) के एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि उसने एक ट्रैक्टर की खरीद के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक से रु० 48000 ऋण लिए थे। ऋण की अदायगी न होने के कारण उसकी 28 बीघा 17 बिसवा और 21 बीघा 18 बिसवा भूमि की राजस्व अधिकारियों ने नीलामी कर दी जिसे राजस्व अधिकारियों की दुरभिसंधि से ऊंची जाति के व्यक्तियों ने खरीद लिया था। राजस्व अधिकारी उसका ट्रैक्टर भी ले गए थे। नीलाम की गई भूमि की कीमत ऋण की राशि से कहीं अधिक थी। यह मामला जून, 1993 में उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व सचिव के पास भेजा गया और उनके उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा है।

अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों की शिकायतों के बारे में आयोग द्वारा भेजे गए पत्रों के सरकारी अधिकारियों ने जिस प्रकार उत्तर दिए हैं उससे यह स्पष्ट सूचित होता है कि उन्हें इन व्यक्तियों के लिए कोई चिन्ता नहीं है। उपरोक्त सोलह विशिष्ट मामलों में से 13 मामलों में सम्बन्धित अधिकारियों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। शेष तीन मामलों में से, एक के बारे में यह सूचना दी गई कि वह न्यायालय के विचाराधीन है और शेष दो मामलों में आयोग के हस्तक्षेप से उन व्यक्तियों को आवश्यक राहत मिली।

आयोग को यह कहने को बाध्य होना पड़ता है कि राज्य सरकार के, विशेषकर ज़िला स्तर के अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों की ओर समुचित ध्यान नहीं देते हैं। यदि हम समाज के इस वर्ग की हालत में ईमानदारी से परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अधिकारियों में इन गरीब और व्यथित व्यक्तियों के प्रति दया और सरोकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। **अतः, आयोग का सुझाव है कि सभी राज्य सरकारें क्षेत्रीय अधिकारियों को इस विषय में समुचित निर्देश भेजें कि वे इस आयोग के पत्रों का, विशेषकर अ०जा० और अ०ज०जा० की विभिन्न शिकायतों से संबंधित पत्रों का तुरन्त और समुचित उत्तर दें। यदि विभिन्न मामलों के तथ्य भेजने में भी अनावश्यक विलम्ब होता है तो शिकायतों को दूर करने में तो अनिश्चित समय लग सकता है।**

संलग्नक-1

मार्च 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भूमि सीमा विधियों के कार्यान्वयन की प्रगति की (संचयी) रिपोर्ट

(क्षेत्र एकड़ में)

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	अधिवेश घोषित क्षेत्र	कब्जे में लिया गया को क्षेत्र	व्यक्तियों वितरित क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या	अ०जा० के लाभार्थी		अ०ज०जा० के लाभार्थी		अन्य लाभार्थी	
						क्षेत्र एकड़ में	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्र एकड़ में	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्र एकड़ में	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश+	800968	571632	510089	437176	218781	189614	101543	77662	100665	169900
2.	असम	612380	57837	482868	424364	44138	42364	57389	40964	381341	341036
3.	बिहार	474621	399932	278719	330101	162482	199255	38128	40631	78109	90125
4.	गुजरात	2480320	156003	130335	29814	80552	13007	28685	12871	210980	38560
5.	हरियाणा	121409	115935	113124	38018	49738	17657	0	0	63386	20961
6.	हिमाचल प्रदेश	284053	281462	3340	4400	2305	2934	139	261	896	1205
7.	जम्मू एवं कश्मीर	455575	450000	450000	450000	0	0	0	0	450000	450000
8.	कर्नाटक	273878	159716	117153	72084	70346	45012	3002	1573	43805	25499
9.	केरल	136363	94330	64078	143763	25108	61530	5152	7353	33818	74880
10.	मध्य प्रदेश	288572*	256580*	185673	72209	49752	21601	73516	26991	62405	23617
11.	महाराष्ट्र	723103	648366	556806	139457	160236	41781	101049	28351	295521	69325
12.	मणिपुर	1830	1685	1682	1258	128	96	97	72	1457	1090
13.	उड़ीसा	174007	162573*	151242	130860	48184	44959	63362	48695	39696	37226
14.	पंजाब	133876	105753	102406	21634	41801	10072	—	—	60605	16562
15.	राजस्थान	609646	552423	440624	'76762	139057	28246	44178	10737	257389	37779
16.	तमिलनाडु	184972	171114	149650	124834	59607	56435	233	178	89810	67771
17.	त्रिपुरा	1995	1944	1598	1424	212	256	448	359	933	809
18.	उत्तर प्रदेश	542613	511028	368174	320120	250581	217932	1332	745	116261	101448
19.	पश्चिम बंगाल	1270640	1201684	941382	2059576	349630	764836	180775	395429	410977	899311
20.	दादरा एवं दादर हवेली	9406	9305	6811	3313	48	25	6760	3286	410977	899311
21.	दिल्ली	1132	394	394	654	277	495	0	0	117	159
22.	पांडिचेरी	2355	1207	1022	1359	612	797	0	0	410	562
	जोड़ :	7351431	6428393	5058070	4887750	1753580	1758984	705788	896158	2598702	2432608

* न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप क्षेत्रों का अधिकार लिया गया।

+ राज्य सरकार ने जून 1993 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी है। उसमें दी गई सूचना सही नहीं है। इसलिए पहले के आंकड़ों को ही शामिल किया गया है।

स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय

संलग्नक-2

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने और भूमिरिकार्ड को अद्यतन करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा 1987-88 में योजना शुरू होने के समय से केन्द्र द्वारा दिया गया हिस्सा

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	जोड़
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	100.00	—	—	—	—	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	1.00	—	—	—	1.00
3.	असम	—	—	100.00	50.00	—	40.00	42.125	232.125
4.	बिहार	100.00	—	—	150.00	—	—	45.85	295.85
5.	गुजरात	—	—	—	100.00	—	248.70	—	348.70
6.	गोवा	—	—	—	30.00	4.00	—	15.69	49.69
7.	हरियाणा	—	—	50.00	50.00	25.00	—	7800	203.00
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	110.00	—	—	36.00	146.00
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	100.00	—	—	120.00	97.00	317.00
10.	कर्नाटक	—	—	—	7.50	100.00	—	108.00	215.00
11.	केरल	—	—	100.00	75.00	—	54.68	106.20	335.88
12.	मध्य प्रदेश	—	296.64	—	12.45	143.975	351.89	235.32	1040.275
13.	महाराष्ट्र	—	—	—	189.84	10.75	87.66	—	288.25
14.	मणिपुर	—	—	15.00	—	—	—	45.175	60.175
15.	मेघालय	—	—	—	50.00	—	—	—	50.00
16.	मिजोरम	—	—	15.00	—	29.50	22.10	29.65	96.25
17.	नागालैंड	—	—	—	17.50	6.50	7.70	37.95	69.65
18.	उड़ीसा	100.00	—	—	—	55.215	90.00	110.40	355.615
19.	पंजाब	—	—	—	162.50	165.87	206.45	380.255	1115.075
20.	राजस्थान	—	—	100.00	70.00	43.48	189.15	103.865	508.435
21.	सिक्किम	—	—	—	16.00	—	—	—	16.00
22.	तमिलनाडु	—	—	100.00	10.00	74.00	62.88	75.35	322.23
23.	त्रिपुरा	—	—	15.00	—	—	—	10.625	25.625
24	उत्तर प्रदेश	—	—	100.00	—	—	281.89	530.04	911.93
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	103.31	200.00	173.75	110.90	92.50	680.46
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	10.68	—	20.85	—	31.53
27.	चंडीगढ़	—	—	—	15.00	17.00	—	—	32.00
28.	दादरा व नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	25.00	25.00
29.	दिल्ली	—	—	—	25.00	17.00	—	—	42.00
30.	दमण व दीव	—	—	—	—	6.50	—	—	6.50
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—	10.00	32.88	—	18.88	61.76
	जोड़ :	200.00	296.64	898.31	1362.47	905.42	1894.85	2425.815	7663.505

स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय

संलग्नक—3

भूमि रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण के लिए 1988-89 से 1993-94 तक दी गई निधियां और उनका उपयोग (लाख रुपये में)

क्र०सं० राज/संघशासित क्षेत्र का नाम	दी गई निधियां						दी गई कुल निधियां	उपयोग
	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94		
1. आन्ध्र प्रदेश	25.00	—	—	—	—	78.00	103.00	25.00
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
3. असम	25.00	—	—	—	—	33.00	58.00	25.00
4. बिहार	20.00	—	—	—	—	3.00	50.00	20.00
5. गुजरात	25.00	—	—	—	—	10.00	35.00	15.03
6. गोवा	—	—	—	—	—	15.00	15.00	—
7. हरियाणा	—	15.00	6.00	—	—	19.00	40.00	17.48
8. हिमाचल प्रदेश	—	25.00	—	—	—	15.00	40.00	19.15
9. जम्मू ओर कश्मीर	—	25.00	—	—	—	4.00	29.00	प्राप्त नहीं हुआ
10. कर्नाटक	—	—	25.00	—	—	43.00	68.00	24.95
11. केरल	—	—	25.00	—	—	40.00	65.00	प्राप्त नहीं हुआ
12. मध्य प्रदेश	3.00	—	3.00	—	—	45.00	78.00	33.00
13. महाराष्ट्र	25.00	—	—	—	—	60.00	85.00	19.81
14. मणिपुर	—	—	25.00	—	—	—	25.00	25.00
15. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—
16. मिज़ोरम	—	—	—	—	—	15.00	15.00	—
17. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—
18. उड़ीसा	32.50	—	—	—	—	55.00	87.50	32.50
19. पंजाब	—	—	25.00	—	—	53.62	78.62	25.00
20. राजस्थान	10.00	10.00	5.00	—	—	50.00	75.00	25.00
21. सिक्किम	—	—	—	12.00	—	—	12.00	9.00
22. तमिलनाडु	—	25.00	—	—	—	83.00	108.00	24.30
23. त्रिपुरा	—	—	25.00	—	—	40.00	65.00	12.61
24. उत्तर प्रदेश	—	25.00	—	—	—	75.00	100.00	10.12
25. पश्चिम बंगाल	—	25.00	—	—	—	85.00	110.00	25.00
26. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—
27. चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—
28. दादरा व नागर हवेली	—	—	—	—	—	12.38	12.38	—
29. दिल्ली	—	—	—	8.03	—	—	8.03	शून्य
30. दमण व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—
31. लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
32. पांडिचेरी	—	—	—	—	—	15.00	15.00	—
जोड़ :	192.50	150.00	139.00	20.03	—	876.00	1377.53	387.90

स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय

अध्याय—6

सेवा सुरक्षण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य के अधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति सीधी भर्ती और पदोन्नतियों दोनों में जारी रही। मण्डल आयोग की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 8-9-1993 से लागू किया गया था। भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अन्तर्गत सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पदों की विभिन्न कोटियों में कमी को पूरा करने के लिए भर्ती द्वारा और इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत अनुमेय अधिकतम सीमा तक (50%) रिक्तियां आरक्षित करके भारत सरकार द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विशेष अभियान चलाकर गहन प्रयास किए गए थे।

6.2 1-1-1993 को समूहवार केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधीन कर्मचारियों की कुल संख्या में अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शायी गई है :

सारणी—1

केन्द्रीय सरकार

समूह	जोड़	अ०जा०	%	अ०ज०जा०	%
1	2	3	4	5	6
क.	64,197	6,293	9.80	1,967	3.06
ख.	1,07,120	13,036	12.17	2,513	2.35
ग.	23,09,003	3,67,401	12.91	1,25,424	5.43
घ. (सफ़ाई कर्मचारियों को छोड़कर)	10,49,703	2,17,617	20.73	72,164	6.87
जोड़ :	35,30,023	6,04,347	17.12	2,02,068	5.72
समूह घ सफ़ाई कर्मचारी	1,33,305	85,785	64.35	4,940	3.71
कुल जोड़ :	36,63,328	6,90,132	18.84	2,07,008	5.65

6.3 यद्यपि केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है, अ०ज०जा० के बारे में स्थिति असंतोषजनक बनी हुई है। सामान्यत: इसका कारण यह बताया जाता है कि जनजाति के लोग आमतौर पर अपने निवास क्षेत्रों से बाहर जाने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं जो बहुधा सुदूर और दुर्गम क्षेत्र हैं। यदि भारत सरकार के अनुदेशों का फ़ायदा उठाकर अनु०जनजाति के कर्मचारियों को जहां तक व्यावहारिक हो उनके गृह नगर के पास तैनात करने के लिए, रेलवे, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग आदि जिनके सुदूर क्षेत्रों में कार्यालय हैं, कम से कम समूह "ग" और "घ" पदों के लिए विशेष टीम भेजकर जनजातीय क्षेत्रों से कार्मिक भर्ती करें और उन्हें उनके गृह नगर के पास नौकरियां दें तो काफी सुधार हो सकता है।

6.4 मध्य प्रदेश के बस्तर ज़िले के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में स्थित एन०एम०डी०सी० यूनिटों में आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि समूह ग और घ पदों के लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों के इशारे पर, जो बाहरी क्षेत्र के ही थे, स्थानीय रोज़गार कार्यालय में पंजीकरण में हेर-फेर करके उन क्षेत्रों से बाहर के व्यक्ति नियुक्त किए गए थे। यद्यपि स्थानीय जनजातीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसरों की बहुत कमी थी। अत: ऐसे अनुदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है कि सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी स्थापनाओं को समूह ग और घ पदों के लिए केवल स्थानीय जनजातीय लोगों में से ही कर्मचारी भर्ती करने चाहिए।

सार्वजनिक उद्यम

6.5 1-1-93 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन 2,110 लाख कुल कर्मचारियों की तुलना में अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों की संख्या लगभग 554 लाख पायी गई है जो उस तारीख़ को कुल कर्मचारियों के 26% से अधिक है। समूहवार विवरण निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है :

सारणी —2

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

समूह	जोड़	अ०जा०	%	अ०ज०जा०	%
1	2	3	4	5	6
क.	1,91,236	14,088	7.37	3,600	1.88
ख.	1,62,250	14,794	9.12	5,473	3.28
ग.	11,97,782	2,24,074	18.71	1,00,852	8.42
घ. सफ़ाई कर्म-चारियों को छोड़कर)	5,33,646	1,16,878	21.90	52,075	9.76
जोड़ :	20,84,914	3,69,834	17.74	1,62,000	7.77
समूह घ सफ़ाई कर्मचारी	25,362	21,606	85.19	801	3.16
कुल जोड़ :	21,10,276	3,91,440	18.55	1,62,801	7.71

यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन सेवाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० के सम्बन्ध में समग्र प्रतिशत पूरे हो गए हैं लेकिन समूह क और समूह ख के पदों में उनका प्रतिनिधित्व कम ही बना हुआ है। यह एक सर्व विदित तथ्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती के स्तर सीमित हैं और बहुसंख्यक पद या तो पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं अथवा दूसरे उम्मीदवारों को कोई अवसर प्रदान किए बिना संगठन के भीतर ही उन पदों को परिचालित करके भरा जाता है। मध्यवर्ती स्तरों पर कोई भर्ती न होने से वर्तमान स्थिति में सुधार की गुंजाइश कम ही है जबकि अधिकांश संगठनों में पद लगभग पूरी तरह भरे जा चुके हैं और अब अधिक विस्तार नहीं हो रहा है। **अतः यदि मध्यवर्ती स्तरों पर भर्ती पर जोर दिया जाए तो थोड़ा सुधार सम्भव है।**

सार्वजनिक क्षेत्र और राष्ट्रीयकृत बैंक

6.6 1969 में बैंकिंग उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद ही बैंकिग सस्थानों में अनु०जाति और अनु०जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण लागू किया गया था। आरक्षण आदेश केवल सीधी भर्ती में ही लागू किए गए थे। पदोन्नति पदों के सम्बन्ध में, प्रबन्धक इस आधार पर अ०जा० और अ०ज०जा० को आरक्षण देने से इनकार करते थे कि बैंकों में पदोन्नति सम्बन्धी नीतियां औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों के साथ किए गए कतिपय करारों पर आधारित थीं जिन्हें यूनियनों की सहमति के बिना संशोधित नहीं किया जा सकता था और वे प्रबन्धकों के लिए बाध्यकारी थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग क्षेत्र की नीति पदोन्नति स्तरों पर अ०जा० और अ०ज०जा० के हितों की सुरक्षा करने की भारत सरकार की नीति के अनुरूप हो, वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए अ०जा० और अ०ज०जा० आयुक्त की रिपोर्टों में यह सिफारिश की गई थी कि बैंकिग विभाग राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबन्धकों को यह समझाने के लिए आवश्यक कदम उठाये कि वे पदोन्नति पदों में भी आरक्षण का सिद्धान्त स्वीकार करें जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने माना है। इस बात पर भी बल दिया गया था कि बैंक प्रबन्धकों और कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों के बीच करारों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए ताकि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण आदेश लागू करने में ये आड़े न आएं। तत्पश्चात्, बैंकिंग विभाग (अब आर्थिक कार्य विभाग का बैंकिंग डिवीजन) ने पदोन्नति पदों में भी आरक्षण आदेश लागू करना सुनिश्चित करने के लिए 31-12-1977 को सभी राष्ट्रीयकृत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अनुदेश जारी किए।

6.7 आरक्षण आदेशों को कारगर ढंग से लागू किए जाने के परिणामस्वरूप बैंकों के अधीन सेवाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व उत्तरोत्तर सुधरता गया है। उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार लिपिकीय और अधीनस्थ कोटियों में अ०जा० का प्रतिनिधित्व काफी अच्छा है, अधिकारियों के मामले में अ०जा० की स्थिति केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन सेवाओं की तुलना में थोड़ी बेहतर है। राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जिनमें वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं, के अधीन सेवाओं में अनु०जाति और अनु०जनजाति का 1-1-1994 को प्रतिनिधित्व दर्शाते हुए उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

सारणी—3

राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

संवर्ग	अ०जा० और अ०ज०जा० सहित कुल संख्या	अ०जा०	%	अ०ज०-जा०	%
1	2	3	4	5	6
अधिकारी वर्ग	2,49,016	25,515	10.24	8,333	3.34
लिपिक वर्ग	4,70,873	68,051	14.45	21,500	4.56
अधीनस्थ कर्मचारी (सफ़ाई कर्मचारियों को छोड़कर)	1,81,619	4,313	23.30	10,609	5.84
जोड़	9,01,508	1,35,879	15.07	40,442	4.48
सफ़ाई कर्मचारी	34,200	17,785	52.00	1,810	5.29
कुल जोड़	9,35,708	1,53,664	16.43	42,252	4.66

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के स्तर पर अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत ही कम है और उपचारी उपायों के लिए वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन को इसकी शीघ्रता से समीक्षा करने की आवश्यकता है।

6.8 बैंकों के अधीन सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण स्केल I तक अर्थात लिपिकीय पदों से अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति में ही सीमित है। अधिकारी वर्ग कोटि के भीतर कोई आरक्षण नहीं है जबकि पदोन्नतिया वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के मानदण्ड के आधार पर होती हैं, इसके लिए तर्क यह है कि पदोन्नतिया चाहे साक्षात्कार के माध्यम से हों अथवा लिखित परीक्षाओं के आधार पर, बैंकिंग डिवीजन के निर्देशों के अनुसार इनके लिए उम्मीदवारों पर विचार करते समय चयन का आधार सदैव सामने रहता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की "वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता" पर आधारित पदोन्नति की योजना में ग्रेड "ग" तक अर्थात् स्केल-III तक आरक्षण नीति लागू होती है। पदोन्नति के लिए विचाराधीन उम्मीदवारों की उपयुक्तता की जाच सामान्यतया एक परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक में अखिल भारतीय योग्यता परीक्षा के अन्तर्गत ग्रेड ए से ग्रेड बी में स्टाफ़ अधिकारियों की पदोन्नतियां तथा ग्रेड सी से ग्रेड डी में तथा उससे ऊपर पदोन्नतियां चयन पर आधारित हैं। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीन योग्यता परीक्षा के अन्तर्गत ही की जाने वाली पदोन्नतियां चयन के आधार पर की गई मानी जाती हैं और ऐसी पदोन्नतिया केवल साक्षात्कार के माध्यम से नहीं की जातीं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए **यह सिफारिश की जाती है कि बैंकिंग डिवीजन के अनुदेशों—जिनके अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया जिसमें साक्षात्कार शामिल हो चयन के रूप में मानी जायेगी—की समीक्षा किए जाने और उन्हें वापस लिए जाने की आवश्यकता है ताकि बैंकों में वरिष्ठता मानदण्ड के अन्तर्गत अधिकारी ग्रेड में पदोन्नतियों में सम्यक् आरक्षण अनुमत किया जा सके।**

विश्वविद्यालय सेवाएं

6.9 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, विश्वविद्यालयीन शिक्षा के संवर्धन और समन्वय के लिए, विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों के परामर्श से ऐसे कदम उठाने के लिए जिम्मेवार है जैसा कि वह उचित समझे। चूंकि भारत सरकार विश्वविद्यालयों के संबंध में कार्रवाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से करती है, अत: अनु०जाति और अनु०जनजाति के लिए आरक्षण से सम्बन्धित सरकारी अनुदेश विश्वविद्यालय में 1975 से पहले जारी नहीं किए जा सके और कार्यान्वित नहीं किए जा सके क्योंकि अगस्त 1975 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपकुलपतियों को भेजे गए एक परिपत्र में इस बात से सिद्धान्त रूप में सहमत हुआ था कि विश्वविद्यालयों और कालेजों में लैक्चरर (व्याख्याताओं) के पदों की भर्ती में अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालयों को प्रवेशों/नियुक्तियों में आरक्षण के विषय पर अनेक परिपत्र भेजे गए। अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए क्रमश: 15% और 7.5% की दर से आरक्षण का संशोधित प्रतिशत में विश्वविद्यालयों को अगस्त 1982 में इन अनुदेशों के साथ ससूचित किया गया कि अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा गैर-अध्यापन पदों पर नियुक्ति और व्याख्याता/सहायक प्रोफेसर के स्तर तक अध्यापन पदों में भी नियुक्ति के मामले में उन प्रतिशतों को लागू किया जाए।

6.10 वर्ष 1986-87 के लिए अपनी रिपोर्ट में अ०जा० और अ०ज०जा० आयुक्त ने कहा था कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की अध्यापन नौकरियों में अ०जा० और अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। व्याख्याताओं के स्तर पर भी, जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण आदेश लागू कर दिए गए थे, स्थिति संतोषजनक नहीं थी। राज्य विश्वविद्यालयों में भी, अध्यापन पदों पर सभी स्तरों पर अ०जा० और अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व बहुत कम पाया गया था। केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों के अधीन अध्यापन और गैर-अध्यापन दोनों प्रकार के पदों पर अ०जा० और अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व के बारे में नवीनतम सूचना संकलित करने का प्रयास किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से अ०जा० और अ०ज०जा० का 1-1-93 को विद्यमान प्रतिनिधित्व दर्शाने वाले आंकड़े एकत्र किए जा सके और उनकी सांख्यिकी सूचना व सार निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :—

सारणी—4

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

वर्ग	अ.जा. और अ.ज.जा. सहित कुल संख्या	अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%
1	2	3	4	5	6
(क) अध्यापन पद					
(i) प्रोफेसर	1,155	2	0.17	6	0.52
(ii) रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर	1,774	6	0.34	16	0.90
(iii) लैक्चरर्स/ सहायक प्रोफेसर/ शारीरिक शिक्षा निदेशक	1,491	35	2.35	48	3.22
(iv) रिसर्च ऐसो-सिएट/ट्यूटर्स/ डिमोंस्ट्रेटर्स	257	3	1.17	2	0.78
जोड़	4,677	46	0.99	72	1.54
(ख) गैर-अध्ययन पद					
(i) समूह क	756	26	3.44	32	4.23
(ii) समूह ख	1,525	49	3.21	86	5.64
(iii) समूह ग	9,001	414	4.60	526	5.84
(iv) समूह घ	10,635	2,368	22.27	672	6.32
जोड़:	21,917	2,857	13.04	1,316	6.00

अध्यापन और गैर-अध्यापन पदों के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में (विश्वविद्यालय वार) अ०जा० और अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व दर्शाते हुए एक विवरण परिशिष्ट में देखा जा सकता है।

6.11 उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि समूह घ अनुसचिवीय वर्गीय पदों के मामले को छोड़कर अध्यापन और गैर-अध्यापन पदों में अ०जा० और अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। यह मुख्यतया केन्द्रीय शिक्षा विभाग के प्राधिकारियों के शिथिल रवैए के कारण हुआ है जिन्होंने भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण आदेशों का पालन करने के लिए विश्वविद्यालयों को बाध्य करने हेतु विधान बनाने के बारे में अ०जा० और अ०ज०जा० आयुक्त की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी, जो अनुदेशों को सभी केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों में एक समान रूप से लागू करने के लिए एक ब्रोशर के रूप में संकलित करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गया था, इस दिशा में कोई कदम उठाने में असफल रहा। इसके बजाए ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के कानूनी निहितार्थों पर विचार करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया क्योंकि विश्वविद्यालय अधिनियमों में इसके लिए कोई साविधिक प्रावधान न होने के कारण, दस केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से नौ अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए कोटा के सम्बन्ध में साविधानिक गारंटियों को समुचित रूप से लागू नहीं कर सके। उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने अ०जा० और अ०ज०जा के लिए नौकरियों में आरक्षण को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की। ऐसा प्रतीत होता है कि समिति ने विद्यमान कानूनी खामियों को इंगित करते हुए सरकार से, अ०जा० और अ०ज०जा० आयुक्त द्वारा अपनी 27वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रशासकीय और अध्यापन पदों पर आरक्षण नीति को बाध्यकारी बनाने के लिए कहा है और उपकुलपतियों सहित विश्वविद्यालय प्राधिकारियों पर विधान कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए कहा है। लेकिन, शिक्षा विभाग ने

इस सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया। ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए, यह महसूस किया जाता है कि सामान्य रूप से सीधी भर्ती में और विशेष रूप से व्याख्याताओं के पदों के सम्बन्ध में आरक्षित पदों के अनारक्षण पर प्रतिबन्ध सहित आरक्षण आदेशों के कड़े अनुपालन के बिना विश्वविद्यालयों/कालेजों में अध्यापन कार्यों के लिए प्राप्त संख्या में अ०जा० और अ०ज०जा० के व्यक्तियों का लाया जाना बहुत ही कठिन होगा। अत: यह दोहराया जाता है कि **सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा यथा अनुमत विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के प्रावधान का ध्येय प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम और विश्वविद्यालय अधिनियमों के संगत प्रावधानों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।**

6.12 अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण से सम्बन्धित संसदीय समिति (आठवीं लोक सभा) ने अपनी तैंतालीसवीं रिपोर्ट में कहा था कि व्याख्याताओं की कोटि में अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जाने के लिए 1975 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अगीकृत संकल्प का केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा इस आधार पर पालन नहीं किया गया है कि अध्यापन पद लम्बी अवधि के लिए रिक्त नहीं रखे जा सकते हैं। समिति की राय में रिक्तियों को आगे ले जाने का अर्थ ऐसे पदों का न भरा जाना नहीं है। इसका अर्थ केवल यही है कि यदि किसी विशेष भर्ती वर्ष में अ०जा०/अ०ज०जा० का उम्मीवार उपलब्ध न हो तो पद को तदर्थ आधार पर एक सामान्य कोटि के उम्मीदवार की नियुक्ति के द्वारा भर लिया जाए और उत्तरवर्ती वर्षों में आगे ले जाई गई रिक्तियों को बाद में उत्पन्न होने वाली अन्य रिक्तियों के साथ भरने के लिए प्रयास किए जाएं। आरक्षित पदों को आगे ले जाने की पद्धति के अभाव में अ०जा० और अ०ज०जा० के प्रति कितना बड़ा अन्याय हो रहा है इसका अन्दाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1984, 1985 और 1986 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में नियुक्त किए गए 220 व्याख्याताओं में से कोई अ०जा०/अ०ज०जा० का नहीं था। समिति ने सिफ़ारिश की कि जैसा कि इस विषय पर सरकारी निर्देशों में प्रावधान किया गया है व्याख्याताओं की कोटि में अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए आरक्षित पदों को आगे ले जाने की पद्धति सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लागू की जाए ताकि अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं के संवर्ग में नियुक्ति में उनका उचित हिस्सा मिल सके।

6.13 रिक्तियों के अनारक्षण सहित अ०जा० और अ०ज०जा० के पक्ष में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामले की संघ सरकार के शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों की एक बैठक में 28-8-92 को समीक्षा की गई थी और निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे :

(i) रिक्तियां भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय विश्वविद्यालय अ०जा०/अ०ज०जा० उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।

(ii) चूंकि अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण पर पूर्ण प्रतिबन्ध है, इसलिए आरक्षित रिक्तिया आगामी भर्ती वर्षों के लिए अग्रेषित करनी पड़ेंगी। इस प्रकार बिना भरी गई रिक्तियां सामान्य उम्मीदवारों द्वारा किन्हीं परिस्थितियों में नहीं भरी जानी चाहिए। इस प्रकार से बिना-भरी रिक्तियां तब तक बिना भरी रहेंगी तब तक कि वे अ०जा०/अ०ज०जा० के ऐसे उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरी जाती है जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूतम अर्हताएं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस आशय के अनुदेश कड़े अनुपालन के लिए सभी विश्वविद्यालयों को जारी करे। उपर्युक्त निर्णय अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए आरक्षित रिक्तियां भरते समय (अध्यापन और गैर-अध्यापन) सभी कोटियों पर लागू होगा।

(iii) गैर-अध्यापन पदों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का विश्वविद्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए।

6.14 11-1-1993 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे :

(i) सरकार की नीति को कार्यान्वित करना होगा और पिछली कमी को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं जिसके लिए इस सम्बन्ध में भारत सरकार के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों द्वारा विशेष अभियान चलाए जाएं। इस प्रयोजन के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय दैनिकों, रोज़गार समाचार, विश्वविद्यालय समाचार तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी दिए जाएंगे।

(ii) यह स्पष्ट किया गया कि श्रेणी 1 के पदों के अनुदेश अध्यापन पदों पर भी लागू होते हैं और पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय विश्वविद्यालयों को अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करनी चाहिए। अनु०जाति/अनु०जनजाति उम्मीदवारों में से जिन सर्वोत्तम उम्मीदवारों के पास निर्धारित अर्हताएं हैं उनकी आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए सिफ़ारिश की जा सकती है।

(iii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को, जहां नियुक्तियों के मामले में (व्याख्याताओं के स्तर पर और गैर-अध्यापन पदों में) अ०जा०/अ०ज०जा० का कम प्रतिनिधित्व है, पिछली कमी को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए।

6.15 ऐसी आशा की जाती है कि सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधीन सेवाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व सुधारने के लिए उनके द्वारा इन अनुदेशों का नियमनिष्ठा से कार्यान्वियन किया जाएगा। **आयोग यह भी सिफारिश करता है कि राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा इसी प्रकार के कदम उठाए जाएं। आगे यह सिफारिश भी की जाती है कि भर्ती/पदोन्नतियों के मामले में विश्वविद्यालयों द्वारा पालन किए जाने के लिए ब्यौरेवार मार्ग-निर्देशों सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक समान अनुदेश संकलित किए जाएं और**

कड़े अनुपालन के लिए सभी विश्वविद्यालयों को जारी किए जाएं। मार्गनिर्देशों और अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने के लिए उपयुक्त विवरणियां भी निर्धारित की जानी चाहिए।

भारतीय टेलीफ़ोन उद्योग, बेंगलूर के अधीन समयबद्ध पदोन्नति

6.16 भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अनु०जाति और अनु०जनजाति के लिए अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती और पदोन्नतियों दोनों में क्रमशः 15% और 7½% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जबकि उपर्युक्त नीति जारी थी, पदोन्नति की एक नई नीति जिसे "समयबद्ध पदोन्नति नीति" कहा गया, तैयार की गई थी और रिक्ति पर आधारित पदोन्नति योजना को छोड़कर समयबद्ध पदोन्नति योजना लागू करने के लिए अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबन्धकों और कर्मचारियों की यूनियनों के मध्य सहमति हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों द्वारा यथा अंगीकृत समयबद्ध पदोन्नति योजना से सेवा के वर्षों की संख्या के हिसाब से पात्रता की शर्त में काफी वृद्धि कर दी गई है। समयबद्ध पदोन्नति के नए सिद्धान्त की जांच करते हुए, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने उन सार्वजनिक उद्यमों को जो नई योजना को पहले ही लागू कर चुके हैं यह स्पष्ट किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि नई योजना निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो :

(i) सेवा की निर्धारित अवधि पूरी करने पर सभी कर्मचारी, पदोन्नतियों को उच्चतर पदों में रिक्तियों की उपलब्धता से जोड़े बिना, अगले उच्चतर ग्रेड, स्केल या स्तर पर पदोन्नत कर दिए जाएं। दूसरे शब्दों में, समयबद्ध पदोन्नति योजना के अन्तर्गत पदोन्नतिया रिक्तियों पर आधारित न हों।

(ii) इस योजना के अन्तर्गत पदोन्नतियों में चयन या व्यक्तियों के बीच योग्यता की तुलना का कोई मूलघटक न हो। तथापि, यदि यह योजना सुपरिभाषित मानदण्ड के आधार पर अयोग्य को अस्वीकृत करने की अनुमति प्रदान करे तो यह विकृत नहीं होगी।

6.17 समयबद्ध सिद्धान्त पर आधारित एक ऐसी ही पदोन्नति नीति भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा बनाई गई थी और भारतीय टेलीफोन उद्योग के प्रबन्धकों और भारतीय टेलीफोन उद्योग के कर्मचारियों की यूनियन के मध्य 22-9-79 के समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत सहमति हुई थी। इस नीति के अन्तर्गत सेवा के वर्षों की निर्धारित संख्या पूरी करने पर सभी कर्मचारी संगत संवर्ग में पदोन्नति पाने के हकदार थे। भारतीय टेलीफोन उद्योग के अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारी भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा लागू की गई नीति के विरुद्ध आयोग को अभ्यावेदन भेजते रहे हैं। उनकी यह शिकायत रही है कि इस नीति के परिणामस्वरूप अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए पदों का आरक्षण समाप्त हो गया। इसके द्वारा पहली पदोन्नति नीति के अन्तर्गत जो तुलनात्मक लाभ अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारी उठा रहे थे वह नई नीति के अन्तर्गत समाप्त हो गया और सभी कर्मचारी अर्थात् अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारी और सामान्य कोटि के कर्मचारी एक समान कर दिए गए। भारतीय टेलीफोन उद्योग अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारी कल्याण संघ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (सं० 5700/90) दायर की जिसने 1990 में निर्णय दिया और आदेश दिया कि भारतीय टेलीफोन उद्योग प्रबन्धक यह सुनिचित करने के लिए कदम उठाएं कि भारतीय टेलीफोन उद्योग की समस्त स्थापनाओं के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत अ०जा० और अ०ज०जा० के सदस्यों क्रमशः, उस तारीख से जब से भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा समयबद्ध योजना लागू की गई थी, समयबद्ध पदोन्नति योजना के अन्तर्गत भी भारत सरकार के अनुदेशों के अनुरूप कम से कम 15% और 7½% पदोन्नतियां प्राप्त हों। उच्च न्यायालय ने भारतीय टेलीफोन उद्योग प्रबन्धकों को आगे यह आदेश दिया कि अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों को, जो कानून के अनुसार पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हैं, सभी परिणामी लाभ दें।

6.18 भारतीय टेलीफोन उद्योग प्रबन्धकों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश के विरुद्ध 1990 की सिविल अपील सं० 4672 से 4675 के द्वारा उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की। इसमें यह विवाद किया गया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन से उद्योग श्रमिक संबंधों के मामले में बहुत-सी जटिलताएं पैदा होंगी। उच्चतम न्यायालय ने अपने 18-9-1990 के आदेश में अपील करने की विशेष अनुमति प्रदान की और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश लागू होने पर रोक लगा दी। इस स्थिति में श्री एल०आर० नायक, भूतपूर्व संसद सदस्य ने राष्ट्रीय अ०जा० तथा अ०ज०जा० आयोग से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इस सम्बन्ध में श्री नायक 30-8-93 को आयोग के अध्यक्ष से भी मिले। आयोग ने कल्याण मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इस बात पर विचार करने का सुझाव दिया था कि क्या वे अ०जा०/अ०ज०जा० के हितों की सुरक्षा के लिए जो कर्नाटक उच्च न्यायालय में यह प्रकरण जीत गए थे, उच्चतम न्यायालय में एक पक्षकार के रूप में सम्मिलित होने पर विचार करेंगे। आयोग ने महसूस किया कि प्रबन्धकों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में यह प्रकरण लड़ना अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक रूप से असम्भव था क्योंकि वे इसमें होने वाली भारी खर्च को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे। आयोग ने मंत्रालय से यह भी कहा कि जब अनु०जाति और अनु०जनजाति कर्मचारियों के कल्याण संघ ने इस प्रकरण को कर्नाटक उच्च न्यायालय से गुण-दोष के आधार पर जीत लिया था भारतीय टेलीफोन उद्योग जिनसे अ०जा० और अ०ज०जा० के हितों की सुरक्षा करने की अपेक्षा थी उन्हें तटस्थ रुख अपनाना चाहिए था न कि अपने ही अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारियों के विरुद्ध लड़ना चाहिए था। आयोग ने यह विचार भी व्यक्त किया कि जहां अ०जा० और अ०ज०जा० को न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय मिले वहां प्रबन्धकों को सार्वजनिक खर्चे पर अपील करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि यह कुछ कर्मचारियों को प्रभावित कर भी रहा था तो वे उच्चतर न्यायालय से समाधान करा सकते थे न कि प्रबन्धकों को अनु०जाति और अनु०जनजाति के हितों के विरुद्ध उनका पक्षधर बनना चाहिए था।

6.19 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने, जो सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षण के मामले में अनुदेश जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है, यह रिपोर्ट दी कि क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन में कुछ गम्भीर जटिलताएं थीं इसलिए भारतीय टेलीफोन उद्योग के प्रबन्धकों को उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करनी पड़ी

थी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आयोग को आगे सूचित किया कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय टेलीफोन उद्योग के विमत को उचित ठहराया था और कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय को अमान्य कर दिया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपनी कार्रवाई का औचित्य जताते हुए महसूस किया कि प्रबन्धकों के कानूनी हकों को नियंत्रित करना उनके लिए उचित नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि कभी-कभी निचली अदालत से प्राप्त किया गया अनुकूल निर्णय कानून के अनुसार औचित्यपूर्ण न ठहराया जा सके। कल्याण मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया।

6.20 इस प्रकरण का निर्णय भारतीय टेलीफोन उद्योग के अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों के विरुद्ध गया और इस प्रकार, अन्य संगठनों के भी विरुद्ध गया किन्तु यह तथ्य अपनी जगह है कि धन और कानूनी सलाह के हिसाब से अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों का प्रबन्धकों की शक्तियों के सामने कोई मुकाबला नहीं था। **आयोग का यह दृढ़ मत है कि यदि अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों को किसी न्यायालय से अनुकूल निर्णय प्राप्त हो तो प्रबन्धकों को सार्वजनिक खर्चे पर अपील करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि उसका किसी प्रकार दूसरे कर्मचारियों पर कुप्रभाव पड़े तो वे उच्चतर न्यायालय से समाधान तलाश करें न कि प्रबन्धक, जिनसे अनु०जाति और अनु०जनजाति के हितों की सुरक्षा करने की अपेक्षा की जाती है, अ०जा० और अ०ज०जा० के हितों के विरुद्ध दूसरे कर्मचारियों का साथ दें।**

पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार करने के लिए शामिल की जाने वाली रिक्तियां

6.21 भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार पदोन्नतियों में आरक्षण केवल नियमित रिक्तियों में लागू होता है। अतः यह आवश्यक है कि रिक्तियों की संख्या का सावधानीपूर्वक यथा सम्भव सही अनुमान लगाने के बाद पदोन्नतियों के लिए एक चयन सूची तैयार की जानी चाहिए। इन अनुदेशों में आगे यह प्रावधान है कि इस प्रयोजन के लिए पूर्ण रूप से अल्पकालिक रिक्तियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ने उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन में रोस्टर बिंदु 8, 9 और 10 के लिए 3 का पैनल तैयार किया यद्यपि उस समय रोस्टर बिंदु 8 और 9 पर पड़ने वाली केवल 2 रिक्तियां ही वास्तविक रूप से उपलब्ध थीं। इस मामले को आयोग की जानकारी में रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के प्रभावित अ०जा० कर्मचारियों द्वारा लाया गया था।

6.22 इस मामले की जांच करते समय आयोग ने पाया कि रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन कनिष्ठ अन्वेषक के ग्रेड में रिक्तियां दिसम्बर, 1990 में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाते समय गलती से बढ़ाकर 2 से 3 कर दी गई थी, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख को एक कर्मचारी के राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण 4 महीने से कम के लिए उपलब्ध अस्थायी रिक्ति को उसमें जोड़ दिया गया था। चूंकि यह एक या अधिक वर्ष के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार एक दीर्घ-कालिक रिक्ति नहीं थी इसलिए इसे एक दीर्घ-कालिक रिक्ति मानने और तीन व्यक्तियों का पैनल बनाने का प्रश्न ही नहीं था। यदि रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ने दो दीर्घ-कालिक रिक्तियों के लिए केवल दो व्यक्तियों का ही पैनल बनाया होता तो अनुसूचित जाति का कर्मचारी रोस्टर बिन्दु 8 पर पदोन्नति पा गया होता। रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, जिसके साथ आयोग का लम्बा पत्राचार चला, आयोग के प्रेक्षणों से सहमत नहीं हुआ और उसने यह कहा कि प्रतिनियुक्ति पर एक व्यक्ति के लौटने के बाद अ०जा० के कर्मचारी का पदावनत होना सरकार की नीति के अनुरूप ही था। इस मामले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजना पड़ा जिन्होंने आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया और रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय को अ०जा० के कर्मचारी के लिए प्रावधान करने की सलाह दी। केवल तभी आयोग द्वारा पहले की गई सिफारिश के अनुसार अ०जा० के कर्मचारी को पूर्वव्याप्ति से पदोन्नति देकर मई 1994 में रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ने स्थिति को दुरुस्त किया। प्रशिक्षण और रोज़गार महानिदेशालय ने विलम्ब पर भी खेद व्यक्त किया। यह बहुत स्पष्ट है कि प्राधिकारियों ने भारत सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर 2 से 3 कर दिया था। प्राधिकारियों की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए समझाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। आयोग ने इस मामले को गम्भीरता से लिया और रोज़गार प्रशिक्षण महानिदेशालय को अ०जा० कर्मचारी की पदोन्नति में विलम्ब करने के लिए जवाबदेही निश्चित करने और चूककर्ता अधिकारी के विरुद्ध कारवाई करने की सिफारिश की। अभी भी उत्तर प्रतीक्षित है।

सफाई कर्मचारियों/मैला ढोने वालों की भर्ती

6.23 यद्यपि सरकार के अधीन सेवाओं में उन समुदायों के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं है जो परम्परा से सफाई वालों/मैला ढोने वालों के रूप में काम कर रहे हैं तो भी सरकार की विभिन्न एजेंसियों के अधीन सफाई कर्मचारियों के रूप में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी इन्हीं समुदायों से आते हैं। 1-1-1993 को सफाई कर्मचारियों के समूह घ के पदों में अ०जा० और अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाली विभिन्न एजेंसियों से एकत्रित सांख्यिकी सूचना नीचे उद्धरित की गई है :—

सारणी—5

सफाई कर्मचारी

एजेंसी	सफाई कर्मचारियों की कुल संख्या	अ०जा०	प्रतिशत	अ०ज०जा०	प्रतिशत
(i) भारत सरकार	1,33,305	85,875	64.35	4,940	3.71
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,25,362	21,606	85.19	801	3.16
(iii) राष्ट्रीयकृत/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	34,200	17,785	52.00	1,810	5.29
(iv) रेलवे (1-1-94 की स्थिति के अनुसार)	उपलब्ध नहीं	40,233	उपलब्ध नहीं	2,380	उपलब्ध नहीं
(v) राज्य सरकार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

उपर्युक्त सारणी से यह प्रकट होता है कि भारत सरकार के अधीन लगभग 32% सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन लगभग 12% और राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधीन लगभग 43% सफाई कर्मचारी अ०जा० और अ०ज०जा० से भिन्न जातियों और समुदायों के हैं। रेलवे के मामले में ऐसा विश्वास है कि यह संख्या अधिक ही होगी और सम्भवतया इसी कारण से रेलवे के अधीन सफाई वालों की कुल संख्या दर्शाते हुए अलग आंकड़े उनकी वार्षिक रिपोर्ट में मुद्रित नहीं किए गए हैं। जबकि अन्य समुदायों के सदस्यों पर सफाई वालों के रूप में नियुक्तिया तलाशने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, पर्यवेक्षी कर्मचारियों की यह प्रवृत्ति रहती है कि वे केवल अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारियों को शौचालय, फर्श आदि साफ करने के गन्दे कामों में लगाते हैं जबकि अन्य जातियों और समुदायों के सफाई कर्मचारियों को सामान्यतया दूसरे कामों में लगाते हैं। यही एक कारण है कि सामान्य कोटि के अनेक व्यक्ति विभिन्न सरकारी एजेंसियों के अधीन सफाई कर्मचारियों की नौकरियां स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यह स्थिति रेलवे में अधिक दिखाई देती है जहां उच्चतर जातियों के अनेक व्यक्ति सफाई कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं किन्तु वास्तव में चपरासी, सन्देशवाहक आदि के काम पर लगाये जाते हैं। इस प्रवृत्ति के चलते अनुसूचित जाति के उम्मीदवार (और कुछ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार भी) जो उन समुदायों से सम्बन्धित हैं जो परम्परा से सफाई करने और मैला ढोने के काम में लगे हैं वे नियोजन के कम अवसर पा रहे हैं जिसके कारण उनमें अधिक बेरोजगारी है। राज्य सरकारों के माध्यम से कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सफाई वालों/झाडू वालों के विविधीकरण की योजना इस वर्ग के लिए कुछ अवसर प्रदान कर सकती है किन्तु यह प्रारम्भिक रिपोर्ट उत्साहजनक नहीं हैं कि राज्य सरकारों ने राज्य निधियों के अंशदान के अभाव में योजना के प्रति अधिक रुचि नहीं दर्शायी है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए **यह सिफारिश की जाती है कि सफाई कर्मचारियों के कम से कम 75% पद ऐसे समुदायों से सम्बन्धित उम्मीदवारों द्वारा ही भरे जाने चाहिएं जो परम्परागत रूप से इस व्यवसाय में संलग्न हैं और इन समुदायों से उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में दूसरों के लिए उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसी प्रकार समूह ग और घ के पदों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में से कुछ रिक्तियां समाज के इस वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए उद्दिष्ट की जा सकती हैं जो कि अभी भी समाज के निम्नतम संवर्ग में बनी हैं।**

6.24 भूतपूर्व अ०जा० और अ०ज०जा० आयुक्त की सिफारिश पर भारत सरकार ने सफाई कर्मचारियों, फराशों, चौकीदारों आदि को चपरासियों के पदों पर स्थानांतरित किए जाने के आदेश 1976 में जारी किए थे ताकि उन्हें अस्वच्छ कामों से हटाकर स्वच्छ कामों में लगाया जा सके और उसके बाद उनके लिए पदोन्नति के अवसर दिए जा सकें। इन अनुदेशों के अनुसार, चपरासियों के ग्रेड या दूसरे इसी प्रकार के भर्ती स्तर के पदों में होने वाली रिक्तियों की 25% रिक्तियां सफाई कर्मचारियों, फराशों, चौकीदारों आदि के स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित की जाएंगी जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो भले ही वे पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं न रखते हों। तथापि, वे प्रारम्भिक साक्षरता रखते हों और या तो अंग्रेजी या हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा पढ़ने की योग्यता का प्रमाण दें। समूह घ के अन्य पदों पर स्थानांतरण के इस प्रावधान से बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों को भारत सरकार के अधीन समूह घ के अन्य पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने में सहायता मिली है और उनकी पदोन्नति के आगे अवसरों में वृद्धि की है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में भी उनके पद का नाम श्रमिक के रूप में रखकर कार्यान्वित की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों ने अन्य कर्मकारों के साथ उनके लिए भी चयन ग्रेडों की अनुमति देकर पदोन्नति के अवसर प्रदान किए हैं। इससे भी इन समुदायों की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता हो रही है क्योंकि सफाई कर्मचारियों की कोटि में रिक्तियों का सृजन हो रहा है जिन पर इसी वर्ग के उम्मीदवार रोज़गार पाते हैं। **राष्ट्रीयकृत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, जहां अंशकालीन सफाई कर्मचारी शाखाओं में लगाये जाते हैं, इस प्रकार के अवसर उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसकी आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग डिवीजन द्वारा समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। ताकि भारत सरकार की नीति के अनुसार, सफाई कर्मचारियों को समूह घ के संदेशवाहक जैसे अन्य विविध पदों के अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।**

बैंकों के अधीन सफाई कर्मचारियों/फराशों/चौकीदारों की अधीनस्थ कोटि से लिपिकीय पदों पर पदोन्नति

6.25 पंजाब नेशनल बैंक ने अधीनस्थ संवर्ग से लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति की बाबत नीति और प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में अपने कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के प्रावधानों में से एक के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक में नियोजित सफाई कर्मचारी, जो स्नातक हो उसे, एक परीक्षा में बैठना होगा और उसके बाद साक्षात्कार होगा जबकि बैंक के अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी (सफाई कर्मचारी से भिन्न), जो स्नातक हो, उनके लिखित परीक्षा में शामिल हुए बिना, केवल साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से ही उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा। समझौते में किया गया यह विभेदक प्रावधान अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा आयोग की जानकारी में लाया गया। मामले को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पंजाब नेशनल बैंक प्रबन्धकों को भेजा गया था। बैंक की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया थी कि "कर्मचारी फेडरेशन के साथ हमारे समझौते की शर्तों के अनुसार स्नातक सफाई कर्मचारी भी, अन्य कोटि के कर्मचारियों के साथ, अर्थात् सुरक्षा कर्मियों के साथ जो स्नातक हो, लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र हैं। उनका कहना था कि सफाई कर्मचारियों के साथ, उनकी लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति के मामले में, कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने आगे कहा : "दूसरी तरफ स्नातक सफाई कर्मचारियों के लिए, चाहे वे सामान्य कोटि के हों या अ०जा०/अ०ज०जा० कोटि के हों, परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में सम्मिलित होना आवश्यक है।" उनके अनुसार "इस प्रावधान के पीछे औचित्य यह था कि अधीनस्थ संवर्ग का कोई सदस्य जो अपनी मैट्रिक परीक्षा पास करने से पहले से बैंक में नियोजित है, स्नातक की अर्हता बैंक में 5-7 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बाद ही अर्जित कर पायेगा। इस प्रक्रिया के दौरान और 5-7 वर्ष की सेवा के दौरान जबकि वह अपनी शैक्षणिक अर्हता बढ़ा रहा है, वह बैंकिंग कार्यकलापों से भी सतत संपर्क में रहता है जो उसे लिपिकीय संवर्ग में अपने कर्तव्य समुचित रूप से निभाने के लायक बना देते हैं जब वह साक्षात्कार के बाद पदोन्नत किया जाता है कर्तव्य . . . . सफाई कर्मचारियों के मामले में यद्यपि उनको भी बैंक की सेवा में भर्ती होने के बाद स्नातक बनने में लगभग उतना ही समय लगता है

किंतु वास्तविक बैंकिंग कार्यकलापों से उनका सामना लगभग नगण्य ही रहता है और इसलिए इसका मूल्याकन करन के लिए कि क्या वे लिपिकीय सवर्ग में कर्त्तव्यों का निष्पादन कर पायेंगे अथवा नहीं, बैंक के लिए यह आवश्यक है कि उनकी लिखित परीक्षा ली जाए ताकि कर्त्तव्यों का निष्पादन करने की उनकी योग्यता का सही-सही मूल्यांकन किया जा सके जो साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान संभव नहीं है।''

6.26 बैंक द्वारा दिए गए तर्क विश्वसनीय नहीं है। यह सामान्य और अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारियों का प्रश्न नहीं है बल्कि सफाई कर्मचारियों से संबंधित प्रश्न है जो निम्न वर्ग में भी निम्नतम समझे जाते हैं। तथापि, ऐसे उदाहरण विरले ही हैं कि कुछ सामान्य उम्मीदवार सफाई कर्मचारियों के रूप में काम करते रहे हों। बैंकिंग कार्यकलापों के संबंध में भी यह महसूस किया जाता है कि अधीनस्थ संवर्ग का कोई कर्मचारी केवल रजिस्टरों के बारे में जानता है और चैकों तथा अन्य कागजातों को विभिन्न काउंटरों तक लाना ले जाना जानता है जो काम किसी छोटी शाखा का सफाई कर्मचारी भी सामान्यत: करता है। यहां यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि जहां लिपिकीय संवर्गों में की गई जो नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जाती हैं, उनके लिए चुने गए एम्मीदवार बैंकिंग कार्यकलाप शायद ही जानते हों। ऐसे सभी उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है जो कि लिपिकीय पदों पर चुने गए सफाई कर्मचारियों के मामले में भी दिया जा सकता है। **अत: यह सिफारिश की जाती है कि बैंक के सभी कर्मचारी, चाहे अधीनस्थ संवर्ग में हों या सफाई कर्मचारियों की कोटि में, लिपिकीय पदों पर अपनी पदोन्नति के प्रयोजनार्थ समकक्ष माने जाने चाहिएं। अन्य बैंक, यदि उपरोक्त प्रकार की प्रक्रिया अपना रहे हों तो उन्हें भी ऐसा ही करने की जरूरत है। आर्थिक कार्य विभाग का बैंकिंग डिवीजन समान अर्हताओं के आधार पर उनकी पदोन्नति के अवसरों हेतु सफाई कर्मचारियों और अन्य अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारियों को समकक्ष बनाने के लिए समझौते को संशोधित करने के लिए अनुदेश जारी करे।**

अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों के सेवा संघों को मान्यता प्रदान करना

6.27 संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 335 के अनुसार अ०जा० और अ०ज०जा० के लाभ के लिए सरकार द्वारा सेवा संबंधी मामलों में विशेष सुरक्षण प्रदान किए गए हैं। अ०जा० और अ०ज०जा० को सेवा संबंधी मामलों में कतिपय रियायतें और छूटें प्राप्त हैं जो पदोन्नतियों के मामले में उनके लिए हितकर हैं किंतु जिनके बारे में यह आम लेकिन मिथ्या धारणा है कि ये विशेष सुरक्षण सामान्य कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध हैं। इस प्रकार से अ०जा० और अ०ज०जा० कर्मचारियों की ''आरक्षित कोटा'' के विरुद्ध शिकायतें प्राधिकारियों द्वारा यथोचित रूप से नहीं सुनी जाती हैं। संभवतया यही कारण था कि भारत सरकार ने अ०जा० औरअ०ज०जा० कर्मचारियों को ''आरक्षित कोटा'' के विरुद्ध शिकायतों के सामाधान के लिए भूतपूर्व अ०जा० और अ०ज०जा० आयुक्त के पास जाने की अनुमति प्रदान की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, जिनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों की बहुसंख्यक यूनियनों के साथ हुए करार सेवा शर्तों को शासित करते हैं, सामान्य कर्मचारियों की शिकायतें उन मान्यताप्राप्त यूनियनों के माध्यम से दूर की जाती हैं। तथापि, यह बात आम जानकारी में है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अ०जा० और अ०ज०जा० कर्मचारी जिन्हें बहुसंख्यक यूनियनों के माध्यम से अपनी शिकायतें रखने की सलाह दी जाती है उन्हें, उनके विशेष हितों के संबंध में, उनसे सामान्यतया समुचित समर्थन नहीं मिलता है। यह भी आम जानकारी की बात है कि अनेक सामान्य यूनियनें जिन पर सामान्य कोटि के कर्मचारियों का प्रभुत्व है, अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए विभिन्न रियायतों और छूटों तथा नियुक्तियों/ पदोन्नतियों में आरक्षण लागू किए जाने का विरोध करते रहे हैं।

6.28 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त कर्मचारियों की आम सेवा यूनियनों से समुचित समर्थन के अभाव में, अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों ने सेवा संबंधी मामलों में अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अपने निजी संगठन बनाना शुरू कर दिया। इन संघों ने अपनी मान्यता की मांग रखी ताकि वे अ०जा० और अ०ज०जा० के मामलों को उठा सकें क्योंकि सरकारी एजेंसियों ने इस आधार पर उनके अस्तित्व को स्वीकार करने से इंकार कर दिया कि केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों (सेवा संघों की मान्यता) के अंतर्गत किसी जाति, जनजाति अथवा धार्मिक संप्रदाय या ऐसी जाति, जनजाति या धार्मिक संप्रदाय के वर्ग या उसके अंतर्गत किसी समूह के आधार पर या उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेवा संघ नहीं बनाये जायेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भी विभिन्न विभागों को यह स्पष्ट करता रहा है कि अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों के सेवा संघों की कोई अधिकारिता नहीं है और उनसे प्राप्त संदर्भों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। भूतपूर्व अ०जा० और अ०ज०जा० आयुक्त ने अपनी रिपोर्टों में कई बार अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों के कुछ अखिल भारतीय संगठनों को मान्यता देने की सिफारिश की थी ताकि अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों की जायज शिकायतें उनके माध्यम से उठायी जा सकें। तथापि, भारत सरकार ने इस आधार पर यह सिफारिश स्वीकार नहीं की है कि यह वांछनीय नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों के संघ जाति, जनजाति या धार्मिक आधार पर गठित किए जाएं।

6.29 सेवा संघों को मान्यता न देना सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधकों और उनके अ०जा० तथा अ०ज०जा० कर्मचारियों के बीच बातचीत या संप्रेक्षण के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रबंधकों के कठोर रवैया के कारण, अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों को मंत्रालयों और संसद सदस्यों सहित बाहरी एजेंसियों से अनुरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अ०जा० और अ०ज०जा० कर्मचारियों के सेवा संघ बड़ी संख्या में राष्ट्रीय अ०जा० और अ०ज०जा० आयोग से भी अनुरोध करते हैं। इन उद्यमों के प्रबंधकों के लिए मंत्रालय/संसद सदस्य और राष्ट्रीय आयोग से प्राप्त पूछताछ का उत्तर देना बाध्यकर है। बाद में, उत्तर के बारे में आयोग द्वारा अ०जा० और अ०ज०जा० संघों को सूचित किया जाता है। प्रबंधक अ०जा० और अ०ज०जा० कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान तो देते हैं किंतु सामान्यता: अपने अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारी संघों को सीधे उत्तर भेजने से कतराते हैं। **यदि प्रबंधक अ०जा० और अ०ज०जा० कर्मचारियों के सेवा संघों से संदर्भ सीधे ही प्राप्त कर लें तो दूसरे संगठनों पर पड़ने वाले अनावश्यक कार्यभार से बचा जा सकता है।** इससे राष्ट्रीय आयोग को भी नेमी मामलों पर अ०जा० और अ०ज०जा० से बड़ी संख्या में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करने का अपना भार कम करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार बचाया गया समय और

ऊर्जा संविधान द्वारा आयोग को प्रदत्त जवाबदेही के अनुसार अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षणों के काम करने की जाच में लगायी जा सकेगी। **इस प्रयोजन के लिए किसी संगठन में एक प्रतिनिधि सेवा संघ की पहचान की जाए और अ०जा० और अ०ज०जा० के मामलों को उठाने या और भारत सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, जहा कहीं उल्लंघन ध्यान में आएं, सामान्य नीतिगत मामलों को उठाने के सीमित प्रयोजन के लिए उन्हें मान्यता दी जाए। जैसा कि राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में है, अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों के अभिज्ञात सेवा संगठनों को, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा मुख्य कार्यपालक या निदेशक (कार्मिक) के साथ उनकी शिकायतों पर विचार करने के लिए, आमंत्रित किया जा सकता है ताकि अ०जा० और अ०ज०जा० कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जा सके।** अ०जा० और अ०ज०जा० कर्मचारियों को भी यह संतुष्टि होगी कि संगठन उनके कल्याण की ओर ध्यान दे रहा है।

भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन के अधीन आरक्षित पदों की समाप्ति

6.30 भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (अब भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन) द्वारा चलाए गये विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत अप्रैल 1992 में अन्य पदों के साथ-साथ सुरक्षा गार्डों के 32 पद विज्ञापित किए गये थे। इन 32 पदों में से, 18 अ०जा० के लिए और 14 अ०ज०जा० के लिए आरक्षित थे। आयोग को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इस ग्रेड में अनारक्षित पद पहले भर लिए गए थे। यद्यपि अ०जा० और अ०ज०जा० के उम्मीदवारों का सुरक्षा गार्डों के रूप में नियुक्ति के लिए चयन पूरा कर दिया गया था लेकिन, जैसा कि भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण कर्मचारी संघ द्वारा आयोग को सूचित किया गया, इन उम्मीदवारों में से कोई नियुक्ति नहीं की गई क्योंकि सुरक्षा विभाग में कुछ उच्चतर स्तर के पदों के सृजन हेतु सुरक्षा गार्डों के 29 पद और सुरक्षा हवलदारों के दो पद समाप्त कर दिए गये थे। कर्मचारी संघ ने आगे आरोप लगाया कि सुरक्षा गार्डों के पद भी समाप्त कर दिए गए थे ताकि संगठन तत्कालीन मुख्य सुरक्षा अधिकारी स्तर के पद को महा प्रबंधक (सुरक्षा) के पद मे अपग्रेड कर सके और प्रबंधकों द्वारा इस सबंध में एक निर्णय लिया गया था।

6.31 समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने आयोग के सेवा सुरक्षण स्कंध में उप निदेशक के माध्यम से मामले की जांच किए जाने का आदेश दिया। आरक्षण की पिछली कमी के रूप में विज्ञापित 31 पदों की समाप्ति के विशेष संदर्भ से इस मामले पर भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन के विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया गया। जांच रिपोर्ट से पता चला कि 1990 के दौरान संगठन में 28 सुरक्षा गार्ड नियमित किए गए थे जिनमें से कोई अ०ज०/अ०ज०जा० का नहीं था। वस्तुत: प्राधिकारियों ने न तो दैनिक मजदूरी के आधार पर उनकी भर्ती के समय और न ही उन्हें नियमित करते समय आरक्षित पदों को भरने के लिए कोई कदम उठाये। बहरहाल, प्राधिकारियों ने यह तर्क देकर अपनी कार्रवाई का औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की कि सुरक्षा गार्डों के पदों को समाप्त करना कोई एकमात्र उपाय नहीं था और उस समय खाली पड़े बहुत से अन्य पद थे जिनमें अनारक्षित पद शामिल थे जो बचत अभियान के अंतर्गत समाप्त कर दिए गए थे। प्राधिकारियों ने कर्मचारी संघ की इन शंकाओं को भी बेबुनियाद बताया कि मुख्य सुरक्षा अधिकारी को महाप्रबंधक के स्तर पर अपग्रेड करने के लिए निम्नतर पद समाप्त कर दिए गए थे। उन्होंने आगे बताया कि बेहतर सुरक्षा प्रबंधों के लिए कुछ उच्चतर स्तर के पद सृजित करने का एक अलग प्रस्ताव था। उन्होंने यह भी कहा कि जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति देने पर उन उच्चतर स्तर के पदों को भरा जाएगा तब अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए सम्यक् आरक्षण दिया जायेगा। जांच दल को यह भी आश्वासन दिया गया कि सुरक्षा विभाग में आरक्षण की पिछली कमी को पूरा करने के लिए समाप्त पदों को पुन: बहाल करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। बाद में भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन के प्राधिकारियों को यह स्पष्ट किया गया कि यदि अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए आरक्षित सुरक्षा गार्ड के पदों को बिना भरे मुख्य सुरक्षा अधिकारी का पद अपग्रेड कर दिया गया तो इसकी बहुत गंभीर प्रतिक्रिया होगी। यदि कतिपय पदों को समाप्त करना जरूरी भी था तो यह इस तरीके से किया जाना चाहिए था कि रोस्टर में पहले ही शामिल आरक्षित रिक्तियों पर असर न पड़े।

6.32. इसी बीच 15-9-1993 को भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन के बोर्ड की बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया कि जन शक्ति और सुरक्षा उपकरणों की दृष्टि से प्रगति मैदान की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्णरूपेण समीक्षा की जाए क्योंकि कारगर और चुस्त सुरक्षा प्रणाली बनाए रखने में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तदनुसार, अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि वास्तविक सुरक्षा आवश्यकताओं के संदर्भ में सुरक्षा एकक की जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण और संशोधन किया जा रहा है। प्राधिकारियों ने वायदा किया कि यदि अतिरिक्त पदों का सृजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया तो अ०जा० और अ०ज०जा० को समयक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा और जो कुछ भी पिछली कमी होगी जहां तक संभव हो पूरी की जायेगी। तथापि, अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए पहले से निर्धारित कोटा भरने के लिए प्राधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाये गए। कर्मचारी संघ ने भी यह कहते हुए स्थिति की पुष्टि की कि मुख्य सुरक्षा अधिकारी का पद विद्यमान पदधारी के लिए ही अपग्रेड किया जा रहा था जिसने दस साल की छोटी अवधि में पहले ही तीन या चार पदोन्नतियां प्राप्त कर ली थीं। इससे यह आरोप पूर्णरूपेण विश्वसनीय हो गया कि अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए आरक्षित 31 पदों की कीमत पर उस अधिकारी विशेष को व्यक्तिगत रूप से अपग्रेड करके उसकी सहायता करने के लिए निम्नतर स्तर के पद समाप्त कर दिए गए थे। भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन से प्राप्त नवीनतम संसूचना से इस बात की आगे पुष्टि हो गई कि संगठन ने सुरक्षा कार्मिकों के 62 अन्य पदों के साथ जिनमें निदेशक बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार 44 पद सुरक्षा गार्डों के शामिल थे, एक पद महाप्रबंधक (सुरक्षा) का सृजित किया था। जहां तक सुरक्षा गार्डों के 44 पदों के सृजन का संबंध था, प्राधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे पद नियमित आधार पर नहीं भरे जाएंगे बल्कि जब जरूरत होगी तब कार्मिकों को सुरक्षा एजेंसियों से लिया जाएगा।

6.33 इस प्रकार भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन ने सुरक्षा गार्डों के 29 पद और सुरक्षा हवलदारों के 2 पदों को भरने के लिए व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं किया जो पहले अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए आरक्षित पदों के रूप में विज्ञापित किए गए थे और केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए महा

प्रबंधक (सुरक्षा) के पद के सृजन में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए बाद में उन पदों को समाप्त कर दिया। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए **यह सिफारिश की जाती है कि यह सुनिश्चत करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय शीघ्र कदम उठाये कि अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए आरक्षित पद, जो पहले जारी किए गए विज्ञापन के माध्यम से भरे जाने से पहले समाप्त कर दिए गए थे, आगे बिना समय गंवाये अ०जा० और अ०ज०जा० को बहाल कर दिए जाएं। सरकारी नीति की अवहेलना करने के लिए दायित्व निश्चित करने हेतु कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आयोग की सुविचारित सलाह की उपेक्षा करने के लिए प्रबंधकों के विरुद्ध भी कार्रवाई अपेक्षित है।**

विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम-अ०जा० और अ०ज०जा० अधिकारियों के लिए सुरक्षण

6.34 भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार, अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय विभिन्न प्राधिकारियों से प्रयोजनों के आधार पर यथा संभव अधिक से अधिक अ०जा० और अ०ज०जा० अधिकारियों को लेने के लिए प्रर्याप्त गुंजाइश रखनी चाहिए। इन अनुदेशों में प्रावधान है कि जहां संभव हो, अ०जा० और अ०ज०जा० अधिकारियों के लिए 25% स्थान निर्धारित करना उपयोगी होगा। आदेशों में यह भी व्यवस्था है कि यदि अ०जा० और अ०ज०जा० के अधिकारी विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शमिल किए जाएं तो यह उपयोगी होगा। उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार, सी०टी० स्कैन काम में विदेशी प्रशिक्षण के लिए जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी से दो संकाय सदस्यों को प्रतिनियुक्त करने का अवसर था जिसके लिए संस्थान में मैसर्स सीमेन्स के माध्यम से उपस्कर अधिस्थापित किए गए थे। संकाय का एक अनुसूचित जाति का सदस्य रेडियो निदान विभाग का अध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर था। संकाय का दूसरा सदस्य, जो थोड़ी बेहतर अर्हताएं रखता था, उसी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर का और अनारक्षित कोटि का था। आयोग की जानकारी में यह प्रकरण एक संसद सदस्य द्वारा लाया गया और शिकायत की गई कि संस्थान के निदेशक द्वारा वरीयता मानदण्ड का उल्लंघन किया गया और विभागाध्यक्ष (अ०जा०) को पहले प्रतिनियुक्त किए जाने के दावे की उपेक्षा की गई। यह मामला जवाहर लाल नेहरू संस्थान, के निदेशक के साथ उठाया गया जिन्होंने कहा कि विदेश प्रशिक्षण के लिए संकाय के दोनों सदस्यों को, किंतु एक समय पर एक ही को, प्रतिनियुक्त किया जाना था। उन्होंने आगे रिपोर्ट दी की रेडियो निदान विभाग के अधिकार में मैसर्स सीमेन्स से नई अधिस्थापित मशीन ग्रहण करने के बारे में विभिन्न सरकारी औपचारिकताओं पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि, चूंकि फर्म को अधिस्थापन का अंतिम प्रमाण-पत्र देने से पहले उपस्कर का परीक्षण किए जाने की सभी औपचारिकताओं का निष्पादन सुनिश्चित करना विभागाध्यक्ष के लिए आधिकारिक रूप से आवश्यक था, इसलिए संकाय के कनिष्ठ सदस्य अर्थात विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर को प्रशिक्षण के लिए पहले भेजा जाए। यह भी निर्णय लिया गया था कि संकाय का वरिष्ठ सदस्य सहायक प्रोफेसर के लौटने के बाद भेजा जायेगा।

6.35 जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के निदेशक द्वारा किए गए दावे के अनुसार, सहायक प्रोफेसर शैक्षणिक रूप से अधिक अर्हता प्राप्त था और सीटी स्कैन काम का अनुभव/प्रभावन रखता था। उस तरह से वह परिष्कृत मशीनरी को संभालने के लिए बेहतर स्थिति में था और उसे ही प्रारंभिक काम देखने के लिए कहा जाना चाहिए था। चूंकि विभागाध्यक्ष सहायक प्रोफेसर से वरिष्ठ था और अनुसूचित जाति का भी था इसलिए उसे विशेष रूप से भारत सरकार के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, विदेश प्रशिक्षण के लिए अधिमान्यता दी जानी चाहिए थी। यह निष्कर्ष निकालने का पर्याप्त आधार हैं कि संस्थान के निदेशक ने अ०ज० अधिकारी के दावे की उपेक्षा करते हुए कनिष्ठ अधिकारी का पक्ष लिया। इस निर्णय से विवाद हुआ और बाद में कानूनी प्रकरण बना तथा स्थानीय पुलिस का हस्तक्षेप हुआ जिससे बचा जा सकता था।

6.36 एक अन्य मामले में, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के निदेशक के ओहदे के एक अनुसूचित जाति के अधिकारी ने, आयोग से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए सूचित किया कि एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग की सांख्यिकी समिति का एक निर्वाचित पदाधिकारी होने के नाते उन्हें बैंकाक में नवम्बर 9-12, 1993 को निर्धारित सांख्यिकी विशेषज्ञों के कार्यकारी दल की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें कार्यकारी दल का प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया था। ऐसा बताया गया कि सांख्यिकी विभाग से उन्हें मुक्त करने के लिए काफी पहले 22-9-1993 को अनुरोध किया गया था और कार्यसूची कागजात भी उन तक पहुंचाने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सांख्यिकी विभाग ने बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रण के बारे में उन्हें पूर्णतया अंधेरे में रखा। केवल 9-11-93 की शाम को ही जिस दिन बैंकाक में बैठक शुरू होनी निर्धारित थी उसके बारे में उन्हें बताया गया। उन्हें बैठक के लिए कार्यसूची कागजात भी नहीं दिए गए।

6.37 प्रधिकारियों की कार्रवाई भारत सरकार की नीति का स्पष्ट उल्लंघन थी और एक अनुसूचित जाति के अधिकारी के प्रति भेदभावपूर्ण थी। जब आयोग ने यह मामला सांख्यिकी विभाग को भेजा तो उन्होंने अधिकारी के कथन को सही बताया किंतु यह कहा कि कार्यसूची की एक प्रति उसे पृष्ठांकित की गई थी। तथापि, सांख्यिकी विभाग ने यह मत व्यक्त किया कि विदेश में या भारत में किसी बैठक में भाग लेने के लिए किसी अधिकारी को नामांकित करने का अधिकार प्रायोजक प्राधिकारियों का था और इसलिए उस अधिकारी को या किसी अन्य अधिकारी को, जैसा कि कार्य की आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समझा जाए, नामांकित करने का विकल्प उन्हें प्राप्त था। प्राधिकारियों ने दूसरे अधिकारी को नामित करने का प्रस्ताव किया किन्तु इसकी सूचना मिलने पर एशिया और प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग ने यह कहा कि वे निर्वाचित पदाधिकारी के अलावा किसी अन्य विशेषज्ञ के लिए धन की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है। अतः निर्वाचित प्रतिनिध के रूप में अधिकारी की हैसियत के सन्दर्भ में वाणिज्य मंत्रालय की सलाह पर मामले की पुनरीक्षा की गई थी। आयोग को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार राज्य मंत्री के अनुमोदन से 8-11-93 को उक्त अधिकारी को बैंकाक भेजने का एक निर्णय लिया गया था। स्वीकृति आदेश 9-11-93 को जारी किया गया था। यदि यह कुछ दिन पहले किया गया होता तो अधिकारी बैठक में भाग ले सकता था। यद्यपि प्राधिकारियों ने कहा कि किसी सरकारी नीति का उल्लंघन नहीं हुआ था या सांख्यिकी विभाग

की कोई दुर्भावना थी, यह मामला जानबूझकर असाधारण रूप से विलम्बित किया गया लगता है ताकि अनुसूचित जाति के अधिकारी का बैंकाक बैठक में भाग लेना रोका जा सके। आयोग ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश की। तथापि, प्राधिकारियों से प्राप्त उत्तर में बताया गया कि इस मामले में विलंब के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जा सकती तथा यह कहा कि किसी अधिकारी को नामित करने का अधिकार प्रायोजक प्राधिकारी के पास होता है। **आयोग की सिफारिश है कि इस मामले की सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाए जो यह भी सुनिश्चित करे कि भविष्य में अ०जा०/अ०ज०जा० अधिकारियों के प्रति ऐसा कोई अन्याय न हो।**

अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को उनके गृह नगर के निकट तैनात किया जाना

6.38 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को, जहां तक सम्भव हो, उनके मूल निवास के निकट तैनात किया जाना चाहिए। इस सिफारिश पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 20-6-1989 को अनुदेश जारी किए ''कि समूह ग और समूह घ के पदधारकों के मामले में, जिन्हें क्षेत्रीय आधार पर भर्ती किया गया हो और जो अनुसूचित जनजातियों के हों, उन्हें जहा तक सम्भव हो प्रशासकीय प्रतिबन्धों के अध्यधीन, क्षेत्र के भीतर उनके मूल निवासों के निकट तैनात किया जाए।'' इन अनुदेशों के सन्दर्भ में, आन्ध्र बैंक अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा आन्ध्र बैंक में अनुसूचित जनजाति लिपिकों की तैनाती के मामले में कथित रूप से इन अनुदेशों का बड़ी संख्या में उल्लंघन आयोग की जानकारी में लाया गया। संघ ने आरोप लगाया कि बैंक ने अधिकाश अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को दूर-दराज के इलाकों में शाखाओं में महत्वहीन पदों पर तैनात कर दिया है। यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए कि चार अविवाहित जनजाति की महिला लिपिक आन्ध्र प्रदेश के निजामाबाद और खम्माम ज़िलों की सुदूर स्थित भिन्न-भिन्न शाखाओं में तैनात की गई जहां पर कोई होस्टल/निवासीय आवास उपलब्ध नहीं था, इस मामले को बैंक के मुख्य कार्यपालक के ध्यान में लाया गया। जनजातीय महिला अधिकारियों के स्थानांतरणों के कुछ मामले भी प्राधिकारी की जानकारी में लाये गये थे। कठिन क्षेत्रों में परम्परागत तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद भी अपनी पसन्द के स्थानों पर स्थानान्तरण के लिए उनके अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया था जबकि मई 1993 में 38 महिला अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये थे। बैंक ने उत्तर भेजा कि ऊपर उल्लिखित चार महिला क्लर्क 1989 के दौरान 461 उम्मीदवारों के साथ भर्ती की गई थीं जिनमें से 191 अ०ज०जा० के थे और 183 अ०जा० के थे। आगे बताया गया कि बैंक में प्रचलित परिपाटी के अनुसार, नए भर्ती किए गए सभी क्लर्क रिक्ति स्थिति के अनुसार ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में तैनात किए गए थे चाहे वे जिस किसी भी वर्ग के हों। बैंक ने रिपोर्ट दी कि उन्हें नए भर्ती लोगों को करीम नगर, निजामाबाद, वारांगल, श्रीकाकुलम और कुरनूल ज़िलों जैसे कठिन क्षेत्रों में ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से तैनात करना पड़ता है। भले ही यह बैंक की नीति के अनुसार सही हो, भारत सरकार की नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बैंक समान रूप से जिम्मेदार है। दुर्गम भीतरी क्षेत्रों में तैनात किए गए जनजाति लिपिकों का अनुपात भी अन्य वर्गों का अपेक्षा अधिक था।

6.39 आन्ध्र बैंक के लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी किसी एक स्थान/क्षेत्र में दो वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्थानांतरण का अनुरोध करने के हकदार हैं और स्थानान्तरण के लिए आवेदन-पत्रों पर कालक्रम के अनुसार विचार किया जाता है। बैंक ने रिपोर्ट दी थी कि चार जनजातीय महिला लिपिकों के अनुरोध उनके पास पंजीकृत थे और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, हैदराबाद द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जो उस समय चल रही थी, कोयला क्षेत्र/कठिन क्षेत्रों में कार्यरत अधिकांश लिपिकीय कर्मचारियों को राहत पहुंचाने की उनको आशा थी। तद्नुसार, लिपिकीय कर्मचारियों तथा अधिकारियों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूरी की गई और आदेश क्रमश: 28-11-94 और 7-12-94 को जारी किए गए। राष्ट्रीय आयोग के उपाध्यक्ष जिन्होंने 1-11-94 को हैदराबाद का दौरा किया था इस बात पर जोर देने के लिए मामले पर आन्ध्र बैंक के प्रबन्धकों के साथ विचार-विमर्श किया कि वे अ०ज०जा० कर्मचारियों की जायज शिकायतों का समाधान करें। विचार-विमर्श के दौरान बैंक के कार्यपालक निदेशक ने आश्वासन दिया कि तैनाती, स्थानान्तरण और पदोन्नतियों के मामले में अ०ज०जा० के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने आगे बताया कि 1994 के दौरान, 23 अ०ज०जा० के कर्मचारी उनकी पसंद के स्थानों पर स्थानांतरित किए गए थे और आश्वासन दिया कि स्थानान्तरणों की आगामी प्रक्रिया के दौरान, अ०जा० और अ०ज०जा० के कुछ और अधिक स्थानांतरणों पर विचार किया जायेगा।

सेवा सम्बन्धी मामलों में अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों को ''आरक्षण कोटा'' के लाभ से वंचित करने की शिकायतें

6.40 1989 के बाद भारत सरकार ने सेवाओं में आरक्षण की पिछली कमी को पूरा करने के लिए अनेक विशेष भर्ती/पदोन्नति अभियान शुरू किए थे। साथ ही साथ यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने आदेश जारी किए कि अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए आरक्षित पद अनारक्षित न किए जाएं और अ०जा०/अ०ज०जा० उम्मीदवारों को नियुक्त करके वास्तव में भरे जाएं। उसके बाद अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए अधिक सुविधाओं/रियायतों की अनुमति देते हुए अन्य बहुत से अनुदेश भेजे गए हैं। इन उपायों का अच्छा प्रचार हुआ जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय/राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित काम पर अधिक ध्यान दिया गया और अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की संख्या भी बढ़ गई। सुरक्षणों और अधिकारों के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में जांच करने के लिए सिविल न्यायालय के अधिकारों सहित मार्च 1992 में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना को भी समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार मिला जिससे उनकी शिकायतों के समाधान के मामले में अ०जा० और अ०ज०जा० की आशाए जागृत हुईं। विभिन्न स्तरों पर अ०जा० और अ०ज०जा० कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई जबकि इन मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए जनशक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई।

6.41 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग के सेवा सुरक्षण स्कन्ध को सेवा सम्बन्धी मामलों में सुरक्षणों/अधिकारों के कथित उल्लंघन, या तो उनकी पदोन्नति की उपेक्षा करने के या उनके कनिष्ठों द्वारा उनके अधिक्रमण की अनुमति देने के कारण उत्पीड़न, अनुशासनात्मक मामले शुरू

करने, उनके सामान्य पदोन्नति अवसरों से उन्हें वंचित रखने की जांच कार्यवाहियों के समापन में विलम्ब करने, विदेश में प्रशिक्षण के अवसर की मनाही करने, सारहीन आधार पर सेवाओं की समाप्ति करने, अनारक्षण से सम्बन्धित मामलों, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामलों इत्यादि से सम्बन्धित अ०जा० और अ०ज०जा० उम्मीदवारों/कर्मचारियों से 5,453 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन मामलों में से 2,183 राष्ट्रीय अ०जा० और अ०ज०जा० आयोग से भिन्न प्राधिकारियों को सम्बोधित थे और इसलिए फ़ाइल कर दिए गए थे। जैसे पुन: वेतन निर्धारण, वरीयता निर्धारण, सामान्य स्थानान्तरण आदि पूर्णतया प्रशासकीय मामलों से सम्बन्धित कुछ मामले थे। याचिकाकर्ताओं को इस बात की सलाह देते हुए कि वे अपनी शिकायतें सीधे सम्बन्धित प्राधिकारियों से करें, इस प्रकार के मामले निपटा दिए गए थे। शेष मामले, जिनमें भेदभाव/उत्पीड़न होने का प्रथम दृष्टया कारण था, वस्तुस्थिति जानने के लिए और इन अभ्यावेदनों में लगाये गये आरोपों पर उनकी टिप्पणियों के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेजे गये थे। बड़ी संख्या में मामलों के उत्तर प्राप्त हुए थे, जिनमें कहा गया था कि अभ्यावेदन तथ्यों पर आधारित नहीं थे। बहुत से मामलों में प्राधिकारियों ने उत्तर दिया कि अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं था। ऐसे भी बहुत से प्रकरण थे जिनमें या तो नीति के सम्मान की कमी के कारण या अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारियों की उपेक्षा के इरादतन प्रयास के कारण भेदभाव प्रकट था। इस प्रकार के मामलों में आयोग के हस्तक्षेप के माध्यम से अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारियों को हित-लाभ पुन: दिलाये जा सके। स्थायीकरण, पदोन्नति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अ०जा० और अ०ज०जा० कर्मचारियों को अनुमत अन्य रियायतों की मंजूरी से सम्बन्धित सभी अभ्यावेदनों के अलावा, आयोग द्वारा गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल प्रविष्टियां, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति और स्थानान्तरणों से सम्बन्धित ऐसे अभ्यावेदनों पर कार्रवाई की जिनमें सरकार द्वारा सुपरिभाषित प्रक्रियाओं और निर्धारित सिद्धान्तों के विरुद्ध अ०जा० और अ०ज०जा० कर्मचारियों के साथ स्पष्ट अन्याय का प्रथम दृष्टया आधार था। इस प्रकार के सभी अभ्यावेदन प्रारम्भ में वास्तविक विवरण और उनकी टिप्पणियों के लिए सम्बन्धित प्रशासकीय प्राधिकारियों को अग्रेषित किए गए थे ताकि आयोग आरक्षण मामलों पर भारत सरकार की नीति के अनुसार उनकी आगे जांच कर सके।

6.42 इस उद्देश्य से कि आयोग विशिष्ट शिकायतों की कारगर ढंग से और नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर जांच करने का कार्य पूरा कर सके, यह आयोग अ०जा० और अ०ज०जा० के सदस्यों से निवेदन करना चाहेगा कि अपनी शिकायतों के समाधान के लिए आयोग को विशिष्ट शिकायत भेजते समय उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्यों और कैसे उनके किन्हीं सुरक्षणों या अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग पर सारहीन या असंगत शिकायतों का भार डालना लाभप्रद नहीं होगा। आयोग उनकी सेवा सम्बन्धी शिकायतों की जांच करने के लिए तभी बेहतर स्थिति में होगा जब राज्य सरकारों के अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए पदों और सेवाओं में आरक्षण को शासित करने वाले अधिनियमों/आदेशों के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ हो अथवा भारत सरकार के मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, आर्थिक-कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), रेल मंत्रालय आदि द्वारा जारी किए गए सेवाओं में अ०ज० और अ०ज०जा० को आरक्षण देने से सम्बन्धित ब्रोशर में अन्तर्विष्ट आदेशों का उल्लंघन हुआ हो। आयोग सतर्कता व्यवस्था के मामलों, अनुशासनात्मक मामलों, किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपराधिक मामलों, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल अभ्युक्तियों के गुण-दोष के और ऐसे ही मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा, शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट/अलग-अलग शिकायतें भेजने हेतु निम्नलिखित मार्ग-निर्देश तय किए गए हैं :

(i) शिकायत राष्ट्रीय अ०जा० और अ०ज०जा० आयोग के अध्यक्ष को अथवा इसके फील्ड कार्यालयों के प्रधानों को, सीधे सम्बोधित होनी चाहिए। ऐसे अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो आयोग को केवल पृष्ठांकित करके अन्य प्राधिकारियों को सम्बोधित किए जाते हैं।

(ii) शिकायतकर्ता को अपना पूरा पता और अपनी पूरी पहचान बतानी चाहिए। बिना हस्ताक्षर की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(iii) शिकायतें स्पष्ट लिखी गई हों और जहां आवश्यक हो, प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करने चाहिएं।

(iv) ऐसे मामलों पर जो न्यायाधीन हों कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(v) ऐसे मामले जिनमें किसी न्यायालय ने पहले ही अन्तिम निर्णय दे दिया है आयोग द्वारा नए सिरे से नहीं उठाये जायेंगे।

6.43 यह अच्छा होगा यदि भारत सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में समुचित अनुदेश जारी करे कि सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, विश्वविद्यालयों, स्वायतशासी निकायों आदि में कार्यरत अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों को तथा अ०जा० और अ०ज०जा० को विशिष्ट रूप से प्रदान की गई रियायतों और सुविधाओं या "आरक्षण कोटा" से सम्बन्धित आदेशों या किसी साविधिक प्रावधान के उल्लंघन से सम्बन्धित उनकी सेवा सम्बन्धी शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रीय अ०जा० और अ०ज०जा० आयोग को सीधे अनुरोध करने की अनुमति प्राप्त है। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/राज्य सरकारों आदि को भी सूचित कर दिया जाए कि सरकारी आदेशों और मार्गनिर्देशों के गम्भीर उल्लंघन में अन्तर्ग्रस्त किसी प्राधिकारी या अधिकारी को शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए, आयोग को प्राप्त सिविल न्यायालय की शक्तियों के तहत आयोग के समक्ष बुलाया जा सकता है।

आरक्षित पदों पर पदोन्नति के मामले में भेदभाव के प्रकरण पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला

6.44 मंडल आयोग द्वारा यथा संस्तुत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सिफारिश की है कि "अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत नियुक्तियों या पदों का आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति तक ही सीमित है और उसका विस्तार पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण का प्रावधान करने के लिए नहीं किया जा

सकता है। हम आदेश देते हैं कि इस मामले में हमारा निर्णय भविष्यलक्षी प्रभाव से ही प्रवृत्त होगा और पहले हो चुकी पदोन्नतियों को प्रभावित नहीं करेगा, चाहे वे अस्थायी, स्थानापन्न या नियमित/स्थायी आधार पर हों। आगे यह आदेश दिया जाता है कि जहां कहीं पदोन्नति के मामले में पहले से ही आरक्षण का प्रावधान है .... वहां इस प्रकार के आरक्षण आज की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगे।'' किन्तु बताया जाता है कि पंजाब विद्युत बोर्ड ने अ०जा० के लिए जारी आरक्षण आदेश को क्रियान्वित करना बंद कर दिया। एक संसद सदस्य ने आयोग से शिकायत की कि पंजाब सरकार द्वारा यह स्पष्ट करने के बावजूद कि आरक्षित रिक्तियां विद्यमान पद्धति के अनुसार भरी जायेंगी, अ०जा० के मामलों की उपेक्षा कर दी गई थी। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के प्राधिकारियों ने, जिनके साथ मामले को उठाया गया, रिपोर्ट दी कि अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ प्रार्थी का नाम भी कार्यपालक इंजीनियर के रूप में पदोन्नति के लिए 16-8-1993 से अनुमोदित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की समीक्षा की जानी थी और इसलिए पदोन्नति 3-6-1993 से पहले नहीं की जा सकी। इस संबंध में पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया कि अनु० जति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का विद्यमान लाभ जारी रहेगा। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड की कार्रवाई भ्रांत धारणा पर आधारित थी और उस संगठन में अ०जा० के कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध छलयुक्त कही जा सकती है। **आयोग सिफारिश करता है कि अ०जा० अधिकारियों की पदोन्नतियों की समीक्षा की जाए ताकि उन्हें नियत तारीखों से पूर्व व्याप्ति प्रभाव से लाभ दिया जा सके।**

भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन

6.45 भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन के एक अनुसूचित जाति कर्मचारी ने आयोग से निवेदन किया कि उप सुरक्षा अधिकारी के चार पद थे जिनमें से एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। बताया गया कि दो पद सामान्य कोटि के वरिष्ठतम सुरक्षा सहायकों को पदोन्नत करके भर लिए गए जो सभी अपेक्षाएं पूरी करते थे। तीसरा पद भी उस मामले में मूलभूत अर्हताओं में छूट देकर एक सामान्य उम्मीदवार को पदोन्नत करके भरलिया गया था, किन्तु आरक्षित पद को रिक्त रखा गया और उसके मामले में 1988 तक कोई छूट नहीं दी गई थी और तब आरक्षित पद समाप्त कर दिया गया। जिन प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया गया उन्होंने रिपोर्ट दी कि 1985 में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में, प्रार्थी का सेवा रिकार्ड और गोपनीय रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, अन्य तीन के साथ तदर्थ आधार पर भी उसकी प्रौन्नति की सिफारिश नहीं की गई थी। तथापि, प्राधिकारियों ने उप-सुरक्षा अधिकारी की एक रिक्ति उपलब्ध होते ही बाद में प्रार्थी की पदोन्नति के मामले पर विचार किया और उसे इस पद पर 2-6-1994 से पदोन्नत कर दिया। प्राधिकारी, 1988 से पहले की तारीख से, जब वह उपलब्ध आरक्षित पद के लिए पात्र था, उसकी पदोन्नति के मामले की पुनरीक्षा करने के लिए सहमत नहीं हुए। यह महसूस किया जाता है कि यह अ०जा० के अधिकारी के प्रति भेदभाव का एक स्पष्ट मामला था जिसे निश्चित रूप से यदि अक्टूबर, 1985 में नहीं तो 1988 में पद को समाप्त किए जाने से पहले अवश्य ही पदोन्नत किया जा सकता था। यदि प्राधिकारी प्रार्थी से वरिष्ठ एक सामान्य उम्मीदवार के मामले में शैक्षिक अर्हताओं की भी छूट दे सकते थे तो आरक्षित पद के लिए अनुसूचित जाति के अधिकारी के मामले पर विचार करने में उनके सामने कोई रुकावट नहीं थी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

6.46 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द संवैधानिक और कानूनी शब्द हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में क्रमशः परिभाषित किए गए हैं। इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के संबंध में और जहां पर राज्य हो वहां संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद, समय-समय पर उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के संबंध में विभिन्न जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करते हुए आदेश जारी करते हैं। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० व्यक्तियों को जारी किए गए अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र केन्द्रीय/राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन सरकारी सेवाओं में प्रवेश, छात्रवृत्तियां दिए जाने, आरक्षित स्थानों पर तकनीकी और चिकित्सा कालेजों सहित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश, भूमि के आबंटन, आरक्षित स्थानों पर लोक सभा और राज्य विधान सभाओं, नगर निगमों तथा अन्य स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों के चुनाव लड़ने आदि जैसे मामलों में संवैधानिक सुरक्षणों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में तथा ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार्य अन्य अनेक सुविधाओं का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

6.47 अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्रों के संबंध में वर्ष 1992-93 के दौरान प्राप्त 66 शिकायतों की तुलना में, आयोग को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किए गए कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों की वैधता के संबंध में अलग-अलग व्यक्तियों से, अ०जा०/अ०ज०जा० ऐसोसिएशनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों से बड़ी संख्या में अर्थात् 158 शिकायतें प्राप्त हुई। आयोग ने प्रत्येक मामले की उसके गुण-दोष के आधार पर छानबीन की और जांच के एक हिस्से के रूप में, संबंधित दस्तावेजों को अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ मौके पर सत्यापन और प्रमाण-पत्र की वैधता के संबंध में आयोग को सूचित करने के लिए संबंधित ज़िला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया। ज़िला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मिलने पर मामले की पुनः जांच की गई और संबंधित विभाग/संगठन को सलाह दी गई कि समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करें जिन्होंने धोखाधड़ी से अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र प्राप्त किए थे।

6.48 आयोग के पास उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाण से यह प्रकट हुआ कि सक्षम प्राधिकारी गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए जांच बिंदुओं पर सम्यक् ध्यान नहीं दे रहे थे। इसके परिणामस्वरूप अनेक गैर-अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों ने अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए अभिप्रेत लाभ उठा लिए। आयोग में जिन चुने हुए मामलों पर कार्रवाई की गई उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

6.49 **ऐसे व्यक्तियों के मामले जो जन्म से अ०जा०/अ०ज०जा० के नहीं थे :**

(1) दो महिलाओं ने रामपचोदवरम् (आंध्र प्रदेश) के तहसीलदार से बाल्मिकी के रूप में अनुसूचित जनजति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर

लिए थे और नि०श्रे० लि०/टाईपिस्ट के रूप में भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लि० में सेवा ग्रहण कर ली। उनके प्रमाण-पत्र का पूर्व गोदावरी, काकीनाडा कलक्टर ने सत्यापन किया और पाया कि वे आदि आंध्र क्रिश्चियन (पि०व०) थीं तथा कलक्टर ने उनके अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्रों को निरस्त कर दिया। आयोग ने भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम से भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार इनकी सेवाएं समाप्त करने का अनुरोध किया। भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में उनसे सूचना अपेक्षित है।

(2) ओरियंटल बीमा कम्पनी लि०, मद्रास के एक कर्मचारी ने तहसीलदार, इल्लावरम, पूर्व गोदावरी ज़िला (आंध्र प्रदेश) द्वारा जारी किए गए कोंडा रेड्डी के रूप में एक अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर एक आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति प्राप्त कर ली थी। यह प्रमाण-पत्र अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट, काकीनाडा द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसने अपनी जांच में कहा कि स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जाति को अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र जारी करने का आधार नहीं माना जाना चाहिए। आयोग ने ओरियंटल बीमा कम्पनी लिमिटेड को उसकी सेवाएं समाप्त करने की सलाह दी। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(3) सुदी (वैश्य) जाति के कटिहार (बिहार) के निवासी एक व्यक्ति ने तुरी नामक अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मिट्टी के तेल की आई०बी०पी० एजेंसी उसे आवंटित कर दी गई थी। आई०बी०पी० कम्पनी से प्राप्त दस्तावेजों की छान-बीन करने पर यह पाया गया कि अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र ज़िला कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किया गया था जो केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रयोजनार्थ अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था। आई० बी० पी० सी० से किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा न जारी किया गया अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र स्वीकार करने के लिए कारण मांगे गए थे। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था जिसने भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया और अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र स्वीकार कर लिया था। आई०बी०पी०सी० और पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में उनसे सूचना प्रतीक्षित है।

(4) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, देहरा द्वारा जारी किए गए कबीरपंथी के रूप में एक झूठे अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर कांगड़ा ज़िला (हिमाचल प्रदेश) के एक व्यक्ति ने तट रक्षक मुख्यलय में नाविक के रूप में सेवा प्राप्त कर ली। उसकी जाति उपायुक्त, कांगड़ा के माध्यम से सत्यापित करायी गई थी जिन्होंने रिपोर्ट दी कि नाविक गिर्थ समुदाय का था न कि कबीरपंथी जाति (अनुसूचित जाति) का। आयोग ने उपायुक्त, कांगड़ा, धर्मशाला को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र रद्द करने और इसकी सूचना आयोग तथा महानिदेशक, तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली को भेजने के लिए लिखा। की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित थी।

(5) तीन कर्मचारियों ने क्रमश: वर्ष, 1984, 1985 और 1986 में अपने जाली स्कूल प्रवेश पत्रों के आधार पर पुरुस्वालकम, पयम्बूर, मद्रास (तमिलनाडु) के तहसीलदार से आदि द्रविड़ के रूप में अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए थे और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, मद्रास में सेवाएं प्राप्त कर लीं। उनके मामले ज़िला कलक्टर, मद्रास को भेजे गए थे जिन्होंने, सत्यापन के बाद इस आधार पर कि ये पदधारी आदि--द्रविड़, समुदाय के नहीं थे और उन्होंने बदनीयती से जाली और झूठा रिकार्ड दिखाकर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए थे, 26-3-1992 को वे सभी प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए। आयोग ने सहायक महानिदेशक, सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो, मद्रास से उनकी सेवाएं समाप्त करने का अनुरोध किया। रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी।

(6) एक कर सहायक, आयकर कार्यालय, सेलम (तमिलनाडु) ने न तो अ०ज०जा० होने का दावा किया था और न ही सेवा में प्रवेश के समय या पदोन्नति के समय कोई अ०ज०जा० का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था। किन्तु उसका पुत्र और पुत्री अलगप्पा सरकारी कला विद्यालय, करईकुडी, पीएमटी ज़िला और चिकित्सा कालेज, तंजावुर में क्रमश: दाखिल हो गए। इसके लिए उन्होंने करईकुडी, पीएमटी ज़िला और तंजावुर के तहसीलदार द्वारा पनियन के रूप में जारी किए गए अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्रों को आधार बनाया। ज़िला कलक्टर, पीएमटी ज़िला तंजावुर से उक्त प्रमाण-पत्रों को सत्यापित करने का अनुरोध किया गया था। उत्तर की प्रतीक्षा थी।

(7) एक सहायक अध्यापक, कैंटोनमेंट बोर्ड, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित एक रिक्ति पर नियुक्ति प्राप्त कर ली थी। यह आरोप लगाया था कि वह साधारणतया वाराणसी ज़िला का निवासी था और भड़भूजा जाति (अन्य पिछड़ी जाति) से सम्बन्ध रखता था किन्तु उसने गोंड के रूप में एक अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया था। वस्तुत: सोनभद्र ज़िला और उ०प्र० के बुन्देलखण्ड डिवीजन के गोंड एक अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित थे। आयोग ने कैंटोनमेंट बोर्ड, वाराणसी के कार्यपालक अधिकारी से अध्यापक द्वारा प्रस्तुत तसदीक फार्म और अ०जा० प्रमाण-पत्र की प्रतियां भेजने के लिए कहा था। उत्तर प्रतीक्षित था।

(8) अलीगढ़ जिला (उ०प्र०) का रहने वाला एक व्यक्ति संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा 1981 में, करवल के रूप में एक अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षित कोटा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सफल घोषित कर दिया गया था। उसे भारतीय रेल भण्डार सेवा में नियुक्ति मिल गयी। उसकी जातीय हैसियत का ज़िला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के माध्यम से सत्यापन कराया गया था जिसने सूचित किया कि अधिकारी अहेरिया जाति से सम्बन्धित था जो उत्तर प्रदेश में एक अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं थी। आयोग ने ज़िला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को उसको जारी किया गया अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र निरस्त करने की सलाह दी। दीर्घकालिक पत्राचार के बाद ज़िला मजिस्ट्रेट ने आयोग को सूचित किया कि अधिकारी ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कलकत्ता शाखा में एक रिट याचिका दायर कर दी है। आयोग ने महा-प्रबन्धक, पूर्वी रेलवे, कलकत्ता से आयोग के अवलोकनार्थ रिट याचिका की एक प्रति भेजने का अनुरोध किया। सचिव, रेलवे बोर्ड से भी प्राथमिकता के आधार पर दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए महा प्रबन्धक, पूर्वी रेलवे को आदेश देने का अनुरोध किया। मामला भारतीय रेलवे के पास लंबित था।

(9) आगरा ज़िला (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला एक कनिष्ठ तकनीकी सहायक एक सामान्य उम्मीदवार के रूप में 30-6-1976 को नियुक्त किया गया था और उसे उत्तर प्रदेश राज्य मालगोदाम निगम में अगले पद पर पहली पदोन्नति भी मिल गई थी। वह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित एक रिक्ति पर मालगोदाम प्रबन्धक के रूप में पदोन्नत किया गया था। यह आरोप लगाया गया कि वह गड़रिया जाति (अन्य पिछड़ी जाति) का था किन्तु उसने ढांगर के रूप में अनुसूचित जाति का एक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया। आयोग ने उ०प्र० राज्य मालगोदाम निगम से अ०जा० प्रमाण-पत्र को जिला मजिस्ट्रेट, आगरा से सत्यापित कराने का अनुरोध किया। उ०प्र० राज्य मालगोदाम निगम ने सूचित किया कि उन्होंने इस मामले में ज़िला मजिस्ट्रेट, आगरा को लिखा है जिसके पास यह मामला लम्बित है। एक अनुस्मारक भेजने के बावजूद निगम से अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी।

(10) मुरादाबाद ज़िला (उत्तर प्रदेश) का एक निवासी एक सामान्य कोटि उम्मीदवार के रूप में ज़िला चुनाव अधिकारी, मेरठ के कार्यालय में नियुक्त हुआ था किन्तु बाद में उसने तहसीलदार, मेरठ द्वारा जारी किया गया "तुरियाह" जाति के नाम में एक अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। यह आरोप लगाया था कि वह धींवर जाति का था जो उ०प्र० में एक अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं थी। बाद में, अपर ज़िला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने सूचित किया कि तहसीलदार, मेरठ से जांच करने के लिए कहा गया है। जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी।

(11) एक महिला ने 1973 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक रिक्ति पर उप मण्डल अधिकारी, दुर्गापुर द्वारा 12-1-1973 को जारी किए गए नामशूद्र के रूप में एक अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन आफ इंडिया लि०, दुर्गापुर यूनिट (पश्चिमी बंगाल) में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में 1973 में सेवा ग्रहण कर ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, कलकत्ता द्वारा उसकी जातीय हैसियत का सत्यापन उप मण्डल अधिकारी, दुर्गापुर से कराया गया था। 31-10-1988 को उपमण्डल अधिकारी, दुर्गापुर ने उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 199 और 471 के अन्तर्गत अपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कन्क्षा पुलिस स्टेशन प्रभारी को आदेश दिया क्योंकि वह साहा जाति की थी न कि नामशूद्र (अ०जा०) की। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के आधार पर, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन ने 1990 में उसे आरोप पत्र दिया और 1-6-1992 को "एक वर्ष के लिए समय वेतनमान में दो निम्नतर अवस्थाओं तक वेतन कम करने" का दण्ड दिया जो भारत सरकार के अनुदेशों के विरुद्ध है कि "यदि किसी विशेष मामले में सत्यापन से प्रकट होता है कि उम्मीदवार का दावा झूठा है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए।" आयोग ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन, दुर्गापुर को सरकारी अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी। उत्तर प्रतीक्षित था।

6.50 **उन जातियों के नाम में अ० जा०/अ० ज० जा० प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले जो सम्बन्धित राज्य की अ०जा०/अ०ज०जा० की सूचियों में शामिल नहीं है।**

(1) ऐसा आरोप था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालूमठ, पलामू जिला (बिहार) के एक चिकित्सा अधिकारी ने "चोआपाल" जाति के नाम में एक अ०जा० प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश पा लिया था जबकि वास्तव में यह जाति बिहार की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं थी। निदेशक, स्वास्थ्य सेवा से उक्त अधिकारी का अनुप्रमाणन फार्म और अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र भेजने का अनुरोध किया गया था किन्तु बारम्बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद ये प्राप्त नहीं हुए थे।

(2) वैशाली ज़िला (बिहार) का एक व्यक्ति अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए भारत सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय में वरिष्ठ फील्ड सहायक (भण्डार) के ग्रेड में सीधी भर्ती के लिए एक साक्षात्कार में शामिल हुआ। उसने उपमण्डल मजिस्ट्रेट, हाजीपुर द्वारा 19-5-1992 को जारी किया गया एक अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र सं० 125 प्रस्तुत किया जिसका आशय था कि वह

व्यक्ति ग्वाला जाति का था जो बिहार राज्य में एक अनुसूचित जाति थी। आयोग ने मंत्रिमंडल सचिवालय को सलाह दी कि उस अवैध अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त कर दें क्योंकि ग्वाला जाति बिहार में एक अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं थी और बिहार सरकार के मुख्य सचिव से भी अनुरोध किया कि जिस अधिकारी ने प्रमाण-पत्र जारी किया तथा जिसने जानबूझकर झूठा अनुसूचित जाति प्राण-पत्र प्राप्त किया उसके विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू करें। उत्तर प्रतीक्षित थे।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी ने, परीक्षा में शामिल होने से पहले वांकर समुदाय के नाम में 8-6-1965 को समाज कल्याण अधिकारी, अहमदाबाद (गुजरात) से एक अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया था जबकि वह वास्तव में वंस-वांकर समुदाय का था जो एक अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं है. वह 1966 में गुजरात लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्ष में शामिल हुआ और उसने आवेदन-पत्र के साथ उपर्युक्त प्रमाण-पत्र नत्थी कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा अधिकारी को आरोप-पत्र दिया गया जिसने तदनन्तर स्वीकार कर लिया कि उसका प्रमाण-पत्र झूठा था। राज्य सरकार ने उस पर "परिनिन्दा" की शास्ति अधिरोपित की और प्रमाण-पत्र को रद्द कर दिया। अधिकारी ने "परिनिन्दा" की शास्ति के विरुद्ध समीक्षा आवेदन दायर किया और राज्य सरकार ने शास्ति को संशोधित कर "चेतावनी" की शास्ति कर दी। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शास्ति के तर्क को स्वीकार नहीं किया और सचिव, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार से उस अधिकारी की सेवाएं समाप्त करने के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया। मंत्रालय द्वारा अन्तिम रूप से की गई कार्रवाई के बारे में सूचना अपेक्षित थी।

(4) एक व्यक्ति इंडियन एअरलाइन्स द्वारा चुना गया और अनुसूचित जनजाति कोटा के अन्तर्गत उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भेजना उनके विचाराधीन था। उस व्यक्ति ने स्वय को हरियाणा की बंजारा जाति से सम्बन्धित एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होने का दावा किया था और सामान्यतया हरियाणा के गुड़गांव का निवासी बताया। बाद में अपनी जाति बिहार की बंजारा दर्शाते हुए उसने रांची से अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। गुड़गांव और रांची के उपायुक्तों से उस व्यक्ति के दावे का सत्यापन करने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त, रांची ने सूचित किया कि वह व्यक्ति न तो उनके जिले का था और न ही उनके कार्यालय से इस प्रकार का कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। तथापि, एस०डी०ओ० (सिविल), गुड़गांव ने सूचित किया कि उनके कार्यालय से उस व्यक्ति को उसकी जाति बंजारा (अनु० जाति) के रूप में दर्शाते हुए एक अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। आयोग ने उपायुक्त, गुड़गाव को लिखा कि चूंकि बंजारा जाति हरियाणा की अनुसूचित जातियों की सूची में नहीं है इसलिए एस०डी०ओ० (सिविल), गुड़गांव द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को जारी किया गया अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र तुरन्त निरस्त कर दिया जाए और आयोग को सूचित किया जाए। इंडियन एआरलाइन्स को सलाह दी गई कि उस व्यक्ति को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी न करें। उपायुक्त गुड़गांव का उत्तर प्रतीक्षित था।

(5) भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के एक कर्मचारी ने उस उपक्रम में एक सामान्य उम्मीदवार के रूप में सेवा ग्रहण की किन्तु पदोन्नति के समय उसने तहसीलदार, कोरबा, बिलासपुर ज़िला, मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया एक अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। उसमें यह दर्शाया गया था कि कर्मचारी साधारणतया बाल्को टाउनशिप का निवासी था और "नामशूद्र" जाति का था जो मध्य प्रदेश में अनूसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं है किन्तु केन्द्रीय सरकार की अनु० जाति सूची में है। आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा कि कोरबा के तहसीलदार ने प्रमाण-पत्र गलत ढंग से और लापरवाही से जारी किया था और उनसे अनुरोध किया कि आयोग को सूचित करते हुए जिला कलेक्टर को प्रमाण-पत्र रद्द करने का आदेश दें और तहसीलदार के ग़ैर-जिम्मेदाराना कार्य के लिए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें। राज्य सरकार से एक रिपोर्ट प्रतीक्षित थी।

(6) एक विद्यार्थी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर (असम) में दर्जी समुदाय के नाम में एस०डी०ओ०, पूर्व जिला कलेक्टरेट, गान्टोक (सिक्किम) द्वारा जारी किए गए एक अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के अधार पर आरक्षित कोटा के लिए चुन लिया गया था। आयोग ने मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार को लिखा कि चूंकि दर्जी समुदाय सिक्किम की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं है, इसलिए गृह मंत्रालय के परिपत्र सं० बीसी-12025/1/82-एस०सी० एण्ड बी०सी०डी० IV दिनांक 29-6-1982 के अनुसार उस अधिकारी के विरुद्ध जिसने वह अ०जा० प्रमाण-पत्र जारी किया था, आवश्यक अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाए। बरंबार अनुस्मारक भेजने के बावजूद, अंतिम निर्णय प्रतिक्षित था।

(7) इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इंडिया लि० में कम से कम 16 कर्मचारी ऐसे थे जो बिना अ०ज०जा० प्रमाण-पत्रों के अ०ज०जा०रिक्तियों पर नियुक्त किए गए थे। एक कर्मचारी ने उपमंडल अधिकारी, सदर, पश्चिमी त्रिपुरा (त्रिपुरा) द्वारा जारी एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था कि कर्मचारी त्रिपुरा की "अनुसूचित जाति" का था। 13 संदेहास्पद मामले भी थे जिनमें आयोग ने ईसीआईएल को सलाह दी कि अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जिला मजिस्ट्रेटों से सत्यापित करा लें।

आयोग ने ईसीआईएल की इन त्रुटियों को राष्ट्रपति के निर्देशों का एक बड़ा उल्लंघन माना और उन्हें सलाह दी कि उनके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें। ईसीआईएल द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सूचना अपेक्षित थी।

प्रवास के द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने के दावे

6.51 अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां यथास्थित, विशेष राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। जब कोई अ०जा०/अ०ज०जा० का व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करता है तो वह उसी राज्य की अ०जा०/अ०ज०जा० का होने का दावा कर सकता है जिसका वह मूल निवासी था और उस राज्य का नहीं जिसमें उसने प्रवास किया है। जब किसी राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया है जिसमें कुछ व्यक्तियों ने उस आदेश के जारी होने से पहले प्रवास किया हो तो वे व्यक्ति उस राज्य के निवासी होने का दावा कर सकते हैं और प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति, जीविका अर्जित करने या शिक्षा प्राप्त करने आदि प्रयोजनों के लिए अस्थायी रूप से अपने स्थायी निवास को छोडकर दूसरे राज्य में गया हो, जब यदि उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के बारे में उसकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बारे में, यथास्थिति, राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया हो तो वह उस जाति या जनजाति का माना जाएगा। लेकिन वह उस स्थान की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जा सकता जहां उसका अस्थाई आवास हो भले ही उस क्षेत्र के संदर्भ में राष्ट्रपति के आदेश में उसकी जाति अधिसूचित की गई हो। यदि किसी व्यक्ति का जन्म राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की तिथि के बाद हुआ हो तो अ०जा०/अ०ज०जा० की हैसियत प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उसका आवास उस स्थान का माना जाएगा जो स्थान उसके माता-पिता का स्थायी आवास राष्ट्रपति के उस आदेश के जारी होने के समय रहा हो जिसके अंतर्गत उन्होंने अ०जा०/अ०ज०जा० का होने का दावा किया है।

6.52 इस संबध में, निर्धारित मार्गनिर्देशों के बावजूद, ऐसे मामले हुए हैं जिनमें किसी राज्य विशेष के व्यक्तियों ने जहां उनका समुदाय अनुसूचित नहीं था, उस राज्य से उस समुदाय से संबंधित होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जिसमें वे प्रवासी हो गए थे। उन्होंने ऐसा प्रमाण-पत्र उस राज्य के संबंध में उस समुदाय को अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना जारी होने के बाद प्राप्त किया। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में मल्लाह एक अनुसूचित जाति नहीं है किंतु दिल्ली में यह एक अनुसूचित जाति है। आयोग को ऐसे अनेक मामलों की रिपोर्ट की गई है जिनमें उत्तर प्रदेश के मल्लाहों ने सक्षम प्राधिकारियों से अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं यद्यपि वे 20-9-51 के बाद दिल्ली आकर बसे जब राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के अनुसूचित जातियों की सूची घोषित की गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेईमान व्यक्तियों द्वारा आरक्षण के लाभ न बटोर लिए जाएं, झूठे प्रमाण-पत्रों के ऐसे सभी मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के कुछ मामले जो आयोग की जानकारी में आए, नीचे उल्लिखित हैं:

(1) इंडियन ओवरसीज बैंक के एक वरिष्ठ प्रबंधक ने अपनी नियुक्ति के समय एस०डी०ओ० गोहाना (हरियाणा) द्वारा जारी किया गया एक अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उसकी जाति धनक और उसे गोहाना, जिला पानीपत का स्थायी निवासी दर्शाया गया था। प्रमाण-पत्र पर कोई संख्या या जारी होने की तारीख नहीं पड़ी थी। जब बैंक ने उससे मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा तो उसने तहसीलदार खेतडी (राजस्थान) द्वारा 25-11-1992 को जारी किया गया दूसरा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसकी जाति धनक बतायी गई और उसे झुनझुनू जिले में खेतड़ी कस्बे का स्थायी निवासी बताया गया। दस्तावेजों की छानबीन करने के बाद आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, झुनझुनू से वरिष्ठ प्रबंधक के अनुसूचित जाति दावे का सत्यापन करने का अनुरोध किया और इसके परिणाम के बारे में सूचित करने के लिए कहा। जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट प्रतीक्षित थी।

(2) अखिल भारतीय केन्द्रीय भाण्डागार निगम कर्मचारी संघ ने आयोग को सूचित किया कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों में से एक ने 1977 में सतना (मध्य प्रदेश) से एक झूठा अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र दिखाकर मांझी समुदाय का होने का दावा किया था। बाद में उसी अधिकारी ने उत्तर प्रदेश की मल्लाह जाति का दावा करते हुए इटावा (उत्तर प्रदेश) से दो अन्य जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये थे। इस मामले को प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भाण्डागार निगम, नई दिल्ली, जिला कलेक्टर, सतना और पुलिस अधीक्षक, सी०बी०आई०, लखनऊ के साथ उठाया गया। कलेक्टर, सतना ने 31-5-93 के आरंभ में सूचित किया कि उनके कार्यालय से ऐसा कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुआ था और यह झूठा प्रतीत होता है। आगे जांच-पड़ताल के दौरान, 26-7-1994 को उन्होंने दूसरा पत्र भेजा जिसमें बताया गया कि पूर्ण जांच-पड़ताल से यह सिद्ध हुआ था कि इस अधिकारी ने संयुक्त रूप से माधवपुर गांव में जमीन खरीदी थी। (नं० 607 खसरा 0.33 ए) और राजस्व रिकार्ड के आधार पर उसको जारी किया गया प्रमाण-पत्र अनियमित नहीं माना जा सकता। कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट ठीक नहीं मानी गई थी क्योंकि यह व्यक्ति मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विनिर्धारित करते हुए राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय सतना जिला का स्थायी निवासी नहीं था। यह पाया गया कि उसकी मां 1950 से बहुत पहले और उसके जन्म से पहले उत्तर प्रदेश में बस गई थी। वह पूरे समय उत्तर प्रदेश में पढ़ा और मध्य प्रदेश से उसका कोई संबंध नहीं था। सतना के कलेक्टर को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र निरस्त करने की सलाह दी गई थी। की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना अपेक्षित थी।

(3) मुनीरका, नई दिल्ली में रहने वाली एक लड़की ने एस०डी०एम० दिल्ली द्वारा जारी मध्य प्रदेश की सोनर जनजाति के नाम में एक अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र के आधार पर चिकित्सा विज्ञान के विश्वविद्यालय कालेज, दिल्ली, में एम०बी०बी०एस० पाठयक्रम के प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिया। एस०डी०एम० दिल्ली ने ऐसा प्रमाण-पत्र तहसीलदार, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) द्वारा उसके पिता को जारी किए गए अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी कर दिया था। चिकित्सा विज्ञान के विश्वविद्यालय कालेज और दिल्ली विकास प्राधिकरण, जहां उसके पिता कार्यरत थे, द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चला कि उसका पिता लाजपत नगर, नई दिल्ली का स्थायी निवासी था और पाकिस्तान के सियालकोट जिले में पैदा हुआ था। संगत

दस्तावेज इस अनुरोध के साथ कलैक्टर, होशंगाबाद को भेजे गए थे कि उसके पिता के लिए जारी किए गए अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र की वैधता का सत्यापन करें। बारंबार अनुस्मारक भेजने के बावजूद, कलैक्टर, होशंगाबाद ने जांच रिपोर्ट नहीं भेजी। यह जानकारी बड़ी रोचक रही कि बाद में लड़की के पिता ने चिकित्सा विज्ञान के विश्वविद्यालय कालेज को लिखा कि उसकी पुत्री का दाखिला रद्द मान लिया जाए।

(4) 27-5-1993 को हिंदी दैनिक जनसत्ता (नई दिल्ली) में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि चार व्यक्तियों ने उपायुक्त, दिल्ली द्वारा जारी किए गए मल्लाह के नाम में अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण में जूनियर इंजीनियर के पदों पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। बताया गया कि सभी चार कर्मचारी धीमर जाति के थे जो उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल है। रिपोर्ट में आगे यह उल्लेख किया गया था कि धीमर जाति से संबंधित एक समान व्यावसायिक लक्षण रखने वाले इन व्यक्तियों ने तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करते हुए मल्लाह होने का दावा किया और धोखेबाजी से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों पर सेवाएं प्राप्त कर लीं। इसी बीच, दिल्ली विकास प्राधिकरण अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने 29-6-1993 को इस मामले की आयोग में रिपोर्ट की और राजस्व रिकार्ड से संगत सूचना की पुष्टि में कागजात भेजे। दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से मामले की जांच की गई थी। दिल्ली नगर निगम और जनगणना प्रचालन निदेशालय, दिल्ली से और आगे सूचना मांगी गई थी कि क्या समाचार-पत्र रिपोर्ट में उल्लिखित व्यक्तियों के माता-पिता दिल्ली की मतदाता सूचियों में शामिल किए गए थे। प्राप्त सूचना से पता चला कि उनके नाम 1951 की मतदाता सूची में नहीं थे। कर्मचारियों द्वारा की गई प्रविष्टियों के अनुसार उनके माता-पिता दिल्ली में जमुना बाजार झुग्गी के निवासी थे। उपायुक्त दिल्ली जिससे मामले में जांच करने के लिए कहा गया, उन्होंने इन व्यक्तियों को 20-9-1994 को पत्र भेजकर कहा कि उत्तर प्रदेश की धीमर जाति के बजाय दिल्ली की मल्लाह जाति से संबंधित होने की झूठी सूचना देने के आरोप का 10 दिन के भीतर स्पष्टीकरण भेजें। उन्हें कहा गया था कि ऐसा करने में असफल रहने पर उनके अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र बिना आगे सूचना भेजे निरस्त कर दिए जायेंगे। चार कर्मचारियों में से दो कर्मचारियों का पिता अलीगढ़ में राजकीय नलकूप विभाग का सेवा-निवृत्त हैड क्लर्क बताया गया था। यह जानकारी भी रुचिकर है कि सभी चार कर्मचारी रिश्तेदार थे। उपायुक्त दिल्ली से अ०जा० प्रमाण-पत्रों का निरस्तीकरण अपेक्षित था जिन्हें सलाह दी गई थी कि अपचारी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अपराधिक कार्रवाई शुरू करायें।

(5) बागवानी निदेशक, दिल्ली नगर निगम ने नगर निगम में सेवा ग्रहण करने से पहले, दिल्ली के उपायुक्त से मल्लाह जाति के नाम में एक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया था जो कि दिल्ली में एक अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। यद्यपि वह 20-9-1951 को दिल्ली का निवासी नहीं था। शिकायत प्राप्त होने पर, आयोग ने अधिकारियों का एक दल निगम आयुक्त और निगम के कार्मिक विभाग के अन्य अधिकारियों से भेंट करने के लिए भेजा। यह मामला उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं को भी भेजा गया जहां अधिकारी ने शिक्षा प्राप्त की थी। जांच-पड़ताल से पता चला कि अपचारी अधिकारी उत्तर प्रदेश के एटा शहर का स्थायी निवासी था और उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल की गई कहार/धीवर जाति से संबंधित था। उसने उ०प्र० बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा 1957 में और इण्टरमीडियट की परीक्षा 1959 में पास की थी। स्कूल के रिकार्ड में उसकी जाति धीमर उल्लिखित थी। एटा के पुलिस अधीक्षक ने भी इस बात की पुष्टि की कि उक्त अधिकारी धीवर जाति का था और एटा शहर का निवासी था। अतः यह स्पष्ट था कि अधिकारी ने अपना स्थायी निवास दिल्ली होने के बारे में झूठी सूचना देकर उपायुक्त, दिल्ली से अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया था। उपायुक्त, दिल्ली से 30-8-1993 को उक्त अधिकारी को जारी किया गया अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र सं० 2033/जाति/विविध/66 (एम) दिनांक 28-12-1966 निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में सूचना प्रतीक्षित थी।

(6) एक अध्यापक, डिप्टी कलैक्टर, हावड़ा (पश्चिमी बंगाल) द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर, जिसमें उसकी जाति नौनिया दर्शायी गई थी, दामोदर घाटी निगम में (कलकत्ता मुख्यालय में) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित एक रिक्ति पर नियुक्त कर लिया गया था। आयोग द्वारा कर्मचारी के संगत सेवा दस्तावेज मंगाये गये थे। यह पाया गया कि उसका पिता गया जिला (बिहार) का स्थायी निवासी था और वह रोजगार के प्रयोजन के लिए हावड़ा में रह रहा था। चूंकि नौनिया जाति पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित थी, इसलिए अध्यापक ने पश्चिम बंगाल के सक्षम प्राधिकारी से एक अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया था। आयोग ने दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता को सलाह दी कि आयोग को उपलब्ध कराया गया दस्तावेजी प्रमाण यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अध्यापक को अनुसूचित जाति का नहीं माना जा सकता और उसका अ०जा० प्रमाण-पत्र निरस्त किए जाने के लिए जिला कलैक्टर, हावड़ा को भेजा जाए और उसके बाद भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं।

6.53 अन्तर-जातीय विवाहों के जरिये दावे

सामान्यतया किसी व्यक्ति की जातीय/जनजातिय हैसियत उसके पिता की जाति के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि कोई अनुसूचित जाति का पुरुष किसी गैर-अ०जा० स्त्री से विवाह कर लेता है तो स्त्री को अ०जा० हैसियत नहीं मिलती है किंतु उनके बच्चों को अनुसूचित जाति का माना जायेगा। यदि कोई अनुसूचित जाति स्त्री किसी गैर-अ०जा० पुरुष से विवाह कर लेती है तो वह स्त्री अ०जा० मानी जाती रहेगी (क्योंकि वह जन्म से अ०जा० की थी। किंतु न तो उसका पति न ही उनके बच्चे अ०जा० के माने जाएंगे। मातृवंशीय समुदायों के मामले में जैसे कि मेघालय के खासी, जिनमें वंश माता से चलता है, किसी खासी मां और गैर-जनजाति पिता के जन्मे बच्चे अनु०जनजाति के माने जायेंगे किंतु उनका पिता अ०ज०जा० का नहीं माना जायेगा। आयोग को रिपोर्ट किए गए अन्तरजातीय विवाहों के मामलों के कुछ उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं:

(1) आंध्र प्रदेश जनगणना कार्यालय अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, हैदराबाद ने आयोग को रिपोर्ट भेजी कि निदेशक जनगणना प्रचालन, हैदराबाद के कार्यालय में एक उच्च श्रेणी लिपिक ने एक झूठा अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था और आ०ज०जा० के लिए आरक्षित पद पर नौकरी ले ली थी। आंध्र प्रदेश सरकार के जनजाति कल्याण

आयुक्त ने अपने 7-11-89 के पत्र के माध्यम से जनगणना विभाग को सलाह दी कि कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करें क्योंकि वह जन्म से अ०ज०जा० की नहीं थी। इस बीच कर्मचारी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की हैदराबाद पीठ के समक्ष चली गई (90 की ओ०ए० नं० 823) और बयान दिया कि वह तहसीलदार, हैदराबाद द्वारा उसके पक्ष में जारी किए गए दिनांक 4-11-77 के अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र के आधार पर अ०ज०जा० कोटा के लिए चुनी गई थी। उसने दावा किया कि उसका पति कोंडा कापू (अ०ज०जा०) का था इसलिए वह भी समान हैसियत का लाभ उठाने की हकदार थी। उच्च न्यायालय में सरकारी वकील को लिखा गया कि शीघ्र निपटान के लिए इस प्रकरण को समावेदन सूची में दर्ज करायें। तथापि, निदेशक, जनगणना प्रचालन ने सूचित किया कि कर्मचारी के विरुद्ध आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा याचिका को निबटाने के बाद की जायेगी।

(2) आयोग की जानकारी में यह लाया गया था कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के चार कर्मचारी तथ्यों की गलत बयानी द्वारा प्राप्त किए गए अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्रों के आधार पर सेवा में प्रवेश पा गए थे। इन मामलों में जांच से पता चला कि दो गैर-अ०जा०/अ०ज०जा० महिला कर्मचारियों ने अ०जा०/अ०ज०जा० व्यक्तियों से विवाह करने के बाद चकराता और देहरादून (उत्तर प्रदेश) के तहसीलदारों से अपने पतियों की जातीय/जनजातीय हैसियत के आधार पर अपने प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए थे। बाद में 1991 में एक महिला कर्मचारी ने भी स्वयं को धंगीरी जाति का सदस्य घोषित करते हुए अम्बाला जिला (हरियाणा) से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। हरियाणा में धागड़ी न कि धंगीरी एक अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है। देहरादून के तहसीलदार द्वारा पहले जारी किया गया प्रमाण-पत्र धंगर के नाम में था। इन प्रमाण-पत्रों की सच्चाई के बारे में संदेह पैदा हुआ क्योंकि धंगर और धंगीरी एक जैसे नहीं हैं और धगर हरियाणा में एक अ०जा० के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। दोनों ही मामले, ज़िला मजिस्ट्रेट, देहरादून को भेजे गए थे जिनका अंतिम उत्तर अपेक्षित था।

6.54 अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला आवेदक सिद्ध करें कि वे जन्म से अ०जा०/अ०ज०जा० की हैं। उन्हें ऐसे आवेदन पत्र के रद्द कर देना चाहिए जहां महिला उम्मीदवार, यथा अपेक्षित, अपने पिता की जातीय हैसियत की बजाय अपने पति की जातीय/जनजातीय हैसियत निर्दिष्ट करती हो। **यह सिफारिश की जाती है कि अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र प्रपत्र संशोधित कर लिया जाए और उसमें यह टिप्पणी शामिल की जाए कि एक विवाहित महिला की जातीय/जनजातीय हैसियत उसके पिता की जाति के आधार पर सत्यापित की जानी है न कि उसके पति की जाति के आधार पर।**

धर्म परिवर्तन और पुनः धर्म परिवर्तन के माध्यम से दावे

6.55(1) **आन्ध्र प्रदेश** : एक कर्मचारी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर, जिसमें उसे माला समुदाय के एक सदस्य के रूप में दर्शाया गया था, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर 5-2-1977 को बी०एच०पी०वी० लिमिटेड, विशाखापत्तनम में नियुक्त किया गया था। शिकायत प्राप्त होने पर जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए कलैक्टर, पूर्व गोदावरी जिला, काकीनाडा को भेजा गया था। कलैक्टर ने सूचित किया कि कर्मचारी के पिता ने 1950 में धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया था, जब उसकी माता ने उसके पिता के साथ अपनी शादी की थी। सम्बन्धित कर्मचारी का उनके यहां जन्म 1955 में हुआ था। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि वह जन्म से ईसाई था और एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। बी०एच०पी०वी० लिमिटेड से उसकी सेवाएं समाप्त करने का अनुरोध किया गया था। इस उपक्रम द्वारा अन्तिम रूप से की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में सूचना प्रतीक्षित थी।

(2) **आन्ध्र प्रदेश** : क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के कार्यालय में एक नि०श्रे०लि० (निम्न श्रेणी लिपिक) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर 28-5-1979 को नियुक्त किया गया था। उसने तहसीलदार, ताडापल्लीगुडम द्वारा जारी किया गया दिनांक 24-11-1978 का एक अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसे माहिग दर्शाया गया था। उसे आरक्षित रिक्ति पर उ०श्रे०लि० के पद पर 5-6-1981 को पदोन्नति भी मिल गई। 5-6-1989 को उसने अपने कार्यालय में सूचित किया कि उसने 28-5-89 से ईसाई धर्म अपना लिया था। गलती से उसे एक अनुसूचित जाति उम्मीदवार के रूप में 26 से 28 दिसम्बर 1990 को हुई हैड क्लर्क की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई। उसे फरवरी 1991 में अनुसूचित जाति कोटा के अन्तर्गत उक्त परीक्षा में सफल घोषित कर दिया गया था, जबकि वास्तव में अब वह अनुसूचित जाति का नहीं रह गया था। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उसकी जातीय हैसियत का सत्यापन होने तक उसकी पदोन्नति रोक ली। 27-1-1992 को उसने एक नया दिनांक 27-1-1992 का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। यह कलैक्टर, विशाखापत्तनम द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र था कि वह सिख धर्म और अनुसूचित जाति से सम्बन्धित था। कलैक्टर, विशाखापत्तनम से कर्मचारी की जातीय हैसियत का सत्यापन करने का अनुरोध किया गया था। इस बीच, कर्मचारी ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की हैदराबाद पीठ में 10-6-1992 को एक ओ०ए० फाइल कर दी। माननीय न्यायालय ने 22-3-1993 को याचिका खारिज़ कर दी और निर्देश दिया कि जातीय सत्यापन ज़िला कलैक्टर के समक्ष लम्बित था और इस बात की उसे छूट है कि वह सक्षम प्राधिकारी को सन्तुष्ट कर दे कि हिन्दू धर्म से दूसरे धर्म में उसके धर्म परिवर्तन के बावजूद वह अनुसूचित जाति का था। आयोग ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से अनुरोध किया कि इस मामले पर ज़िला कलैक्टर के साथ आगे कार्रवाई करें।

(3) **तमिलनाडु** : हिन्दू नाम का भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास का एक अधिकारी जिसका मूल रूप से ईसाई नाम था और वह ईसाई समुदाय का था, एक आदि-द्रविण के रूप में अनुसूचित जाति के लिए अभिप्रेत सुविधाएं प्राप्त कर रहा था। शिकायत मिलने पर उसके अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र और सेवा में अपने प्रवेश के समय उसके द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म की तसदीक प्रतियां बीपीसीएल से मांगी गई थीं। आयोग द्वारा ये दस्तावेज जिला कलैक्टर, ट्यूटीकोरिण को मौके पर सत्यापन के लिए भेजे गए थे। एक अनुस्मारक भेजा गया था किन्तु जिला कलैक्टर की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित थी।

(4) **तमिलनाडु :** ओरियंटल बीमा कम्पनी लि० की एक महिला कर्मचारी ने तहसीलदार, इरोड द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जाति (आदि-द्रविड़) प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षित कोटा में अपनी नौकरी प्राप्त कर ली थी। सत्यापन के बाद जिला कलैक्टर, पेरीयार जिला ने इस आधार पर प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया कि केवल अपने विवाह के प्रयोजनार्थ ही वह हिन्दू धर्म में परिवर्तित हुई थी और विवाह के बाद वह एक ईसाई के रूप में रह रही थी और अब हिन्दू नहीं थी। आयोग ने ओरियंटल बीमा कम्पनी लिमिटेड को उसकी सेवाएं समाप्त करने की सलाह दी। उनके द्वारा की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में सूचना प्रतीक्षित थी।

(5) **तमिलनाडु :** एक ग़ैर-अनुसूचित जाति की महिला ने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करके तहसीलदार, फोर्ट तौंडियरपेट, ताल्लुक, मद्रास से (आदि-द्राविड़) अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया था और ओरियन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड, मद्रास में आरक्षित रिक्ति पर नौकरी प्राप्त की थी। उसकी जातीय हैसियत जिला कलैक्टर द्वारा सत्यापित की गई थी और बाद में इस आधार पर उसका अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया था कि उसने एक हिन्दू से विवाह के प्रयोजन हेतु स्वयं को हिन्दू परिवर्तित किया परन्तु विवाह के बाद वह एक ईसाई के रूप में रहती रही। आयोग ने ओरियन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड को उसकी सेवाएं समाप्त करने की सलाह दी है। उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सूचना प्रतीक्षित थी।

अन्तर-जातीय विवाहों से हुई संतानों की जातीय हैसियत

6.56 **उत्तर प्रदेश** : अपर जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जाति (पासी) प्रमाण-पत्र के आधार पर एक आरक्षित रिक्ति पर इंडियन एअरलाइन्स में एक विमान परिचारिका की नियुक्ति की गई थी। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उसने प्रमाण-पत्र जारी कर दिया था क्योंकि उस महिला ने अपने द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र में पासी होने का दावा किया था। यह आरोप लगाया गया था कि उसकी मां अनुसूचित जाति की थी किन्तु उसका पिता एक ब्राह्मण था। आयोग ने उक्त अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र की वैधता के विरुद्ध दस्तावेजी प्रमाणों के साथ जिला मजिस्टेट, एटा और उत्तर प्रदेश सरकार को अनेक पत्र भेजे। स्थानीय जांच के बाद और आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया। इंडियन एअरलाइन्स को उसकी सेवाएं समाप्त करने और विशेष जांच प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश सरकार को उसके विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज करने की सलाह दी गई थी। परिणाम प्रतीक्षित था।

जाली प्रमाण-पत्र

6.57 आयोग के समक्ष ऐसे मामले आए जिनमें गैर-अ०जा०/अ०ज०जा० व्यक्तियों ने जाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए थे और अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षित रिक्तियों पर रोज़गार प्राप्त किए थे। ऐसे पांच मामले नीचे उल्लिखित हैं :—

(1) **आंध्र प्रदेश :** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र, के एक अधिकारी की नियुक्ति, तहसीलदार पदेरू द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर उसकी जाति येरुकुला (आंध्र प्रदेश में येरुकुला अनुसूचित जनजाति है, न कि अनुसूचित जाति) बताते हुए, की गई थी। प्रमाण-पत्र कलेक्टर, विशाखापत्तनम को भेजा गया जिन्होंने आयोग को सूचित किया कि वह जाली दस्तावेज था और उस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर और रबड़ की मोहर और लगाई गई सील सही नहीं थी। आयोग ने संगठन के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय को सलाह दी कि कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जाएं। अन्तिम परिणाम प्रतीक्षित था।

(2) **आन्ध्र प्रदेश** : हैदराबाद के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आयोग को रिपोर्ट दी कि भारतीय खाद्य निगम की नायडू जाति की एक महिला कर्मचारी ने एक जाली अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र (माला जाति) के आधार पर एक आरक्षित रिक्ति पर उस संगठन में सेवा प्राप्त कर ली थी। उसका पति, जो भी नायडू था, राजेन्द्र नगर मंडल कार्यालय में कार्यरत था और आरोप था कि जांच को उसके पक्ष में प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता ने आगे सूचित किया कि उसके पिता का सेवा रिकार्ड, जो कि रानीगंज डिपो, सिकन्दराबाद का एक सेवा निवृत्त आर०आर० सी० कर्मचारी था, यह स्पष्ट कर देगा कि वह एक पिछड़ी जाति की थी। आयोग ने सम्बन्धित दस्तावेज मंगवाए और पाया कि दो सम्माननीय व्यक्तियों अर्थात् कालेज के एक असिस्टैंट प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी कालेज आफ आर्टस् एण्ड कामर्स, हैदराबाद के एक रीडर, जो अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं थे, द्वारा उसको जारी किए गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर तहसीलदार, हैदराबाद शहर तालुका द्वारा उसे अ०जा० प्रमाण-पत्र (माला) जारी किया गया था। कलैक्टर, हैदराबाद से कर्मचारी की सामाजिक हैसियत का सत्यापन करने का अनुरोध किया गया और उत्तर प्रतीक्षित था।

(3) **बिहार** : न्यूरो साइंस सेंटर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक आपरेशन थियेटर सहायक जिला मजिस्ट्रेट, सिवान द्वारा जारी किए गए एक अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र (खारिया) के आधार पर नियुक्त किया गया था। प्रमाण-पत्र जिला मजिस्ट्रेट, सिवान को भेजा गया जिसने आयोग को सूचित किया कि उक्त प्रमाण-पत्र न तो उनके कार्यालय द्वारा जारी किया गया था और न ही खारिया जनजाति उस जिले में पायी जाती है। आयोग ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्राधिकारियों से कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने के लिए कहा और उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई।

(4) **कर्नाटक** : बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट/एन०टी०पी०सी०, कोरबा (मध्य प्रदेश) में एक डिप्लोमा प्रशिक्षणार्थी ने तहसीलदार, बीदर, द्वारा जारी किया गया एक अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र (गोंड) प्रस्तुत किया गया। प्रमाण-पत्र तहसीलदार, बीदर को भेजा गया था जिसने आयोग को सूचित किया कि कर्मचारी को उसके कार्यालय द्वारा ऐसा कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया था। उपायुक्त, बीदर, ने भी तहसीलदार के निष्कर्मों की संपुष्टि की। महाप्रबन्धक, बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट को कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने की सलाह दी गई थी। अन्तिम परिणाम प्रतीक्षित था।

(5) **उड़ीसा** : संगठन सचिव, उड़ीसा राज्य अ०जा०/अ०ज०जा० विद्यार्थी कार्यवाही परिषद्, भुवनेश्वर ने आयोग से निवेदन किया था कि श्रम और रोजगार विभाग, उड़ीसा सरकार के अन्तर्गत कारखाना और बॉयलर्स के एक उप-मुख्य निरीक्षक को अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारियों को उपलब्ध कराये गये आरक्षण के लाभ और अन्य रियायतों का फायदा उठाने से 1991 में कलैक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बोलनगीर द्वारा विवर्जित कर दिया गया था किन्तु अधिकारी अभी भी सरकारी नौकरी में बना हुआ था। यह मामला श्रम और रोजगार विभाग, उड़ीसा के साथ उठाया गया था जिसने सूचित किया कि 1992 के राजस्व विविध प्रकरण सं० 8 में कलैक्टर, बोलनगीर द्वारा पास किए गए आदेश के उद्धरण प्राप्त होने पर कारखानों और बॉयलर्स के उप मुख्य निरीक्षक को उसके विरुद्ध शुरू की गई विभागीय कार्रवाई में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया कि कर्मचारी ने इस आधार पर, कि उसने अपने जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने के कलैक्टर, बोलनगीर के आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल आयुक्त, सम्बलपुर के न्यायालय में अपील फाइल की थी, अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय मांगा था। यद्यपि यह अधिकारी राजस्व मण्डल आयुक्त को की गई अपनी अपील के निपटान तक का समय चाहता था, किन्तु राज्य सरकार ने उससे अपना स्पष्टीकरण 21 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा। आयोग ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वे अभियोजन स्कन्ध को निर्देश दें कि रोक आदेश रद्द करने के लिए राजस्व मण्डल आयुक्त के न्यायालय को विश्वास दिलाया जाए ताकि सम्बन्धित कर्मचारी, जो अनुसूचित जाति का नहीं था, अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए अभिप्रेत आरक्षण और अन्य लाभों का फायदा न उठा सके। अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित था।

जातियों के नाम की ध्वन्यात्मक समानता

6.58 **कर्नाटक में** दो जातियां **हैं**, **दोनों** की वर्तनी अंग्रेजी में Mleru है, किन्तु देवनागरी और कन्नड़ में भिन्न-भिन्न रूप से उच्चारित होती है और वर्तनी भी भिन्न है, जो मलेरू (Mleru) और मालेरू (Maleru) के रूप में लिखी जाती है। कर्नाटक के गज़ेटियर में मलेरू एक जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है और अधिकांशत: कर्नाटक के दक्षिणी भाग के कतिपय जंगली इलाकों में पायी जाती है और जिसे अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 के अनुसार कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि दूसरी जाति मालेरू को मन्दिरों से सम्बद्ध महिलाओं से उत्पन्न पुरुष वंश-परम्परा के जाति बहिष्कृत ब्राह्मण बताया जाता है जो शैक्षणिक रूप से उन्नत जाति है। अत: भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि वाली दोनों जातियों के बीच भेद **राज्य सरकार द्वारा** उचित ही किया गया है जिसकी कि अ०जा० और अ०ज०जा० के तत्कालीन आयुक्त द्वारा व्याख्या अपनी 28वीं रिपोर्ट में की गई थी और पोस्टल अधिकारियों द्वारा स्वीकार की गई थी। 1911 की मैसूर जनगणना में मलेरुओं का मुख्य व्यवसाय कृषि कर्म और श्रमिक रिकार्ड **किया गया है, जबकि दूसरी जाति** मालेरू **का दावा** मन्दिर सेवकों के सिद्धान्त पर आधारित था क्योंकि यह उनका पारम्परिक और पुश्तैनी व्यवसाय था। वस्तुत: महिलाओं के माध्यम से पुरुष ब्राह्मण वंश-परंपरा से बच्चे जो मन्दिरों में दान दिया चावल खाते हैं और सार्वजनिक महिलाएं बन जाती हैं जिनकी कोई जनजातीय विशेषताएं नहीं होती हैं, वे कर्नाटक में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त किसी जनजाति समुदाय से **सम्बन्ध नहीं** रखते **हैं।**

6.59 डाकघर वरिष्ठ अधीक्षक, बेंगलूर दक्षिण ने एक न्यायालय के निर्णय के आधार पर कर्नाटक में मलेरू होने का दावा करने वाले कुछ कर्मचारियों को अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध आरक्षण के लाभों से वंचित कर दिया था। न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आरक्षण के लाभ केवल शिमोगा और चिकमगलूर के मलेरुओं को दिए जाएं और शैक्षणिक सुविधाएं **दूसरे मलेरुओं** को **दी जाएं** तथा **बताया** था कि मलेरू वास्तव में जनजाति थी न कि उच्चारण में थोड़ी-सी भिन्न समान नाम की दूसरी जाति अर्थात् मालेरू जिनकी कोई जनजातीय विशेषताएं नहीं हैं। न्यायालय के निर्णय तथा आयुक्त की 28वीं रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षणों के आधार पर अ०जा० और अ०ज०जा० आयुक्त के पूर्व कार्यालय द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई थी।

6.60 पहले 1975 की रिट याचिका संख्या 814 से 818 में, कर्नाटक न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने भी कहा था कि कन्नड़ भाषा में "मलेरू" का सही और उपयुक्त अर्थ होगा वे लोग जो पहाड़ों से जुड़े हों या पहाड़ों में रहते हों और दूसरे शब्द "मालेरू" का सही अर्थ होगा विकृत या दूषित या पतित। न्यायालय ने अपने निर्णय में **इस विषय पर उपलब्ध सामग्री और विभिन्न मतों** का विश्लेषण किया था। विश्लेषण के आधार पर और कन्नड़ में शब्दों के अर्थ पर सम्यक ध्यान देते हुए न्यायालय ने महसूस किया था कि यह बहुत ही स्पष्ट है कि मालेरू ब्राह्मणों की केवल एक बहिष्कृत जाति थी न कि पहाड़ी जनजाति मलेरू केवल जिनके लिए आरक्षण किए गए थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने 24-7-1981 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं के पदोन्नति आदेश मंसूख भी कर दिए जिन्होंने मलेरू के रूप में **अनुसूचित** जनजाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए थे किन्तु वास्तविक "मलेरू" जनजाति से सम्बन्धित नहीं थे। क्योंकि यह एक एकल न्यायाधीश का आदेश था इसलिए मालेरुओं ने 1981 में डिवीजन बैंच के समक्ष रिट अपील दायर कर दी। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना के बाद, उच्च न्यायालय ने मामले को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, बेंगलूर शाखा को स्थानांतरित कर दिया जिसने डाक एवं तार विभाग **के आदेश** मंसूख **कर दिए और** प्रतिवादियों को निदेश दिया कि आवेदकों पर अभियोजन न चलाएं। यह निर्णय रिट याचिका सं० 11984/85 में उच्चतम न्यायालय के प्रवर्तित आदेश के आधार पर दिया गया था। इसके बाद, उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका में दिनांक 6-9-89 के अपने निर्णय में राज्य सरकार को चार महीनों के भीतर उनके 23-1-86 के आदेश में यथा निर्दिष्ट कार्रवाई करने का आदेश दिया। तद्नुसार, कर्नाटक सरकार ने समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और 7-3-89 को उसका पुनर्गठन किया और पुन: 5-1-90 को पुनर्गठन किया किन्तु समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध 1981 में प्रतिवादियों द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में फाइल की गई रिट अपीलें भी उच्चतम **न्यायालय के** 6-9-89 **के उपरोक्त आदेश** के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा 7-11-89 को निपटा दी गई थीं।

6.61 **कर्नाटक** राजायादा मालेरू वर्गदा संघ नामक मालेरुओं की एक एसोसिएशन ने डाक विभाग के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक **याचिका** (**सं०** 34493/92) दायर की। डाक विभाग ने ऊपर पहले ही उल्लिखित स्थिति को स्पष्ट करते हुए अनु०जाति और अनु०जनजाति के **पूर्व आयुक्त के कार्यालय से दिनांक** 22-1-1992 के पत्र के आधार पर 1992 में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर उनकी पदोन्नतियों की उपेक्षा **कर दी** थी। **डाक** विभाग का दिनांक 26-6-1992 का पत्र आयुक्त के

दिनांक 22-1-1992 के पत्र के आधार पर जारी किया गया था। इस मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त और अब राष्ट्रीय आयोग को भी एक प्रतिवादी बनाया गया था। इस प्रकार एकल न्यायाधीश के 24-7-1981 के निर्णय से कोई सम्बन्ध रखे बिना कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष मलेरू और मालेरू का प्रश्न पूरा-पूरा खुला है और उच्चतम न्यायालय के 6-9-89 के आदेश के अनुसार समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट अपेक्षित है। चूंकि उच्चतम न्यायालय के 6-9-1989 के आदेश में मलेरू जाति के व्यक्तियों को लाभ उठाते रहने की अनुमति प्रदान की थी, जो शुरू में ही उनको नहीं मिलने चाहिए थे, इसलिए मामले का समाधान समिति की रिपोर्ट के बिना नहीं हो सकता जो राज्य सरकार द्वारा अनेकों वर्ष पहले गठित की गई थी। पहाड़ी जनजाति के लोगों के प्रति यह अन्यायपूर्ण था कि कुछ झूठे दावेदारों ने अपने लिए वे लाभ प्राप्त कर लिए जो उचित रूप से उनके नहीं थे। इसका कारण कर्नाटक सरकार की निष्क्रियता और विलम्ब है। **आयोग सिफारिश करता है कि समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई समिति तत्परता से अपना कार्य पूरा करे और अतिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे जैसा कर्नाटक सरकार ने अपने 2-9-1994 के पत्र में वायदा किया था।**

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कतिपय जातियों/जनजातियों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाना

6.62 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 और 1951 के अन्तर्गत कुछ जातियां/जनजातियां राज्य विशेष के कतिपय क्षेत्रों के सम्बन्ध में ही अधिसूचित थीं न कि समग्र राज्य के सम्बन्ध में। ऐसी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको उपलब्ध कराये गये आरक्षण के लाभ और अन्य रियायतों का फायदा उठाने के लिए अपने क्षेत्रों से जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते थे। ऐसा मुख्यत: इस तथ्य के आधार पर किया गया था कि वे जातियां या तो राज्य के कतिपय क्षेत्रों में ही पायी जाती थीं और गणनीय थीं या कुछ जातियां, राज्य के केवल उन्हीं क्षेत्रों में सामाजिक असमर्थता का सामना कर रही थीं। इस आधार पर कि ये क्षेत्रीय प्रतिबन्ध इन समुदायों के उन सदस्यों के लिए कठिनाई पैदा कर रहे थे जहां वे विनिर्दिष्ट नहीं थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 की शर्तों के अनुसार क्षेत्रिय प्रतिबन्ध हटाये जाने से अ०जा० और अ०ज०जा० को उपलब्ध कराये गए लाभों के दुरुपयोग की अन्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। यह कतिपय जातियों द्वारा गलत ढंग से स्वय को विनिर्दिष्ट जाति/जनजाति के रूप में पेश करके किया जा रहा है। ऐसे भी बहुत से उदाहरण रहे हैं जहां जातियों के नाम में वर्तनी सम्बन्धी समानताए होने के आधार पर भले ही अनुसूचित जातियों के कोई सांस्कृतिक लक्षण या जनजातीय विशेषताएं न हों, कतिपय जातियों के सदस्यों ने स्वयं को किसी अनुसूचित जाति या अनु०जनजाति से सम्बन्धित होने का दावा किया और अपने लिए प्रामण-पत्र जारी करा लिए। किसी क्षेत्र विशेष के सम्बन्ध में कतिपय जातियों/जनजातियों को मान्यता देने का मूल प्रयोजन उन व्यक्तियों की तुलना में, जो राज्य के दूसरे क्षेत्रों में इन जातियों/जनजातियों के हितों की सुरक्षा करना था। संविधान निर्माताओं द्वारा इस बात की इस प्रकार से कल्पना की गई थी और प्रतिबन्धित क्षेत्रों से बाहर इसी प्रकार की जातियों/जनजातियों के हितों की सुरक्षा का कोई तात्कालिक कारण नहीं था। वस्तुत: जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (सशोधन) विधेयक, 1976 से स्पष्ट है, विधेयक का मूल उद्देश्य संसदीय और विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के पुर्नयोजन के लिए था। उस प्रयोजन के लिए कतिपय मामलों में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध भी हटा दिए गए थे। इससे वास्तविक अनुसूचित जातियों/जनजातियों को काफी नुकसान हुआ है जो कतिपय क्षेत्रों के सम्बन्ध में ऐसे घोषित किए गए थे, क्योंकि उन जातियों/जनजातियों के उन्नत वर्गों ने, भले ही वे दूसरे क्षेत्रों में रह रहे थे, अनु० जाति और अनु०जनजाति के लिए अभिप्रेत सभी लाभ उठाने प्रारम्भ कर दिए।

6.63 ऊपर बताई गई बातों के आधार पर, उन लाभों के दुरुपयोग के कुछ मामलों का उल्लेख किया जा रहा है जो आयोग की जानकारी में लाये गये थे। ऐसे एक मामले में, गांव व पोस्ट आफिस, रैने, जिला मऊ (उत्तर प्रदेश) की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की एक ऐसोसिएशन ने आरोप लगाया कि जिला मजिस्ट्रेट, मऊ ने जिले के राजस्व अधिकारियों को अनुदेश जारी किए हैं कि उ0प्र0 में गौंड समुदाय के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटा दिए जाने के बाद भड़भूंजा और कहारों (पिछड़ी जातियों) को गौंड के नाम में अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जाएं। इस तरह से गौंडों के लिए अभिप्रेत लाभ दूसरों द्वारा उठाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूचियां (आशोधन) आदेश, 1956 के अनुसार उ0प्र0 के मिर्जापुर जिला और बुन्देलखण्ड मण्डल के सम्बन्ध में गौंड जाति एक अनुसूचित जाति के रूप में घोषित की गई थी और इस प्रकार राज्य के दूसरे भाग में गौंडों के लिए या स्वयं को गौंड बताने वाले अन्य लोगों के लिए वास्तविक गौंडों के लिए अभिप्रेत लाभ उठा लेने का कोई अवसर नहीं था। आयोग को अखिल भारतवर्षीय गौंड महासभा से 20-2-1994 को दूसरा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ कि जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए थे। उन्होंने आयोग को 4-10-1993 के आदेश संख्या 7(8)/93-94 की एक प्रति भेजी जिसके अनुसार स्वयं को गौंड घोषित करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र जारी करते समय उचित ध्यान रखना था। महासभा ने आरोप लगाया कि वास्तविक गौंड समुदाय के व्यक्तियों को कठिनाइयां पेश आ रही थीं और विभिन्न कारणों से उन्हें जाति प्रमाण-पत्र नहीं दिए जा रहे थे। यह समस्या भी केवल क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाये जाने के कारण ही उठी क्योंकि पहले मऊ जिले में (जो तब आजमगढ़ जिले का एक भाग था) कोई गौंड अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र का दावा नहीं कर सकता था।

6.64 यह मामला कल्याण मंत्रालय की जानकारी में लाया गया जिन्होंने स्पष्ट किया कि गौंड जाति के संबंध मों पहले लगाया गया क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटा लिया गया था, और यह कि अब गौंड जाति समूचे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की अनुसूची में शामिल थी और वे गौंड जिनका सामान्यतया निवास स्थान (स्थायी निवास) उ0प्र0 में पड़ता हो, अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्रों के हकदार थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि गौंड़/गौर जाति से सम्बन्धित व्यक्ति जो वर्तनी सम्बन्धी समानता के कारण स्वयं को गौंड बताते थे, इस बात का उत्तर प्रदेश में लाभ उठा रहे थे और झूठे अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर रहे थे। यह वास्तविक गौंडों के हित में नहीं होगा, जो उत्तर प्रदेश की एक वंचित जाति है, कि उनका हिस्सा उस जाति के सदस्यों द्वारा छीन लिया जाए जो उस राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों के

रूप में सूचीबद्ध है। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा जिले के राजस्व अधिकारियों को जारी किए गए अनुदेश को कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र राजस्व रिकार्डों से सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएं।

6.65 इसी प्रकार के एक और मामले में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूचियां (आशोधन) आदेश, 1956 में धांकिया और अजमेर जिला, सिरोही जिला के आबू रोड तालुका और झालावाड़ जिले के सुनेल टप्पा को छोड़कर समूचे राजस्थान में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था। इन इलाकों में धांका, जो धांकिया से उच्चारण में थोड़ा भिन्न है, को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 41 के अनुसार अजमेर जिला में धानक और झालावाड़ जिला के सुनेल टप्पा में धानुक अनुसूचित जातियों के रूप में माने गए थे। 1976 के संशोधन के अनुसार, क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाने से इस मामले में भी झूठे प्रमाण-पत्र जारी होने शुरू हो गए हैं। धांकिया, धानक या धानुक जातियों से सम्बन्धित बड़ी संख्या में व्यक्तियों के होने से राजस्थान के विभिन्न जिलों में भ्रामक स्थिति पैदा हो गई है। उदाहरण के लिए, इन समुदायों के कुछ सदस्यों ने दिल्ली में प्रवासी होने पर, धानक के नाम में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए, जो दिल्ली में एक अनुसूचित जाति है। पदोन्नति के समय, अनुसूचित जाति के लिए अभिप्रेत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उन्हीं व्यक्तियों ने राजस्थान के सक्षम प्राधिकारियों से धांका के नाम में अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए। 1976 से पहले, धांका राजस्थान में केवल सिरोही जिले के आबू रोड तालुका में एक अनुसूचित जनजाति मानी जाती थी। ऐसे व्यक्तियों द्वारा यह बहाना तलाश कर लिया जाता है क्योंकि सामान्यतया पदोन्नति के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की अपेक्षा बहुत कम है। चेफेगर फ्लाइट केटरिंग, इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा यह निर्दिष्ट करते हुए एक मामला आयोग को भेजा गया था कि 1965 में धानक के नाम में उपायुक्त, दिल्ली द्वारा एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित एक पद पर एक स्टाफ हैंडीमैन सेवा में भर्ती हो गया था। बाद में 1986 में जब क्षेत्रीय प्रतिबंध हट चुके थे और धांका समूचे राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर दी गई थी तो बताया जाता है कि कर्मचारी ने राजस्थान के जयपुर जिले से धांका (अनुसूचित जनजाति) के नाम में दूसरा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया। आयोग ने जाति की स्थिति और सिरोही जिले के आबू रोड तालुका में पहले लागू क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाये जाने का महत्व स्पष्ट करते हुए यह मामला जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के साथ उठाया। प्राधिकारियों को यह बात समझायी गई कि अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी कोई जनजातीय विशेषताएं नहीं हैं, उन्हें गलत ढंग से अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर से अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा थी।

6.66 1984 से नई दिल्ली नगर पालिका में काम करने वाले एक और कर्मचारी ने 1971 में उपायुक्त दिल्ली द्वारा जारी किया गया एक अनुसूचित जाति (धानक) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। उसने स्वयं को दिल्ली का निवासी घोषित किया था। लगभग 10 वर्ष के अंतराल के बाद, उसने तहसीलदार, विराटनगर, जयपुर जिला (राजस्थान) का दूसरा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि वह राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त धानक समुदाय का था। ऐसा उसने पदोन्नति में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लाभ का फायदा उठाने के लिए किया जो कि केन्द्रीय सरकार के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदोन्नति\रिक्तियों की तुलना में आसानी से उपलब्ध है। रिकार्ड से ऐसा लगा कि यह निर्दिष्ट करते हुए कि उसके माता-पिता दिल्ली के रहने वाले थे उसने प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली। यदि उसी कर्मचारी ने एक अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर से अनुरोध किया और आवेदक वास्तव में राजस्थान का रहने वाला था तो प्राधिकारियों के लिए उस कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करना आवश्यक था जिसने नई दिल्ली नगर पालिका में सेवा ग्रहण करने के समय गलत ब्यानी की थी और इसकी सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए थीं। यह जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर की जानकारी में ला दिया गया जिनके उत्तर की प्रतीक्षा थी।

6.67 ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यह महसूस किया जाता है कि भिन्न-भिन्न राज्यों में कतिपय जातियों/जनजातियों के संबंध में क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाये जाने से उनको कोई राहत प्रदान करने की अपेक्षा वास्तविक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की और अधिक हानि हुई है। **यह सुनिश्चित करने के लिए कि अ०जा० और अ०ज०जा० को उपलब्ध कराये गये आरक्षण के लाभ और अन्य छूटें/रियायतें इन समूहों के वास्तविक सदस्यों को ही मिलें जो ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों के आधार पर कतिपय क्षेत्रों के संबंध में प्रारंभ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किए गये थे, भारत सरकार क्षेत्रीय प्रतिबंध पुनः लगाने के समग्र मामले की समीक्षा करें।**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने में शामिल मुख्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और अभि-विन्यास की आवश्यकता

6.68 ऊपर वर्णित जाली/झूठे प्रमाण-पत्रों के विशिष्ट मामलों से यह स्पष्ट होता है कि अतीत में व्यक्ति विशेष के बारे में या उसकी जातीय हैसियत के बारे में समुचित सत्यापन किए बिना बड़ी संख्या में प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। ऐसे मामले रहे हैं जिनमें ऐसी जाति के नाम में प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे जो उस राज्य में बिल्कुल मान्यता प्राप्त नहीं थी। कतिपय राज्यों में प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्रों के ऐसे भी मामले रहे हैं जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं थीं। हो सकता है कि इस विषय की समुचित जानकारी या समझ की कमी के कारण ऐसे प्रमाण-पत्रों की काफी बड़ी संख्या रही हो। जनजाति अनुसंधान संस्थान, पुणे ने विगत दो दशकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्रों के अन्वेषण के मामले में विशेषज्ञता हासिल की है और महाराष्ट्र में इस पहलू पर बहुत बड़ा काम किया है। उसने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश या सरकार के अधीन नौकरियां तलाशने वाले अ०जा०/अ०ज०जा० व्यक्तियों को जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में महाराष्ट्र में "सक्षम प्राधिकारियों" "मजिस्ट्रेटों आदि को प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। इससे महाराष्ट्र में झूठे अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्रों के मामलों की घटनाओं में कमी लाने में बहुत हद तक सहायता मिली है। अन्य राज्यों में समस्या के अभी भी विद्यमान रहने को ध्यान में रखते हुए समूचे देश में अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र जारी करने में शामिल मुख्य अधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण और अभि-विन्यास की आवश्यकता है।

अत: कल्याण मंत्रालय अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार बनाये गये अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य सरकारों और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के परामर्श से एक योजना तैयार करे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जाली/झूठे प्रमाण-पत्रों की घटना न्यूनतम रह जाए और देश में वास्तविक अ०जा०/अ०ज०जा० व्यक्तियों को ये लाभ मिलते रहें, न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के समय उनके प्रशिक्षण का भी यह एक हिस्सा होना चाहिए।

अ०जा० प्रमाण-पत्रों के शीघ्र सत्यापन की आवश्यकता

6.69 भारत सरकार के प्रारंभिक अनुदेशों के अनुसार, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों को किसी अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारी की जातीय हैसियत का उसकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय तथा आरक्षित रिक्ति पर पदोन्नति के समय सत्यापन करना चाहिए। उन्हें उस जाति के नाम की जांच करनी चाहिए जिससे कि अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारी संबंध रखता है। साथ ही, राज्य/जिला/क्षेत्र जहां का वह रहने वाला है तथा उसके स्थायी पते आदि की जांच करनी चाहिए। अनुदेशों में आगे प्रावधान है कि जहां कोई अ०जा०/अ०ज०जा० उम्मीदवार अपने दावे के समर्थन में जो भी प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत कर सके उसके आधार पर उसे अनंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है यदि वह किन्हीं भी निर्धारित प्राधिकारियों से जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हो। किन्तु शर्त यह है कि उसे युक्तियुक्त समय के भीतर निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा अथवा यदि प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में वास्तविक कठिनाई पेश आ रही हो तो नियुक्ति प्राधिकारी को स्वयं ही संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से दावे का सत्यापन करा लेना चाहिए। ऐसे मामले हुए हैं जहां आवेदक आरक्षित पदों पर दावे के लिए तथ्यों की गलत बयानी करके प्रमाण-पत्र जारी करा लाये। बहुत से मामलों में, उनकी वास्तविक पहचान का पता लगने के बाद, सत्यापन किया गया था किंतु दीर्घकालीन प्रक्रियाओं और न्यायिक प्रकरणों के कारण सेवा समाप्ति का दंड नहीं दिया जा सका।

6.70 गृह मंत्रालय ने 1982 में राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त कदम उठाये जाने के लिए आगे अनुदेश जारी किए ताकि प्रमाण-पत्रों का गलत जारी किया जाना रोका जा सके और उन अधिकारियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जा सके जो लापरवाही से या समुचित सत्यापन के बिना जानबूझकर प्रमाण-पत्र जारी कर देते थे। राज्य-सरकारों द्वारा इन अधिकारियों को सूचित किया जाना अपेक्षित था कि यदि उनमें से किसी को समुचित सत्यापन के बिना और लापरवाही से प्रमाण-पत्र जारी करते पाया गया तो भारतीय दंड संहिता (धारा 420 आदि) के संगत प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उन पर लागू समुचित अनुशासनात्मक नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। राज्य-सरकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र रखने वाले गैर-अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कड़े उपाय करें, उन लाभों से उन्हें वंचित करें जिनके कि वे हकदार नहीं थे और जो ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार थे उन पर शास्तियां अधिरोपित करें तथा उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई शीघ्रता से करें। निवारक तत्परता के साथ जाली जातीय प्रमाण-पत्रों से संबंधित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति का सुझाव भी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को संसूचित किया गया था। साथ में यह भी अनुरोध किया गया था कि न्यायालयों द्वारा जो व्यक्ति अपराधों के लिए दोषसिद्ध ठहराये जाएं उनके नामों का व्यापक प्रचार किया जाए। भारत सरकार द्वारा ऐसे सभी उपाय किए जाने के बावजूद, झूठे/जाली प्रमाण-पत्रों की घटनाएं समूचे भारतवर्ष में जारी हैं। अत: भारत सरकार को अप्रैल 1990 में अनुदेश जारी करने पड़े थे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षित स्थान असली अ०जा०/अ०ज०जा० व्यक्तियों को ही मिलें, प्रमाण-पत्र का सत्यापन प्रत्येक मामले में करना होगा। इसके पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी अ०जा०/अ०ज०जा० से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति के प्रस्ताव में निम्न प्रकार एक वाक्यांश शामिल करेंगे : "नियुक्ति अनंतिम है और इस शर्त पर है कि जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित कराया जायेगा और यदि सत्यापन से यह प्रकट होता है कि यथा स्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा झूठा है तो सेवाएं बिना कोई आगे कारण बताए और ऐसी आगे कार्रवाई के प्रतिकूल प्रभाव के बिना जो झूठे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत की जा सके, तुरंत समाप्त कर दी जायेंगी।" सरकार द्वारा उपर्युक्त अनुदेश जारी करते समय यह सुनिश्चित करने का इरादा था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति परवर्ती चरण में उनके दावे का सत्यापन न होने के कारण कठिनाइयों का सामना न करें। इरादा यह भी था कि इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने और अ०जा०/अ०ज०जा० व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके क्योंकि झूठे अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्र जारी होने का खतरा बहुत बढ़ गया था। यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के मामले का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है जो जाति/जनजाति प्रमाण-पत्रों को सत्यापित कराने के लिए जिला प्राधिकारियों से समुचित उत्तर न पा सका। आई०आई०टी० के रजिस्ट्रार ने आयोग के 26 स्टाफ सदस्यों के मामलों को देखने का अनुरोध किया जो संबंधित राजस्व प्राधिकारियों (संबंधित जिलों के कलेक्टरों) से अपनी जातीय हैसियत के सत्यापन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सत्यापन में विलंब के कारण, अ०जा० और अ०ज०जा० से संबंधित स्टाफ के 26 सदस्य जो आरक्षित पदों पर भर्ती किए गए थे परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर संबंधित पदों पर अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे जबकि उनका अपना कोई दोष नहीं था। आयोग इस मामले को तमिलनाडु सरकार की जानकारी में लाया और कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 24-4-1990 के आदेश के संदर्भ में आई०आई०टी० या किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा आरक्षित रिक्तियों के लिए चुने गए और नियुक्त किए गए अ०जा०/अ०ज०जा० उम्मीदवारों की जातीय हैसियत के शीघ्र सत्यापन के लिए सभी कलेक्टरों को सामान्य अनुदेश जारी करें। राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे संबंधित अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारियों के मामले में गंभीर प्रतिक्रिया होना अनिवार्य है। **अत: आयोग सिफारिश करता है कि अ०जा०/अ०ज०जा० उम्मीदवारों को उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रत्येक मामले में अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाण-पत्रों का सत्यापन तीन महीनों के भीतर पूरा किया जाए।**

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अ०जा०/अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरण

(1) अध्यापन पद

		प्रोफेसर						रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर				लेक्चरर्स/सहायक प्रोफेसर/शारीरिक शिक्षा निदेशक						रिसर्च एसोसिएट ट्यूटर्स/डिमोस्ट्रेटर्स/इंस्ट्रक्टर्स			
क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	पदों की कुल सं.	अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%	कुल कर्मचारी	अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%	कुल कर्मचारी	अ०जा०	%	अ.ज.जा.	%	कुल कर्मचारी	अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (1994-95)	290	—	—	—	—	448	—	—	—	—	378	—	—	—	—	164	—	—	—	—
2.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम (1994-95)	05	—	—	—	—	05	—	—	—	—	06	—	—	—	—	शून्य	—	—	—	—
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (1-1-1994)	290	—	—	—	—	515	—	—	—	—	445	06	1.31	—	—	46	01	0.51	—	—
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद (1-1-1994)	79	01	1.26	—	—	74	—	—	01	1.36	84	07	8.43	—	—	—	—	—	—	—
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (1992-93)	57	शून्य	—	—	—	115	—	—	—	—	156	—	—	01	0.61	22	—	—	—	—
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (1994-95)	140	—	—	—	—	146	03	2.7	01	0.6	82	03	2.4	03	3.6	11	—	—	—	—
7.	पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग (1994-95)	68,	—	—	08	11.76	उल्लिखित नहीं	—	—	15	18.51	71	—	—	37	52.11	04	—	—	—	—
8.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी (31-8-1994)	23	शून्य	—	—	—	54	02	3.70	शून्य	शून्य	54	11	20.37	02	3.70	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
9.	विश्व भारती विश्वविद्यालय, शान्ति निकेतन (1-4-1994)	उपलब्ध नहीं																			

परिशिष्ट

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अ०जा०/अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरण

(II) गैर-अध्यापन पद

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	समूह "क" कुल कर्मचारी	अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%	समूह "ख" कुल कर्मचारी	अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%	समूह "ग" कुल कर्मचारी	अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ (1994-95)	122	—	—	—	—	193	01	0.52	—	—	2532	13	0.51	04	0.16
2.	असम विश्वविद्यालय सिलचर, असम (1994-95)	02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (1-1-94)	170	03	1.70	01	0.56	515	05	0.90	—	—	3790	73	0.70	01	0.15
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद (1-11-94)	63	08	12.7	03	4.8	134	11	8.2	2	1.5	399	62	15.5	12	13.00
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (1992-93) नई दिल्ली	70	—	—	—	—	49	—	—	—	—	551	02	0.36	—	—
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली (1994-95)	100	08	8.00	02	2.0	189	23	12.1	01	0.5	516	78	15.1	15	0.9
7.	पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय शिलांग (1994-95)	55	—	—	28	50.9	152	01	0.65	84	55.26	713	18	2.52	503	70.54
8.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय पांडिचेरी (31-8-94)	31	05	16.13	—	—	08	02	25.00	—	—	197	34	17.26	—	—
9.	विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन (1-4-1994)	71	05	7.00	—	—	54	06	11.11	—	—	590	47	7.96	13	2.20

समूह "घ" कुल कर्मचारी	अ०जा०	%	अ०ज०जा	%	सफाई वाले और मैला उठाने वाले कुल कर्मचारी	अ०जा०	%	अ०ज०जा०	%
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3021	488	16.15	09	0.30	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1770	504	22.6	—	—	513	278	54.5	—	—
412	80	19.4	18	4.4	69	26	37.7	04	5.8
275	05	1.82	01	0.36	76	76	100.00	—	—
459	105	22.8	11	2.30	123	123	100.00	—	—
551	12	2.17	433	78.58	11	01	9.09	07	63.63
224	27	12.05	01	0.45	03	01	33.33	—	—
808	238	29.45	98	12.44	35	33	94.29	02	5.71

अध्याय—7

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार

समाज के कमजोर वर्गों में सबसे प्रतिकूल स्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की है। गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूस्वामियों पर उनकी आर्थिक निर्भरता, उनके शैक्षिक पिछड़ेपन और उनके प्रति किए जाने वाले सामाजिक भेदभाव के कारण उन पर अत्याचार किए जाते हैं। अनुसूचित जाति के लोग अछूत के रूप में कलंकित जीवन व्यतीत करते हैं। उनके विरुद्ध शताब्दियों से प्रचलित जातीय दुर्भावना और उनके प्रति किए जाने वाले छूआछूत के व्यवहार के कारण उन पर अत्याचार होते हैं।

7.2 अ०जा० और अ०ज०जा० के बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करने के लिए भारत के संविधान में अनेक सुरक्षण रखे गए हैं। अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या (ख) पूर्णत: या भागत: राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी नियोग्यता, दायित्व, निबन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद-17 के अन्तर्गत "अस्पृश्यता" का अन्त कर दिया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध और विधि के अनुसार दण्डनीय है। मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध है। अ०जा० और अ०ज०जा० को सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने विशेष अधिनियम बनाए हैं। खेतिहर मजदूरों और अन्य प्रकार के श्रमिकों में अधिकांश संख्या अ०जा० और अ०ज०जा० की है और अधिकांश बन्धुआ मजदूर अ०जा० और अ०ज०जा० के होते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की मजदूरी निर्धारित की गई है और बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में बन्धुआ मजदूरी के उत्सादन तथा मुक्त किए गए बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति और पुनर्वास का प्रावधान किया गया है।

7.3 अनुच्छेद 17 से सम्बन्धित दो महत्वपूर्ण विधान हैं, जिनके नाम हैं--सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (पीसीआरए) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (पीएए)। शुरू में अस्पृश्यता के व्यवहार का अन्त करने और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता का अन्त करने के लिए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया था। इसे 1977 में संशोधित किया गया और अब यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के नाम से जाना जाता है। संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत अस्पृश्यता को संज्ञेय और अक्षमनीय अपराध बनाया गया तथा अपराधियों के विरुद्ध अधिक कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया। अ०जा० और अ०ज०जा०.पर अत्याचारों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 31-1-90 से प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम में, अन्य बातों के अतिरिक्त, कुछ विशेष प्रकार के अपराधों को अत्याचार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, दोषियों को अधिक कठोर शास्ति से दण्डित करने तथा ऐसे मामलों पर शीघ्रता से विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। पी०सी०आर०ए० के अन्तर्गत होने वाले अपराधों को पी०ए०ए० के अधिकार क्षेत्र में लाया गया क्योंकि पी०ए०ए० में अपराधियों के विरुद्ध कठोर दण्ड का प्रावधान है। पी०सी०आर०ए० और पी०ए०ए० के मुख्य उपबन्धों की चर्चा आयोग की पहली रिपोर्ट में की गई है। पिछले दो वर्षों में पी०सी०आर०ए० और पी०ए०ए० के मामलों की प्रवणता, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इन अधिनियमों के विभिन्न उपबन्धों के अधीन किए गए कार्यों, ऐसे मामलों को घटित होने से रोकने के लिए किए गए उपायों, अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को धन के रूप में राहत देने/उनका पुनर्वास करने के लिए किए गए उपायों, ऐसे मामलों पर शीघ्रता से विचार करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना और उन मामलों के निपटारे के स्वरूप की चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है।

7.4 संविधान के अनुच्छेद-338 के अन्तर्गत आयोग के लिए यह आवश्यक है कि वह अ०जा० और अ०ज०जा० के अधिकारों और सुरक्षणों को छीने जाने के विशिष्ट मामलों की जांच करे। आयोग का यह भी कर्तव्य है कि वह अ०जा० और अ०ज०जा० को संविधान के अन्तर्गत अथवा किसी विधि के अन्तर्गत अथवा सरकार के किसी आदेश के द्वारा दिए गए सुरक्षणों से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच और अनुवीक्षण करे। इस रिपोर्ट में 1993-94 के दौरान विशिष्ट शिकायतों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा किए गए कार्य तथा अस्पृश्यता और अत्याचार के मामलों के बारे में मौके पर की गई जांच का विवरण दिया गया है।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का कार्यकरण

7.5 1991 के लिए कल्याण मंत्रालय की सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 से संबंधित बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट लोक सभा के पटल पर 24-2-94 को और राज्य सभा के पटल पर 4-3-94 को रखी गई थी। रिपोर्ट में 1991 के दौरान पंजीकृत मामलों के संबंध में सूचना, पुलिस तथा न्यायालय के स्तरों पर उनके निपटारे के स्वरूप, और प्रतिवर्ष मामलों के पंजीकरण से संबंधित सूचना दी गई है। 1990 और 1991 में अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए गए मामलों की राज्यवार संख्या संलग्नक 1 में दी गई है। 1989 से 1991 के वर्षों मे पंजीकृत मामलों की संख्या के तुलनात्मक

विश्लेषण से प्रकट होता है कि पंजीकृत मामलों की संख्या जो 1989 में 3,700 थी 1990 में बढ़कर 3,730 हो गई, लेकिन 1991 में **वह संख्या घटकर 3,406 रह गई और इस प्रकार** पिछले वर्ष की तुलना में उनकी **संख्या** 9.51% कम हो गई। 1990 की तुलना में 1991 में मामलों के पंजीकरण की संख्या में उल्लेखनीय कमी राजस्थान (207 : 107), कर्नाटक (807 : 722), मध्य प्रदेश (463 : 384) और उत्तर प्रदेश (357 : 296), में **हुई जबकि** उसी अवधि में आंध्र प्रदेश (203 : 365), **महाराष्ट्र** (257 : 340), तमिलनाडु (787 : 861) और गुजरात (172 : 209) में **इन** मामलों के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि **दिखाई दी।**

7.6 अधिकांश मामलों की रिपोर्ट तमिलनाडु (861) से मिली और उसके बाद कर्नाटक (722), मध्य प्रदेश (384), आंध्र प्रदेश (365), **महाराष्ट्र** (340), **उत्तर** प्रदेश (296), गुजरात (207) और राजस्थान (107) से अधिकतर मामलों की सूचना मिली जबकि असम, पंजाब, **और चण्डीगढ़ से किसी मामले की** सूचना नहीं मिली। **यह** उल्लेखनीय है कि **अधिकांश** मामलों की सूचना दक्षिण के राज्यों से आई। 1991 के दौरान **आंध्र प्रदेश** (365), कर्नाटक (722) और तमिलनाडु (861) से जिन कुल 1,948 मामलों की सूचना आई वे देश में कुल पंजीकृत मामलों की संख्या के 57.2% थे।

7.7 पी० सी० आर० अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन **के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों** द्वारा किए गए उपाय **बहुत** उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं। अधिनियम के अंतर्गत मामलों पर **विचारण** करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना न किए जाने की सूचना असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली तथा पांडिचेरी के संघ शासित क्षेत्र से प्राप्त हुई। गोवा और उत्तर प्रदेश में ऐसे न्यायालयों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था। अस्पृश्यता के अपराधों को रोकने के लिए निवारक **उपाय करने के** लिए **अस्पृश्यता** की संभावना वाले क्षेत्रों/जिलों की पहचान केवल चार राज्यों—गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और **उत्तर प्रदेश** द्वारा **की गई।** अधिनियम में की गई परिकल्पना के अनुसार किसी भी राज्य सरकार ने 1991 के दौरान अधिनियम के कार्यकरण के बारे में आवधिक **सर्वेक्षण नहीं** किया।

7.8 **1993-94** के दौरान कल्याण मंत्रालय ने पी० सी० आर० **अधिनियम के कार्यान्वयन के** लिए 4,40,05,584 रु० की राशि 14 राज्यों और 1 संघ शासित क्षेत्र को सहायता अनुदान के रूप में अदा की **जिसका विवरण संलग्नक II** में दिया **गया है।** यह मालूम हुआ कि 1993-94 के दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा दादरा **और नागर हवेली के** संघ **शासित** क्षेत्र **प्रशासन को** सहायता अनुदान की कोई राशि अदा नहीं की गई क्योंकि इन सरकारों ने 1992-93 के दौरान उन्हें अदा किए गए अनुदान का उपयोग नहीं किया और इसलिए उन्होंने 1993-94 **के दौरान कोई** और अनुदान नहीं मांगा था। आयोग **को इस** विषय में **गहरी चिंता है** कि इन राज्य सरकारों ने पी० सी० आर० अधिनियम के कार्यान्वयन की आवश्यकता को **नहीं समझा और कल्याण** मंत्रालय से **सहायता** अनुदान **की मांग नहीं की।**

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यकरण

7.9 राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पी० ए० ए० के प्रावधानों का कार्यान्वयन बहुत संतोषजनक तरीके से नहीं किया गया है। यद्यपि अधिनियम की धारा 14 में अत्याचार के मामलों **पर शीघ्रता से विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों** की स्थापना का प्रावधान है, केवल आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने ही केवल अत्याचार **के मामलों** से निपटने के लिए विशेष न्यायलयों की स्थापना की है। आंध्र प्रदेश में ऐसे तीन न्यायालय चित्तूर, गुंटूर और महबूबनगर में स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में ऐसे दस न्यायालय अलवर, पाली, प्रतापगढ़, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और मेड़ता में स्थापित किए **गए हैं। अन्य राज्यों** में कुछ विद्यमान सेशन न्यायाधीशों के न्यायालयों के बारे में यह अधिसूचना जारी की गई है कि वे अपने सामान्य कर्त्तव्यों के पालन के साथ-साथ अत्याचार के अपराधों पर विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों का भी काम करेंगे। इस विषय में संदेह है कि ये न्यायालय अत्याचार **के सभी** मामलों में पूरा न्याय कर सकेंगे। **आंध्र प्रदेश** और राज्यस्थान में स्थापित विशेष न्यायालयों की उपलब्धियों के **बारे में** भी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उनके प्रभाव का मूल्यांकन **करने के** लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। **आयोग की सिफ़ारिश है कि अत्याचार के मामलों से निपटने वाले विशेष न्यायालयों के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए कल्याण मंत्रालय, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य अनुसंधान संगठनों से नमूने के तौर पर अध्ययन करवाए और इन मामलों पर शीघ्रता से विचारण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए इन न्यायालयों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उपचारी उपाय सुझाने को कहे। आयोग की यह भी सिफ़ारिश है कि शेष राज्य सरकारें/संघ शा० क्षे० प्रशासन अत्याचार के मामलों से अनन्य रूप से निपटने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करें ताकि अत्याचार के मामलों को अन्य मामलों की अपेक्षा प्राथमिकता मिले तथा दोषियों को दंडित करने में कम से कम विलम्ब हो।**

7.10 अत्याचार को रोकने की दिशा में एक निश्चित कदम यह होगा कि अत्याचार की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान की जाए और **निवारक उपाय** किए जाएं ताकि अत्याचार न हो पाएं। पीएए की धारा 21 में राज्य सरकारों/सं शा० क्षे० प्रशासनों से कहा गया है कि वे अधिनियम **के उपबंधों के बेहतर** कार्यान्वयन के उपाय सुझाने की दृष्टि से और अत्याचार की घटनाओं का निवारण करने के उद्देश्य से उन क्षेत्रों की **पहचान करने** की दृष्टि से जहां अ० जा० और अ० ज० जा० के व्यक्तियों के अत्याचार का शिकार बनने की संभावना **रहती है,** अधिनियम के कार्यकरण का आवधिक सर्वेक्षण करें। कल्याण मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल आठ राज्यों ने 69 **जिलों तथा** उनके गांवों की ऐसे क्षेत्रों के रूप में पहचान की थी जिनमें अत्याचार की संभावना है और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं। बिहार और **गुजरात में** प्रत्येक में ग्यारह जिलों; हरियाणा में पांच, कर्नाटक और महाराष्ट्र में प्रत्येक में छः, मध्य प्रदेश में सात जिलों, पंजाब के तीन जिलों **में आठ गांवों** और उत्तर प्रदेश के बीस जिलों की **इस** वर्ग के क्षेत्रों के **रूप में पहचान** की गई है।

यह वांछनीय है कि निवारक उपाय करने के उद्देश्य से सभी राज्य सरकारें/सं० शा० क्षे० प्रशासन आवधिक सर्वेक्षण करवाएं और अत्याचार की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करें ताकि अत्याचार की ऐसी घटनाओं को समय रहते रोका जा सके जिनसे जान और माल का नुकसान होने की संभावना हो।

7.11 ऐसे अत्याचार जिनके परिणामस्वरूप अ० जा० और अ० ज० जा० के व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उनमें स्थायी अक्षमता आती है या उन्हें गंभीर चोट लगती है, आगजनी या अन्य कारणों से उनकी सम्पत्ति का नाश होता है तथा प्रभावशाली जातियों के लोगों द्वारा उन्हें समाज से बहिष्कृत रखा जाता है उन लोगों के लिए बहुत कष्टप्रद होते हैं। अत्याचारों के शिकार अ० जा० और अ० ज० जा० के व्यक्तियों की वित्तीय और अन्य प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए संबंधित राज्य सरकारें/सं० शा० क्षे० प्रशासन उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करते हैं और उनको पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करते हैं। धारा 21 (2) (III) में प्रावधान है कि अत्याचार के शिकार व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए राज्य सरकारें उपाय करेंगी। गुजरात, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर, अन्य राज्य सरकारों ने अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की दर को 1981 से नहीं बदला है। जम्मू और कश्मीर, पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अत्याचार से पीड़ितों के लिए किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने का निर्णय नहीं किया है। अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने इस बात पर जोर दिया था कि राहत की दर बढ़ाने की आवश्यकता है, और जैसा गुजरात सरकार ने किया है, यदि अत्याचार के परिणामस्वरूप किसी अ० ज०/अ० ज० जा० के व्यक्ति की मृत्यु होती है, विशेषकर ऐसी हालत में जब मृत व्यक्ति परिवार का कमाने वाला या कमाने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम सदस्य हो तो उसके परिवार को कम से कम 1 लाख रूपए दिए जाएं। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि जिन राज्यों ने अत्याचार के पीड़ित अ० जा०/अ० ज० जा० व्यक्तियों को आर्थिक राहत और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करने की दर निश्चित नहीं की है वे अविलम्ब ऐसा करें। **आयोग इन सिफारिशों की पुनः पुष्टि करता है।**

7.12 1993-94 के दौरान कल्याण मंत्रालय ने पी० ए० ए० के कार्यान्वयन के लिए 10 राज्यों और 1 संघ शासित क्षेत्र को 2,66,13,316 रुपए की अदायगी की जिसका विवरण संलग्नक 3 में दिया गया है। गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और पांडिचेरी को अनुदान की कोई राशि अदा नहीं की गई क्योंकि उन्होंने पिछले वर्ष दी गई सहायता अनुदान की राशि का पूर्णतः उपयोग नहीं किया था और कल्याण मंत्रालय से कोई और वित्तीय सहायता नहीं मांगी थी। 1992-93 के दौरान भी स्थिति ऐसी ही थी क्योंकि महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों ने पी० ए० ए० के कार्यान्वयन के लिए कल्याण मंत्रालय के सहायता अनुदान का लाभ नहीं उठाया था। कुछ केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले सहायता अनुदान का उपयोग करने के प्रति राज्यों/सं० शा० क्षे० की अरुचि स्वस्थ प्रवृत्ति की सूचक नहीं है। **आयोग का अनुरोध है कि सभी राज्य/सं० शा० क्षे० कल्याण मंत्रालय के अनुदान का लाभ उठाने का और पी० सी० आर० ए० तथा पी० ए० ए० के कार्यान्वयन के लिए अनुदान का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने का हार्दिक प्रयत्न करें।**

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पंजीकृत मामले

7.13 1992 के दौरान अ० जा० और अ० ज० जा० पर अत्याचार के पंजीकृत मामलों की राज्यवार और अपराधवार संख्या संलग्नक 4 और 5 में दी गई है। 1992 के दौरान देश में अत्याचार के मामलों की कुल संख्या 22,049 थी। यह उल्लेखनीय है कि पी० ए० ए० के प्रवर्तित होने के बाद अत्याचार के मामलों में निरंतर वृद्धि हुई है। 1989 में ऐसे मामलों की संख्या 19,422 थी जो 1990 में बढ़कर 21,245 और 1991 में 22,424 हो गई। लेकिन 1992 के दौरान ऐसे मामलों की संख्या घटकर 22.049 हो गई जिससे पिछले वर्ष की अपेक्षा 1.7% की सीमांत कमी होने का पता चलता है।

7.14 1990, 1991 और 1992 के दौरान अत्याचार के मामलों के अपराधवार वर्गीकरण निम्न प्रकार का था :—

सारणी-I

क्र० सं०	मामलों की किस्म	वर्ष के दौरान सूचित किए गए मामले								
		1990			1991			1992		
		अ०जा०	अ०ज०जा०	जोड़	अ०जा०	अ०ज०जा०	जोड़	अ०जा०	अ०ज०जा०	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हत्या	584	124	708 (3.33)	610	146	756 (3.37)	693	118	811 (3.68)
2.	गंभीर चोट	1,691	259	1,950 (9.18)	1,706	320	2,026 (9.03)	1,619	232	1,851 (8.40)
3.	बलात्कार	885	339	1,224 (5.76)	784	334	1,118 (4.99)	835	383	1,218 (5.52)
4.	आगजनी	599	59	658 (3.10)	602	70	672 (3.00)	619	61	680 (3.08)
5.	भा० दं० सं० के अन्य अपराध	13,908	2,797	16,705 (78.63)	13,944	3,908	17,852 (79.61)	14,574	2,915	17,489 (79.32)
	जोड़	17,667	3,578	21,245	17,646	4,778	22,424	18,340	3,709	22,049

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल अपराधों की तुलना में अपराधों का प्रतिशत प्रदर्शित करते है।

7.15 1992 के दौरान सूचित अत्याचारों की राज्यवार/सं० शा० क्षे० वार संख्या निम्न प्रकार से थी :—

सारणी-2

क्र० सं०	राज्य/सं० शा० क्षे०	अत्याचार के मामलों की संख्या		
		अ०जा०	अ०ज०जा०	जोड
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	724	123	847
2.	बिहार	926	5	931
3.	गोवा	3	—	3
4.	गुजरात	1,560	304	1,864
5.	हरियाणा	86	—	86
6.	हिमाचल प्रदेश	39	—	39
7.	जम्मू और कश्मीर	25	—	25
8.	कर्नाटक	720	27	747
9.	केरल	703	157	860
10.	मध्य प्रदेश	4,571	1,957	6,528
11.	महाराष्ट्र	751	331	1,082
12.	मणिपुर	—	1	1
13.	उड़ीसा	383	129	512
14.	पंजाब	18	—	18
15.	राजस्थान	2,204	636	2,840
16.	सिक्किम	21	20	41
17.	तमिल नाडु	677	—	677
18.	उत्तर प्रदेश	4,891	—	4,891
19.	पश्चिम बंगाल	15	14	29
20.	चंडीगढ	20	—	20
21.	दादरा और नागर हवेली	—	5	5
22.	दिल्ली	2	—	2
23.	पांडिचेरी	1	1	1
	जोड	18,340	3,709	22,049

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त आंकड़े वास्तविक स्थिति का सही-सही प्रदर्शन नहीं करते। ये केवल वही आंकड़े हैं जिनकी सूचना राज्य सरकारों/सं० शा० क्षे० प्रशासनों द्वारा कल्याण मंत्रालय को भेजी गई थी। अ०जा०/अ०ज०जा० पर वास्तव में किए गए अत्याचारों की संख्या उपरोक्त सारणी में दर्शायी गई संख्या से कहीं अधिक हो सकती है। उदाहरणार्थ, 1992 के दौरान दिल्ली से अत्याचार के केवल दो मामलों की सूचना मिली लेकिन इस वर्ष में आयोग ने अत्याचार के ऐसे 5 मामलों के बारे में कार्यवाही की जो 1992 के दौरान घटित हुए थे। इन पांच मामलों का ब्यौरा यह था : हत्या 3, बलात्कार 1 तथा भा०दं०सं० के अन्य अपराध। यह स्पष्ट है कि अ०जा० /अ०ज०जा० पर हुए अत्याचार के सभी मामले आयोग के ध्यान में नहीं आए।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार

7.16 1991 की तुलना में अनुसूचित जातियों पर 1992 के दौरान हुए अत्याचारों की संख्या में 3.93% की वृद्धि हुई। कई वर्षों से अ०जा० के व्यक्तियों की हत्याओं की बढ़ती हुई संख्या गहरी चिंता का विषय है। 1992 के दौरान अ०जा० के व्यक्तियों पर अत्याचारों के कुल मामलों की संख्या में से 51.6% मामले केवल दो राज्यों मध्य प्रदेश (4,571) और उत्तर प्रदेश (4,891) में होने की सूचना मिली। जिन अन्य राज्यों में अ०जा० पर अत्याचार के 500 से अधिक मामलों की सूचना मिली वे राज्य थे—राजस्थान (2,204), गुजरात (1,560), बिहार (926), महाराष्ट्र (751), आंध्र प्रदेश (724), कर्नाटक (720), केरल (703) और तमिलनाडु (677)।

7.17 राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अ०जा० की कुल आबादी तथा उन पर हुए अत्याचारों की संख्या के बीच परस्पर संबंध उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र में समस्या की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत करता है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्र में अ०जा० की प्रति एक लाख आबादी पर अ०जा० पर हुए अत्याचारों की संख्या अवरोही क्रम में निम्नलिखित सारणी में दी गई है :

सारणी-3

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर 1992 में हुए अत्याचारों की संख्या की दृष्टि से राज्यों की क्रमवार स्थिति

क्र० स०	राज्य/सं० शा० क्षे०	प्रति 1 लाख अ०जा० आबादी पर मामलों की संख्या
1	2.	3
1.	सिक्किम	87.19
2.	गुजरात	50.97
3.	मध्य प्रदेश	47.48
4.	राजस्थान	28.97
5.	केरल	24.35
6.	चण्डीगढ	18.87
7.	उत्तर प्रदेश	16.71
	अखिल भारत	**13.27**
8.	गोवा	12.31
9.	कर्नाटक	9.77
10.	महाराष्ट्र	8.58
11.	उड़ीसा	4.47
12.	बिहार	7.37
13.	आंध्र प्रदेश	6.84
14.	तमिलनाडु	6.32
15.	हिमाचल प्रदेश	2.98
16.	हरियाणा	2.65
17.	पांडिचेरी	0.76
18.	पंजाब	0.31
19.	दिल्ली	0.11
20.	पश्चिम बंगाल	0.09

अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

7.18 1991 की तुलना में, 1992 के दौरान अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों की संख्या में काफी, अर्थात 22.4% की कमी आई। अधिकतम मामलों की सूचना मध्य प्रदेश (1,957), उससे कम राजस्थान (636), महाराष्ट्र (331) और गुजरात (304) से प्राप्त हुई।

7.19 विभिन्न राज्यों/सं० शा० क्षे० में अ०ज०जा० की प्रति एक लाख की आबादी पर अ०ज०जा० पर हुए अत्याचारों की संख्या अवरोही क्रम में निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

सारणी-4

अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर 1992 में हुए अत्याचारों की संख्या की दृष्टि से राज्यों की क्रमवार स्थिति

क्र० सं०	राज्य/सं० शा० क्षे०	प्रति 1 लाख अ०ज०जा० आबादी पर मामलों की संख्या
1	2	3
1.	केरल	48.91
2.	सिक्किम	22.00
3.	मध्य प्रदेश	12.71
4.	राजस्थान	11.62
	अखिल भारत	**5.47**
5.	गुजरात	4.93
6.	दादरा और नागर हवेली	4.57
7.	महाराष्ट्र	4.52
8.	आंध्र प्रदेश	2.93
9.	उड़ीसा	1.83
10.	कर्नाटक	1.41
11.	पश्चिम बंगाल	0.37
12.	मणिपुर	0.16
13.	बिहार	0.08

यह आश्चर्य की बात है कि केरल में साक्षरता की दर सबसे अधिक होने पर भी अ०ज०जा० की प्रति 1 लाख आबादी पर होने वाले अत्याचारों की संख्या उस राज्य में सबसे अधिक (48.91) है।

पी०सी०आर० अधिनियम और पी०ए०ए० के अंतर्गत पंजीकृत मामलों का निपटारा

7.20 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की वर्ष 1991 से संबंधित कल्याण मंत्रालय की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट में उस वर्ष के दौरान अधिनियम के अधीन पंजीकृत मामलों के पुलिस और न्यायालयों द्वारा किए गए निपटारे के बारे में नवीनतम सूचना दी गई है। इस विषय में विवरण संलग्नक 5 और 6 में दिया गया है। इससे प्रकट हुआ है कि 1991 के दौरान मामलों का संतोषजनक निपटारा नहीं हुआ। पुलिस के पास दर्ज 4,280 मामलों में से 791 (18.48%) मामले जांच के बाद बंद कर दिए गए, 2,184 (51%) मामलों में न्यायालयों में चालान पेश किया गया और शेष 1,305 (30.49%) मामलों में वर्ष के अंत तक पुलिस की जांच चल रही थी। मामलों पर विचारण की स्थिति भी इससे अच्छी नहीं थी क्योंकि न्यायालय में दर्ज किए गए 8,029 मामलों में से 6,537 मामलों पर न्यायालयों द्वारा विचारण लम्बित था। 1991 के दौरान न्यायालयों द्वारा 1,492 मामलों का निपटारा किया गया जिनमें से केवल 125 (8%) मामलों में दोषसिद्धि हुई जबकि 92% मामलों में अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया।

7.21 1990 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मामलों के पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटारे से संबंधित सूचना उस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में उस वर्ष के लिए कल्याण मंत्रालय की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है जिसे 25-8-94 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। 1990 में पुलिस के पास दर्ज 3,778 मामलों में से, 632 मामलों (16.73%) को जांच के बाद बंद कर दिया गया और 882 (23.34%) मामले जांच के लिए लम्बित थे। न्यायालयों में 2264 (59.93%) मामलों के बारे में चालान पेश किया गया। न्यायालयों के पास आए 2,602 मामलों में से 2,366 मामलों (90.93%) पर विचारण लम्बित था जबकि 236 मामलों पर न्यायालयों ने निर्णय दे दिया था। न्यायालयों द्वारा निपटाए गए 236 मामलों में से केवल 22 मामलों, (9.3%) में दोष सिद्ध हुआ जबकि 90.7% मामलों में अभियुक्त दोषमुक्त हुए।

7.22 पी०सी०आर०ए० और पी०ए०ए० के अंतर्गत पंजीकृत मामलों का पुलिस द्वारा निपटारा और न्यायालयों द्वारा उन पर विचारण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। पी०सी०आर०ए० के अंतर्गत 1991 के दौरान अत्याचार के 30.49% और 1990 के दौरान 23.34% अत्याचार के मामलों का पुलिस के पास लम्बित रहना व्यथित अ०जा०/अ०ज०जा० पक्ष के हित में नहीं है क्योंकि जांच के दौरान विलम्ब होने से विचारण के दौरान मामले के कमजोर हो जाने की संभावना रहती है। मामलों की जांच और चालान पेश किए जाने में विलम्ब होने के कारण विचारण में विलम्ब होने पर व्यथित व्यक्तियों और गवाहों की मामले में दिलचस्पी न रहने की संभावना रहती है और ठोस साक्ष्य न होने के कारण मामला विचारण के दौरान विफल हो सकता है। पुलिस को जांच के दौरान समुचित सावधानी से काम लेना चाहिए और यदि निम्नतम स्तर पर कोई भूल हुई हो तो उसे कम से कम करने की दृष्टि से, जिन मामलों को एस०एच०ओ० द्वारा जांच के बाद बंद कर दिया गया हो उन मामलों का एस०पी०/ए०एस०पी० द्वारा पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए।

7.23 1991 के दौरान पी०सी०आर०ए० के अंतर्गत मामलों का न्यायालयों में लम्बित मामलों की ऊंची दर (81.4%) और 1990 में अत्याचार के लम्बित मामलों की ऊंची दर (90.93%) गहरी चिंता का विषय है। जैसी पहले चर्चा की जा चुकी है, अत्याचार के मामलों पर अलग से सुनवाई करने के लिए आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में विशेष न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई है और कुछ सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में पदनामित करके अपने सामान्य कर्त्तव्यों के साथ-साथ अत्याचार के मामलों पर भी विचारण करने के लिए अभिहित करने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। अब समय आ

गया है कि मामलों पर शीघ्रता से विचारण और उनका शीघ्रता से निपटारा कराने के लिए, अत्याचार के मामलों पर अनन्य रूप से विचारण करने के लिए सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र विशेष न्यायालयों की स्थापना करें। यह भी बड़े दु:ख की बात है कि पी०सी०आर०ए० और पी०ए०ए० के अंतर्गत जितने मामले न्यायालयों में विचारण के लिए जाते हैं उनमें से 90% मामलों में अभियुक्त दोषमुक्त हो जाते हैं। कोई विशिष्ट अध्ययन उपलब्ध न होने के कारण यह कहना संभव नहीं है कि इस निराशाजनक स्थिति के क्या कारण हैं और कौन सी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, पुलिस द्वारा जांच पूरी करने और न्यायालयों में चालान पेश करने में विलम्ब होने से और न्यायालयों द्वारा विचारण में विलम्ब होने के कारण मामले कमजोर पड़ जाते हैं और मामलों की जो परिणिति होती है उसका यह भी एक कारण हो सकता है। अत:, **आयोग की सिफारिश है कि कल्याण मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से कहे कि मामलों के तुरंत निपटारे के लिए पुलिस और न्यायपालिका के सामने आने वाली समस्याओं के विशेष संदर्भ में पी०सी०आर०ए० और पी०ए०ए० के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए नमूने के तौर पर अध्ययन करवाएं।**

1993-94 के दौरान राष्ट्रीय अ०जा० और अ०ज०जा० आयोग द्वारा किये गए कार्य

7.24 आयोग का अत्याचार और सिविल अधिकार संरक्षण स्कन्ध (ए०पी०सी०आर० विंग) अ०जा० और अ०ज०जा० के सदस्यों के प्रति छुआछूत के व्यवहार और उन पर होने वाले अत्याचारों, बन्धुआ मज्दूर रखने की घटनाओं तथा अ०जा० और अ०ज०जा० को न्यूनतम मजदूरी न दिए जाने की घटनाओं के बारे में कार्यवाही करता है। जो मामले शिकायतों/अभ्यावेदनों के रूप में अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों के द्वारा, या उनके सम्बन्धियों द्वारा भेजे जाने पर; या अ०जा० और अ०ज०जा० की उन्नति के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों तथा संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों द्वारा भेजे जाने पर आयोग के पास आते हैं उनकी आयोग द्वारा जांच की जाती है। अत्याचार और अस्पृश्यता से सम्बन्धित अपराधों की घटनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से भी आयोग के ध्यान में आती हैं। इन मामलों के बारे में तथ्य सम्बन्धी रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारियों से मांगी जाती है। महत्वपूर्ण मामलों में मामले के तथ्यों और स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही--कानूनी कार्यवाही, शान्ति स्थापित करने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई कार्यवाही, आर्थिक राहत देने और पुनर्वास करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही, अत्याचार की घटनाओं को पुन: घटित होने से रोकने आदि के लिए की गई कार्यवाही के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मंगाने के लिए जिला अधिकारियों को वायरलैस से सन्देश भेजे जाते हैं। गम्भीर किस्म के अत्याचार की घटनाओं के मामले में मौके पर जांच करके जांच की रिपोर्ट शीघ्र भेजने के लिए आयोग के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को वायरलैस से सन्देश भेजे जाते हैं। चुनिंदा मामलों में आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अथवा आयोग मुख्यालय के अधिकारी अपराधों के घटनास्थलों पर जाते हैं और विस्तृत जांच करते हैं। स्थानीय प्रशासन और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों और मौके पर की गई जांच की सभी रिपोर्टों की जाच की जाती है और सम्बन्धित अधिकारियों की त्रुटियों/कमियों को तुरन्त उपचारी उपाय करने के लिए, उनके ध्यान में लाया जाता है जिन मामलों पर स्थानीय प्रशासन से कार्यवाही करने के लिए कहा जाता है वे स्थानीय पुलिस द्वारा पंजीकरण करने और जाच करने, न्यायालयों में चालान पेश करने, पी०सी०आर०ए० और पी०ए०ए० की सुसंगत धाराओं को लागू करने, अभियुक्तों को गिरफ्तार करने, पी०सी०आर०ए० और पी०ए०ए० की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अत्याचार पीड़ितों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत की अदायगी करने, उनके लिए पुनर्वास के उपाय करने और सम्बन्धित क्षेत्र में विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए सुरक्षा उपाय करने से सम्बन्धित होते है।

7.25 1993-94 के दौरान, ए०पी०सी०आर० स्कन्ध में 2,394 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 425 शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। दायर की गई 32 शिकायतों पर कोई हस्ताक्षर नहीं थे, 3 में कोई अत्याचार नहीं हुआ था, और 364 शिकायतें आयोग के नाम सम्बोधित नहीं थीं और उन्हें केवल आयोग को पृष्ठांकित किया गया था और 26 मामले विविध विषयों से सम्बन्धित थे जो आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आते। रिपोर्ट के वर्ष के दौरान मौके पर की गई जांच की 44 रिपोर्टों सहित 418 मामलों की कुल 797 शिकायतों पर ए०पी०सी०आर० स्कन्ध ने कार्यवाही की। 17 राज्यों के 418 मामलों का अपराधवार वर्गीकरण संलग्नक 7 में दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि 388 (92.8%) मामले अ०जा० से और 20 मामले (4.8%) अ०ज०जा० से सम्बन्धित थे और 10 मामले (2.4%) सामान्य किस्म के थे जो अ०जा० और अ०ज०जा० दोनों की समस्याओं से सम्बन्धित थे। प्राप्त हुए मामलों में सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश (188) और उससे कम राजस्थान (62), दिल्ली (60), बिहार (22), हरियाणा (21), उड़ीसा (16), मध्य प्रदेश (13) और महाराष्ट्र (10) के थे। जिन नौ राज्यों में प्रत्येक से 10 से कम मामले प्राप्त हुए उनके नाम हैं तमिलनाडु (6), केरल (5), कर्नाटक (4), आन्ध्र प्रदेश (3), गुजरात (2), जम्मू और कश्मीर (2), पश्चिम बंगाल (2), असम (1) और त्रिपुरा (1)।

7.26 इन 418 मामलों का अपराधवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

छुआछूत का व्यवहार	44(10.5%)
हत्या	65(15.6%)
गम्भीर चोट	2(0.5%)
बलात्कार	32(7.6%)
आगजनी	5(1.2%)
भा०दं०सं० के अन्य अपराध	260(62.2%)
विविध	10(2.4%)

यह उल्लेखनीय है कि पी०सी०आर० अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामले उत्तर प्रदेश और दिल्ली के थे। 44 मामलों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

दिल्ली	17	हरियाणा	3
उत्तर प्रदेश	13	उड़ीसा	2
राजस्थान	8	महाराष्ट्र	1

इनमें अधिकांश मामले अ०जा० के व्यक्तियों की जाति का अपमानजनक तरीके से नाम लेकर गाली देने के मामले थे।

7.27 अ०जा० और अ०ज०जा० के व्यथित व्यक्तियों तथा अन्य स्रोतों से आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आने वाले अभ्यावेदनों पर भी सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा कार्यवाही की जाती है और स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क करके अ०जा०/अ०ज०जा० के पीड़ित व्यक्तियों के कष्टों और कठिनाइयों का निवारण करने के भी प्रयत्न किए जाते हैं। (अस्पृश्यता तथा अत्याचार से सम्बन्धित जो मामले 1993-94 के दौरान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त हुए तथा जिन पर कार्यवाही की गई उनका विवरण संलग्नक 8 में दिया गया है।) यह उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा प्राप्त 1.291 मामलों में से 1,072 मामले अ०जा० से सम्बन्धित थे, और 177 मामले अ०ज०जा० से सम्बन्धित थे जबकि 42 मामले अ०जा० और अ०ज०जा० दोनों की समस्याओं से सम्बन्धित थे। क्षेत्रीय कार्यालयों ने कुल 1,273 मामलों में कार्यवाही की और 18 मामलों का निपटारा लम्बित था। कुल मामलों में, 145 मामले पी०सी०आर० अधिनियम से सम्बन्धित थे जिनमें अधिकतम राजस्थान (40) और उससे कम मध्य प्रदेश (38) और तमिलनाडु (22) के थे।

अत्याचार की घटनाओं की मौके पर जांच

7.28 अत्याचार और अस्पृश्यता के अपराधों से सम्बन्धित शिकायतों पर स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क करने के अतिरिक्त, आयोग ने 1993-94 के दौरान अ०जा० ओर अ०ज०जा० पर अत्याचार की 44 विशिष्ट घटनाओं से सम्बन्धित मामलों की मौके पर जांच की। 44 मामलों में से 38 मामले अ०जा० से सम्बन्धित थे जबकि 6 मामलों में अ०ज०जा० के व्यक्ति अत्याचार के शिकार हुए। 44 मामलों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

उत्तर प्रदेश	19	तमिलनाडु	3
उड़ीसा	6	महाराष्ट्र	2
कर्नाटक	4	गुजरात	1
राजस्थान	4	मध्य प्रदेश	1
बिहार	3	दिल्ली	1

6 मामलों में आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों तथा आयोग के मुख्यालय के अधिकारियों ने मौके पर जांच करने के लिए अत्याचार के घटनास्थलों का दौरा किया जबकि 38 मामलों में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जांच की गई।

7.29 अत्याचार के जिन 44 मामलों की जांच आयोग द्वारा की गई उनका अपराधवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

हत्या	22
बलात्कार	6
भा०दं०सं० के अन्तर्गत अन्य अपराध	15
अस्पृश्यता व्यवहार	1

32 मामले व्यक्तियों पर किए गए अत्याचार के थे जबकि 12 मामले ऐसे थे जिनमें सामूहिक अत्याचार किया गया था या अ०जा०/अ०ज०जा० के एक से अधिक व्यक्ति पर अत्याचार किया गया था।

7.30 आयोग द्वारा जिन मामलों पर कार्यवाही की गई और अत्याचार की घटनाओं की मौके पर की गई जांच की जो रिपोर्ट आई उनका पुनर्विलोकन करने से अत्याचार के कारणों, जांच करने और न्यायालयों में चालान पेश करने की तुरन्त कार्यवाही करने में पुलिस की भुमिका, अभियुक्त की गिरफ्तारी, आर्थिक राहत की अदायगी, पीड़ितों और उनके परिवारों के पुनर्वास और मामले से निपटने में पुलिस तथा अन्य अधिकारियों ने कोई भूलें की हों तो उनकी सूक्ष्म जानकारी मिलती है।

अत्याचार के कारण

7.31 अ०जा० और अ०ज०जा० के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों के कारण क्या हैं और उनके लिए कौन-सी शक्तियां जिम्मेदार हैं—यह सुविदित है। ये अत्याचार सामाजिक-आर्थिक कारणों से उपेक्षित समूहों पर किए जाते हैं। गरीबों की सम्पन्न ग़ैर-अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों पर आर्थिक निर्भरता, अस्पृश्यता के प्रचलन से उत्पन्न सामाजिक विभेद, कमजोर से कमजोर वर्ग के लोगों पर आधिपत्य कायम करने की आदिम प्रवृत्ति के कारण अ०जा० और अ०ज०जा० के लोग दुर्बल हो जाते हैं और अत्याचारों के शिकार होते हैं। 1993-94 के दौरान आयोग ने अत्याचार के जिन 418 मामलों में कार्यवाही की उनके कारणों का वर्गीकरण नीचे दी गई सारणी में किया गया है :

सारणी—5

1. अस्पृश्यता और सामाजिक अयोग्यताएं	
(१) जाति के नाम से गाली देना	56
(2) स्कूल में साझे घड़े से पानी न लेने देना	3
(3) आम रास्ते का प्रयोग करने से रोकना	3
(4) अ०जा० के साइकिल सवार का ग़ैर-अ०जा० के व्यक्ति से टकराना	2
(5) सार्वजनिक नल से पानी लेने पर झगड़ा	1
(6) चाय की दुकान में चाय देने से इनकार करना	1
(7) ढोल बजाने का पारम्परिक व्यवसाय करने से इनकार करना	1
(8) अन्तर्जातीय विवाह	1
	68
2. आर्थिक कारण	
(1) भूमि सम्बन्धी विवाद	62
(2) वित्तीय लेन-देन पर विवाद	7

(3) ग़ैर-अ०जा०/अ०ज०जा० मालिकों द्वारा शोषण, वेतन की अदायगी न करना/बेगार और बन्धुआ मजदूरी	7
(4) अ०जा० के व्यक्ति की खड़ी फसल को लूटना/नष्ट करना	4
(5) खेत की सिंचाई के बारे में विवाद	2
(6) फीस अदा न करने पर डाक्टर द्वारा अत्याचार	1
(7) अ०जा० के व्यक्ति की जमीन से पेड़ काटना	1
(8) घास काटने के बारे में विवाद	1
(9) व्यापारिक प्रतिस्पर्धा	1
(10) पैट्रोल पम्प पर जबरन कब्ज़ा करना	1
	87
3. **बलात्कार**	32
4. राजनीतिक कारण	
(1) राजनीतिक प्रतिस्पर्धा	4
(2) अ०जा० के व्यक्तियों को किसी विशेष दल के लिए वोट देने के लिए मजबूर करना	1
	5
5. **विविध कारण**	
(1) अ०जा० के मकान/दुकान को गिराना/उस पर जबरन कब्जा करना	8
(2) चोरी/लूटमार/डकैती के आरोप	6
(3) अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को परेशान करने के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग	6
(4) अ०जा० और उनके पड़ौसियों के बीच पानी की निकासी के बारे में विवाद व अन्य समस्याएं	4
(5) पुरानी व्यक्तिगत दुश्मनी	3
(6) डा० बी०आर० अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने पर झगड़े	3
(7) अ०जा० द्वारा ग़ैर-अ०जा० की महिलाओं को छेड़ने पर ग़ैर-अ०जा० व्यक्तियों द्वारा बदले की कार्यवाही	3
(8) अ०जा० और ग़ैर अ०जा०/अ०ज०जा० के सदस्यों के बीच अवैध सम्बन्ध	3
(9) शराब के नशे में अत्याचार	1
(10) ग़ैर-अ०जा० के विरुद्ध पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पर बदले की कार्यवाही	1
(11) पुलिस द्वारा गोलीबारी	6
(12) पुलिस की ज्यादती के कारण मृत्यु	2
(13) विविध प्रकार के मामले जो अत्याचार के नहीं थे।	10
	56
	170
6. अनिश्चित कारण	

7.32 उल्लेखनीय है कि 170 मामलों में अत्याचार करने के कारण ज्ञात नहीं थे और सम्भव है इनमें से कुछ अत्याचार क्षणिक कारणों से किए गए होंगे। अत्याचार के कारणों के ब्यौरे का सार इस रूप में दिया जा सकता है :

आर्थिक कारण	87(35.1%)
अस्पृश्यता और सामाजिक अयोग्यता	68(27.4%)
बलात्कार	32(12.9%)
राजनीतिक कारण	5(2.0%)
विविध कारण	56(22.6%)

मानवीय गरिमा का घोर उल्लंघन करने के मामले

7.33 यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाल के वर्षों में, कह सकते हैं कि पिछले लगभग 10 वर्षों से, अ०जा०/अ०ज०जा० की स्त्रियों को विवस्त्र करने, अ०जा० और अ०ज०जा० के व्यक्तियों को पेशाब पीने और मानव मल खाने के लिए विवश करने, उनका चेहरा काला करने, उनका सिर मूड़ कर गाव की गलियों में घुमाने आदि तरीकों से मानवीय गरिमा का उल्लंघन करने के अत्याचारों के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे कुछ मामले जो रिपोर्ट के वर्ष में आयोग की जानकारी में आए हैं निम्नलिखित हैं :

(1) ग्राम बौना, पी०एस० धुरपुर, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में 21-1-94 को अन्य पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति की एक स्त्री को विवस्त्र करके नंगा किया गया और गाव में घुमाया गया। अध्यक्ष जांच के लिए घटनास्थल पर गए। यह घटना अ०जा० की स्त्री को विवस्त्र किए जाने से पांच दिन पूर्व उसके खेत से एक अ०पि०व० के लड़के द्वारा मटर चुराने पर उसके पुत्र द्वारा उसे चांटा मारने के परिणामस्वरूप घटी थी। पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी थी कि अभियुक्त ने स्त्री से बदला लेने की धमकी दी थी लेकिन गांव में बढ़ते हुए तनाव को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा कोई समयोचित निवारक कार्यवही नहीं की गई।

(2) ग्राम भगतपुर मिर्जा, पी०एस० कुध फतहगढ़, मुरादाबाद जिला, उत्तर प्रदेश की एक 40 वर्षीय अ०जा० की स्त्री को उस गाव के यादवों ने 11-2-94 को विवस्त्र करके नंगा घुमाया क्योंकि उसके पुत्र के विरुद्ध एक यादव लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप था।

(3) ग्राम पोटगांव, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश के सात आदिवासियों को, गाव के मन्दिर से मूर्ति चुराने के सन्देह में, भारी जुर्माना अदा करने और पेशाब पीने और मल का पानी पीने के लिए विवश किया गया। उनके साथ यह अमानवीय व्यवहार गाव के एक जादूटोना करने वाले व्यक्ति के भड़काने पर गांव के ग़ैर-जनजातीय लोगों ने किया।

(4) कर्नाटक के कोलार जिले के कोटागन हल्ली गाँव के एक अ०जा० के व्यक्ति द्वारा ढोल पीट कर गांव के त्यौहार की तारीख में परिवर्तन की घोषणा करने का परम्परागत कार्य करने से इनकार करने पर उसे गाव के ग़ैर-अ०जा० व्यक्तियों द्वारा 28-1-94 को मारा पीटा गया और अपना ही मल खाने को विवश किया गया।

7.34 अ०जा० और अ०ज०जा० के सदस्यों के साथ किया जाने वाला ऐसा अमानवीय व्यवहार, जो प्रभावशाली गैर-अ०जा०/अ०ज० जातियों द्वारा और प्राय: अन्य पिछड़े वर्गों के कुछ समूहों द्वारा किया जाता है, राष्ट्र के लिए गहरी चिन्ता का विषय है। इन अपराधों के शिकार व्यक्तियों को न केवल शारीरिक यातना दी जाती है वरन् उन्हें ऐसा आघात लगता है जो जीवन भर बना रहता है। सामान्यत: ऐसी घटनाएं अकस्मात नहीं होती वरन् विभिन्न जाति समूहों के बीच छोटी-छोटी बातों पर काफी अर्से से बढ़ रहे तनाव के परिणामस्वरूप होती हैं। **आयोग की सिफारिश है कि पुलिस को प्रारम्भिक अवस्था में ही तनाव को समाप्त करने के लिए तत्काल निवारक कार्यवाही करनी चाहिए। तथापि, जहां भी मानवीय गरिमा के घोर उल्लंघन की ऐसी घटनाएं हों वहां संक्षिप्त विचारण के बाद अभियुक्त को शिक्षात्मक दण्ड देना चाहिए।**

पी०ए०ए० और पी०सी०आर०ए० की उपयुक्त धाराओं को लागू करना

7.35 अत्याचार करने के लिए भा०दं०सं० और पी०सी०आर०ए० में की गई दण्ड की व्यवस्था से अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था पी०ए०ए० में की गई है। अ०जा० और अ०ज०जा० पर अत्याचार करने के दोषी पाए गए अभियुक्तों को पी०सी०आर०ए० और पी०ए०ए० के अन्तर्गत शास्ति से दण्डित कराने के उद्देश्य से आयोग शिकायतों की ध्यानपूर्वक जांच करके पुलिस को यह सुनिश्चत करने की सलाह देता है कि अत्याचार और अस्पृश्यता के अपराध के सभी मामलों पर पी०ए०ए० और पी०सी०आर०ए० की उपयुक्त धाराओं को लागू किया जाए। वर्ष के दौरान 418 में से जिन 306 मामलों में आयोग द्वारा कार्यवाही की गई उनके बारे में यह ज्ञात नहीं हो सका कि क्या पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध इन मामलों का पंजीकरण करते समय उपयुक्त धाराओं को लागू किया था क्योंकि सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के उत्तरों की प्रतीक्षा थी। शेष 112 मामलों में से, केवल 49 (43.75%) मामलों में पी०ए०ए० और पी०सी० आर०ए० की उपयुक्त धाराओ को लागू किया गया। शेष मामलों में या तो इन दोनों की उपयुक्त धाराओं को लागू नहीं किया गया या पुलिस द्वारा गलत धाराओं को लागू किया गया। इससे पता चलता है कि या तो स्थानीय पुलिस को उपरोक्त दोनों विधानों की पूरी जानकारी नहीं है या वे जांच के बाद मामलों का सावधानीपूर्वक परीक्षण नहीं करते। जाच करने के बाद मामलों में और संगत धाराओं को शामिल नहीं करते। पी०ए०ए० अभी हाल ही में बनाया गया विधान है और पुलिस समेत अनेक सरकारी कर्मचारी उसके उपबन्धों से पूर्णत: या अंशत: अवगत नहीं है। **इस अधिनियम के उपबन्धों को समुचित तरीके से लागू करने के लिए आयोग की सिफारिश है कि इस विषय में स्थिति ज्ञान पाठ्यक्रम आयोजित करके पुलिस अधिकारियों को, विशेषकर थानाध्यक्षों को प्रशिक्षण देना चाहिए।** पी०ए०ए० को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित करवाये जाने की आवश्यकता है और न केवल पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों बल्कि सामान्य जनसंख्या के बीच कानून के बारे में जानकारी देने के लिए व्यापक रूप से इसे परिचालित किया जाए।

आर्थिक राहत और पुनर्वास उपाय

7.36 पी०ए०ए० की धारा 21(III) में अत्याचार के पीड़ित अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास करने का प्रावधान है। शारीरिक दृष्टि से कमाने के लिए सक्षम सदस्य की मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अक्षम होने, उनके मकान, फसलों, पशुधन अथवा अन्य सम्पत्ति का नाश होने और उनका सामाजिक बहिष्कार किए जाने से अ०जा०/अ०ज०जा० के परिवारों की आर्थिक स्थिति को बड़ा आघात लगता है। सुरक्षा और पुलिस के संरक्षण के अलावा उन्हें जीवित रहने के लिए आर्थिक सहायता की अत्यन्त आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से पी०ए०ए० के इस महत्वपूर्ण उपबन्ध का कार्यकरण पर्याप्त सन्तोषजनक नहीं रहा है। जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने अत्याचार के शिकार अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को आर्थिक राहत देने और उनके पुनर्वास के उपाय करने की कोई योजना बनाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की है। शेष राज्यों में भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में आर्थिक राहत की पुरानी दरों को संशोधित नहीं किया गया है और आर्थिक राहत की वर्तमान दर इतनी कम है कि उससे प्रभावित परिवारों की क्षतिपूर्ति नहीं होती। केरल में बलात्कार की शिकार अनु०जाति/अनु०जनजाति को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान नहीं है। अन्ततः जब अत्याचार के पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता या उन्हें राहत देने में असामान्य विलम्ब होता है तो योजना का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता। उपरोक्त 418 मामलों का पुनर्विलोकन करने से पता चलता है कि 120 मामलों में अत्याचार के पीड़ित व्यक्ति आर्थिक राहत के पात्र थे। लेकिन इनमें से 67 मामलों में आर्थिक राहत अदा करने की स्थिति के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। 53 मामलों में से 33 मामलों में आर्थिक राहत मंजूर किए जाने पर भी 20 मामलों में पीड़ितों को उसकी अदायगी नहीं की गई थी। 67 मामलों के बारे में स्थिति नहीं मालूम थी जबकि 23 मामलों में से 15 मामलों में अत्याचार के पीड़ितों या उनके परिवारों के कष्ट दूर करने के लिए पुनर्वास के कोई उपाय नहीं किए गए थे।

7.37 आर्थिक राहत अदा न किए जाने और पुनर्वास की सुविधाएं न दिए जाने, ऐसी सुविधाएं मंजूर करने और प्रदान करने में विलम्ब होने और अपर्याप्त राहत दिए जाने से पी०ए०ए० का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता। आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में अत्याचार के पीड़ित अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों के लिए तत्काल आर्थिक राहत की मंजूरी दिए जाने और पुनर्वास के उपाय किए जाने का आग्रह किया था और यह भी आग्रह किया था कि विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के लिए दी जाने वाली राहत की दर में वृद्धि की जाए जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है. आयोग ने सिफारिश की थी कि अत्याचार के मामलों में अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्ति की मृत्यु होने, या कमाने वाले सदस्य अथवा कमाने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति के स्थायी रूप से अक्षम होने पर प्रभावित परिवार को कम से कम 1 लाख रुपए की आर्थिक राहत दी जाए। यहां उसी सिफारिश की पुष्टि की जाती है।

पुलिस की भूमिका

7.38 अ०जा०/अ०ज०जा० के विरुद्ध अत्याचारों की घटनाओं को रोकने और अत्याचार से प्रभावित क्षेत्र में तत्काल कार्यवाही करके शान्ति स्थापित करने में सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर पुलिस की मुख्य भूमिका होती है। पुलिस विधि व्यवस्था कायम करने के लिए जिम्मेदार है जिससे अत्याचार की घटनाओं को रोका जा सकता है और अत्याचार की घटना घटित होने के बाद पीड़ितों के जान-माल की रक्षा के लिए, अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए, मामले की तुरन्त जांच करके चालान पेश करने के लिए पुलिस को लगाया जाता है ताकि दोषी व्यक्ति दण्डित होने से न बच पाएं। दुर्भाग्यवश अ०जा० और अ०ज०जा० के प्रति होने वाले अत्याचार के मामलों में पुलिस की भूमिका बेदाग नहीं रही है। जिन मामलों में आयोग ने कार्यवाही की है और मौके पर जांच की है उनसे पता चलता है कि अत्याचार करने के कुछ मामलों में पुलिस की सीधी अन्तर्ग्रस्तता होती है और अनेक मामलों में उनकी लापरवाही के कारण अ०जा० और अ०ज०जा० के विरुद्ध अत्याचार की घटनाएं घटित होती हैं। उपरोक्त 418 मामलों में से 75 मामलों (17.94%) में पुलिस की कमियां सामने आईं जबकि 2 मामलों में अत्याचार के मामलों में कार्यवाही करने में पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन दोनों ने लापरवाही की। पुलिस की बजाए स्थानीय अधिकारियों द्वारा 8 मामलों में भूलचूक किए जाने का तथ्य प्रकट हुआ। अ०जा० और अ०ज०जा० पर हुए अत्याचारों में पुलिस की अन्तर्ग्रस्तता के मामलों में निम्नलिखित मामले शामिल थे :—

पुलिस हिरासत में मृत्यु	2
पुलिस की गोली से मृत्यु	2
पुलिस द्वारा पीछा करने से मृत्यु	1
पुलिस हिरासत में यातना	3
पुलिस द्वारा बलात्कार	3
पुलिस द्वारा परेशान/ज्यादती करने के अन्य मामले	38
पुलिस की अन्तर्ग्रस्तता/लापरवाही जिसके परिणामस्वरूप अत्याचार हुए	3
	52

शेष 23 मामलों में पुलिस की भूल चूक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने, अभियुक्त को गिरफ्तार न करने और अत्याचार के पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान न करने से सम्बन्धित थी।

7.39 ऐसे कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है जिनमें अत्याचार के मामलों में पुलिस की अन्तर्ग्रस्तता/लापरवाही दिखाई दी :

(1) 20-2-94 को एक अ०जा० के युवा की पुलिस की पिटाई के कारण थाना सराय, वैशाली जिला, बिहार में मृत्यु हो गई।

(2) 12-9-93 को पुलिस की पूछताछ के दौरान थाना कालावाइ, उत्तरी अरकोट ज़िला, तमिलनाडु में एक अ०जा० के व्यक्ति की मृत्यु हो गई।

(3) थाना करारी, ज़िला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 20-1-94 को एक ट्रक पर गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप एक अ०जा० के व्यक्ति की मृत्यु हो गई।

(4) 30-3-94 को शास्त्री नगर, ज़िला मेरठ, उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एक भीड़ का पीछा करके उस पर गोली-बारी की जिसके परिणामस्वरूप अ०जा० के दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

(5) पायनियर में 17-6-93 को छपे एक समाचार के अनुसार मनीबेली ग्राम, ज़िला धूले, महाराष्ट्र के जनजाति के व्यक्तियों के नर्मदा बचाओ आन्दोलन में भाग लेने के कारण पुलिस ने उन पर आक्रमण किया और कथित रूप से 16-4-92 को दो जनजातीय महिलाओं के साथ उस समय बलात्कार किया जब वे पुलिस के आक्रमण से बचने के लिए अपने बच्चों के साथ भाग रही थीं।

(6) 14-7-93 के हिन्दी दैनिक जनसत्ता में एक अ०जा० की स्त्री के बारे में रिपोर्ट छपी जिसे थाना त्रिवेनीगंज, जिला सहरसा, बिहार में तीन दिन तक बन्दी बनाकर रखा गया और पुलिस द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। यह मामला 9-7-93 को बिहार विधान सभा में उठाया गया और मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि गृह आयुक्त द्वारा मामले की जांच की जाएगी।

(7) 2-8-93 के इंडियन एक्सप्रेस में यह समाचार छपा कि एक आदिवासी लड़की ने, जिसके साथ बिहार में जमशेदपुर के कदमा थाना के ए०एस०आई० ने कथित रूप से बलात्कार किया था, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने उस समय आत्महत्या करने का प्रयत्न किया जब पुलिस ने इस मामले में उसकी एफ०आई०आर० दर्ज करने से इनकार कर दिया।

(8) तमिलनाडु में जिला कामराजार के राजपलायम नगर में जातीय झगड़े हुए जिसके परिणामस्वरूप एक अ०जा० के व्यक्ति तथा एक ग़ैर-अ०जा० के व्यक्ति की मृत्यु हो गई और सम्पत्ति तथा फसलें नष्ट हो गईं। यह 24-5-93 को घटी एक छोटी-सी घटना के परिणामस्वरूप हुआ जिसमें अपने सिर पर लकड़ी ले जा रहे एक ग़ैर-अ०जा० व्यक्ति ने सड़क के किनारे खड़े अ०जा० लड़के के टक्कर मार दी। ग्राम में तनाव बढ़ गया और 26-5-93 को एक अ०जा० के व्यक्ति ने एक ग़ैर-अ०जा० के व्यक्ति की छुरा मार कर हत्या कर दी। बदले की कार्यवाही करके 28-5-93 को एक ग़ैर-अ०जा० के व्यक्ति ने एक अ०जा० के व्यक्ति को छुरे से घायल कर दिया और वह घायल व्यक्ति अस्पताल ले जाते समय मर गया। यद्यपि पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि ग्राम में अ०जा० और ग़ैर-अ०जा० के बीच तनाव बढ़ रहा है, उन्होंने तनाव को कम करने के लिए कोई एहतियाती उपाय नहीं किया। यदि 24-5-93 की घटना के बाद पुलिस तुरन्त कार्यवाही करती तो इन दो व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती थी।

(9) बदनवलु ग्राम, तालुक नंजानगुड, जिला मैसूर, कर्नाटक में हुई एक ऐसी ही घटना में पुलिस द्वारा सुरक्षा न देने के परिणामस्वरूप 25-3-93 को तीन अ०जा० के व्यक्तियों की हत्या हो गई। इस घटना का कारण यह था कि अ०जा० के निवासियों ने 2-2-93 को सिद्वेश्वरी मन्दिर में प्रवेश करने की मांग की थी जिसे लिंगायत युवाओं ने पसंद नहीं किया। यद्यपि अ०जा० के व्यक्तियों ने पुलिस से इस मामले को सुलझाने को कहा था लेकिन पुलिस ने समय पर कोई कार्यवाही नहीं की।

(10) पैट-आमापुर ग्राम, थाना शोलापुर, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक में 7-12-93 को जातीय संघर्ष में एक अ०जा० व्यक्ति की हत्या हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ है कि स्थानीय पुलिस एहतियाती उपाय करने की अनिच्छुक रहती है। इस घटना का कारण यह था कि 30-10-93 को होलेया (अ०जा०) ने एक गैर-अ०जा० महिला के शव को दफनाने के लिए कब्र खोदने का पारम्परिक काम करने से इनकार कर दिया जिससे गैर-अ०जा० व्यक्ति क्रुद्ध हो गए। यदि पुलिस ने इस मामले को निपटाने के लिए कार्यवाही की होती तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटती।

(11) कुडाला हंगार्गी ग्राम, थाना आलन्द, ज़िला गुलबर्गा, कर्नाटक में होलेयाओं (अ०जा०) और लिंगायतों के बीच लम्बे अर्से से चली आ रही दुश्मनी के कारण 24-11-93 को बडे पैमाने पर आगजनी हुई और संघर्ष हुए। झगड़े इस बहाने से हुए कि एक अ०जा० के व्यक्ति ने गैर-अ०जा० के लारी ड्राईवर के लिए रास्ता नहीं छोड़ा पुलिस ने कोई एहतियाती कार्यवाही नहीं की।

(12) हगर-गुंडागी ग्राम, थाना फरथाबाद, ज़िला गुलबर्गा, कर्नाटक में एक अ०ज०जा० चाय-खाने के मालिक द्वारा अ०जा० के व्यक्तियों को चाय परोसने में विलम्ब करने के कारण जातीय संघर्ष हुए और आगजनी हुई। पुलिस ने कोई निवारक कार्यवाही नहीं की।

(13) कलन्दपुर ग्राम, थाना मारवी, ज़िला उन्नाव, उत्तर प्रदेश की गुमशुदा अ०जा० लड़की को खोजने में पुलिस द्वारा विलम्ब करने के परिणामस्वरूप 25-2-94 को उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई।

(14) गौरीपाड़ा ग्राम, थाना धनारी, ज़िला बदायूं, उत्तर प्रदेश में यादवों (ग़ैर-अ०जा०) ने ग्राम के अ०जा० लोगों पर 28-1-94 को आक्रमण किया और उनकी सम्पत्ति को लूटा। पुलिस खामोश रहकर तमाशा देखती रही।

7.40 प्रायः यह भी देखा गया है कि पुलिस अत्याचार करने वाले गैर-अ०जा० व्यक्तियों द्वारा किए गए अत्याचारों का समर्थन करती है जैसा कि निम्नलिखित घटनाओं से प्रकट होता है :

(1) बारा ग्राम, थाना नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में 18-1-94 को कुर्मियों (ग़ैर-अ०जा०) ने एक अ०जा० व्यक्ति पर आक्रमण किया और उसके मुख पर पेशाब किया। एफ०आई०आर० दर्ज करने और व्यथित व्यक्ति की सहायता करने के बजाए पुलिस ने कोई भी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और बाद में धमकी देकर उससे समझौता करवा दिया। जब एस०एस०पी०, बरेली से कहा गया तब पी०ए०ए० की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई।

(2) झंडापुर ग्राम, थाना लिंक रोड, जिला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश के एक अ०जा० निवासी को ग्राम के कुछ ग़ैर-अ०जा० निवासियों द्वारा 21-2-91 को अपने मकान से जबरन बेदखल किया गया। यद्यपि व्यथित अ०जा० के व्यक्ति ने इस मामले की पुलिस में और जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट की और गाज़ियाबाद के सिविल न्यायालय ने अ०जा० के व्यक्ति को उसके घर से निकाले जाने से रोकने का आदेश जारी कर दिया लेकिन अभियुक्त गैर-आ०जा० के व्यक्तियों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और अ०जा० व्यक्ति को उसके मकान से बेदखल करके और 6-2-91 को उसका मकान गिरा कर उस जमीन पर मकानों और दुकानों का निर्माण कर लिया। पुलिस ने अ०जा० के व्यक्ति को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की और ग़ैर-अ०जा० के कहने पर उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए। डी०एस०पी० (सी०आई०डी०) ने इस मामले में जांच की और यह निर्णय दिया कि एस०एच०ओ० ने अपने कर्त्तव्य की अवहेलना की। व्यथित व्यक्ति ने 20-4-93 को आयोग के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अपने मामले के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया। मौके पर जांच करने के बाद इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार से सम्पर्क किया गया और यह कहा गया कि पीड़ित व्यक्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए उसे आर्थिक राहत दी जाए और दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध पी०ए०ए० के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।

(3) उत्तर प्रदेश में फतेहपुर की सदर कोतवाली के अन्तर्गत ग्राम चौफेरवा में अ०जा० के दो व्यक्तियों की, जो पिता-पुत्र थे, राजनीतिक दुश्मनी और भूमि सम्बन्धी विवाद के कारण कुछ यादवों (ग़ैर-अ०जा०) ने हत्या कर दी और दोषियों ने उनके शवों को उनके घर में रखकर उनमें आग लगा दी। स्थानीय पुलिस ने इस मामले पर आग लगने की घटना के तौर पर कार्यवाही की और एफ०आई०आर० में से मुख्य अभियुक्त का नाम निकाल दिया।

(4) खिलावन पुर ग्राम, थाना बिंदकी, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में एक अ०जा० व्यक्ति की उसके मालिक द्वारा इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने चारा काटने की मशीन और भैंस खरीदने के लिए मृत व्यक्ति के नाम से कर्जा लिया था। यद्यपि मृत व्यक्ति के पिता ने तीन शिकायतें दायर कीं लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। इसके विपरीत, पुलिस ने अभियुक्त का समर्थन किया जबकि वह काफी अरसे से अपराध करता रहा था और एक झूठी एफ०आई०आर० दर्ज करके उसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम शामिल कर दिये जो मामले में अन्तर्ग्रस्त नहीं थे। बाद में मामले की जांच की गई और अन्तिम रिपोर्ट पेश की गई जिसमें आरोपों को गलत बताया गया।

7.41 **अत्याचार के मामलों में पी०ए०ए० की समुचित धाराएं** लागू न करना यह प्रदर्शित करता है कि इन मामलों में पुलिस लापरवाही से कार्यवाही करती है। उपरोक्त पैरा 35 में इस विषय में उल्लेख किया गया है। 112 मामलों में से पुलिस ने केवल 47 मामलों (41.96%) में पी०ए०ए० की धाराओं को लागू किया। दो मामलों में ये धाराएं तभी लागू की गई जब आयोग ने पुलिस के साथ मामले को उठाया। 63 मामलों (56.25%) में पुलिस ने पी०ए०ए० की समुचित धाराएं लागू न करने की भूल की।

7.42 आयोग ने अपनी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट में पी०ए०ए० के प्रभावी कार्यान्वयन और अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए अनेक सिफारिशें की थीं। ये सिफारिशें अभी भी गृहणीय हैं और उनके अभिप्राय को लागू किया जाना चाहिए ताकि अत्याचार की घटनाओं को बड़ी सीमा तक कम किया जा सके, अत्याचार पीड़ितों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें राहत और पुनर्वास की सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जा सकें, अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही और न्यायिक कार्यवाही शीघ्रता से की जा सके और अत्याचार की सम्भावनाओं वाले क्षेत्रों में एहतियाती उपाय किए जा सकें। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं कि अ०जा० और अ०ज०जा० के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास से उनका विभिन्न प्रकार के शोषण और अत्याचारों से बचाव होगा। आयोग इस बात पर भी जोर देता है कि अ०जा० और अ०ज०जा० के हित में अत्याचार का विषय गृह मंत्रालय को सौंपने के बारे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के प्रयोजन के लिए नियुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिश को अविलम्ब कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

1993-94 के दौरान अत्याचार के महत्वपूर्ण मामलों में आयोग द्वारा की गई जांच पर संक्षिप्त टिप्पणियां

1. बदनवालू ग्राम, थाना ननजांगुड (ग्रामीण), जिला मैसूर, कर्नाटक में एक सामूहिक झगड़े में 25-3-94 को तीन अ०जा० व्यक्तियों की हत्या

आयोग के बेंगलूर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने बदनवालू ग्राम, थाना ननजांगुड (ग्रामीण), जिला मैसूर में लिंगायत युवाओं द्वारा तीन अ०जा० व्यक्तियों की हत्या की घटना के बारे में 29/30-3-94 को मौके पर जांच की। यह घटना 25-3-1994 को अ०जा० व्यक्तियों द्वारा एक निजी सिद्धेश्वर मन्दिर में प्रवेश करने के कारण हुई।

बदनवालू ग्राम में लिंगायतों के 200 परिवार हैं और गैर-अ०जा० में उनके समुदाय का सबसे अधिक प्रभाव है, उनके बाद आदि कर्नाटक (अ०जा०) जाति के लगभग 150 परिवार हैं। लिंगायत भली प्रकार शिक्षित नहीं हैं और अधिकांश कृषक हैं जबकि आदि कर्नाटक (अ०जा०) शैक्षिक दृष्टि से उन्नत हैं और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में अच्छे पदों पर कार्य करते हैं। ग्राम में अस्पृश्यता की प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित है। लिंगायतों ने 30-1-94 को उद्घाटन समारोह के अवसर पर अ०जा० के ग्रामवासियों को सिद्धेश्वर मन्दिर में प्रवेश नहीं करने दिया। पुलिस के हस्तक्षेप पर अ०जा० सहित सभी समुदायों के कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ही मन्दिर में प्रवेश की अनुमति दी गई। आगे भी 26-3-94 को होने वाले उगाडी (कर्नाटक नव वर्ष) के अवसर पर प्रवेश में बाधा डाले जाने की आशका से अ०जा० ने 26-3-94 को मन्दिर में उनके प्रवेश के परिणामस्वरूप अप्रिय घटना होने की हालत में पुलिस सुरक्षा दिए जाने के लिए पुलिस थाने में एक शिकायत दायर की।

लिंगायत युवा मन्दिर में अ०जा० को प्रवेश दिए जाने के पक्ष में नहीं थे और 25-3-94 को जब 15 अ०जा० के व्यक्ति एक पड़ौस के गांव से क्रिकेट का मैच देखकर लौट रहे थे तब उन्होंने उनसे बदला लिया। उन्होंने अ०जा० के व्यक्तियों पर घातक हथियारों से हमला किया। अ०जा० के दो व्यक्ति घटनास्थल पर मर गए तथा एक अन्य की मृत्यु अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हो गई।

अभियुक्तों के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया लेकिन पी०ए०ए० 1989 की धारा 3(2)(v) और पी०सी० आर०ए०, 1955 की धारा 7 इस मामले में लागू नहीं की गई। जिन 36 अभियुक्तों की पहचान की गई थी उनमें से केवल 20 को गिरफ्तार किया जा सका। कर्नाटक के मुख्य मंत्री और समाज कल्याण मंत्री 29-3-94 को उस स्थान पर गए और घटना की सी०बी०आई० द्वारा जांच किए जाने के लिए सहमत हो गए। ननजांगुड में पुलिस के सर्किल इन्सपैक्टर को निलम्बित कर दिया गया।

तीन मृतकों में प्रत्येक के सम्बन्धियों को 1 लाख रु० की आर्थिक राहत दी गई तथा गम्भीर रूप से घायल तीन व्यक्तियों में प्रत्येक को 15,000/-रु० दिए गए। स्थानीय प्रशासन ने पुनर्वास के कोई उपाय नहीं किए।

कर्नाटक सरकार के गृह सचिव को अर्धसरकारी पत्र लिखकर आयोग को यह सूचित करने को कहा गया कि मामला सी०बी०आई० को सौंपने तथा सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने तथा विलम्ब से बचने के लिए उनका विचारण विशेष न्यायालय में करने, पी०ए०ए० 1989 और पी०सी०आर०ए० 1955 के समुचित उपबन्धों को लागू करने, मृतकों के परिवारों के लिए पुनर्वास के उपाय करने तथा अस्पृश्यता की कुप्रथा का उन्मूलन करने के लिए प्रभावी उपाय करने के बारे में राज्य सरकार का क्या निर्णय था।

2. गौरीपुरा ग्राम, थाना धनारी, ज़िला बदायूं, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर 28-1-94 को हुआ सामूहिक अत्याचार

गौरीपुरा ग्राम में 28-1-94 को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर हुए सामूहिक अत्याचार की घटना की खबर 1-2 फरवरी 1994 के विभिन्न समाचार पत्रों में छपी थी। मौके पर जांच करने के लिए आयोग के अध्यक्ष श्री राम धन और आयोग की सदस्या डा० सरोजिनी महिषी ने 3-2-1994 को गांव का दौरा किया।

गौरीपूरा में केवल अनुसूचित जातियों (जाटवों) की आबादी है। गांव के चारों ओर जो गांव हैं उनमें यादवों का बाहुल्य है। गौरीपुरा में 28-1-94 को हुई लूटमार और आगजनी की घटना अ०जा० और यादवों के बीच पहले दो बार हुए झगड़ों का परिणाम था। 28-1-1994 की घटना से तीन महीने पहले गौरीपुरा का पोपी नामक जाटव युवक साईकिल पर धनारी जा रहा था तब उसकी टक्कर चार गैर-अ०जा० के व्यक्तियों से हो गई। उन लोगों ने पोपी

को पीटा और बदले की कार्यवाही में गौरीपुरा के अ०जा० के कुछ व्यक्तियों ने चारों युवाओं को पीटा। इससे पड़ौस के गांवों के गैर अ०जा० और यादव क्रोधित हो गए और गौरीपुरा में जमा हो गए। वे 20-22 ट्रैक्टरों में हथियारों से लैस होकर आए। एक पुलिसकर्मी द्वारा हस्तक्षेप करने और घटना के लिए अ०जा० के व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना करने पर तनाव समाप्त हुआ।

एक अन्य घटना में चांदपुरा गांव के काछी समुदाय के चार हथियारबन्द व्यक्तियों ने 4-1-94 को गौरीपुरा में छापा मारा और चार जाटवों के मकानों को लूटा। आक्रमणकारियों द्वारा गोली चलाने से अ०जा० के दो व्यक्ति घायल हो गए। अभियुक्तों ने पहले एक लड़की से छेड़छाड़ करने का प्रयत्न किया जिस पर अत्याचार के शिकार दो व्यक्तियों ने आपत्ति की थी ओर आक्रमणकारियों ने उनके घरों को लूटकर इस बात का बदला लिया।

अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया लेकिन किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। गश्त पर तैनात दो पुलिसकर्मियों को गांव वालों ने गश्त लगाते हुए कभी नहीं देखा।

28-1-94 की रात को हुई घटना में बदायूं और मुरादाबाद के पड़ौस के गांवों के लगभग 30 यादवों ने गौरीपुरा पर आक्रमण किया। उन्होंने अ०जा० के व्यक्तियों के मकानों से सामान लूटा और मकानों को क्षतिग्रस्त किया। 29-1-94 को प्रात: 5.30 बजे धनारी पुलिस स्टेशन में आई०पी०सी० और पी०ए०ए० की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया। जिन 13 अभियुक्तों के नाम का उल्लेख था उनमें से 12 को गिरफ्तार किया गया। गांव में एक अस्थाई पुलिस चौकी कायम करने के आदेश दिए गए।

प्रभावित हुए 50 व्यक्तियों को 65,000 रु० की आर्थिक राहत दी गई और इस बात को देखते हुए कि नुकसान बहुत अधिक हुआ था, जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि सम्पत्ति के मुआवजे की 2,000 रु० की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया जए। यह मामला स्पष्टत: पुलिस की लापरवाही का है। एक के बाद एक घटित होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए यदि समुचित कार्यवही की गई होती तो 28-1-94 की घटना नहीं घटती।

जिन पुलिसकर्मियों को गश्त लगाने की ड्यूटी दी गई थी वे घटना के समय मौजूद नहीं थे और अग्निशमन कर्मचारी भी उस स्थान पर नहीं पहुंचे। पीड़ितों द्वारा शिकायत दर्ज करने पर भी एस०एच०ओ० तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस ने घायल व्यक्तियों की डाक्टरी जाच भी नहीं कराई।

अध्यक्ष ने उ०प्र० के मुख्य मंत्री को पुलिस की गलतियों के बारे में एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा और यह आग्रह किया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध पी०ए०ए० की धाराओं के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। मुख्य मंत्री से अ०जा० के पीड़ितों को समुचित मुआवजा देने तथा गौरीपुरा गांव के समेकित विकास के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किए जाने की भी प्रार्थना की।

3. कुचील ग्राम, थाना किशनगढ़, ज़िला अजमेर, राजस्थान की 16 वर्षीय अ०जा० की लड़की के साथ बलात्कार

रायगढ़ युवा शक्ति संगठन, नई दिल्ली ने ग्राम कुचील, थाना किशनगढ़, जिला अजमेर की अ०जा० की लड़की के साथ कथित बलात्कार और उसकी हत्या के बारे में आयोग को अभ्यावेदन दिया। आयोग के जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मौके पर की गई जाच से पता चला कि कुमारी सुशीला (16), पुत्री श्री नाथू राम (अ०जा०) जब 17-8-93 को मवेशी चराने के लिए खेत में गई तब गांव के एक मुस्लिम युवक ने उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। उसका शव 18-8-93 को खेत में पड़ा मिला। अभियुक्त ने जुर्म करना स्वीकार कर लिया। उसे गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध आई०पी०सी० की समुचित धाराओं और पी०ए०ए० की गलत धारा 3(1)(5) के अन्तर्गत, जिसके बजाए धारा 3(2)(v) होनी चाहिए थी, मामला दर्ज किया गया। मृतक के माता-पिता को 10,000 रु० की आर्थिक राहत दी गई और उनके लिए पुलिस गार्ड की व्यवस्था की गई।

आयोग ने जिला पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस मामले में धारा 3(2)(v), 3(1)(xi) और 3(1)(xii) को लागू करें।

4. 20-1-94 को पुलिस की गोली-बारी में बैरागीपुर ग्राम, थाना सराय आकिल, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के एक अ०जा० व्यक्ति की मृत्यु

जब इस आयोग के अध्यक्ष 1-2-94 को एक अ०जा० की स्त्री को नंगा करके घुमाने की घटना की जांच के सिलसिले में दौनापुर गांव गए तो उनकी जानकारी में पुलिस की गोली से एक अ०जा० के व्यक्ति के मारे जाने की घटना आई। आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय द्वारा मौके पर जांच की गई।

यह घटना 20-1-94 को घटी जब थाना कराड़ी की पुलिस ने एक ट्रक पर उस समय गोली चलाई जब मुखमपुर ग्राम में उस पर आलू लादा जा रहा था। पुलिस ने इस सन्देह में गोली चलाई कि पड़ौस के एक गांव में डकैती और गोलीबारी के जुर्म में अन्तर्ग्रस्त डाकू उस ट्रक में छिपे थे। ट्रक में आलू लादने के काम में लगे निर्दोष मजदूरों के चिल्लाने पर भी, सच्चाई का पता लगाए बिना, पुलिस ने गोली चला दी जिससे एक अ०जा० के व्यक्ति की मृत्यु हो गई और तीन व्यक्ति घायल हुए जिनमें एक अ०जा० का व्यक्ति था।

मृत व्यक्ति की विधवा के लिए जिला प्रशासन द्वारा 10,000/- रु० तथा एस०पी० (ग्रामीण) इलाहाबाद द्वारा 1,500/- रु० का आर्थिक मुआवजा मंजूर किया गया। ग्राम सभा की दो बीघा जमीन भी उसे आवंटित की गई और मृतक के परिवार के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत एक मकान का निर्माण भी किया जा रहा था।

क्योंकि यह अपराध पुलिस ने किया था, इसलिए गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने तथा उनके विरुद्ध आई०पी०सी० की उपर्युक्त धाराओं और पी०ए०ए० की 3(1)(x), 3(2)(v) और 4 धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने को लिखा गया।

5. खिलावनपुर-ग्राम, थाना-बिंदकी, जिला-फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के कुर्मियों द्वारा 24-12-93 को पांच अ०जा० के व्यक्तियों की हत्या तथा आठ अन्य व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल किया जाना

अ०जा० के पांच व्यक्तियों की हत्या और खिलावनपुर ग्राम की कंजर बस्ती पर आक्रमण और बस्ती में आग लगाए जाने की घटना का समाचार विभिन्न समाचार पत्रों में छपा जिससे आयोग को क्षोभ हुआ। अध्यक्ष श्री राम धन और आयोग के सदस्यों डा० सरोजिनी महिषी तथा चौ० हरि सिंह द्वारा 29-12-93 को मौके पर संयुक्त रूप से जांच की गई।

घटना का कारण कंजरों (अ०जा०) और कुर्मियों (गैर-अ०जा०) के बीच पुरानी दुश्मनी और एक कंजर और कुर्मी के बीच शराब के नशे में हुआ मामूली झगड़ा था। राम किशोर नामक एक कुर्मी ने श्याम लाल (अ०जा०) के साथ दुर्व्यवहार किया और बदला लेने के उद्देश्य से श्याम लाल के परिवार के सदस्य राम किशोर के मकान पर गए और उसकी स्त्री तथा पुत्री के साथ दुर्व्यवहार किया। इससे कुर्मी क्रोधित हो गए और पड़ौस के गांवों के कुर्मियों ने 24-12-93 को कंजरों पर आक्रमण कर दिया। उनके घरों को लूटा गया और उनमें आग लगा दी गई। बचने के लिए भागते हुए चार कंजर पुरुषों और दो स्त्रियों की पकड़कर हत्या कर दी गई। यद्यपि बिंदकी पुलिस स्टेशन का थानाधिकारी 23-12-93 को गांव में गया था और उसे गांव में बढ़ते हुए तनाव के बारे में जानकारी थी लेकिन उसने अप्रिय घटना को रोकने के लिए उपाय करने के उद्देश्य से इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को कोई रिपोर्ट नहीं दी। अपराधों को रोकने के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी समय पर कोई कार्यवाही नहीं की।

कुर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया और 25-12-93 तक 89 अभियुक्तों में से 51 को गिरफ्तार किया गया। मुख्य अभियुक्त 29-12-93 तक स्वतंत्र था। प्रत्येक मृतक के सम्बन्धी को 1 लाख रु० दिए गए। गम्भीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5,000 रु० और जो गम्भीर रूप से घायल नहीं थे उनके लिए 2,500 रु० प्रति व्यक्ति मंजूर किए गए।

आयोग के अध्यक्ष ने राज्य सरकार के विशेष जांच प्रकोष्ठ द्वारा मामले की जांच कराने और दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उनकी गलती के लिए पी०ए०ए० की धारा 4 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा।

6. मोमासर ग्राम, तहसील डूंगरगढ़, जिला चूरू, राजस्थान के अ०जा० व्यक्ति की 18-11-93 को हत्या

श्रीमती भंवरी देवी, पत्नी श्री रेवंत राम ग्राम मोमासर, तहसील डूंगरगढ़, जिला चूरू ने गांव के एक जाट द्वारा अपने पति की हत्या किए जाने के बारे में अभ्यावेदन भेजा। जयपुर स्थित आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 18/20-2-94 को घटना की मौके पर जांच की गई।

जांच से मालूम हुआ कि जब मृतक रेवंत राम, उसकी पत्नी भंवरी देवी और उसका भतीजा खेता राम अपने खेत में काम कर रहे थे उस समय गोपी राम पुत्र भंवरा राम (गैर-अ०जा०) ने खेत में से अपनी ऊंट गाड़ी ले जाने की कोशिश की। उनके द्वारा रोके जाने पर गोपीराम अपनी गाड़ी वापिस ले गया लेकिन अपने पिता भंवरा के साथ वापिस आया और उसकी जाति के नाम से उसे गाली दी और एक तेज खेती के औजार से उस पर आक्रमण किया। रेवंत राम मौके पर ही मर गया। भंवरा राम ने भंवरी देवी, उसके पुत्र और पुत्री तथा खेता राम पर भी हमला किया और वे गम्भीर रूप से घायल हो गए।

थाना डूंगरपुर में एक मामला दर्ज किया गया और आई०पी०सी० तथा पी०ए०ए० की उपयुक्त धाराओं के अन्तर्गत न्यायालय में चालान पेश किया गया। मृत व्यक्ति की विधवा को 10,000 रु० की आर्थिक राहत दी गई। आयोग के अध्यक्ष ने राजस्थान के मुख्य मंत्री को अर्द्ध सरकारी पत्र लिखकर विधवा के लिए कम से कम 1 लाख रु० की आर्थिक राहत देने, उसे विधवा पेंशन देने तथा अन्य घायल व्यक्तियों को आर्थिक राहत देने की मंजूरी दिए जाने की सिफारिश की।

7. मोहम्मदपुर, बुजुर्ग ग्राम, थाना सराय जिला वैशाली, बिहार के एक आदिवासी युवक की 22-2-94 को पुलिस हिरासत में मृत्यु

आयोग के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने मोहम्मदपुर बुजुर्ग ग्राम, थाना सराय, जिला वैशाली के एक आदिवासी युवक की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की घटना की मौके पर जांच की। जांच से पता चला कि 19-2-94 को पांच पुलिसकर्मी सादी पोशाक में गांव में आए और महेश पुत्र श्री राम शोभित को एक हत्या के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस द्वारा 20-2-94 को उसे पीटा गया और चोट लगने से वह मर गया।

पांच पुलिस अधिकारी अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया और मृतक के सम्बन्धियों को 10,000 रु० की आर्थिक राहत मंजूर की गई। क्योंकि मृत्यु पुलिस की निर्दयता के कारण हुई थी, इसलिए इस विषय में आगे कार्यवाही करने के लिए मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास भेज दिया गया। रा०मा०अ०आ० ने सूचित किया कि उन्होंने यह मामला बिहार सरकार के साथ उठाया है।

8. दामानी ग्राम, थाना हसपुरा, जिला औरंगाबाद, बिहार में 26-12-93 को अ०जा० के आठ व्यक्तियों की हत्या और 30 अन्य को घायल किया जाना

आयोग के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने दामानी ग्राम, पी०एस० हसपुरा, ज़िला औरंगाबाद में अ०जा० के आठ व्यक्तियों की हत्या की घटना की मौके पर जांच की। जांच से पता चला कि यह घटना इंडियन पीपुल्स फ्रण्ट (आई०पी०एफ०) और मजदूर किसान संग्राम समिति (एमकेएसएस) के समर्थकों के बीच हुए संघर्षों के कारण हुई। ग्राम कस्तूरीपुर पी०एस० औबरा, जिला औरंगाबाद में 30-11-93 को आई०पी०एफ० के आदमियों द्वारा मारे गए अपने तीन समर्थकों के शोक में एम०के०एस०एस० के समर्थकों ने 25-12-93 को एक मीटिंग की। यह मीटिंग पचरुखिया ग्राम में हुई जो आई०पी०एफ० के कार्यकर्ताओं का गढ़ है। आई०पी०एफ० के समर्थकों ने एकत्रित व्यक्तियों पर आक्रमण किया, उन पर पथराव किया और गोली चलाई जिसके परिणामस्वरुप दो व्यक्ति घायल हो गए। बदला

लेने के लिए एम०के०एस०एस० के समर्थकों ने पुलिस की वर्दी में पचरुखिया ग्राम से एक किलोमीटर दूर दामानी बीगाहा ग्राम पर आक्रमण किया और मकानों में आग लगा दी। उन्होंने पुलिस पर भी गोली चलाई जो ख़बर मिलने पर वहां पहुंच गई थी। मारे गए दस व्यक्तियों में 8 अ०जा० के थे और घायल व्यक्तियों में एक व्यक्ति अ०ज०जा० का था। आगजनी में अ०जा० के पैंतीस मकान नष्ट हो गए।

प्रत्येक मृतक के परिवार को 25,000 रु० का आर्थिक राहत के तौर पर दिए गए। अ०जा० के जिन परिवारों के मकान जल गए थे उन्हें प्रत्येक को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत एक मकान देना मंजूर किया गया। बासठ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध पी०एस० हसपुरा में चार मामले दर्ज किए गए। एस०एच०ओ० हसपुरा तथा इंस्पैक्टर पुलिस को निलम्बित कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों को इस मामले में पी०ए०ए० की संगत धाराएं लागू करने की सलाह दी गई।

9. लड़कियों के आवासीय स्कूल, आरा, जिला भोजपुर, बिहार के छात्रावास की दो अ०जा० छात्राओं के साथ कथित बलात्कार

आरा के लड़कियों के आवासीय स्कूल के छात्रावास की दो अ०जा० लड़कियों के साथ कथित बलात्कार के बारे में हिन्दुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण में छपे समाचार के आधार पर आयोग के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने मौके की घटना पर जांच की।

पता लगा कि घटना के बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दायर नहीं की गई थी। बलात्कार की शिकार दोनों लड़कियों ने इस बात से इनकार किया कि छात्रावास के अधीक्षक ने उनके साथ बलात्कार किया था। अतः छात्रावास के अधीक्षक के विरुद्ध कोई भी अपराधिक मामला चलाया नहीं जा सका लेकिन उसका स्थानान्तरण कर दिया गया और उसे निलम्बित कर दिया गया।

घटना से यह प्रकट हुआ कि छात्रावास की छात्राओं की सुरक्षा के लिए चार दीवारी आदि आधारभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थीं और छात्रावास एक एकान्त स्थान में स्थित था। अत: जिला अधिकारियों से आग्रह किया गया कि छात्रावास को अधिक सुरक्षित स्थान पर स्थानातरित किया जाए और छात्रावास के अधीक्षक सहित स्टाफ के अन्य पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाए।

10. दौना ग्राम, थाना चूरपुर, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की एक अनुसूचित जाति की महिला का ग्राम के कुछ गैर-अ०जा० व्यक्तियों द्वारा विवस्त्र किया जाना और गांव में घुमाया जाना

समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार दौना ग्राम, थाना चूरपुर, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की एक अ०जा० महिला को 21-1-94 को विवस्त्र करके गांव में घुमाया गया। आयोग के अध्यक्ष श्री राम धन ने मौके पर जांच करने के लिए 1-2-94 को गांव का दौरा किया।

यह घटना उक्त महिला श्रीमती शिवपतिया के पुत्र राजेश और उसी ग्राम के चन्द्रशेखर पटेल (कुर्मी) के बीच महिला के देवर (जेठ) के खेत से मटर तोड़ने के कारण 16-1-94 को हुए झगड़े के कारण घटी। बहस की गर्मी में राजेश ने चन्द्रशेखर को चांटा मारा। इससे गांव के कुर्मी क्रुद्ध हो गए और वे अ०जा० की बस्ती में जमा हो गए और उन्हें नतीजा बुरा होने की धमकी दी। कुर्मियों की मौखिक शिकायत मिलने पर 17-1-94 को दो पुलिस कान्स्टेबल दौना आए और उनकी उपस्थिति में मामले में राजीनामा हो गया।

21-1-94 को जब श्रीमती शिवपतिया दो स्त्रियों के साथ खेत से लौट रही थी तब तीन कुर्मियों ने उन्हें रोक लिया, दो कुर्मियों ने श्रीमती शिवपतिया का हाथ पकड़ लिया और उन पर आक्रमण किया। श्रीमती कबूतरी ने उनसे आग्रह किया कि वे श्रीमती शिवपतिया के साथ दुर्व्यवहार न करें क्योंकि उनका पुत्र (राजेश) कुर्मी लड़के के चांटा मारने का दोषी था जिसके लिए श्रीमती शिवपतिया को सजा नहीं दी जानी चाहिए। कुर्मियों ने इस अपील की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और श्रीमती कबूतरी देवी पर भी आक्रमण किया। उसके पश्चात् श्रीमती शिवपतिया पर आक्रमण किया और उन्हें विवस्त्र कर दिया। उन्हें गांव में नंगा घुमाया गया। कुछ अन्य कुर्मी भी उनके साथ शामिल हो गए।

शिकायत मिलने पर पी०एस० चूरपुर में आइ०पी०सी० और पी०ए०ए० की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया। सभी 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। यद्यपि स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि 16-1-94 की घटना के बाद अ०जा० और कुर्मियों के बीच तनाव बढ़ रहा है, फिर भी उन्होंने पांच दिन बाद घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोकने के लिए कोई निवारक कार्यवाही नहीं की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जमुनापुर, सर्किल अधिकारी बारा, चूरपुर पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष तथा चार अन्य पुलिस अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया तथा एस०एस०पी० इलाहाबाद का स्थानांतरण कर दिया गया। ग्राम में बन्दूक के दोनों लाइसेंसधारियों के लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए और गांव में पी०ए०सी० को तैनात कर दिया गया।

जिला प्रशासन द्वारा अत्याचार की शिकार महिला को 10,000 रु० आर्थिक राहत के रूप में दिए गए और मुख्य मंत्री के राहत कोष से 1 लाख रु० मंजूर किए गए। इस मामले में उ०प्र० के राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष ने भी जांच की।

उ०प्र० सरकार के मुख्य सचिव को अर्धसरकारी पत्र लिख कर दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध पी०ए०ए० की धारा 4 के अन्तर्गत कार्यवाह करने, अत्याचार की शिकार महिला के पुत्र को नौकरी देने और गांव की अ०जा० बस्ती में मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया।

11. रामपुरी ग्राम, थाना सिरसी, जिला गुना, मध्य प्रदेश के दो आदिवासी व्यक्तियों की मृत्यु

प्रेस में छपे समाचार के आधार पर आयोग के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने रामपुरी ग्राम, थाना सिरसी, जिला गुना के दो आदिवासी व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में मौके पर जांच की। जांच से पता चला कि 19-1-94 की रात को डाकू प्रहलाद बैरागी और उसके साथियों ने

श्री दूर सिंह और उनके पुत्र श्री करन सिंह को उनके परिवार के सदस्यों के सामने पीटा और उनके गांव से उनका अपहरण कर लिया। मृतकों के पास अभियुक्त अपना फोटोग्राफ और एक पत्र छोड़ गया जिसमें यह घोषित किया गया था कि उसने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण दोनों अ०ज०जा० के व्यक्तियों की हत्या की थी और उसने गांव के पास एक पेड़ पर उनके शरीर को लटका दिया।

आई०पी०सी० और पी०ए०ए० की समुचित धाराओं के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया। मृतकों के परिवार को 2 लाख रु० आर्थिक राहत के रूप में दिए गए। 15 बीघा जमीन दी गई और परिवार के एक सदस्य को जनजातीय छात्रावास में पानी वाले के पद पर नियोजित किया गया। राज्य सरकार ने इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्रभावित परिवार को दो प्लाट और मकानों के निर्माण के लिए 13,000 रु० मंजूर किए। परिवार की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने उसे हथियार रखने के लाइसेंस की मंजूरी देदी। इस मामले के अन्तिम परिणाम की प्रतीक्षा है।

12. जयशंकरपुर ग्राम, थाना कुजंग, जिला जगतसिंहपुर उड़ीसा के अ०जा० व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा अत्याचार के आदेश

प्रेस में छपी खबरों के आधार पर आयोग के भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने 5-11-93 को घटना की मौके पर जांच की। यह पता लगा कि वह घटना एक भूमि के टुकड़े के स्वामित्व से सम्बन्धित विवाद के परिणामस्वरूप घटित हुई जिस पर अ०जा० के व्यक्ति काश्त करते थे लेकिन जिसे उसके स्वामी ने ग़ैर-अ०जा० के व्यक्तियों को बेच दिया था। अनु० जाति के व्यक्तियों ने भूमि के वैधानिक स्वामियों को वास्तविक कब्जा देने तथा काश्तकारी करने के लिए मना किया जिसे उन्होंने खरीदा था। क्योंकि अ०जा० के व्यक्ति भूमि पर काश्त करते थे इसलिए उन्होने ओ०एल०आर० अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार और जगतसिंहपुर के सब-कलक्टर के न्यायालयों में अपीलें दायर कीं जिन्हें नामंजूर कर दिया गया। पुलिस द्वारा कथित रूप से किया गया अत्याचार पुलिस पर अ०जा० के व्यक्तियों के आक्रमण के परिणामस्वरूप हुआ। यह आक्रमण तब हुआ जब पुलिस उस गांव में गई और उसने खड़ी फसल को लूटने और एक ग़ैर-अ०जा० की झोंपड़ी को नुकसान पहुंचाने के अपराध में अ०जा० के 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

अ०जा० के व्यक्तियों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा उनकी स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ की गई और एक के साथ बलात्कार किया गया। लेकिन उन्होंने कोई एफ०आई०आर० दर्ज नहीं करवाई।

राज्य के महिला आयोग ने भी जांच की और यह राय दी कि कोई बलात्कार नहीं हुआ था। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की न्यायिक जांच का आदेश दिया।

13. बलंगा रोड, नीमपाड़ा, जिला पुरी, उड़ीसा की जनजातीय महिला के साथ कथित बलात्कार और मारने की धमकी

बलंगा रोड, नीमपाड़ा, जिला पुरी की एक जनजातीय महिला श्रीमती मालती दास ने आयोग के पास अभ्यावेदन भेजा जिसमें कहा गया कि बापनपुरा गांव के श्री बुद्ध दास ने उससे बलात्कार करने का प्रयत्न किया तथा उसे और उसके परिवार के सदस्यों को मारने और उसके घर में आग लगाने की धमकी दी। आयोग के भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मौके पर की गई जांच से आरोपों की पुष्टि हुई। अभियुक्त ने श्रीमती मालती दास के मकान में आग लगाने का प्रयत्न किया लेकिन वर्षा के कारण उसमें आग नहीं लगी।

आयोग ने इस मामले में स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क किया और मामले की जांच शीघ्र कराने और मामले में पी०ए०ए० की धारा 3(1)(v) और 3(2)(iii) को लागू करने के लिए कहा। इस मामले का आरोप पत्र दाखिल किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

संलग्नक-1

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 1991 और 1992 के दौरान विभिन्न राज्यों/सं०शा०क्षे० पंजीकृत मामलों के बीच अन्तर को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं०शा०क्षे०	वर्ष में पुलिस के पास पंजीकृत मामलों की संख्या		1990 और 1991 के वर्षों के बीच अंतर	अंतर का %
		1990	1991		
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	203	365	+162	+80.3
2.	असम	शून्य	—	—	—
3.	बिहार	371	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
4.	गोवा	5	8	+3	+60.1
5.	गुजरात	172	209	+37	+21.5
6.	हरियाणा	—	2	+2	+200
7.	हिमाचल प्रदेश	अनुपलब्ध	18	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	2	3	+1	+50.0
9.	कर्नाटक	807	722	−85	−10.5
10.	केरल	24	21	−3	−12.5
11.	मध्य प्रदेश	463	384	—79	—17.1
12.	महाराष्ट्र	257	340	+83	+32.3
13.	उड़ीसा	43	42	−1	−2.3
14.	पंजाब	—	—	—	—
15.	राजस्थान	207	107	—100	—48.3
16.	तमिलनाडु	787	861	+74	+9.4
17.	त्रिपुरा	—	शून्य	—	—
18.	उत्तर प्रदेश	357	296	—61	—17.1
19.	पश्चिम बंगाल	—	1	+1	+100.0
20.	चण्डीगढ़	शून्य	—	—	—
21.	दिल्ली	5	3	−2	−40.0
22.	पांडिचेरी	27	21	−6	−22.2
	जोड़	3730	3405	−325	(−)8.71

स्रोत : वर्ष 1991 के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की वार्षिक रिपोर्ट (बारहवीं रिपोर्ट), कल्याण मंत्रालय।

संलग्नक-2

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1993-94 के दौरान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/सं०शा०क्षे० प्रशासनों को दी गई राशियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं. राज्य/सं०शा०क्षे०	राशि दी गई	
	पी.सी.आर. के अन्तर्गत रु.	पी.ए. अधिनियम के अन्तर्गत रु.
1. आंध्र प्रदेश	61,82,000	29,20,000
2. बिहार	6,50,000	20,00,000
3. गोवा	5,000	—
4. गुजरात	36,65,500	56,09,000
5. हरियाणा	4,69,000	52,500
6. हिमाचल प्रदेश	1,00,000	—
7. कर्नाटक	1,12,10,800	36,76,000
8. केरल	5,03,100	14,96,000
9. मध्य प्रदेश	16,75,000	—
10. महाराष्ट्र	1,43,64,684	2,50,000
11. उड़ीसा	2,00,000	—
12. पंजाब	12,00,000	—
13. राजस्थान	1,40,000	51,00,000
14. तमिलनाडु 1992-93	2,00,000	—
1993-94	67,36,500	—
15. उत्तर प्रदेश	—	49,59,816
16. पश्चिम बंगाल	3,90,000	50,000
17. दादरा एवं नागर हवेली	—	5,00,000
18. पांडिचेरी	13,14,000	—
जोड़	4,40,05,584	2,66,13,316
कुल जोड़	7,06,18,900 रुपये	

संलग्नक-3

1992 के दौरान अनुसूचित जातियों पर हुए अत्याचारों को अपराधवार दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/सं० शा० क्षे०	अपराध का स्वरूप और रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या					
		हत्या	गंभीर चोट	बलात्कार	आगजनी	भा.दं.सं. के अन्य अपराध	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	39	225	49	8	403	724
2.	बिहार	36	49	48	44	749	926
3.	गोवा	1	—	—	—	2	3
4.	गुजरात	29	72	10	17	1432	1560
5.	हरियाणा	5	5	24	—	52	86
6.	हिमाचल प्रदेश	1	7	5	—	26	39
7.	जम्मू और कश्मीर	—	3	2	4	16	25
8.	कर्नाटक	21	25	17	26	631	720
9.	केरल	10	19	39	21	614	703
10.	मध्य प्रदेश	97	236	287	70	3881	4571
11.	महाराष्ट्र	15	35	36	22	643	751
12.	उड़ीसा	11	16	17	25	314	383
13.	पंजाब	7	5	4	—	2	18
14.	राजस्थान	63	148	114	79	1800	2204
15.	सिक्किम	—	—	—	—	21	21
16.	तमिलनाडु	12	9	2	14	640	677
17.	उत्तर प्रदेश	343	762	174	289	3323	4891
18.	पश्चिम बंगाल	1	1	3	—	10	15
19.	चण्डीगढ़	1	2	4	—	13	20
20.	दिल्ली	1	—	—	—	1	2
21.	पांडिचेरी	—	—	—	—	1	1
	जोड़	693	1619	835	619	14574	18340

स्रोत : सांख्यिकीय आंकड़े, राज्यों/सं०शा०क्षे० प्रशासनों से आयोग को प्राप्त।

संलग्नक-4

1992 के दौरान अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों के राज्यवार विवरण को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/सं० शा० क्षे०	अपराध का स्वरूप और रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या					
		हत्या	गंभीर चोट	बलात्कार	आगजनी	भा.दं.सं. के अन्य अपराध	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	14	26	21	3	59	123
2.	बिहार	—	—	—	—	5	5
3.	गुजरात	17	40	34	2	211	304
4.	कर्नाटक	1	—	1	2	23	27
5.	केरल	—	4	11	3	139	157
6.	मध्य प्रदेश	50	84	217	16	1590	1957
7.	महाराष्ट्र	13	30	34	3	251	331
8.	मणिपुर	1	—	—	—	—	1
9.	उड़ीसा	2	2	14	8	103	129
10.	राजस्थान	19	45	42	23	507	636
11.	सिक्किम	—	1	—	—	19	20
12.	पश्चिम बंगाल	1	—	9	1	3	14
13.	दादरा एवं नागर हवेली	—	—	—	—	5	5
	जोड़	118	232	383	61	2915	3709

स्रोत : सांख्यिकी आंकड़े, राज्यों/सं०शा०क्षे० प्रशासनों से आयोग को प्राप्त।

संलग्नक—5

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा 1991 के दौरान निपटाए गए मामलों के विश्लेषण को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं०शा०क्षेत्र	पुलिस के पास कुल मामलों की संख्या 1991	जांच के बाद बंद किए गए मामलों की सं०	मामलों की कुल संख्या में बंद किए गए मामलों का प्रतिशत	1991 में न्यायालयों में चालान किए गए मामलों की संख्या	मामलों की कुल संख्या में चालान किए गए मामलों का प्रतिशत	1991 में जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या	मामलों की कुल संख्या में लंबित मामलों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	781	190	24.35	201	25.73	390	49.93
2.	असम	शून्य	—	—	—	—	—	—
3.	बिहार	अनुपलब्ध	—	—	—	—	—	—
4.	गोवा	9	2	22.22	5	55.55	2	22.22
5.	गुजरात	216	13	6.01	177	81.94	26	12.03
6.	हरियाणा	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33
7.	हिमाचल प्रदेश	24	5	20.83	12	50.00	7	29.16
8.	जम्मू और कश्मीर	3	2	66.66	1	33.33	—	—
9.	कर्नाटक	818	82	10.02	510	62.34	226	27.62
10.	केरल	30	9	30.00	11	36.66	10	33.33
11.	मध्य प्रदेश	389	145	37.27	135	34.7	109	28.00
12.	महाराष्ट्र	381	33	8.66	218	57.21	130	34.1
13.	उड़ीसा	57	4	7.0	27	47.36	26	45.61
14.	पंजाब	शून्य	—	—	—	—	—	—
15.	राजस्थान	176	51	28.97	43	24.43	82	46.54
16.	तमिलनाडु	1032	214	20.73	647	62.69	171	16.6
17.	त्रिपुरा	शून्य	—	—	—	—	—	—
18.	उत्तर प्रदेश	330	38	11.51	170	51.51	122	36.96
19.	पश्चिम बंगाल	1	—	—	1	100.00	—	—
20.	चण्डीगढ़	शून्य	—	—	—	—	—	—
21.	दिल्ली	5	—	—	4	80.00	1	20.00
22.	पांडिचेरी	25	2	8.00	21	84.00	2	8.00
	जोड़ :	4280	791	18.48	2118	51.00	1305	30.49

स्रोत : सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के बारे में 1991 के लिए वार्षिक रिपोर्ट (बारहवीं रिपोर्ट), कल्याण मंत्रालय

संलग्नक-6

1991 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों के विश्लेषण को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं०शा०क्षेत्र	न्यायालयों के पास मामलों की कुल सं०	दोषसिद्धि में समाप्त होने वाले मामलों की सं०	मामलों की कुल संख्या में दोषसिद्ध मामलों की प्रतिशत	दोषमुक्ति में समाप्त होने वाले मामलों की संख्या	मामलों की कुल संख्या में दोषमुक्ति के मामलों का प्रतिशत	न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या	मामलों की कुल संख्या में लंबित मामलों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	654	28	4.3	314	48.0	312	47.7
2.	असम	—	शून्य	—	—	—	—	—
3.	बिहार	—	अनुपलब्ध	—	—	—	—	—
4.	गोवा	13	—	—	3	23.07	10	76.92
5.	गुजरात	494	—	—	64	12.95	430	87.04
6.	हरियाणा	1	—	—	—	—	1	100.00
7.	हिमाचल प्रदेश	36	—	—	4	12.5	32	88.88
8.	जम्मू और कश्मीर	11	—	—	3	27.27	8	72.72
9.	कर्नाटक	1707	4	0.23	254	14.87	1449	84.88
10.	केरल	60	3	5.0	15	25.00	42	70.00
11.	मध्य प्रदेश	1440	13	0.90	45*	3.1	1382	96.00
12.	महाराष्ट्र	434	—	—	—	—	434	100.00
13.	उड़ीसा	415	—	—	31	7.46	384	92.53
14.	पंजाब	—	—	—	शून्य	—	—	—
15.	राजस्थान	282	20	7.09	75	26.6	187	66.3
16.	तमिलनाडु	1561	29	1.85	509	32.60	1023	65.5
17.	त्रिपुरा	—	—	—	शून्य	—	—	—
18.	उत्तर प्रदेश	847	26	3.06	39	4.60	782	92.32
19.	पश्चिम बंगाल	1	—	—	—	—	1	100.00
20.	चण्डीगढ़	—	—	—	शून्य	—	—	—
21.	दिल्ली	18	1	5.55	—	—	17	94.00
22.	पांडिचेरी	55	1	1.81	11	20.00	43	78.13
	जोड़ :	8029	125	1.55	1367	17.0	6537	81.4

*राज्य सरकार ने दिखाया है कि 21 मामलों में समझौता हो गया है।

स्रोत : सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के बारे में वार्षिक रिपोर्ट (बारहवीं रिपोर्ट), कल्याण मंत्रालय

संलग्नक—7

आयोग के मुख्यालय में 1993-94 के दौरान ए०पी०सी०आर० स्कन्ध द्वारा कार्यवाही के लिए किए गए अत्याचार के मामले

क्र० सं०	राज्य/सं.शा.क्षे.	हत्या अ०जा०		अ० ज० जा०	गंभीर चोट जोड़	अ० जा०	अ० ज० जा०	बलात्कार जोड़	अ० जा०	अ० ज० जा०	आगजनी जोड़	अ० जा०	अ० ज० जा०	अन्य आईपीसी जोड़	अ० जा०	अ० ज० जा०	पीसीआर जोड़	विविध अधि-नियम	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	3
2.	असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
3.	बिहार	6	—	6	—	—	—	2	2	4	1	—	1	11	—	11	—	—	22
4.	गुजरात	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
5.	हरियाणा	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	16	—	16	3	—	21
6.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2
7.	कर्नाटक	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	4
8.	केरल	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	1	5
9.	मध्य प्रदेश	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	8	—	8	—	2	13
10.	महाराष्ट्र	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	3	6	1	—	10
11.	उड़ीसा	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	12	2	—	16
12.	राजस्थान	8	2	10	—	—	—	2	—	2	—	—	—	40	1	41	8	1	62
13.	तमिलनाडु	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	6
14.	त्रिपुरा	—	—	-	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15.	उत्तर प्रदेश	32	—	32	2	—	2	18	—	18	3	—	3	117	1	118	13	2	188
16.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2
17.	दिल्ली	3	—	3	—	—	—	1	1	2	—	—	—	37	—	37	17	1	60
	जोड़ :	62	3	65	2	—	2	26	6	32	4	1	5	250	10	260	44	10	418

संलग्नक—8

1993-94 के दौरान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आए और निपटाए गए अत्याचार और अस्पृश्यता से सम्बन्धित मामले

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	मामलों की कुल संख्या: प्राप्त			मामलों की कुल संख्या: निपटाए गए			निबटान के लिए लंबित			मामलों की कुल संख्या में पी.सी.आर. अधिनियम के मामलों की संख्या
		अजा०	अजजा०	जोड़	अजा०	अजजा०	जोड़	अजा०	अजजा०	जोड़	
1	अहमदाबाद	43	14	57	43	14	57	—	—	—	1
2.	बेंगलूर	29	4	33	29	4	33	—	—	—	11
3.	भोपाल	75	30	105	75	30	105	—	—	—	38
4.	भुवनेश्वर	24	3	27	24	3	27	—	—	—	4
5.	कलकत्ता	6	—	6	6	—	6	—	—	—	1
6.	चण्डीगढ़	31	—	31	31	—	31	—	—	—	—
7.	गुवाहाटी	2	2	4	2	2	4	—	—	—	—
8.	हैदराबाद	138	40	178	121	39	160	17	1	18	13
9.	जयपुर	109	20	149	129	20	149	—	—	—	40
10.	लखनऊ	209	—	209	209	—	209	—	—	—	—
11.	मद्रास	84	1	85	84	1	85	—	—	—	22
12.	पटना	52	7	59	52	7	59	—	—	—	—
13.	पुणे	213	56	311*	213	56	311*	—	—	—	5
14.	शिमला	16	—	16	16	—	16	—	—	—	2
15.	तिरुवनन्तपुरम	21	—	21	21	—	21	—	—	—	8
	जोड़ :	1072	177	1291	1055	176	1273	17	1	18	145

अगरतला और शिलांग स्थित कार्यालयों से अत्याचार और अस्पृश्यता के किसी मामले की सूचना नहीं है।

*इसमें अ०जा० और अ०ज०जा० से सम्बन्धित सामान्य प्रकार के 42 मामले शामिल

अध्याय-8

(विविध सुरक्षण)

विविध शिकायतें

आयोग को विविध प्रकार की शिकायतें भी प्राप्त होती हैं जिनका सम्बन्ध संविधान के अन्तर्गत दिए गए अ०जा०/अ०ज०जा० के किसी विशेष सुरक्षण अथवा अधिकार, सरकार के कानून या आदेश के उल्लंघन से नहीं होता वरन् उनमें ऐसे मामले होते हैं जिनमें शिकायतकर्ताओं को कोई परेशानी या असुविधा होती है या शिकायतकर्ता किसी प्रकार की सहायता मांगते हैं। 1993-94 के दौरान आयोग को विविध प्रकार की शिकायतों सहित लगभग तीन सौ याचिकाएं प्राप्त हुईं, जिनमें सतासी मामले समुचित कार्यवाही किए जाने के लिए उपयुक्त पाए गए। इन याचिकाओं में सामुदायिक सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की प्रार्थना, कल्याण योजनाओं के विस्तार और बकाया की अदायगी न किए जाने, अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित सेवाएं उपलब्ध न होनें आदि से सम्बन्धित अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं के मामले शामिल थे। इन शिकायतों की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित पैराग्राफों में दी जा रही है :

8.2 उन्नीस मामले ऐसे प्राप्त हुए जिनमें वित्तीय सहायता मांगी गई थी। इनमें से अधिकांश मामले मकान का निर्माण करने, अ०जा०/अ०ज०जा० को वित्तीय सहायता देने, आग लगने से हुई सम्पत्ति की हानि की क्षतिपूर्ति करने, उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता देने, ग्रामीण अथवा लघु उद्योग स्थापित किए जाने आदि से सम्बन्धित थे। इन सभी मामलों को आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उठाया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग को सामुदायिक सेवाओं से सम्बन्धित चौदह मामले भी प्राप्त हुए, जिनमें से पाच का सम्बन्ध समितियों के क्रियाकलाप, सफाई व्यवस्था और अ०जा०/अ०ज०जा० को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बारे में था। इन मामलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क किया गया है। बहुत से मामलों में उत्तर की प्रतीक्षा है। चार मामले अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए नलकूप खोदने, अस्पताल की सुविधाएं दिए जाने, विश्राम गृह स्थापित किए जाने और अ०ज०/अ०ज०जा० के विकास की समस्याओं से सम्बन्धित थे। इन सभी मामलों को सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उठाया गया।

8.3 विभिन्न राज्यों/सं०शा०क्षे० के अ०जा०/अ०ज०जा० के अभ्यावेदनकर्ताओं से अ०जा०/अ०ज०जा० की कल्याण योजनाओं से सम्बन्धित मामले भी आयोग में प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश अभ्यावेदन कर्जा माफ किए जाने या कर्ज की सीमा बढ़ाए जाने के बारे में थे। इन मामलों के बारे में भी सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क किया गया है। एक मामले में सम्बन्धित प्राधिकारी ने सूचित किया कि प्रार्थी कर्जा माफ किए जाने का हकदार नहीं था। कर्जे की अधिकतम सीमा बढ़ाने के एक अन्य मामले में आयोग ने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि प्रार्थी ने कर्जे की अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए बैंक अधिकारियों से प्रार्थना की थी। आयोग का विचार था कि ऐसा करना आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता।

8.4 अनुसूचित जाति के एक एल०पी०जी० डीलर पर लगाई शास्ति के बारे में भी एक मामला प्राप्त हुआ। इस मामले में एल०पी०जी० के मालिक, अर्थात्, मै० भारत पैट्रोलियम लि० से सम्पर्क किया गया। कम्पनी ने सूचित किया कि डीलर कदाचरण में अंतर्ग्रस्त था और अनियमित अनधिकृत गैस कनेक्शन दे रहा था और इसी कारण उसे शास्ति से दण्डित किया गया था। आयोग को इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई कारण दिखाई नहीं दिया।

8.5 अन्य मामले जो प्राप्त हुए वे अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को बिजली का कनेक्शन देने, भूमि का आबंटन करने आदि विषयों से सम्बन्धित थे। इन प्रार्थनाओं के बारे में समुचित कार्यवाही के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से कहा गया है यद्यपि ये मामले किसी सुरक्षण या अधिकार के उल्लंघन के मामले नहीं हैं।

8.6 चार मामले उच्च जाति के लोगों द्वारा अ०जा० के व्यक्तियों की दुकानों पर अवैध और जबरन कब्जा करने के बारे में प्राप्त हुए। इनमें एक मामला न्यायालय के विचाराधीन था। अन्य मामले उपयुक्त कार्यवाही के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दिए गए।

8.7 आयोग को अ०जा०/अ०ज०जा० की सामान्य समस्याओं से सम्बन्धित 22 याचिकाएं प्राप्त हुईं। इनमें से अधिकांश मामले अ०जा०/अ०ज०जा० को परेशान किए जाने के आरोपों से सम्बन्धित थे, जैसे वेतन न देना, और कुछ अ०जा०/अ०ज०जा० की विकास की समस्याओं आदि से सम्बन्धित थे। ऐसे सभी मामलों को समुचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों अथवा सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दिया गया। इनमें एक मामला शामिल नहीं था जो कि आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर का मामला था। उपरोक्त मामलों में अन्तिम उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा है।

8.8 अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को पीने के पानी की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में भी दो याचिकाएं प्राप्त हुईं। दोनों मामलों में समुचित कार्यवाही के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क किया गया।

8.9 मध्य प्रदेश में कथित रूप से मलेरिया से जनजातीय व्यक्तियों की मृत्यु होने का मामला भी आयोग में प्राप्त हुआ। यह निश्चित नहीं किया जा सका कि मौतें मलेरिया के कारण हुई थीं या दूसरी बीमारियों और बुढ़ापे के कारण हुई थीं। तथापि, राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि इन आदिम जनजातियों के लिए संघटित कार्यक्रम तैयार किए जाएं क्योंकि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उनके लिए बहुत कुछ किया गया है।

8.10 एक शराब का गोदाम हटाने से सम्बन्धित मामला प्राप्त हुआ। इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से प्रार्थना की गई।

8.11 एक अ०जा० के व्यक्ति की लड़की को नौकरी देने के बहाने उससे धोखाधड़ी करने की शिकायत भी प्राप्त हुई। प्रार्थी को स्थानीय पुलिस के पास जाने की सलाह दी गई।

8.12 प्राप्त की गई एक अन्य याचिका अ०जा० की बस्ती में सफाई रखने के विषय से सम्बन्धित थी। जिला कलैक्टर से समुचित कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

8.13 एक अ०जा० व्यक्ति की यात्रा एजेंसी रद्द किए जाने के बारे में एक मामला प्राप्त हुआ। इस मामले में सम्बन्धित प्राधिकरण (इंडियन एयरलाइन्स) से सम्पर्क किया गया और पता लगा कि प्रार्थी स्वयं कदाचरण में अंतर्ग्रस्त था और आयोग द्वारा आगे कार्यवाही करने का प्रथम दृष्टि में कोई मामला दिखाई नहीं दिया।

पैट्रोलियम उत्पादों के लिए वितरक एजेंसियों/डीलरशिप का आबंटन करने में अधिमान्यता

8.14 जनसंख्या के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रत्येक चार भारतीयों में से एक या तो अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है। सबसे गरीब वर्गों में अ०जा० और अ०ज०जा० के लोगों की संख्या सबसे अधिक है और इसलिए, सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली अनेक योजनाओं और उपायों को इन्हीं पर केन्द्रित किया जाना चाहिए। अ०जा० और अ०ज०जा० का समता की दिशा में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन मुख्यत: उनके आर्थिक विकास के द्वारा ही हो सकता है। अत: यह पूर्णत: उपयुक्त है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्य में राज्य सक्रिय रूप से भाग ले, संविधान में विशिष्ट प्रावधानों को समाविष्ट किया।

8.15 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में शामिल किए गए अनुच्छेद 46 में कहा गया है : "राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।"

8.16 अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबन्ध करने की शक्ति दी गई है।

8.17 देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए किए गए प्रयत्नों के परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है जिसका कारण मूलत: यह है कि यह समस्या बहुत विशाल है। आज भी, शहरी क्षेत्रों में, संसाधनों की कमी के कारण अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनमें गरीबी है और कार्य के तरीके पुराने होने के कारण उन्हें अपने पारम्परिक व्यवसायों से बहुत कम लाभ होता है। देश के तेजी से बदलते आज के आर्थिक परिदृश्य में अनेक पारम्परिक व्यवसायों का स्थान नए व्यवसाय ले रहे हैं। व्यापार के सरल तरीके का स्थान उत्पादन और वितरण की जटिल प्रणाली ले रही है। पहले से ही अ०जा० और अ०ज०जा० के व्यक्तियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनके कारण वे समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाते और परिणामत:, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी समाज के सदस्यों के रूप में समृद्ध नहीं हो पाते और आर्थिक प्रगति के लाभों का समान हिस्सा प्राप्त करने से वंचित रहने के कारण, सामाजिक समानता से भी वंचित रह जाते हैं। अ०जा०/अ०ज०जा० के पक्ष में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों में उनका समर्थन करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। ऐसा एक क्षेत्र जिसमें उनको समर्थन प्रदान किया जा सकता है उन वस्तुओं का है जिन पर राज्य का नियंत्रण है। राज्य उन्हें इन वस्तुओं का डीलर बनाकर उन्हें समर्थन प्रदान कर सकता है।

8.18 सितम्बर 1977 में तत्कालीन पैट्रोलियम, उर्वरक और रसायन मंत्रालय ने डीलरों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था की थी। सितम्बर 1977 से जून 1980 तक सभी वर्गों से डीलरों की नियुक्ति के लिए समान विज्ञापन निकाला जाता था जिनमें से, अन्य बातें बराबर होने पर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को अधिमान्यता दी जाती थी। जून 1980 में मंत्रालय ने मार्गनिर्देशों में संशोधन कर दिया और यह अपेक्षा की गई कि जिन स्थानों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की डीलर नियुक्त किया जाएगा उनका उद्योग द्वारा पूर्व निर्धारण किया जाए और इसके लिए राज्यवार रोस्टर तैयार किया जाए। पैट्रोलियम से सम्बद्ध कारोबार में चार सार्वजनिक क्षेत्र के निगम संलग्न हैं जिनके नाम हैं:—इंडियन आयल कार्पोरेशन लि०, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम लि०। ये चार निगम पैट्रोल, डीज़ल, बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल और एल०पी०जी० आदि के लिए डीलरों/वितरण एजेंसियों की नियुक्ति करते हैं। डीलरों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 25% आरक्षण मिलता है।

8.19 इसके अतिरिक्त, इस बात को देखते हुए कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड और मिजोरम में अधिकांश आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, इन राज्यों में डीलर आदि की नियुक्ति में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रतिशत राज्य की आबादी में अनुसूचित जनजातियों के अनुपात में रखा जाता है जिसे निकटतम दस के अंक तक पूर्णांकित किया जाता है। प्रत्येक राज्य के लिए रखा गया आरक्षण का प्रतिशत नीचे दिया गया है :

सारणी—1

राज्य	अ०ज०जा० को डीलरों की नियुक्ति में दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत	खुले वर्ग का प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	70	30
मेघालय	80	20
नागालैण्ड	80	20
मिजोरम	90	10

स्रोत : 1-1-93 तक अद्यतन किए गए डीलरों और वितरकों के चयन के लिए नीति सम्बन्धी मार्गनिर्देश

8.20 नीति के अनुसार प्रत्येक राज्य/सं०शा०क्षे० में सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए परिक्रमण के आधार पर 100 सूत्री विपणन योजना स्वीकार की गई है।

8.21 नीति में यह भी कहा गया है कि यदि किसी वर्ष विशेष में कोई आरक्षण समाप्त करने की आवश्यकता पड़ती है तो परवर्ती विपणन योजनाओं में उतनी ही संख्या में "खुली" श्रेणी के स्थलों को सम्बन्धित "सामाजित उद्देश्य" नामक श्रेणी में परिवर्तित करके आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

8.22 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने "बी" स्थल के खुदरा बिक्री केन्द्रों, अर्थात् डीलर के स्वामित्व वाले और डीलर द्वारा संचालित बिक्री केन्द्रों को छोड़कर अपनी सभी एजेंसियों/डीलरों की नियुक्ति के लिए आरक्षण के आदेशों का वर्ष 1974 से कार्यान्वयन शुरू कर दिया। अन्य कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण बाद में हुआ और उन कम्पनियों में डीलरों की नियुक्ति के लिए आरक्षण 23-9-77 से ही प्रभावी हुआ।

8.23 सरकार ने पेटोलियम उत्पादों के डीलरों की नियुक्ति के लिए कोटा आवंटन में आरक्षण देना स्वीकार कर लिया है। इस विषय में पहला कदम यह होगा कि इन अवसरों के बारे में सूचना उन अ०जा० और अ०ज०जा० के व्यक्तियों को मिले जो वास्तव में उसके लाभार्थी होने के लिए समर्थ होंगे। एजेंसी की शर्तों में भी समुचित परिवर्तन करना आवश्यक होगा। प्रत्येक मामले में सामान्य सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में एजेंसी की शर्तें भिन्न रखी जा सकती हैं ताकि एजेंसियां लेने के समर्थ उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में सामने आ सकें। विशेषकर, अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े क्षेत्रों के लिए ढीली की गई शर्तें भी काफी कड़ी हो सकती हैं। इसलिए, सहायता की एक ऐसी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, चाहे वह प्रत्यक्ष सहायता के रूप में हो या अन्य संस्थाओं के सहयोग से हो, जिसमें वे व्यक्ति भी इस व्यापार में प्रवेश कर सकें जिनके पास अपने कोई संसाधन नहीं हैं। जब कोई अ०जा०/अ०ज०जा० का व्यक्ति एजेंसी ले तो उसे व्यापार के इस क्षेत्र में, जो उसके लिए अनजान क्षेत्र है, उसमें स्वयं को स्थिर बनाने में मदद की जानी चाहिए। उपरोक्त तरीके को सावधानीपूर्वक संस्थाओं/सरकार द्वारा अपनाया जाता है। इस तरह सांविधानिक दायित्व का पूरी तरह निर्वहन हुआ है।

8.24 यह देखा गया है कि कुछ मामलों में अ०जा०/अ०ज०जा० व्यक्तियों को आबंटित की गई एल०पी०जी० एजेंसियां ऐसे कारणों से समाप्त कर दी गई जिन्हें सम्भवत: पूर्णत: न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। पहले तो आरक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अ०जा०/अ०ज०जा० को डीलर नियुक्त किया जाता है और एजेंसी दी जाती है। कुछ समय बाद किसी तुच्छ आधार पर एजेंसी को वापिस ले लिया जाता है जिससे प्रकट होता है कि उन्हें समाज के कमजोर वर्गों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। यद्यपि हम यह जानते हैं कि अ०जा०/अ०ज०जा० के ये लाभार्थी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से अपेक्षाकृत अच्छे वर्ग के होते हैं लेकिन जब अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले इन अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को ही इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो जो लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनकी क्या दशा होगी इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। इन मामलों में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अ०जा०/अ०ज०जा० के सामने उठने वाली इन समस्याओं में से कुछ समुदाय के प्रति अन्तर्भूत विद्वेष की भावना के कारण होती हैं।

8.25 सम्बन्धित मंत्रालय को वितरण के कार्य से सम्बन्धित एजेंसियों के लिए आरक्षण के कार्यकरण की समालोचनात्मक पुनरीक्षा करवाने की ओर ध्यान देना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि आरक्षण के इन आदेशों का पूरी तरह से कार्यान्वयन हो। सम्बन्धित प्राधिकरण को आरक्षण की व्यवस्था का प्रभावी अनुवीक्षण करना चाहिए। इन आदेशों का कार्यान्वयन न किए जाने से सम्बन्धित सभी शिकायतों/अभ्यावेदनों पर शीघ्रता से ठीक-ठीक कार्यवाही करनी चाहिए। अ०जा०/अ०ज०जा० के हितों और उनके हालातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

8.26 पैटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पत्र भेजकर यह कहा है कि एल०पी०जी०; एच०एस०/एच०एस०डी०, बी०के०ओ० ल्यूब आदि को खुले माल के रूप में या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा पैक किए हुए माल के रूप में सारे माल का सड़क द्वारा परिवहन करने के लिए ट्रक लगाने के काम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय आधार पर क्रमश: 15% और 7½% आरक्षण होगा। लेकिन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों को निविदा की सभी शर्तें पूरी करनी होंगी और वे मूल्य में किसी प्रकार की अधिमान्यता या मानकों को किसी प्रकार शिथिल किए जाने के अधिकारी नहीं होंगे। यदि किसी वर्ष विशेष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होते तो उस वर्ष न भरा गया कोटा अनारक्षित श्रेणियों को दिया जा सकता है। तथापि, न भरा गया कोटा अगले टैंडर के लिए रखा जा सकेगा और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को दिया जा सकेगा। यदि पिछले टैंडर का कोटा अगले टैंडर में भी नहीं भरा जाता तो पिछले टेंडर का न भरा गया कोटा अनारक्षित किया जा सकता है और सामान्य श्रेणियों को आबंटित किया जा सकता है। आरक्षण की यह नीति 18-8-1994 से प्रवर्तित की जानी थी और तेल कम्पनियों द्वारा भविष्य में किए जाने वाले परिवहन के सभी करारों पर लागू की जानी थी।

8.27 वर्ष 1993-94 के दौरान (1-4-94 तक) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मंजूर की गई डीलरशिप/एजेंसियों की संख्या से सम्बन्धित पैट्रोलियम मंत्रालय से प्राप्त सूचना नीचे दी जा रही है :

सारणी—2

उत्पाद	अ.जा.	अ.ज.जा.	जोड़
1. खुदरा बिक्री केन्द्र पैट्रोल/डीज़ल पम्प	774 (5.02%)	266 (1.72%)	15,413
2. एस.के.ओ./एल.डी.ओ.	287 (4.74%)	152 (2.54%)	6,053
3. एल०पी०जी०	478 (11.13%)	183 (4.26%)	4,292

स्रोत : पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का दिनांक 18-8-94 का पत्र सं० पी-17011/4/94-मार्केट।

8.28 इन आंकड़ों से प्रकट होता है कि डीलर/वितरक नियुक्त करने के लिए दिया गया आरक्षण एक भी वर्ग में पूरा नहीं हुआ है।

8.29 वितरण के काम में एजेंसी/डीलर की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम होने का कारण यह है कि अ०जा०/अ०ज०जा० के ऐसे अर्हता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है जिनकी वित्तीय पृष्ठभूमि अच्छी हो और जिनमें प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुभव, ज्ञान, प्रतिभा, निष्ठा, रुचि आदि बातें हों।

आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन

8.30 एल०पी०जी० की डीलरशिप/एजेंसी के आबंटन के बारे में आयोग को ग्यारह अभ्यावेदन प्राप्त हुए। सात मामलों में अभ्यावेदन करने वालों ने यह प्रार्थना की थी कि उन्हें डीलर बनाये जाने के लिए आयोग द्वारा सिफारिश की जाए। जब तक अ०जा०/अ०ज०जा० को दिए गए आर्थिक या किसी प्रकार के सुरक्षण के उल्लंघन/वंचित किए जाने का कोई वैध आधार नहीं आता तब तक केवल डीलरशिप/एजेंसियां मंजूर करने के मामलों की सिफारिश करना आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं है। चार मामलों में अधिकारियों से सम्पर्क किया गया है।

8.31 एक मामले में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बिजनौर में ता० 25-3-1987 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० की गैस एजेंसी मिली थी जिसे मार्च 1993 में छः वर्ष पूरे हो गए। उसने आयोग को अभ्यावेदन दिया था कि उन्हें 2000 सिलेंडरों का आबंटन किया गया है और वे चाहते हैं कि प्रतीक्षा सूची पूरी करने के लिए उन्हें 1700 नए गैस कनेक्शन दिए जाएं।

8.32 आयोग ने इस अभ्यावेदन को ता०16-6-93 को इंडियन ऑयल के अधिकारियों को अग्रेषित कर दिया।

8.33 उनकी ओर से 31-10-94/31-3-95 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

8.34 एक अन्य मामले में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अ०जा० श्रेणी में से सितम्बर 1980 में एल०पी०जी० की डीलरशिप का आबंटन किया गया था। उस व्यक्ति ने अपने अभ्यावेदन में शिकायत की थी कि उसे अनुसूचित जाति का होने के कारण एल०पी०जी० के वितरण के मामले में परेशान किया जा रहा है। इस मामले में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि० से सम्पर्क किया गया जिन्होंने जवाब दिया कि शिकायतकर्ता ने गम्भीर अनियमितताएं की थीं और उसे शास्ति से दण्डित किया गया था। उन्होंने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि उस व्यक्ति ने अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामा लिखकर डीलरशिप का कार्य एक गैर-अ०जा० व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से हस्तांतरित कर दिया था जिसके लिए उसने कार्पोरेशन का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। ऐसी परिस्थिति में आयोग इस मामले में आगे हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए किसी सुरक्षण का उल्लंघन नहीं हुआ था।

8.35 आयोग का विचार है कि वितरण की एजेंसियां आरक्षण के द्वारा मंजूर करके अ०जा०/अ०ज०जा० को व्यापार के क्षेत्र में स्थापित होने का अवसर देने का सरकार का मंतव्य पूरा नहीं हो रहा है। इसके अनेक कारण हैं जिनमें एक कारण यह भी है कि अ०जा०/अ०ज०जा० में जानकारी, ज्ञान और आत्म-विश्वास का अभाव है।

MGIPF—478 M/o Welfare/96-